52वीं वार्षिक प्रतिवेदन

2021 - 2022

ई पी आई EPI

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि.

(भारत सरकार का उद्यम)

मिशन / ध्येय

गुणवत्ता और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए एक अग्रणी अद्योपांत परियोजना निष्पादन कम्पनी बनाना, जो सतत् रूप से स्टेकहोल्डरों के मूल्य का वर्धन कर रही है।

परिचाल के मुख्य क्षेत्र

उद्देश्य

1. नए कारबार क्षेत्रों में विस्तार करते हुए अपने सर्वाधिक लाभदायक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए कारबार का अनुरक्षण करना।
2. मूल्य सृजन पर अनवरत ध्यान केंद्रित करते हुए अपवादित ग्राहक सेवा का परिदान करना।
3. गुणवत्ता और मार्जिन पर मजबूती से ध्यान केंद्रित करते हुए प्रचालन उत्कृष्टता का अनुसरण करना।

विषय–सूची

	पृष्ठ संख्या
संदर्भ सूचना	02
निदेशक बोर्ड	03
गत पांच वर्षों की वित्तीय प्रास्थिति	06
अध्यक्ष का संदेश	07
वार्षिक साधारण बैठक के लिए सूचना	11
निदेशक की रिपोर्ट और उसके उपाबंध	15
प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट (उपाबंध–क)	30
निगम शासन पर रिपोर्ट (उपाबंध–ख)	38
निगम सामाजिक उत्तरदायित्व पर वार्षिक रिपोर्ट (उपाबंध–ग)	58
कंपनी द्वारा नातेदार पक्षकारों के साथ की गई संविदाओं/ठहराव की विशिष्टियों का प्रकटन प्ररूप एओसी–2 (उपाबंध–घ)	62
सचिवालयी लेखा परीक्षा रिपोर्ट (प्ररूप सं. एमआर 3) और लेखापरीक्षकों के पर्यवेक्षण पर कंपनी का प्रत्युत्तर	63
एकल वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और उनपर कंपनी का प्रत्युत्तर	78
एकल वित्तीय विवरण	104
समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और उनपर कंपनी का प्रत्युत्तर	152
समेकित वित्तीय विवरण	171
प्ररूप सं. एओसी 1	221
भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की एकल वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां और कंपनी का प्रत्युत्तर	223
भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की समेकित वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां और कंपनी का प्रत्युत्तर	224

संदर्भ सूचना

पंजीकृत कार्यालय

कोर 3, स्कोप कॉम्प्लैक्स,
7, लोधी रोड, नई दिल्ली–110 003
फोन नं : 91–11–24361666
फैक्स : 91–11–24363426
ई–मेलः epico@engineeringprojects.com
वेबसाइट: www.engineeringprojects.com

क्षेत्रीय कार्यालय

पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय – कोलकाता

यूनिट नं. 1204, 12वां तल, अंबुजा नियोतिया
ईकोसेंटर ब्लॉक–ईएम, प्लॉट नं. 04, सैक्टर–V
साल्ट लेक सिटी, कोलकाता–700 091
फोन : (033) 40690059, (033) 40064469
ई–मेलः ero@engineeringprojects.com

पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय–मुंबई

''बख्तावर'', 6ए, 6वां मंजिल,
नरीमन पांईट, मुंबई . 400 021
फोन : 91–22–22027585, 91–22–22026347
फैक्स : 91–22–22882177
ई–मेलःwromumbai@engineeringprojects.com

उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय–दिल्ली

कोर–3, 5वीं मंजिल, स्कोप कॉम्प्लैक्स,
7 लोधी रोड, नई दिल्ली – 110 003
फोन : 91–11–24363426
फैक्स : 91–11–24368293
ई– मेलः nro@engineeringprojects.com

दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय –चेन्नई

3 डी, ईस्ट कोस्ट चैम्बर्स, 92, जी.एन,
चेट्टी रोड, टी नगर, चेन्नई–600 017
फोन : 91–44–28156886, 28156421
फैक्स : 91–44–28156629
ई–मेलः sro@engineeringprojects.com

उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय

4 मंजिल, हिंदुस्तान टॉवर,
जवाहर नगर, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37,
बेलटाला गुवाहाटी–781022 (असम)
फोनः 0361–2962648
ई– मेलः nero@engineeringprojects.com

परियोजना कार्यालय

परियोजना समन्वय एवं व्यवसाय विकास प्रभाग, म.प्र.–भोपाल

ई7/832, ग्राउंड फ्लोर, अरेरा कॉलोनी,
भोपाल 462016, मध्य प्रदेश
फोनः 91–9711724791
ईमेलः umang.chugh@engineeringprojects.com

पीसीओ– हैदराबाद कार्यालय

फ्लैट न. 308, सत्य साई अपार्टमेन्ट्स,
श्रीनिवास नगर (ईस्ट), मैट्रो पिलर न. ए1040
अमीरपेट, हैदराबाद–500038, तेलंगाना
फोनः 040–23544461
ईमेल: epil.pcohyd@engineeringprojects.com

पीसीओ– विशाखापत्तनम कार्यालय

एच. नं. 31.12/2, रोड नं. 03 सातवाहन
नगर, कुर्माना पालेम, विशाखापत्तनम– 530046,
आंध्र प्रदेश
ईमेल: pco-vizag@engineeringprojects.com

पीसीओ– भुवनेश्वर कार्यालय

2 तल, खाटा नं. 081, प्लाट नं. 471
जीए प्लाअ नं. 108ए सूर्यनगर, यूनिट–07,
भुवनेश्वर–751003, खोरधा, उड़ीसा

कैम्प कार्यालय मस्कट

इंजीनियर– 3 परियोजना ओमान
सी/ओ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया)
लिमिटेड–ओमान, पोस्ट बॉक्स सं. 3251
डाक कोड : 112 आरयूडब्ल्यूआई
ओमान सल्तनत
ई–मेलः shamsher-singh@engineer
ingprojects.com
फोन : +968–71991836

श्रीलंका परियोजना

नं. 158, भूतल, II लेन, पंडारीकुल्लम
वावुनिया, उत्तरी प्रांत श्रीलंका
पिन कोड : 43000

लेखा परीक्षकः

कानूनी लेखापरीक्षक

मैसर्स जीएसके एंड एसोसिएट्स एलएलपी,
नई दिल्ली 8, प्रथम तल, रानी झांसी रोड,
मोतिया खान औद्योगिक क्षेत्र,
नई दिल्ली 110055

शाखा लेखा परीक्षक

उत्तरी क्षेत्र शाखा लेखा परीक्षक

मैसर्स गोयल गर्ग एंड कंपनी,
दिल्ली 18, भूतल, राष्ट्रीय उद्यान,
लाजपत नगर–IV, नई दिल्ली 110024

पूर्वी क्षेत्र एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र शाखा लेखा परीक्षक

मैसर्स जैन सरावगी एंड कंपनी, कोलकाता
1, क्रुक्ड लेन, कोलकाता,
पश्चिम बंगाल 700069

पश्चिमी क्षेत्र शाखा लेखा परीक्षक

मैसर्स बाठिया एंड एसोसिएट्स एलएलपी
लेखा परीक्षक
910, हबटाउन सोलारिस, एन.एस फड़के रोड
ईस्ट वेस्ट पुल के निकट, अंधेरी ईस्ट
मुंबई–400069

दक्षिणी क्षेत्र शाखा लेखा परीक्षक

मैसर्स जी.सी. डागा एंड कंपनी
लेखा परीक्षक
श्री बालाजी कॉम्प्लेक्स, 14, वीरप्पन स्ट्रीट, 2
तल, चेन्नई–600001

विदेशी शाखा लेखा परीक्षक

श्रीलंका शाखा लेखा परीक्षक

मैसर्स एसीसी फर्स्ट पार्टनर्स
लेखा परीक्षक
नं.787 एफ, एम.डी.एच. जयवर्द्धन एमडब्ल्यू
माकपन्नागोडा, राजगिरिया

ओमान शाखा लेखापरीक्षक

मैसर्स एमएचएमवाई ऑडिटर्स
पी.ओ. बॉक्स 385, जिबरू, पीसी 114,
मस्कट, सल्तनत ऑफ ओमान

म्यांमार शाखा लेखा परीक्षक

मैसर्स डाव मी मी सो,
म्यांमार रूम नंबर 3, बिड. नंबर 6,
पीवाईआई वाईईआईके एमओएन, हाउसिंग,
कामरयुत टाउनशिप, यांगून, म्यांमार

लागत लेखा परीक्षक

मैसर्स ए.जी. अग्रवाल एंड एसोसिएट्स,
लेखा परीक्षक एच.ओ. आईआईबी/76,
उषा विला, वैशाली, गाजियाबाद, यूपी– 201010

सचिवीय लेखा परीक्षक

मैसर्स एमएनके एंड एसोसिएट्स
एलएलपी कंपनी सेक्रेटरीज
एमएनके हाउस, 9ए/9–10, बेसमेंट, ईस्ट
पटेल नगर, नई दिल्ली–110008
फोन : 011-46581272, मो. : 9818156340
ई–मेलः nazim@mnkassociates.com

मुख्य बैंकर्स

इलाहाबाद बैंक
ऐक्सिस बैंक
बैंक ऑफ बड़ौदा
केनरा बैंक
एचडीएफसी बैंक
आईसीआईसीआई बैंक
इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी)
आईडीबीआई बैंक
इंडसइंड बैंक
भारतीय स्टेट बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

निदेशक बोर्ड

(एजीएम दिनांक अनुसार)

श्री धीरेंद्र सिंह राना
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक एवं
निदेशक (परियोजनाएं)

श्री राज पाल सिंह
निदेशक (वित्त)

श्री राजेश कुमार
अंशकालिक शासकीय निदेशक

डॉ. रेणुका मिश्रा
अंशकालिक शासकीय निदेशक

श्रीमती आकांक्षा पारे
अंशकालिक गैर–शासकीय निदेशक

श्री विनोद कुमार यादव
अंशकालिक गैर–शासकीय निदेशक

वरिष्ठ कार्यपालक

(30.11.2022 की स्थिति के अनुसार)

श्री निजामुद्दीन
मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ)

श्री ए. के. पात्रा
मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ)
एवं समूह महाप्रबंधक (वित्त)

श्री नितेश कुमार गोयल
कंपनी सचिव

श्री सुनील कुमार बठीजा
कार्यकारी निदेशक (विधि) और
पारदर्शिता अधिकारी (टीओ) और
लोक शिकायत अधिकारी (पीजीओ)

श्री ए. राधाकृष्णन्न
कार्यकारी निदेशक
(प्रशासन व राजभाषा)

श्री ए.के. वशिष्ठ
कार्यकारी निदेशक
(योजना एवं अवृक्षण)

श्री विश्वजीत विश्वास
कार्यकारी निदेशक
पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता

श्रीमती गीता आर कृष्णन
कार्यकारी निदेशक
पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई

श्री शमशेर सिंह
कार्यकारी निदेशक
(संविदा और इंजीनियरिंग)

श्री प्रमोद कुमार साहू
कार्यकारी निदेशक
(मानव संसाधन)

श्री रत्नेश जैन
कार्यकारी निदेशक (ओमान)

श्रीमती ए. भौमिक
समूह महाप्रबंधक
पीसीओ, विशाखापत्तनम

श्री संजय गोयल
समूह महाप्रबंधक
(व्यापार विकास)

श्री जे. एल. रिचर्ड
समूह महाप्रबंधक
(सूचना प्रौद्योगिकी) एवं
मुख्य जोखिम अधिकारी

श्री मुकेश ठाकुर
समूह महाप्रबंधक
उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी

श्री ए. गौतमन
समूह महाप्रबंधक
दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई

श्री शम्सुल हसन
समूह महाप्रबंधक
उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली

श्री एस. के. सेठी
महाप्रबंधक एवं
लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ)

श्री एस. के. गुप्ता
अतिरिक्त महाप्रबंधक व
मुख्य आंतरिक लेखा परीक्षक

गत 5 वर्षों की वित्तीय प्रास्थिति

(रुपये लाख में)

विवरण / वर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
ए ऑपरेटिंग सांख्यिकी					
घरेलू (क)	81,196.02	67,489.92	62,248.87	53,041.40	72,341.90
विदेशी (ख)	79,544.97	111,614.95	71,410.08	27,520.77	1,275.44
कारोबार (परिचालन आय) (ग)=(क+ख)	**160,740.99**	**179,104.87**	**133,658.95**	**80,562.17**	**73,617.34**
अन्य आय (घ)	1,526.79	517.51	732.00	511.95	1,368.28
कुल आय (ई) = (ग + घ)	**162,267.78**	**179,622.38**	**134,390.95**	**81,074.12**	**74,985.62**
कुल व्यय (च)	161,456.08	181,893.83	132,635.16	84,311.26	80,650.82
सकल मार्जिन (छ) = (ड–च)	**811.70**	**(2,271.45)**	**1,755.79**	**(3,237.14)**	**(5,665.20)**
ब्याज	485.70	501.48	852.41	1,032.31	478.14
मूल्यह्रास	154.68	189.64	109.12	99.36	88.16
कर पूर्व लाभ (पीबीटी)	**171.32**	**(2,962.56)**	**794.26**	**(4,368.81)**	**(6,231.50)**
आयकर	157.78	339.94	702.23	605.50	274.85
कर पश्चात लाभ (पीएटी)	**13.54**	**(3,302.50)**	**92.03**	**(4,974.31)**	**(6,506.35)**
लाभांश भुगतान*	-	-	-	27.61	-
लाभांश वितरण कर का भुगतान	-	-	-	-	-
आरक्षित और अधिशेष में अग्रेषित शेष	13.54	(3,302.50)	92.03	(5,001.92)	(6,506.35)
कर्मचारियों की संख्या	363	327	303	289	270
10/– रुपये के इक्विटी शेयरों की संख्या	35422688	35422688	35422688	35422688	35422688
बी वित्तीय स्थिति					
शेयर पूंजी	3,542.27	3,542.27	3,542.27	3,542.27	3,542.27
आरक्षित और अधिशेष (मुक्त भंडार)	19,524.56	16,222.06	16,314.09	11,312.18	4,805.83
सीएसआर रिजर्व	-	-	-	-	-
निवल मालियत (शेयरधारकों की निधि)	**23,066.83**	**19,764.33**	**19,856.36**	**14,854.45**	**8,348.10**
नियोजित पूंजी	**23,066.83**	**19,764.33**	**19,856.36**	**14,854.45**	**8,348.10**
सी. वित्तीय अनुपात					
प्रति कर्मचारी कारोबार (रु. लाख में)	442.81	547.72	441.12	278.76	272.66
सकल मार्जिन / टर्नओवर (%)	0.50	(1.27)	1.31	(4.02)	(7.70)
कर पूर्व लाभ (पीबीटी)/टर्नओवर (%)	0.11	(1.65)	0.59	(5.42)	(8.46)
कर पूर्व लाभ (पीबीटी)/निवल मूल्य (%)	0.74	(14.99)	4.00	(29.41)	(74.65)
कर पश्चात लाभ (पीएटी)/निवल संपत्ति (%)	0.06	(16.71)	0.46	(33.49)	(77.94)
लाभांश भुगतान / कर पूर्व लाभ (%)	-	-	-	3.48	-
लाभांश भुगतान / कर पश्चात लाभ (%)	-	-	-	30.00	-
आधारित और तनुकृत ईपीएस (रु में)	0.04	(9.32)	0.26	(14.04)	(18.37)
एनएवी प्रति शेयर जिसका अंकित मूल्य 10/–	65.12	55.79	56.06	41.93	23.57

* वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान भुगतान किया गया लाभांश वित्त वर्ष 2019–20 से संबंधित है।

अध्यक्ष का संदेश

प्रिया शेयरधारको,

भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है इसकी आप सब को हार्दिक बधाई।

निदेशक बोर्ड की ओर से मुझे आपकी कंपनी की वर्ष 2021–22 के लिए 52वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए हर्ष हो रहा है।

उद्योग सिनेरियो एवं कारवार के अवसरः

भारत के संनिर्माण बाजार की फोरकास्ट अवधि (2022–2027) के दौरान, परिवहन, स्वास्थ्य, ऊर्जा और आवास अवसंरचना क्षेत्र में 2022/2023 के बजट के अधीन बढ़े हुए सरकारी विनिधान द्वारा सहायता के कारण 10% से अधिक सीएजीआर वृद्धि दर्ज करने की आशा है। यद्यपि 2022/2023 का बजट महत्वपूर्ण रूप से संनिर्माण उद्योग की सहायता करेगा, लघु से मध्यम अवधि के दौरान संनिर्माण की आसमान छूती लागत और पूर्ति श्रृंखला में बाधाएं संनिर्माण कार्य की प्रगति को प्रभावित कर सकती हैं।

भारत सरकार का ध्यान और दृढ़ विश्वास अवसंरचना क्षेत्र के लिए अच्छी खबर है और यह कंपनियों के लिए बहुल अवसर उत्पन्न करेगा।

ईपीआई के कार्य निष्पादन की समीक्षाः–

ईपीआई ने वित्त वर्ष 2021–22 (पूर्व वर्ष रू. 806 करोड़) के दौरान पूर्व वित्तीय वर्ष में 50 करोड़ (हानि) की तुलना में 65 करोड़ रुपए (हानि) के पी ए टी के साथ राजस्व में कमी दर्ज की।

राजस्व और लाभ ग्राह्यता में इस कमी के मुख्य कारणों की आपकी कंपनी द्वारा नीचे दिए अनुसार पहचान की गई हैः–

i) कोविड–19 महामारी की बार–बार लहरें, घातक दूसरी लहर वित्त वर्ष 2021–22 के पहले उत्तरार्ध मै उत्पन्न हुई और इसमें ईपीआई की चालू परियोजनाओं पर बहुत दबाव डाला।

ii) ओमान परियोजना के सारवान रूप से पूरा होने के कारण पिछले वर्ष के दौरान 275.21 करोड़ रुपए (कुल टर्नओवर का 34%) से 2021–22 में 10 करोड़ रुपए (कुल टर्नओवर का <1.5 प्रतिशत) के कारण अंतरराष्ट्रीय टर्नओवर में कमी।

iii) रूस– यूक्रेन युद्ध के कारण सीमेंट और इस्पात आदि जैसी कच्ची सामग्रियों के बाजार मूल्य में अचानक से बहुत बृद्धि, जिसके कारण चालू ईपीसी/टर्न की परियोजनाओं में आपकी कंपनी की परियोजना लागत और प्रचालन मार्जिन प्रभावित हुआ।

वर्ष 2021–22 के दौरान आपकी कंपनी ने नई परियोजनाएं प्राप्त करना जारी रखा जैसे गुजरात में हाईवे परियोजना (614 करोड रुपए), महाराष्ट्र में चार आयुर्विज्ञान महाविद्यालय (17 करोड रुपए), गोवा में स्वच्छ भारत मिशन कार्य (140 करोड रुपए) और उड़ीसा में विभिन्न अवसरचना परियोजनाएं (218 करोड रुपए) तथा कई और जिनका लगभग कुल मूल्य 3776 करोड रुपए है।

अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ईपीआई ने सारवान रूप से ग्राहक की आवश्यकता अनुसार ओमान परियोजना के दूसरे चरण को पूरा कर लिया और यह पूर्व चरणों में कंपनी के बेहतरीन कार्य निष्पादन के आधार पर आने वाले तीसरे चरण पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

भावी रास्ता/कार्यनीति विरचना

जैसे मैं भारत में संनिर्माण उद्योग के लिए आने वाले अवसरों की जांच करता हूं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि अवसंरचना क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक मुख्य चालक बना रहता है। भारत की अर्थव्यवस्था बड़ी है और अधिक बड़ी होती जा रही है तथा अवसंरचना क्षेत्र भारत के समग्र विकास को प्रक्षेपित करने के लिए लगातार उत्तरदाई बना रहेगा। सरकार ने हरित परियोजनाओं मै विनिधान को आकृष्ट करने के लिए कई वर्षों से अनेक प्रोत्साहनों की घोषणा करने के साथ आस्ति स्वामियों के लिए धनियाकरण के अवसरों को उपलब्ध करवाया है। अवसंरचना का संवर्धन करने के लिए यह पहले ईपीसी कंपनियों के लिए अवसर प्रदान करती हैं। सरकार द्वारा घोषित मुख्य नीति पहले, अर्थात राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन और राष्ट्रीय धनियाकरण पाइपलाइन से अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। लगभग सभी अवसंरचना क्षेत्र शानदार अवसर प्रस्तुत करते हैं और आपकी कंपनी उनका फायदा उठाने के लिए भली प्रकार तैयार है।

आने वाले वर्षों में, रिकवरी और वृद्धि का भरणीय मार्ग सुरक्षित करने के लिए ईपीआई ने किसी एक परियोजना या एकल क्षेत्र में अधिक निर्भरता की अनियमितता से स्वयं को सुरक्षित करने के लिए एक कार्यनीति अंगीकृत की है। अन्य पहलुओं को मुख्य रूप से लागत कम करना, राजस्व को अधिकतम बनाना और विविधिकरण तथा नए अवसर के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है तथा इन क्षेत्रों के अनुसरण में उठाए गए विभिन्न कदमों को आपकी सराहना के लिए संक्षिप्त रूप से नीचे दिया गया है:

लागत कम करना/राजस्व को अधिकतम बनाना:

पिछले वित्त वर्ष से ही कुछ मुख्य पहलें नीचे दिए अनुसार हैं:–

– संविदा पर तकनीकी जनशक्ति को लेकर जनशक्ति का सुव्यवस्थिकरण जिससे चालू परियोजनाओं और आने वाली नई प्रतिबद्धताओं में सहायता मिले ताकि आपकी कंपनी की आदेश पुस्तिका में वृद्धि की जा सके।
– बेहतर नकद प्रबंधन के लिए बहुल बैंक खातों को समेकित करना।
– ऋण के पुनर्संदाय और बेहतर बैंक गारंटी निबंधनों की नजदीकी से मॉनिटरी द्वारा वित्तीय लागतो को सारवान रूप से कम करना।
– एक पीएसयू को स्कोप कॉम्प्लैक्स में एक संपूर्ण तल को पट्टे पर देना जिससे सतत राजस्व का सृजन होगा।
– डिजिटल साधनों का बेहतर उपयोग करके दौरा/यात्रा व्यय में अत्यधिक कमी।
– पारदर्शिता में सुधार करने के लिए एस ए पी, ऑनलाइन बिल ट्रैकिंग प्रणाली का बेहतर उपयोग।
– लागत/अधिक समय के प्रति अधिक संवेदनशील होने के लिए परियोजना वार लेखांकन का कार्यान्वयन।
– आंतरिक डिजाइन और आर्किटेक्चरल प्रतिबद्धता को बढ़ाना।

विविधीकरण और नए कारवार अवसर

हाल ही के वर्षों में ईपीआई ने अवसंरचना के नए क्षेत्रों में अनेक अवसरों को अपने हाथ में सफलतापूर्वक लिया है जैसे कि–

- हाईवे
- विमान पत्तन
- रेलवे
- रोपवे
- स्मार्ट सिटी परियोजनाएं
- स्वच्छ भारत मिशन
- फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन
- वेयरहाउस एंड सिलोस

नए क्षेत्रों में कारवार का विकास तकनीकी गठबंधन विख्यात घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के साथ सामरिक गठबंधन और नए ग्राहकों के समक्ष आपकी कंपनी को यथोचित रूप से प्रस्तुत करने के कारण संभव हुआ है। आपकी कंपनी द्वारा किए गए प्रयास पिछले 5 वर्षों के दौरान प्राप्त घरेलू आदेशों के निबंधनों में स्वयं अपनी कथा कहते हैं:–

क्रम संख्या	वर्ष	प्राप्त किए गए कुल आदेश (रुपए)
1.	2017– 18	230 करोड़
2.	2018–19	338 करोड़
3.	2019–20	1762 करोड़
4.	2020–21	4155 करोड़
5.	2021–22	3776 करोड

ईपीआई मालदीव, नेपाल, बांग्लादेश और अफ्रीकन देशों में हमारे द्वारा मध्य पूर्व में हाल ही में विकसित परियोजनाओं के समान अब संरचना परियोजनाओं का पता लगाने के लिए विविधीकरण के लिए कठोर प्रयास भी कर रही है।

31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार कंपनी की तुरंत आदेश पुस्तिका 8785 करोड रुपए है जो कम से कम अगले तीन–चार वर्ष के लिए युक्ति–युक्त राजस्व उपस्थिति उपलब्ध कराती है।

हमारी भावी यात्रा में कंपनी के पास बड़ी संभावना है और हमें अपने व्यापक अनुभव और विशेषज्ञता का पूरी तरह से उपयोग करने के लिए नए क्षेत्रों में पदार्पण करने की और, हाथ में परियोजनाओं को निष्पादित और कार्यान्वित करने के लिए ध्यान केंद्रित रखने और सावधान रहने की आवश्यकता होगी।

भावी चुनौतियां:–

ऊपर दर्शाए गए विभिन्न प्रयासों से आपकी कंपनी अवश्य ही देश के अवसंरचना परिदृश्य में एक जीवंत और प्रभावसील पीएसयू बनी रहेगी। यद्यपि कुछ चुनौतियां भी हैं, जो मुख्य रूप से निम्नलिखित से उत्पन्न होती हैं:

i) आकास्मिक दायित्व :

31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार ई पी आई का आकस्मिक दायित्व इस समय 665 करोड रुपए है जिसके लिए अभी प्रावधान किया जाना है। इन दायित्वों को सीमित रखने का सुनिश्चिय करने के लिए प्रयास जारी हैं और विभिन्न पुरानी और विलंबित परियोजनाओं के लिए नए दायित्व को न्यूनतम किया जाता है।

ii) चालू परियोजनाओं को समय पर पूरा करना:

वर्तमान में कंपनी लगभग 150 परियोजनाओं को निष्पादित कर रही है और टर्नओवर और लाभ ग्राह्यता लक्ष्यों को हासिल करने के लिए लागत को बढ़ाए बिना प्रत्येक परियोजना को समय पर पूरा करना आवश्यक है। इसे ध्यान में रखते हुए हमें डिलीवर करने के लिए अपेक्षित संसाधनों पर ध्यान देने की ओर हमारी वर्तमान क्षमता को मैप करने की आवश्यकता होगी।

अनुषंगी कंपनी

ईपीआई की एक अनुषंगी कंपनी जिसे 19 मई 2016 को "ईपीआईएल इंफ्रा डेवलपर्स लिमिटेड (ईपीआई यू आई डीएल) के रूप में निगमित किया गया था अपने प्रारंभ से ही प्रचालन नहीं कर रही है। तदनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(1)(क) के अधीन ईपीआईयूआईडीएल का नाम हटाने के लिए एक आवेदन महानिदेशक, कारपोरेट कार्य, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के पास 23 मई 2022 को फाइल किया गया है।

एमओयू के अधीन कार्य निष्पादन

वर्ष 2020–21 के लिए कंपनी द्वारा सरकार के साथ हस्ताक्षरित एमओयू के निबंधों में लोक उद्यम विभाग (डीपीई) ने कंपनी के कार्य निष्पादन की रेटिंग, "पुअर" की है।

लाभांश

लाभ और नकद की अपर्याप्तता के कारण वित्त वर्ष 2021–22 के लिए आप के निदेशकों ने किसी लाभांश (अंतिम/अंतरिम) की सिफारिश नहीं की है।

मानव संसाधन

किसी परियोजना का सफलतापूर्वक पूरा होना योग्य और सक्षम टीम पर निर्भर करता है। वर्तमान परिदृश्य में आपकी कंपनी की आदेश पुस्तिका में पिछले 3 वर्ष से लगातार वृद्धि हो रही है जबकि नियमित जनशक्ति की संख्या में वर्ष दर वर्ष कमी हो रही है क्योंकि विनिधान के कोर ग्रुप (सीडीजी) नें नवीन जनशक्ति को सम्मिलित करने पर रोक लगा रखी है। उभरते हुए कारवार के अवसरों और जनशक्ति की आवश्यकता के प्रत्युत्तर में, मैं आपको आश्वासित करता हूं कि ईपीआई बाजार उन्मुख प्रतिकर पैकेज का निर्माण करके अस्थाई नियुक्ति के विभिन्न तरीकों द्वारा इस कठिनाई को दूर कर लेगी।

निगम शासन प्रणाली

ईपीआई विधिक, नैतिक और पारदर्शी रीति में कारबार के संचालन के लिए सुदृढ़ निगम शासन पद्धतियों के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी यह विश्वास करती है कि दीर्घावधि में अच्छी निगम शासन पद्धतियां सभी पणधारियों के लिए धन का सृजन करती हैं। ईपीआई लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी निगम शासन मार्गदर्शक सिद्धांतों का अनुपालन कर रही है और त्रैमासिक तथा वार्षिक आधार पर भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) को अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। निगम शासन और प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण पर एक रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट का भाग है।

निगम सामाजिक उत्तरदायित्व और भरणीयत्ता

वर्ष के दौरान शून्य बजट आवंटन के कारण कोई कार्यकलाप नहीं किए गए।

आभार

मैं, निदेशक बोर्ड की ओर से और स्वयं की ओर से कर्मचारियों की प्रतिबद्धता और मेहनत के लिए सराहना करता हूं जिनके इमानदारी पूर्वक सतत प्रयासों के कारण हम लक्षित वृद्धि को हासिल करने में सफल हुए हैं। में बोर्ड के सदस्यों, भारत सरकार विशेषकर भारी उद्योग मंत्रालय, अन्य सरकारी विभागों, शेयरधारकों, कानूनी लेखा परीक्षकों, भारत के महालेखा परीक्षक और नियंत्रक, कारवार एसोसिएट्स और बैंकों की अनवरत सहायता और मार्गदर्शन के लिए भी धन्यवाद करता हूं। मै अपने सम्मानीय ग्राहकों का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने आपकी कंपनी पर पूर्ण विश्वास बनाए रखा। हमें अपने स्टेकहोल्डर का पूर्ण विश्वास प्राप्त करने का भी विश्वास है हम भविष्य में और अधिक सफलता के लिए अपने सभी प्रयास करेंगे।

हस्ता/–
डी.एस.राना
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
डी आई एनः 0702 2825

स्थान नई दिल्ली
तारीख 27 सितंबर 2022

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड

सीआईएनः यू27109डीएल1970 जीओआई117585

रजिस्ट्रीकृत कार्यालयः कोर–3 स्कोप कॉम्प्लैक्स 7, लोधी रोड़ नई दिल्ली –110003

फोन न. 91–11–24361666, ईमेलः csd@engineeringprojects.com

वेबसाइटः www.engineeringprojects.com

सूचना

यह सूचना दी जाती है इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (ईपीआई) के सदस्यों की **52वीं वार्षिक साधारण बैठक मंगलवार, 27 सितंबर 2022 को 03:30** बजे सांय वीडियो संगोष्ठी/अन्य श्रव्य दृश्य साधनों द्वारा आयोजित की जाएगीः

साधारण कारबार

1. 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निदेशक बोर्ड और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ कंपनी की संपरीक्षित वित्तीय विवरणियों (जिसके अंतर्गत समेकित और एकल हैं) को प्राप्त करना, विचार करना और अंगीकृत करना तथा उपांतरणों सहित या उसके बिना निम्नलिखित संकल्प पारित करना :

   ''यह संकल्प करते हैं कि 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणियां (जिसके अंतर्गत समेकित और एकल हैं) और 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा के साथ टिप्पणियां और उपाबंध तथा उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और अपने उपबंधों के साथ निदेशकों की रिपोर्ट जिसके अंतर्गत प्रबंध चर्चा तथा विश्लेषण रिपोर्ट, निगम शासन पर रिपोर्ट एवं निगम सामाजिक दायित्व और भरणीय रिपोर्ट, सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट, संबंधित पक्षकारों के साथ कंपनी द्वारा की गई संविदाओं/इन्तजामों की विशिष्टियों का प्रकटन के लिए एओसी–1 एवं एओसी–2 जैसाकि बैठक के समक्ष अधिकथित है एतद्वारा अनुमोदित तथा अंगीकृत किया जाता हैं।''

2. वित्त वर्ष 2021–22 के लिए साम्या शेयरों पर लाभांश की घोषणा करना।

   निदेशक बोर्ड ने 4 अगस्त 2022 को आयोजित अपनी बैठक में वित्त वर्ष 2021–22 के लिए लाभ/निधियों की कमी के कारण शून्य लाभांश का प्रस्ताव किया है।

विशेष कारबार

3. निदेशक बोर्ड द्वारा 4 अगस्त 2022 को अनुमोदित वित्त वर्ष 2022–23 के लिए लागत लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन करना (लेखा परीक्षा समिति द्वारा यथा अनुशंसित) और इस संबंध में विचार करना तथा उचित पाए जाने पर साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पारित करनाः

   ''संकल्प करते हैं कि कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 14 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के उपबंधों के अनुसरण में 40,000/– रुपए (चालीस हजार रुपए मात्र) धन लागू कर, जिसके अंतर्गत परिवहन भत्ता/महंगाई भत्ता तथा जेबी व्यय नहीं है, को वास्तविक के आधार पर लेखा परीक्षा समिति द्वारा यथा अनुशंसित और निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित मैसर्स अनुज कुमार एंड कंपनी, लागत लेखाकार को वित्त वर्ष 2022–23 के लिए लागत लेखा परीक्षक के रूप में संदत्त किया जाएगा और इसका एतद्वारा अनुसमर्थन तथा पुष्टि की जाती है।''

निदेशक बोर्ड के आदेश द्वारा
ह./–
(नितेश कुमार गोयल)
कंपनी सचिव
ईमेल–csd@engineeringprojects.com

तारीख : 2 सितंबर, 2022
स्थान : नई दिल्ली

टिप्पणियां :

1. कोविड–19 महामारी को ध्यान में रखते हुए, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने अपने परिपत्र तारीख 13.1.2021,08.04.2020, 13.04.2020 और 05.05.2020 (जिन्हें सामूहिक रूप से एमसीए परिपत्र कहा जाता है) के साथ पठित तारीख 5 मई 2020 के परिपत्र द्वारा कंपनियों को वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम/बैठक) वीडियो संगोष्ठी या अन्य श्रव्य दृश्य साधनों के माध्यम से स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना करना अनुज्ञात किया है। कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबधों और एमसीए परिपत्रों के अनुसरण में कंपनी की वार्षिक साधारण बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित किए जाना अनुसूचित किया गया है। वार्षिक साधारण बैठक को कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में आयोजित किया गया समझा जाएगा।

2. अधिनियम के उपबंधों के अनुसार बैठक में भाग लेने और मत देने के लिए पात्र कंपनी का कोई सदस्य उसके द्वारा लिखित में सम्यक्तः हस्ताक्षरित प्रॉक्सी को उसके स्थान पर भाग लेने और मत देने के लिए नियुक्त करने का हकदार है और प्रॉक्सी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। क्योंकि एजीएम वीसी/ओएवीएस सुविधा के माध्यम से आयोजित की जा रही है, सदस्यों की भौतिक रूप से उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। सदस्यों द्वारा सदस्यों द्वारा वार्षिक साधारण बैठक के लिए प्रॉक्सी की नियुक्ति उपलब्ध नहीं है इसलिए प्रॉक्सी की नियुक्ति लागू नहीं है और इसलिए प्रॉक्सी प्रारूप, उपस्थिति पर्ची और रूट मानचित्र को इस नोटिस के साथ उपाबद्ध नहीं किया गया है

3. कॉर्पोरेट सदस्यों से बोर्ड के संकल्प की वीसी/ओएवीएम भाग लेने के लिए प्रतिनिधि को और उनके निमित्त मतदान करने के लिए प्राधिकृत करने के बोर्ड के संकल्प की सम्यक्तः स्कैन की गई प्रति भेजने का अनुरोध किया जाता है। संकल्प/प्राधिकृत किए जाने को उसके रजिस्ट्रीकृत ईमेल पते पर ईमेल के माध्यम से csd@engineeringprojects.com पर nitesh.goyal @engineeringprojects.com को मार्क है।

4. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 102(1) और विशेष कारबार के संबंध में साधारण बैठकों पर सचिवालय मानक 2 जैसा कि ऊपर दिया गया है, के अनुसरण में सुसंगत स्पष्टीकरण कथन इसके साथ उपाबद्ध है।

5. अधिनियम की धारा 103 के उपबंधों के अनुसरण में, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक साधारण बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों को गणपूर्ति के प्रयोजन के लिए गणना में लिया जाएगा।

6. कंपनी के कोई भी निदेशक किसी भी तरह से एक दूसरे के नातेदार नहीं है।

7. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ई–वार्षिक साधारण बैठक में भाग लेने की सुविधा ई–वार्षिक साधारण बैठक के अनुसूचित आरंभ होने के समय से 15 मिनट पहले तक और 15 मिनट पश्चात तक खुली रहेगी।

8. संलग्न सूचना में निर्दिष्ट सभी दस्तावेज निरीक्षण के लिए कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में सभी कार्य दिवसों पर (शनिवार और रविवार को छोड़कर) वार्षिक साधारण बैठक की तारीख तक उपलब्ध हैं। तथापि कोविड–19 महामारी की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए, ऐसे दस्तावेजों की जांच करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि पूर्व ईमेल पते पर वह अपनी पूर्व सूचना भेजें तथा यह उन्हें इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे।

9. लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और उनका पारिश्रमिक नियत करने के संबंध में यह कथन है कि भारत का महालेखा नियंत्रक एवं परीक्षक सरकारी कंपनी के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के निबधनों में कानूनी लेखा परीक्षकों की नियुक्ति यह पुनः नियुक्ति करता है और कानूनी लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक को शेयरधारकों द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 142 के निबधनों में साधारण बैठक में या ऐसी रीति में जो कंपनी साधारण बैठक में अवधारित करें, नियत किया जाता है। ईपीआई के शेयरधारकों ने 29 सितंबर 2014 को आयोजित 44वीं वार्षिक

साधारण बैठक (एजीएम) में, बोर्ड को, कानूनी लेखा परीक्षकों और शाखा लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक को वित्त वर्ष 2013–14 के पश्चात नियत करने के लिए प्राधिकृत किया है। तदनुसार, निदेशक बोर्ड न 11 मार्च को आयोजित अपनी 278वी बैठक में (आइटम संख्या 278–21–22/बी–3) परिपत्र संकल्प संख्या सी आई आर सी/2/2021– 22 तारीख 18 जून 2021 द्वारा, 10.85 लाख रुपए की कुल फीस वित्त वर्ष 2021–22 के लिए निगम कार्यालय और शाखा कार्यालयों (जिसके अंतर्गत विदेश में शाखाएं नहीं हैं) की लेखा परीक्षा के लिए नियत की थी।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 102(1) के अनुसरण में मद संख्या 3 के संबंध में ऊपर दिया गया स्पष्टीकरण कथन नोटिस का एक भाग है:

मद संख्या 3: लागत लेखाकार के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन

बोर्ड ने लेखा परीक्षा समिति की सिफारिशों पर मैसर्स अनुज कुमार एण्ड कंपनी, लागत लेखाकार को वित्त वर्ष 2022–23 के लिए कंपनी के लागत अभिलेखों की लेखा परीक्षा संचातिल करने के लिए 40,000/– रुपए (चालीस हजार रुपए मात्र) धन लागू कर परिवहन भत्ता/महंगाई भत्ता तथा जेबी व्यय को वास्तविक के आधार पर नियुक्त किया था। कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसरण में, लागत लेखाकार को संदेय पारिश्रमिक को कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुसमर्थित किया जाना होता है। तदनुसार नोटिस की मद संख्या 3 पर संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदन और अनुसमर्थन के लिए रखा जाता है।

कंपनी का कोई भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति या उनके नातेदार किसी भी प्रकार से मत संख्या 3 में रखे गए संकल्प में वित्तीय रूप से या अन्यथा संबंधित या हितबद्ध नहीं है

सेवा में:

1. ईपीआई के सभी शेयर धारक
2. ईपीआई के कानूनी लेखा परीक्षक
3. ईपीआई के सचिवालय लेखा परीक्षक
4. ईपीआई के सभी निदेशक

प्रति:

1. सचिव, भारत सरकार,
   भारी उद्योग मंत्रालय,
   भारी उद्योग विभाग,
   उद्योग, नई दिल्ली–110001

निदेशक बोर्ड के आदेश द्वारा

ह/–
(नितेश कुमार गोयल)
कंपनी सचिव
ईमेल–csd@engineeringprojects.com

तारीख : 2 सितंबर 2022
स्थान : नई दिल्ली

नामनिर्देशन प्ररूप :

सेवा में

कंपनी सचिव,
इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड,
सीआईएन : यू 27109 डीएल 1970 जीओआई 117585,
कोर–3 स्कोप कॉम्प्लैक्स,
7, लोधी रोड़,
नई दिल्ली –110003

प्रिय महोदय/महोदया,

मैं श्री/श्रीमती.....

(नाम)

.....

(पदनाम)

को मेरा प्रतिनिधित्व करने के लिए मंगलवार दिनांक 27 सितंबर, 2022 को 03:30 बजे अपराह्न में आयोजित की जाने वाली ईपीआई के शेयरधारकों की 52वीं वार्षिक साधारण बैठक (और उसकी कोई अन्य स्थगित बैठक) में मेरे नामनिर्देशिती के रूप में नामनिर्दिष्ट करता हूं।

धन्यवाद,

भवदीय

ह0/–
पदनाम
मुहर और मुद्रा

स्थान :
तारीख :

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यों

आपके निदेशकों को वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान कंपनी के कार्य निष्पादन पर 52वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए हर्ष हो रहा है।

1. वित्तीय विशेषताएं

वर्ष 2021–22 के दौरान कंपनी का पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान प्राप्त 80,562 लाख रूपए के आवर्त की तुलना में आवर्त 73,617 लाख रुपए रहा। कर से पूर्व (पीबीटी) अर्जित लाभ इस अवधि के दौरान वर्ष 2020–21 में अर्जित (4369) लाख रूपए की तुलना में (6,231) लाख रुपए रहा।

वर्ष 2021–22 के दौरान पूर्ववर्ती वर्ष में तत्स्थानी आंकडों के साथ आपकी कंपनी (एकल) की वित्तीय विशेषताएं नीचे दिए अनुसार हैं :

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	विवरण	2021–22	2020–21
1	प्रचालन आवर्त	73,617	80,562
2	अन्य आय	1,368	540
3	कुल आय	74,985	81,101
4	समग्र मार्जिन	(5,665)	(3,237)
5	संदत्त ब्याज	478	1,032
6	अवक्षयण	88	99
7	कर से पूर्व लाभ	(6,231)	(4,369)
8	कर	275	606
9	कर के पश्चात लाभ	(6,506)	(4,974)
10	निबल मूल्य	8,348	14,854

कंपनी का निबल मूल्य 14,854 लाख रुपए से घटकर 8,348 लाख रुपए हो गया जो पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में 44 प्रतिशत की कमी है। वर्ष 2021–22 में नियोजित पूंजी पर रिटर्न वर्ष 2020–21 में (33%) के मुकाबले (78%) है।

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) का 17 फरवरी 2016 को समान केंद्रीय पब्लिक सेक्टर के उपकर्मों के साथ विलयन के संबंध में विलयन द्वारा सामरिक विनिवेश की प्रक्रिया के विनिश्चय को सीसीईए की 13 फरवरी 2019 को आयोजित बैठक में सभी पात्र सीपीएसई और प्राइवेट सेक्टर के अस्तित्व को विनिधान की बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अनुज्ञात करने के लिए और आगे उपांतरित किया गया।

इसके अलावा परिसंपति मुद्रिकरण (डीआईपीएएम विनिवेश योजनाओं के अधीन) की गतिविधि फेमवर्क में है और आपकी कंपनी सभी नितियों/दिशानिर्देशों आदि का पालन करती है। इस संबंध में समय–समय पर अधिसूचना जारी की जाती है।

भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) के अनुदेशों की अनुपालना में भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन केंद्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/एबी के कब्जे में भूमि के अभिलेखों के अनुरक्षण के लिए पुनरीक्षण और मॉनिटरी तंत्र को परिभाषित करने के लिए एक कार्य योजना मैट्रिक्सः यह सूचित किया गया है कि आपकी कंपनी के पास मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र, अलवर (राजस्थान) में एक कार्यशाला/वेयरहाउस के प्रयोजन के लिए 10,000 वर्ग मीटर की पट्टा धृत भूमि है। पट्टा 7 सितंबर 1998 से 99 वर्ष की अवधि के लिए है।

2. पूंजी ढ़ांचा

कंपनी की प्राधिकृत और संदत्त शेयर पूंजी क्रमशः 909.40 करोड़ रुपए (जिसे 10 रुपए प्रत्येक के 909,404,600 साम्य शेयरों में विभाजित किया गया है) और 35.42 करोड़ रुपए (जिसे 10 रुपए प्रत्येक के क्रमशः 35,422,688 साम्य शेयरों में विभाजित किया गया है) है।

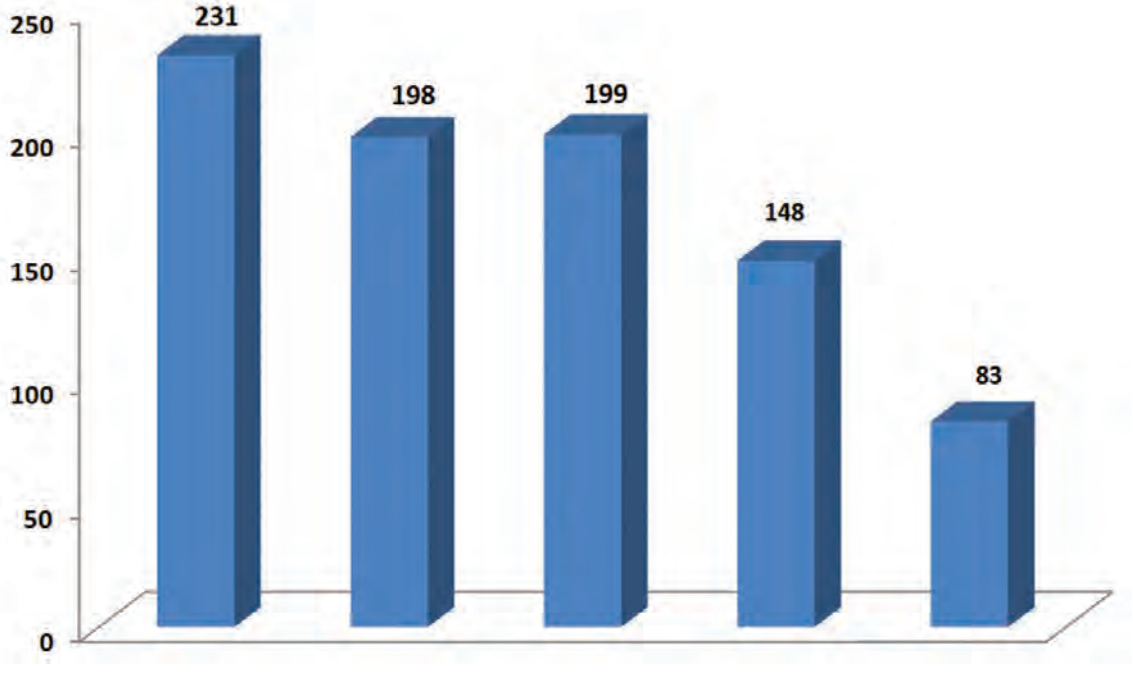

3. लाभांश एवं आरक्षितियां

आपके निदेशकों ने वित्त वर्ष 2021–22 के लिए लाभ और नकद की अपर्याप्तता के कारण किसी लाभांश (अंतिम/अंतरिम) की सिफारिश नहीं की है।

तदनुसार, आरक्षतियों और अधिशेष लेखे में 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार शेष रकम 4.806 लाख रुपए है।

4. विपणन उपलब्धियां

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान कंपनी ने 3776.51 करोड रुपए के मूल्य की परियोजनाएं हासिल कीं। हासिल की गई कुछ प्रमुख परियोजनाएं नीचे दिए अनुसार हैं :

क्रम सं.	परियोजना का नाम और स्थान	ग्राहक	मूल्य (करोड़ रुपए में)
1.	अगरतला शहर में एचआईजी/एमआईजी आवासीय सह 5 स्टार क्लब परिसर का संयुक्त विकास।	सिकरिया मेगा फूड पार्क प्रा. लिमिटेड (खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के तहत ए एसपीवी)।	700.00
2.	गोंदिया में 150 सीटों बाले शासकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय 650 बिस्तरों वाले अस्पताल और संबद्ध भवनों (पीएमसी आधार) का संनिर्माण	चिकित्सा शिक्षा एवं औषधि विभाग महाराष्ट्र सरकार।	689.47
3.	भारतमाला परियोजना के अधीन ईपीसी मोड पर गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 पर मौजूदा चार लेन जेतपुर–गोंडल–राजकोट खंड को 117.600 किमी से 185.00 किमी को छह लेन तक चौड़ा करना। कुल परियोजना मूल्य = 1204.80 करोड़ रुपये। (ईपीआई का हिस्सा@51%, जेवी का हिस्सा@49%)	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), नई दिल्ली	614.45
4.	नंदुरबार में 100 सीटों वाले सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, 500 बिस्तरों वाले अस्पताल और संबद्ध भवनों का निर्माण। (पीएमसी आधार)	चिकित्सा शिक्षा एवं औषधि विभाग महाराष्ट्र सरकार।	532.41
5.	अलीबाग में 100 सीटों वाले सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, 500 बिस्तरों वाले अस्पताल और संबद्ध भवनों का निर्माण। (पीएमसी आधार)	चिकित्सा शिक्षा एवं औषधि विभाग महाराष्ट्र सरकार।	406.97
6.	डीएमएफ योजना के अधीन सुंदरगढ़ जिला, ओडिशा के कोइरा और लहुनीपारा ब्लॉक के अधीन विकास। (पीएमसी आधार)	कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट, जिला विद्यालयों और छात्रावासों के बुनियादी ढांचे का	217.92
7.	मिजोरम विश्वविद्यालय और पचुंगा विश्वविद्यालय महाविद्यालय, आइजोल, (द्वितीय चरण) (जमा आधार) पर बुनियादी रांची के विकास कार्यों के लिए पीएमसी।	मिजोरम विश्वविद्यालय, तनहरील, आइजोल।	118.55

भारत तथा विदेश में कार्यान्वायन के अधीन प्रमुख परियोजनाएं

- 503.605 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य की ओमान में इंजीनियर्स–3 परियोजना (चरण–2)।
- झारखंड राज्य में नए पॉलिटेक्निक संस्थानों/इंजीनियरिंग कॉलेजों का निर्माण और विकास, विद्यमान तकनीकी संस्थानों का सुदृढ़ीकरण और 539.28 करोड़ रुपये की लागत से अन्य ढांचागत विकास कार्य।
- सुंदरगढ़ जिला, ओडिशा में 417.77 करोड़ रुपये के मूल्य पर आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल की स्थापना के लिए परियोजना प्रबंधन और निष्पादन सलाहकार।

- 375.00 करोड़ रुपए मूल्य पर मिजोरम और त्रिपुरा में भारत–बांग्लादेश सीमा पर सीमा सुरक्षा बल के लिए सीमा चौकियों का निर्माण।।
- रुद्रपुर में रु. 336.89 करोड़ के मूल्य पर वार्षिक100 एमबीबीएस दाखिलों (500 बिस्तरों) के लिए आयुर्विज्ञान महाविद्यालय परिसर के निर्माण के लिए पीएमसी।
- 317.84 करोड़ रुपए मूल्य पर भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई की ईंधन और फ्लक्स क्रशिंग सुविधाओं (पीकेजी. संख्या 064) का आवर्धन।
- 277.38 करोड़ रुपये मूल्य पर रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन, स्टेज III (1x500mw), रामागुंडम के लिए फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) सिस्टम पैकेज।
- 259.06 करोड़ रुपये के मूल्य पर भारत–बांग्लादेश सीमा, मिजोरम के साथ सीमा सड़क/बाड़ का निर्माण।
- ओडिशा राज्य में सुंदरगढ़ जिले के लिए निर्माण, उन्नयन और अन्य संबंधित कार्य संकल्पना से पूर्णता तक – 250.00 करोड़ रुपये के मूल्य पर सड़क और पुल कार्य (पीएमसी आधार पर)।
- गुवाहाटी में राष्ट्रीय औषध शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर) के 207.07 करोड़ रुपये की लागत से पूरे परिसर का निर्माण।
- 166.94 करोड़ रुपये के मूल्य पर त्रिपुरा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 44ए पर मनु–लालचरा खंड की सड़क का पुनर्वास और उन्नयन (कुल लंबाई 16.290 कि.मी.)।
- 164 करोड़ रुपये के मूल्य पर बीएआरसी, विशाखापत्तनम में दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबक (आरईपीएम) संयंत्र के लिए ईपीसी एकमुश्त (एलएसटीके) आधार पर खरीद, आपूर्ति, निर्माण, निर्माण और कमीशनिंग।
- एलिम्को, कानपुर में कार्यालयों और अत्याधुनिक अनुसंधान एवं विकास केंद्र के लिए आधुनिक और तकनीकी रूप से उन्नत कार्य केंद्रों और अन्य भवनों का निर्माण और उज्जैन में 129.28 करोड़ रुपये की लागत से सहायक उत्पादन इकाई का निर्माण।
- केंद्रपाड़ा में 115.52 करोड़ रुपये की लागत से 100 बिस्तरों वाले मातृ शिशु अस्पताल के साथ जिला मुख्यालय अस्पताल का निर्माण।
- 109.68 करोड़ रुपये के मूल्य पर वल्लम वडागल, श्रीपेरंबदूर, तमिलनाडु में एमएसएमई (भारत सरकार) के लिए नए प्रौद्योगिकी केंद्र का निर्माण।
- राउरकेला में एबीडी क्षेत्र में 104.25 करोड़ रुपये के मूल्य पर टर्नकी (डिजाइन और निष्पादन के साथ वास्तुकला योजना) के माध्यम से कमांड कंट्रोल सेंटर, ऑडिटोरियम कन्वेंशन हॉल और जनजातीय संग्रहालय का विकास।
- 100.43 करोड़ रुपये के मूल्य पर कन्नूर जिले में 18.46 किलोमीटर की लंबाई के लिए उरुवाचल–मनक्कई–वलयाल–केझल्लूर–थेरूर–चोलोककारी–नेरममल–मरुथायी सड़क का उन्नयन।

भारत में पूरी की गई परियोजनाएं

कंपनी ने निम्नलिखित प्रमुख परियोजनाओं को पूरा किया है:

- न्यू टाउन कोलकाता विकास प्राधिकरण, न्यू टाउन, कोलकाता के प्रशासनिक भवन के पहले चरण (बी+जी+IV) का निर्माण।
- तेलियामुरा, त्रिपुरा में 22 असम राइफल्स (अब 34 एआर) के लिए आवासीय/गैर आवासीय आवास का निर्माण।
- केरल राज्य के जिला, तिरुवनंतपुरम में अक्कुलम में आरजीसीबी बायो इनोवेशन सेंटर की स्थापना (चरण–I)।
- असम जल केंद्र, वशिष्ठ, गुवाहाटी में आंतरिक कार्य।
- परियोजना प्रबंधन सलाहकार ''फेज – II के अधीन मेघालय के दक्षिण पश्चिम खासी हिल्स जिले में उमंगी नदी के कटाव से बालत गांव का संरक्षण'' कार्य के लिए।
- अरिलो–गोविंदपुर, जिला कटक, उड़ीसा में ओमफेड संयंत्र के लिए 3.15 एमवीए, 33/11 केवी प्लिंथ माउंटेड सबस्टेशन की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग।
- क्षेत्रीय क्रीडा विद्यालय, करीमनगर में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक बिछाना। (जमा कार्य के आधार पर)।
- लैटकोर, मेघालय में एआरसी और एमसी के लिए ढांचागत विकास कार्यों सहित (जी+III) के 04 ब्लॉकों में टाइप–II के 32 आवासों का निर्माण।
- श्रीकोना, असम में असम राइफल्स के लिए ढांचागत विकास कार्यों सहित 01 ब्लॉक में (जी+I) टाइप V के 04 आवास और टाइप VI (जी+I) का संनिर्माण।
- लैटकोर, मेघालय में एआरसी और एमसी में भवन निर्माण और विविध मरम्मत कार्यों का संनिर्माण।
- श्रीकोना, असम में एआर बीएन के लिए संबद्ध सेवा एवं विकास कार्यों के साथ–साथ 04 ब्लॉकों में 32 टाइप–II क्वार्टर (जी+III) का निर्माण।
- श्रीकोना, असम में मुख्यालय आईजीएआर (ई) के लिए विकास कार्यों के साथ सीएसडी भवनों और मनोरंजन कक्ष का निर्माण।
- श्रीकोना (असम) में असम राइफल्स बटालियन के लिए विकास कार्यों के साथ अस्पताल भवन का निर्माण।
- लुंगलेई, मिजोरम में असम राइफल्स बटालियन के लिए संबद्ध कार्यों सहित 01 नंबर परिवार कल्याण केंद्र का निर्माण।
- एआर बीएन श्रीकोना, असम के लिए विकास कार्यों के साथ–साथ 02 ब्लॉक में 06 एकल पुरुष बैरक का निर्माण।

5. आदेश पुस्तिका स्थिति

वित्त वर्ष 2021–22 की समाप्ति पर कार्य निष्पादन के अधीन परियोजनाओं (113 संख्या) का हाथ में शेष कार्य 8785.69 करोड रुपए है।

6. एमओयू के अधीन कार्यनिष्पादन की रेटिंग

लोक उद्यम विभाग (डीपीई) में कंपनी द्वारा सरकार के साथ वर्ष 2020–21 में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अर्थों में कंपनी के कार्यनिष्पादन को ''पुअर'' रेटिंग प्रदान की है।

7. निगम शासन

ईपीआई विधिक, नैतिक और पारदर्शी रीति में कारबार के संचालन के लिए सुदृढ़ निगम शासन पद्धतियों के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी यह विश्वास करती है कि दीर्घावधि में अच्छी निगम शासन पद्धतियां सभी पणधारियों के लिए धन का सृजन करती हैं। ईपीआई लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी निगम शासन मार्गदर्शक सिद्धांतों का अनुपालन कर रही है और त्रैमासिक तथा वार्षिक आधार पर भारी उद्योग मंत्रालय (डीएचआई) को अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेशषण रिपोर्ट तथा निगम शासन पर रिपोर्ट इस निदेशकों की रिपोर्ट के साथ क्रमशः उपाबंध–क और उपाबंध–ख पर उपाबद्ध हैं।

8. क्रेडिट रेटिंग

आईसीआरए की रेटिंग समिति ने प्रत्यय रेखा (एलओसी) में आईसीआरए की दीर्घावधि रेटिंग ''आईसीआरए ए'' को संशोधित करके "बीबीबी" कर दिया है। दीर्घावधि रेटिंग 'स्थिर' है और आईसीआरए की रेटिंग समिति ने क्रेडिट श्रृंखला के लिए लघु अवधि रेटिंग को संशोधित करके ''आईसीआरए ए3–प्लस'' कर दिया है।

9. सतर्कता कार्यकलाप

सतर्कता प्रभाग स्वयं की ओर से सुनिश्चित करता है कि संगठन के सारे कृत्य संपूर्ण पारदर्शिता, जवाबदेही एवं सत्यनिष्ठा से किए जाएं। यह प्रभाग सभी सत्यापनीय आरोपों/तथ्यों की जांच करता है जिनकी उसको विभिन्न माध्यमों से रिपोर्ट की जाती है तथा भ्रष्ट व्यवहार का निवारण करने के लिए यह आवश्यक कार्रवाई की भी सिफारिश करता है।

परियोजनाओं का आवधिक निरीक्षण किया जाता है और अब उसकी रिपोर्टों में कार्य सोंपने मै अनुसरण की जाने वाली प्रक्रियाओं, कार्यस्थल वर्क्स और पूर्ति आदि में कमियों (यदि कोई हों) को इंगित करते हुए चरणबद्ध सुधारों का सुझाव देते हुए प्रबंधन को भेजा जाता है। अवधि के दौरान प्रचालन में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए अनेक नई पहलें की गई हैं तथा सीवीसी के निर्देशों का अनुपालन करने के लिए समय–समय पर विभिन्न कार्यालयों को अनुदेश जारी किए जाते हैं। सूचना प्रदाता नीति के उपबंधों को ईपीआईएल में सही परिप्रेक्ष्य में कार्यान्वित किया जा रहा है।

कंपनी ने अपने विभिन्न कार्यालयों पर केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों के अनुसार 26 अक्टूबर 2021 से 1 नवंबर 2021 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर आपकी कंपनी के सतर्कता प्रभाव है जवाबदेही और सत्य निष्ठा के साथ जो निर्भरता पर अपने निगम कार्यालय, नई दिल्ली में एक व्याख्यान का आयोजन किया। इस व्याख्यान को डॉक्टर प्रवीण कुमार सिंह, अपर सचिव, केंद्रीय सतर्कता आयोग ने संबोधित किया था और इसका परस्पर चर्चा के साथ समापन किया गया।

इस अवसर पर कर्मचारियों/सलाहकारों/संविदा कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गए:

क) स्वतंत्र भारत@75 सत्य निष्ठा के साथ निर्भरता पर निबंध प्रतियोगिता

ख) भ्रष्टाचार उन्मूलन में नागरिकों की भूमिका पर पोस्टर प्रतियोगिता
ग) स्वतंत्र और स्वनिर्भर भारत पर एक स्लोगन प्रतियोगिता

वर्ष 2021–22 के दौरान 22 शिकायतें (वर्ष के प्रारंभ में 1 और वर्ष के दौरान 21 प्राप्त किए गए) प्राप्त की गई। 22 सतर्कता मामलों का निपटान कर दिया गया है और एक (मुख्य शास्ति के लिए अनुशासनिक कार्यवाही) का भी निपटान कर दिया गया है। 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार कोई शिकायत लंबित नहीं है।

10. मानव संसाधन

कंपनी अपने मानव संसाधन के विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। परियोजना कार्य निष्पादन के क्षेत्र में नए उभरते हुए परिक्षेत्रों के साथ गति बनाए रखने के लिए यह अपनी जनशक्ति को उभरते हुए क्षेत्रों में प्रशिक्षित करती है। कर्मचारियों को आंतरिक और बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनारों और कार्यशालाओं के लिए के लिए प्रायोजित किया जा रहा है ताकि उनके तकनीकी, संचार और वैयक्तिक कौशल को समय–समय पर विभिन्न स्तरों पर बढ़ाया जा सके। कंपनी अपने कर्मचारियों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करती है जिसके अंतर्गत अल्पसंख्यक और महिला कर्मचारी भी है और उसने अपनी वर्तमान जनशक्ति को प्रतिधारित करने के लिए सभी प्रयास किए हैं। सेवानिवृत्ति पश्च चिकित्सा फायदा, भविष्य निधि, उपदान, समूह दुर्घटना बीमा और फायदा निधि स्कीम जैसी सामाजिक सुरक्षा की स्कीमें कंपनी में हैं।

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार कंपनी में 270 कर्मचारी हैं जिसके अंतर्गत कंपनी में 32 महिला कर्मचारी हैं। 270 कर्मचारियों में से 241 कर्मचारी तकनीकी और व्यावसायिक रूप से अर्हित हैं।

11. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कार्मिक

कंपनी में 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या 11 है, जिसमें से 10 पुरुष और 1 महिला कर्मचारी है तथा अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की संख्या 48 है, जिसमें से 45 पुरुष और 03 महिला कर्मचारी हैं।

12. दिव्यांग व्यक्ति

कंपनी में 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार 02 कर्मचारी दिव्यांग थे जो कंपनी की कुल जनशक्ति का 0.74 प्रतिशत है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग व्यक्तियों के संबंध में समय–समय पर जारी सभी राष्ट्रपतीय अनदेशों का कंपनी अनुसरण करती है।

13. राजभाषा/हिन्दी का प्रसार

राजभाषा/हिंदी के प्रसार के लिए निम्नलिखित पहलें की गई/कदम उठाए गए

"स्वर्गीय शंकर दयाल सिंह" नामक एक समृद्धि पुरस्कार योजना सितंबर 2013 से लागू और कार्यान्वित की जा रही है, ताकि कर्मचारियों को आगे आकर प्रत्येक वर्ष सितंबर माह में "हिंदी दिवस"/"हिंदी पखवाड़ा समारोह" मै आयोजित वार्षिक समारोह में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। अधिकतम संख्या में पुरस्कार प्राप्त करने वाला विजेता, स्कीम के अधीन पुरस्कार/शील्ड प्राप्त करने का हकदार होगा।

राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथा संशोधित, 1967) की धारा 3(3) को अप्रैल 2013 में ईपीआई की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, जोकि कंपनी के विभिन्न कार्यों में हिंदी और अंग्रेजी भाषा के आज्ञापक उपयोग पर बल देती है।

हिंदी के कार्यान्वयन पर त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट अब गृह कार्य मंत्रालय (राजभाषा विभाग) को अप्रैल 2013 से मंत्रालय द्वारा पत्र, तारीख 16 अप्रैल 2013 द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार ऑनलाइन प्रस्तुत की जाती है।

राजभाषा के महत्व के संबंध में कर्मचारियों के बीच जागरूकता सृजित करने के लिए त्रैमासिक आधार पर हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं।

ईपीआई एनएआरएकेएस (नागर राजभाषा कार्यान्वयन समिति) की सदस्य है और प्रत्येक वर्ष अक्टूबर/नवंबर माह में एनआरएकेएस द्वारा आयोजित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों और प्रतिस्पर्धाओं (हिंदी में) में नियमित आधार पर नामनिर्देशन भेजे जाते हैं।

1 सितंबर से 14 सितंबर तक प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस/हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया जाता है जिसमें कर्मचारियों और उनके कुटुंब के लिए विभिन्न प्रतिस्पर्धाएं जैसे लेखन प्रतियोगिता, कविता वाचन, चित्र अभिव्यक्ति, श्रुतलेखन, टिप्पण–प्रारूपण, हस्ताक्षर. वाद विवाद प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया जाता है।

किसी भी रूप में हिंदी लेखन में विभिन्न पब्लिक सेक्टर उपक्रमों को ईपीआई के निमित्त योगदान अर्थात लेख/निबंध नियमित आधार पर किया जाता है।

वर्ष 2016 में राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए हमें हमारे मंत्रालय के साथ भारत सरकार की राजभाषा विभाग द्वारा विशेष सराहना मिली। माननीय राजभाषा संसदीय समिति की तीसरी उप समिति ने जनवरी 2021 के दौरान ईपीआई निगम कार्यालय में राजभाषा के कार्यालय का निरीक्षण किया।

राजभाषा नीति के अनुसार कंपनी की वेबसाइट द्विभाषिक प्ररूप में तैयार है। यह राजभाषा के कार्यान्वयन के क्षेत्र में मुख्य उपलब्धि है।

वर्ष के दौरान केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के तत्वाधान में आपकी कंपनी में निगम कार्यालय में, "पारंगत कक्षाएं" आयोजित की गई जिनमें आपकी कंपनी के 17 अधिकारियों/कर्मचारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षणार्थियों को पास होने पर नकद रकम दी गई।

एनएआरएकेएस (नागर राजभाषा कार्यान्वयन समिति) राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम–५) दिल्ली। "संस्मरण लेखन" प्रतियोगिता का आयोजन 14 सितंबर 2021 को आयोजित की गई। इसमें सदस्य उपक्रमों से 16 सहभागियों ने भाग लिया।

14. कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अधीन शिकायतों का प्रकटन

कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 का उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध और लैंगिक उत्पीड़न का निवारण करने के लिए और लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों तथा उससे उपाबद्ध या संबंधित विषयों के निपटान के लिए संरक्षण का उपबंध करना है। अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों का कठोरता से अनुपालन किया जाता है।

कंपनी ने लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों के निपटान के लिए और ऐसी शिकायतों के समयबद्ध निपटान के लिए एक शिकायत समिति का गठन किया है। तथापि वर्ष के दौरान एक शिकायत प्राप्त की गई है और उसका एक मास की अवधि के भीतर निपटान कर दिया गया।

15. सुक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसएमईएस) से लोकक्रय नीति

लोकक्रय नीति, 2012 प्रतिस्पर्धा के मूल सिद्धांतों पर आधारित है जो सुदृढ़ क्रय नीतियों और मालों या सेवाओं की आपूर्ति के आदेशों के निष्पादन के लिए एक प्रणाली के अनुसार जो न्यायोचित, समतुल्य, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और लागत प्रभावी है।

कंपनी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों की समग्र वृद्धि और साम्या विकास को प्रोत्साहित करने में विश्वास करती है उनकी भागीदारी को निःशुल्क निविदा दस्तावेजों, ईएमडी जमा से छूट देकर, निविदाकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए ई–उपापन को अंगीकार करके बढ़ाया जाता है।

भारत सरकार ने सूक्ष्म और लघु उपक्रम (एमएसएमईएस) आदेश 2012 के लिए लोक उपापन नीति को अधिसूचित किया है। 2021–22 के दौरान एम एस ई से कुल 7.83 करोड रुपए का उपापन (माल और सेवा) किया गया जो 36.79 करोड रुपए (माल और सेवा) के कुल उपापन का 21.28% था। वित वर्ष 202–22के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले एम एस ई से किए गए उपापन की कुल प्रतिशतता क्रमशः 0.14 प्रतिशत और1.30 प्रतिशत है।

मार्च 2022 के अंत तक एम एस एम ई पोर्टल पर 242 एम एस एम ई विक्रेता रजिस्टर किए गए। ईपीआई प्रादेशिक कार्यालयों/पीसीओ ने एम एस एम ई समाधान पोर्टल पर एम एस एम ई विक्रेताओं द्वारा रजिस्टर की गई शिकायतों के त्वरित निपटान के लिए एम एस एम ई समाधान पोर्टल पर एक्सेस प्रदान किया है।

आपकी कंपनी ने नवंबर 2018 से आरएक्सआईएल के माध्यम से ट्रेड रिसिवेबल्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग प्रणाली (टीआरईडीएस) पर है। इसके अतिरिक्त आपकी कंपनी अपने संबंधित एम एस एम ई विक्रेताओं को स्वयं को आरएक्सआईएल प्लेटफार्म (टीआरईडीएस) पर रजिस्ट्रीकृत करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

16. निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक नीति

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक की नियुक्ति पुनरीक्षित अनुसूची ''ख'' 1,80,000–3,20,000 रु. (औद्योगिक मंहगाई भत्ता) वेतनमान पर और निदेशकों की नियुक्ति पुनरीक्षित अनुसूची ''ख'' 1,60,000–2,90,000 रूपए, औद्योगिक मंहगाई भत्ता, पैटर्न पर की जाती है। उनके निबंधनों और शर्तों को भारी उद्योग मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग द्वारा नियत किया जाता है।

17. प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता

वर्ष के दौरान सरकार के मितव्ययिता उपायों पर अनुदेशों का पालन किया गया।

18. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के ब्यौरे जिन्हें वर्ष के दौरान नियुक्त किया गया था या जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया था।

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (सीईओ), निदेशक (वित्त) (सीएफओ), कृत्यशील निदेशक, और कंपनी सचिव को प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) घोषित किया गया है

वर्ष 2021–22 के दौरान नियुक्त निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)।

निदेशक/केएमपी का नाम	पदनाम	कार्यकाल
श्रीमती निधि छिब्बर	निदेशक	15.06.2021 से
श्री कपिल मोहन सक्सेना	मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ)	02.07.2021 से
श्री. आर. पी. सिंह	निदेशक (वित्त) (ए/सी)	18.10.2021 से
श्री राजेश कुमार	निदेशक	01.11.2021 से
श्री विनोद कुमार यादव	निदेशक	02.11.2021 से
श्रीमती आकांक्षा पारे काशिव	निदेशक	02.11.2021 से

वर्ष 2021–22 के दौरान निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी), जो पद पर नहीं रहे/जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया

निदेशक/केएमपी का नाम	पदनाम	कार्यकाल
स्वर्गीय पी एम चंद्रैया	निदेशक (वित्त)	30.04.2021 तक
श्रीमती सुकृति लिखी	निदेशक	15.06.2021 तक
श्रीमती नीलम एस कुमार	निदेशक	31.10.2021 तक
श्री कपिल मोहन सक्सेना	मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ)	31.03.2022 तक

निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के और ब्योरे तथा उनमें वित्त वर्ष के समापन तक पश्चातवर्ती परिवर्तनों को निगम शासन रिपोर्ट में दिया गया है

19. निदेशकों का दायित्व विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के अधीन अपेक्षा अनुसार आपके निदेशक एतद्वारा पुष्टि) करते हैं :

(i) वार्षिक लेखों को तैयार करने में, लागू लेखांकन मानकों का तात्विक विचलन के संबंध में उचित स्पष्टीकरण के साथ अनुसरण किया गया है;

(ii) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें सतत रूप से लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और आकलन किए हैं जो न्यायोचित और बुद्धिमत्तापूर्ण हैं जिससे 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कंपनी के मामलों और उस अवधि के लिए लाभ का सही और न्यायोचित दृश्य प्रस्तुत किया जा सके;

(iii) कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार कंपनी की आस्तियों के लिए सुरक्षापायों और कपट तथा अन्य अनियमितताओं के निवारण के लिए पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों के अनुरक्षण के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी रखी गई है;

(iv) यह कि चालू समुत्थान के आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए गए हैं; और

(v) निदेशकों ने सभी लागू विधियों के उपबंधों की अनुपालना का सुनिश्चय करने के लिए उचित प्रणालियां बनाई है और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं और प्रभावी रूप से कार्य कर रही हैं।

20. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के अधीन स्वतंत्र निदेशक द्वारा घोषणा

वित्त वर्ष के दौरान दोनों स्वतंत्र निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) के अधीन स्वतंत्र निदेशक का पद धारण करने के लिए विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा किया और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) के अधीन प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक से आवश्यक घोषणा प्राप्त कर ली गई थी।

21. बैठकों की संख्या

वर्ष 2021–22 के दौरान निदेशक बोर्ड की चार (4) बैठकें आयोजित की गईं, बोर्ड और बोर्ड की उप समिति की बैठकों के ब्योरे इस रिपोर्ट से उपाबद्ध निगम शासन की रिपोर्ट में उपाबंध–ख पर दिए गए हैं।

22. अनुषंगी कंपनी/एसोसिएट्स/संयुक्त उद्यम

अनुषंगी कंपनी

19 मई 2016 को 10 लाख रूपए की संदत पूंजी के साथ ईपीआई द्वारा 51 प्रतिशत, मैसर्स भारत अरबन इन्फ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, सोलापुर, (बीयूआईडीपीएल) 39 प्रतीशत और मैसर्स दाराशा एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, (डीसीपीएल) मुंबई द्वारा 10% के साथ ईपीआई की एक अनुषंगी कंपनी ईपीआई अरबन इंफ्रा डेवलपर्स लिमिटेड (ईपीआईयूआईडीएल) को भूमि पार्सलों आदि के विकास के लिए निगमित किया गया था।

ईपीआईयूआईडीएल के त्वरित परिसमापन के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 361 के अधीन याचिका फाइल की गई प्रादेशिक निदेशक (उत्तर), कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा 21 अप्रैल 2022 को विचार किया गया। सुनवाई के दौरान यह सूचित किया गया था कि यह मामला उस धारा के अधीन परी समापन के लिए त्वरित प्रक्रिया के लिए उपयुक्त नहीं है और आपकी कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन कार्रवाई के लिए उपलब्ध अन्य विकल्प का उपयोग कर सकती है। तदनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(1)(क) के अधीन ईपीआईयूआईडीएल का नाम हटाने के लिए एक आवेदन महानिदेशक, कारपोरेट कार्य, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के पास 23 मई 2022 को फाइल किया गया है।

23. समेकित वित्तीय विवरण

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129(3) और लेखांकन मानक– 21 के अनुसरण में, कंपनी ने समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए हैं जिसके अंतर्गत अनुषंगी कंपनी अर्थात ईपीआईयूआईडीएल है, जिन्हें आगामी वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) के समक्ष कंपनी के वित्त वर्ष 2021–22 के एकल वित्तीय विवरणों के साथ रख दिया जाएगा।

अनुषंगी/सहबद्ध कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताओं को अंतर्विष्ट करने वाला विवरण प्रारूप एओसी– 1 में वित्तीय विवरणों के साथ उपाबद्ध है।

24. लेखापरीक्षक

क) कानूनी और शाखा लेखापरीक्षक

भारत के महालेखा नियंत्रक और परीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा वर्ष 2021–22 के लिए कंपनी के लिए नियुक्त कानूनी और शाखा लेखापरीक्षक नीचे दिए अनुसार हैं –

क्रम सं.	फर्म का नाम	क्षेत्र
1	मैसर्स जीएसके एंड एसोसिएट्स एलएलपी नई दिल्ली	कानूनी लेखापरीक्षक– निगम कार्यालय एवं समेकन
शाखा लेखापरीक्षक :		
1	मैसर्स गोयल गर्ग एंड कंपनी, दिल्ली	उत्तरी क्षेत्र शाखा लेखापरीक्षक
2	मैसर्स जैन सरावगी एंड कंपनी, कोलकाता	पूर्वी क्षेत्र एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र शाखा लेखापरीक्षक
3	मैसर्स बठिया एंड एसोसिएट्स एलएलपी, मुंबई	पश्चिसमी क्षेत्र शाखा लेखापरीक्षक
4	मैसर्स जी सी डागा एंड कंपनी, चेन्नई	दक्षिणी क्षेत्र शाखा लेखापरीक्षक
5	मैसर्स एमएचएमवाई, ओमान	ओमान, शाखा लेखापरीक्षक
6	मैसर्स एसीसीफर्स्ट पार्टनर्स, श्रीलंका	श्रीलंका, शाखा लेखापरीक्षक
7.	मैसर्स डाव मी मी सो, म्यांमार	म्यामार शाखा लेखा परीक्षक

ख) सचिवालयी लेखापरीक्षक

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और चयन) नियम 2014 के नियम 9(1) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के उपबंधों के अनुसरण में वर्ष 2021–22 के लिए कंपनी ने मैसर्स एमएनके एंड एसोसिएट्स एलएलपी को शाखा लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

आईसीएसआई द्वारा जारी सचिवालय मानकः

वर्ष के दौरान कंपनी ने जहां तक संभव हो लागू सचिवालय मानकों का अनुपालन किया है।

ग) लागत लेखापरीक्षक

कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना, तारीख 31 जुलाई 2018 के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के अधीन विनिर्दिष्ट लागत लेखे और अभिलेखों को तैयार किया गया है और अनुरक्षण किया गया है।

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के उपबंधों के अनुसरण में वर्ष 2021–22 के लिए मैसर्स ए जी अग्रवाल एंड एसोसिएट्स को लागत लेखाकार के रूप में नियुक्त किया है।

वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 की उपधारा (1) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट लागत लेखे और अभिलेख उचित प्रकार से रखे हैं और अनुपालन किया है।

25. कानूनी लेखापरीक्षक और शाखा लेखापरीक्षक द्वारा की गई प्रत्येक अर्हता, रिजर्वेशन या प्रतिकूल टिप्पणी या प्रकटन पर बोर्ड का स्पकष्टीकरण या टिप्पणियां

कानूनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट

वर्ष 2021–22 के लिए कानूनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट और लेखाओं पर टिप्पणियों पर प्रत्युत्तर, यदि कोई हैं तो उन्हें इस रिपोर्ट के साथ उपाबद्ध किया गया है।

सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट

वर्ष 2021–22 के लिए सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट टिप्पणियों पर प्रत्युत्तर, यदि कोई हैं तो उन्हें इस रिपोर्ट के साथ उपाबद्ध किया गया है।

26. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अधीन उधार, प्रतिभूति या विनिधानों की विशिष्टियां

वर्ष 2021–22 के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अधीन कोई उधार, प्रतिभूति या विनिधान नहीं किया गया है।

27. विशिष्टियों का प्रकटन

कंपनी (लेखांकन) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के उपबंधों के अनुसरण में ऊर्जा, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा अर्जन तथा व्ययन के संरक्षण पर सूचना के ब्यौरे नीचे दिए अनुसार हैं :

27.01 ऊर्जा दक्षता और उसका संरक्षण

ईपीआई अपने कार्यालय परिसरों और निष्पादन के लिए उसे सौंपी गई विभिन्न परियोजनाओं में ऊर्जा दक्ष उपस्करों के उपयोग को अत्याधिक महत्व दिया है, ताकि पारिस्थितिकी और पर्यावरण पर नुकसान को न्यूनतम किया जा सके। ऊर्जा की बचत करने के लिए आपकी कंपनी एचवीएसी में बीएमएस प्रणाली को कार्यान्वित करती है, प्रकाश के लिए एलइडी, संवेदक आधारित प्रकाश, टाइमर के माध्यम से बाहरी प्रकाश के लिए स्वचालित ऑन/आफ, डीजी सेट सिंक्रनाइजेशन, सोलर स्ट्रीट लाइट्स, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में सौर प्रणाली का उपयोग, अधिक दक्षता और कम खपत के लिए औद्योगिक परियोजनाओं में संचालन का उपयोग। ईपीआई ने अपने निगम मुख्यालयों में ग्रिड से जुड़े हुए छत पर लगे हुए सौर संयंत्र प्रतिष्ठापित किए हैं।

हम पीएमसी/ईपीसी अनुबंधों से नुकसान को कम करने के लिए वितरण लाइनों में निम्नलिखित पद्धतियों के माध्यम से ऊर्जा की बचत कर रहे हैं:–

क) **फेस भार का संतुलनः** प्रत्येक फेस सीक्वेंस के असामान भार के परिणाम स्वरूप संघटक ट्रांसफार्मर, केवल, संचालकों, मोटरों को अधिक तप्त कर देते हैं। जिस से नुकसान में वृद्धि होती है और असंतुलित वोल्टेज स्थितियों के अधीन इसका परिणाम मोटर में खराबी के रूप में होता है।

ख) **पावर फैक्टर कंट्रोलर का उपयोग करके ऊर्जा की बचत :** निम्न पावर फैक्टर से करंट में वृद्धि होती है और इसका परिणाम नुकसान में वृद्धि के रूप में होता है तथा इससे वोल्टेज मे कमी के रूप में होता है। हम पावर फैक्टर कंट्रोलर या स्वचालित पावर फैक्टर कंट्रोलर युक्तियों का उपयोग करते हैं।

ग) **पीएलसी द्वारा स्वचालन :** कच्ची सामग्रियों की प्रोसेसिंग करने के लिए औद्योगिक परियोजनाओं में हम पीएलसी का उपयोग करके संपूर्ण स्वचालन तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं।

घ) **सॉफ्ट स्टार्टर का उपयोग :** सॉफ्ट स्टार्टर शुरुआती करंट को निर्बंधित करने में सहायता प्रदान करते हैं और यह कन्वेयर बेल्ट तथा एचटी उपस्कर अनुप्रयोगों में निर्वाचित शॉर्ट और स्टॉप सुनिश्चित करता है।

ङ) विभिन्न विमानपत्तन और डाटा केंद्र परियोजनाओं के लिए प्रबंधन प्रणाली का निर्माण

च) नुकसान से बचने के लिए इक्यूपमेंट के रिसीविंग स्थान पर बोल्टता में कमी को सीमित करना

27.02 प्रौद्योगिकी अवशोषण

(क) अनुसंधान और विकास

कंपनी के कार्य की प्रकृति को देखते हुए अनुसंधान एवं विकास के लिए सीमित स्थान है क्योंकि, आपकी कंपनी ग्राहकों की आवश्यकता के आधार पर कार्य का निष्पादन करती है। तथापि ईपीआई सक्रिय रुप से नवीनतम प्रौद्योगिकी जैसे प्रीफैब प्रौद्योगिकी, ग्लास फाइबर रिइंफोर्सड जिप्सम (जीएफआरजी) प्रणाली, लाइट गेज शीट फ्रेम्ड स्ट्रक्चर (एलजीएसएफ प्रणाली), पारंपरिक आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर अर्थात पूर्व विरचित मॉड्यूलर मोनोलिथिक कंकरीटिंग जिसमें आलूमा फ्रोमवर्क प्रणाली का उपयोग किया जाता है के अतिरिक्त न्यूट्रल प्रौद्योगिकी तथा वैसी ही प्रयोग क्यों का अधिक तेजी से और लागत प्रभावी संनिर्माण के लिए उपयोग करती है।

आपकी कंपनी ने 40 रैक से मिलकर बनने वाले सीआरटी– इन डाटा केंद्र की स्थापना के लिए स्वयं का डिजाइन तैयार किया है।

(ख) प्रौद्योगिकी अवशोषण

कंपनी संनिर्माण प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग के उन्नयन के लिए लगातार प्रयास कर रही है। स्मार्ट शहर अभियान परियोजना (एससीएम) अर्थात वहनीय आवास, एकीकृत मल्टीमॉडल परिवहन, खुले स्थानों का सृजन और परिरक्षण तथा अपशिष्ट और परिवहन प्रबंधन, रेलवे स्टेशनों और विमानपत्तनों को कार्यान्वित किया जा रहा है।

आपकी कंपनी ने अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए सीमा निगरानी अवसंरचना प्रणाली विकसित की है जिसमें भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक रूप से नियंत्रित रोक, वास्तविक समय स्क्रीन निगरानी मानिटरी को अंगीकार किया गया है जिसमें संवेदकों, प्रकाशिक फाइबर केबल और एचआरसी कैमरा का उपयोग करके बुद्धिमान प्रणाली का उपयोग किया गया है, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ/दुर्व्यापार की निगरानी करता है।

(ग) सूचना प्रौद्योगिकी और उपक्रम संसाधन आयोजना (ईआरपी)

आपकी कंपनी ने ईआरपी– एसएपी (पीएस– परियोजना प्रणाली, एमएम– सामग्री प्रबंधन और एसडी– विक्रय एवं वितरण) को नई दिल्ली स्थित अपने निगम कार्यालय/प्रादेशिक कार्यालय और कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, ओमान और श्रीलंका जैसे अन्य प्रादेशिक कार्यालयों में कार्यान्वयन को पूरा कर लिया है। 30.09.2021 को कार्यान्वयन पश्चात ऑनसाइट सहायता का कार्य भी पूरा कर लिया गया है तथा मार्च 2022 में डाटा माइग्रेशन और सफलतापूर्वक एकीकरण परीक्षण के कार्य को भी पूरा कर लिया गया है।

कंपनी ने आईटी के फायदे का लाभ उठाया है और ई–ऑफिस जैसे विभिन्न कृत्यों के लिए सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों को सफलतापूर्वक संपूर्ण कार्यालय के लिए कार्यान्वित किया है ताकि दक्षता में वृद्धि की जा सके और पारदर्शिता में सुधार किया जा सके। हाल ही में संगठन के लिए जोखिम प्रबंधन नीति की विरचना का संचालन किया गया और इस को कार्यान्वित करने के कार्यकलाप चल रहे हैं।

ईआरपी– एसएपी का मानव संसाधन एवं वेतन पर्ची, वित्तीय प्रबंधन और दस्तावेज प्रबंधन मॉडयूल के लिए कार्यान्वयन सफलतापूर्वक किया जा रहा है। अन्य माड्यूलो (परियोजना प्रणालियां, सामग्री प्रबंधन और विक्रय एवं वितरण) को भी पूरा कर लिया गया है।

वीडियो संगोष्ठी के नए उपकरणों के साथ संगोष्ठी कक्ष के उन्नयन के लिए उन्हें स्थापित कर दिया गया है और हार्डकोर वीडियो संगोष्ठी समाधान को पूरी तरह से नए पर्यावरण में स्थानांतरित कर दिया गया है।

27.03 विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय

वर्ष 2021–22 के दौरान कंपनी ने वित्त वर्ष 2020–21 में 1,489 लाख रुपए के मुकाबले 27,565 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा मुद्रा अर्जित की। वर्ष 2021–22 उपगत विदेशी व्यय 2020–21 में 1,551 लाख रुपए के मुकाबले 27.259 लाख रुपए रहा।

28. गुणवत्ता, स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन

आपकी कंपनी को गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली, उपजीविका जननी स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रणाली अर्थात आईएसओ 9001:2015, आईएसओ 14001:2015 और आईएमओ 45001:2018 से उसके परिचालन के सभी क्षेत्रों के लिए प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं ईपीआई पहली कुछ कंपनियों में से एक है जिसे सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ/आईईसी 27001:2013 प्रदान किया गया है।

29. कर्मचारियों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन यथा अपेक्षित कानूनी सूचना

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 197 और तद्धीन बनाए गए नियम सरकारी कंपनियों को कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना, तारीख 5 जून 2015 के अनुसार लागू नहीं होते हैं।

30. निगम सामाजिक दायित्व (सीएसआर) और भरणीयता

निदेशकों की इस रिपोर्ट के साथ निगम सामाजिक दायित्व (सीएसआर) और भरणीयता पर एक रिपोर्ट उपाबंध–ग के रूप में उपाबद्ध है।

31. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

कंपनी के पास उसके कारवार के व्यवस्थित और दक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण है जिसके अंतर्गत कंपनी की नीतियों का अनुपालन, उसकी आस्तियों के सुरक्षोपाय, कपट का निवारण, लेखांकन अभिलेखों की शुद्धता और विश्वासनीयता और विश्वसनीय वित्तीय सूचना का समय पर तैयार करना शामिल है।

32. मुख्य कार्यपालक अधिकारी/मुख्य वित्त अधिकारी प्रमाणन

मुख्य कार्यापालक अधिकारी/मुख्य वित्त अधिकारी प्रमाणन निगम शासन पर रिपोर्ट के साथ संलग्न् है।

33. जमा

वर्ष 2021–22 के दौरान कंपनी ने कोई जमा आमंत्रित नहीं किया है जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन आता है या उसकी अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करता है।

34. नातेदार पक्षकारों के साथ संविदाओं या इन्तजामों की विशिष्टियां

कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 में निर्दिष्टर संबंधित नातेदार के साथ किसी संविदा या इन्तजाम में प्रविष्ट नहीं हुई है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 के अधीन यथापेक्षित प्ररूप एओसी–2 में विशिष्टियां उपाबंध–घ में संलग्न हैं।

35. चालू समुत्थान प्रस्थिति और कंपनी के भावी प्रचालन को प्रभावित करने वाले विनियामकों या न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और तात्विक आदेशों के ब्यौरे

लेखाओं की टिप्पणियों में आकस्मिक दायित्व में घोषित से भिन्न कोई महत्वपूर्ण या तात्विक आदेश विनियामकों या न्या यालयों या अधिकरणों द्वारा पारित नहीं किया गया हो जो कंपनी की चालू अस्तित्व प्रस्थिति और भावी प्रचालनों को प्रभावित करता है।

36. वार्षिक रिटर्न का उद्धरण

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013, की धारा 92 (3), धारा 134 (3) की अपेक्षा के अनुसार वार्षिक रिर्टन कंपनी की वेबसाइघ्ट पर उपलब्ध है जिसे www.engineeringprojects.com पर एक्सेस किया जा सकता है।

37. आभार

आपके निदेशक भारी उद्योग मंत्रालय, तथा अन्य मंत्रालयों तथा भारत सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों तथा संगठनों से प्राप्त सहयोग और समर्थन की दिल से सराहना करते हैं। आपके निदेशक विभिन्न ग्राहकों और बैंकों के प्रति भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं जिन्होंने आपकी कंपनी में विश्वास रखा और हम, उप–ठेकेदारों, ग्राहकों, सलाहकारों के परियोजनाओं के कार्यान्वयन में दिए गए योगदान की भी सराहना करते हैं। आप के निदेशक लेखा परीक्षकों, कानूनी लेखा परीक्षकों, सचिवालय लेखा परीक्षकों और लागत लेखा परीक्षकों का भी उनके द्वारा दिए गए सुझावों के लिए भी धन्यवाद करते हैं। बोर्ड अपने सभी कर्मचारियों कि उनकी मूल्यवान सेवाओं और उनके द्वारा दिए गए सहयोग के लिए उनकी सराहना करता है तथा उसे विश्वास है कि वह भविष्य में बेहतर कार्य निष्पादन हासिल करने के लिए अपना सर्वोत्तम देकर कंपनी में योगदान करना जारी रखेंगे।

बोर्ड के लिए और उसके निमित
ह0/–
(डी. एस. राना)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 07022825

स्थान : नई दिल्ली
तारीखः 4 अगस्त 2022

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

उद्योग ढांचा और विकास

आपकी कंपनी एक संनिर्माण कंपनी है जो राष्ट्र की अवसंरचना के विकास में योगदान करती है। अवसंरचना देश के समग्र विकास में एक मुख्य चालक है और भारत जैसे विकासशील देश में ऐसा अधिक सार्थक है।

पर्याप्त अवसंरचना की कमी से ना केवल आर्थिक विकास रुकता है बल्कि स्वास्थ्य देखरेख और शिक्षा जैसी अनिवार्य सामाजिक सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए लोगों को समय, प्रयास और धन के रूप में अधिक लागत भी उठानी पड़ती है। अतः अच्छी क्वालिटी की ऐप्स रचना न केवल तीव्र आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि यह समाविष्ट वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक है। साधारण अवसंरचना सुविधाएं तैयार करने से से न केवल छोटे उद्यमियों को बड़े पैमाने वादे उद्योगों के साथ सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा करने में सहायता मिलती है परंतु इसके श्रम उन्मुख ई होने से कर्म कारों को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी प्राप्त होते हैं। आप संरचना के विकास के लिए आपकी कंपनी ऐसी नीतियां आरंभ करने पर ध्यान केंद्रित करती है जो देश में विश्व स्तरीय अवसंरचना के समयबद्ध रूप से सृजित करने को सुनिश्चित कर सकें। इस सेक्टर के अंतर्गत विद्युत, पुल, बांध, सड़क के, और शहरी अवसंरचना विकास आता है। संनिर्माण उद्योग विकास का एक महत्वपूर्ण द्योतक है क्योंकि यह भारत में विभिन्न संबंधित क्षेत्रों में विनिधान के अवसरों का सृजन करता है और कई दशकों से राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में 10% से अधिक का अंशदान कर रहा है। यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान करता है और बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है।

राष्ट्र के विकास के लिए, सरकार ने स्वास्थ्य, अवसंरचना एवं लॉजिस्टिक्स, तेल एवं गैस, एयरोस्पेस, रक्षा, औद्योगिक उत्पाद, प्रौद्योगिकी, मीडिया और दूरसंचार, विद्युत और खनन आदि जैसे मुख्य सेक्टरों में अब संरचना को बढ़ावा देने के लिए अनेक पहलों की शुरुआत की है।

आपकी कंपनी भी अनेक बड़ी परियोजनाओं को हासिल करके अवसरों को एक बड़े मौके को हासिल करने के लिए प्रयास कर रही है अर्थात पीएमसी के रूप में महाराष्ट्र राज्य में विभिन्न ने आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों के भवनों का निर्माण, संपूर्ण भारत में वक्फ संपत्तियों के विकास के लिए सेवाओं को प्रदान करने के लिए एनएडब्ल्यूएडीसीओ के साथ संनिर्माणकारी/कांट्रेक्टर संनिर्माण कार्य निष्पादन अभिकरणों के साथ आपकी कंपनी को पैनलबद्ध किया है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ ईपीसी परियोजना और ऐसी ही परियोजनाएं। समग्र रूप में यह सब उद्योग और राष्ट्र के विकास में योगदान करेगा।

अपनी वृद्धि को बढ़ाने के लिए आपकी कंपनी ने विकास योजना के एक भाग के रूप में निम्नलिखित रणनीतियों को अंगीकार किया है:

- तकनीकी उन्नति को पूरा करने के लिए और प्रौद्योगिकी में परिवर्तनों को पूरा करने के लिए स्वयं की डिजाइन और इंजीनियरिंग क्षमताओं को सुदृढ़ करना।
- परियोजना आवश्यकता को पूरा करने के लिए कार्य दल को उन्नत बनाना।
- कौशल और विशेषज्ञता के आधार पर कंट्रैक्टरों का चयन।

भारत वर्ष 2025 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की आशा करता है, देश को लगभग 1.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर अब संरचना पर खर्च करने की आवश्यकता है जिसको अवसंरचना पर लोक व्यय में वृद्धि करके और पीपी वित्त पोषण के नए ढंग अपनाकर प्राप्त किया जा सकता है। संघ के वर्ष 2021–22 के बजट की तीन मुख्य थीम

"जीवन स्तर में वृद्धि, आर्थिक विकास और कंपैशनेट समाज का निर्माण करने के लिए एस्पिरेशनल इंडिया" ने अब संरचना क्षेत्र के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि करने के लिए बहुसंख्यक अवसर प्रदान किए हैं।

एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण

सुदृढताएं और खामियां

क्षेत्र जिन पर आईपीआईएल को ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है/को ईपीआईएल की खामियों के रूप में श्रेणीकृत किया गया है इसको सारांश में नीचे दिए अनुसार दिया जा सकता है:

- सीमित डिजाइन और इंजीनियरिंग क्षमता
- स्वयं की कोई विनिर्माण क्षमता ना होना
- परिचालन डिलीवरी में नई प्रौद्योगिकियों का सीमित उपयोग
- ढांचागत विनियामक और पॉलिसी फ्रेमवर्क का अभाव या भली प्रकार परिभाषित परिचालन और वित्त पोषण भी नियमों का अभाव
- बी ओ टी/डी बी एफ ओ टी/पीपीपी/एच ए एम/बी ओ ओ टी ढंग से परियोजनाओं के निष्पादन का कोई अनुभव नहीं
- निम्न विनिधान क्षमता
- अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार में प्रचालन
- संपूर्ण संगठन में आईटी कौशल में वृद्धि करने की आवश्यकता

तथापि आपकी कंपनी केवल एक संगठन ही नहीं है बल्कि यह निर्माण वातावरण और अवसंरचना विकास में उत्कृष्ट इंजीनियरिंग की 50 वर्ष से अधिक की एक शानदार परंपरा है। इसके पास कतिपय अंतर्निहित सुदृढ़तांए हैं जैसेः

- अखिल भारतीय उपस्थिति
- उच्च कर्मचारी उत्पादकता
- संनिर्माण और परियोजना प्रबंधन में साबित क्षमता के साथ प्रशिक्षित जनशक्ति विशेषज्ञता
- बहूविषयी पर योजनाएं हाथ में लेने की क्षमता
- संन्निर्माण से संबंधित योजना और इंजीनियरिंग के सभी क्षेत्रों में अनेक प्रकार की सेवाओं का प्रस्ताव
- ईपीआई के पास पब्लिक सेक्टर के साथ प्राइवेट सेक्टर में लगभग सभी विद्युत उपभोक्ताओं और इस्पात संयंत्रों के लिए कार्य करने की दुर्लभ उत्कृष्टता है
- ईपीआई परियोजना निर्यात में अग्रणी है और इसने अन्य भारतीय कॉन्ट्रैक्ट कंपनियों के लिए नए आयाम खोले हैं
- ईपीआई पूर्वी यूरोप, मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया और भारत में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार अद्यतन प्रयोग की का उपयोग करते हुए अनेक जटिल परियोजनाओं का निष्पादन किया है
- ईपीआई उन कुछ प्रमुख कंपनियों में से एक है जिसे क्वालिटी प्रबंधन प्रणाली, पर्यावरण प्रबंधन पर, और

उपजीविका जन स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाण पत्र अर्थात आईएसओ 9001:2015, आइसो 14001:2015, आइसो 45001:2018 और आईएसओ/आईई सी 27001:2013 प्रदान किए गए हैं।

आपकी कंपनी के व्यापक अनुभव और दी गई सेवाओं की गुणवत्ता के कारण केंद्रीय सरकार के अनेक मंत्रालय और विभिन्न राज्य सरकार है ईपीआई की सेवाओं का अपने विस्तारित इंजीनियरिंग अंग के रूप में उपयोग कर रही हैं।

आपकी कंपनी ने निम्नलिखित परियोजनाओं के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में पदार्पण के लिए अनेक बल देने वाले क्षेत्रों की पहचान की है।

क) भूमि प्रबंधन अभिकरण

ख) रेलवे परियोजनाएं जिसके अंतर्गत स्थाई रास्ता है

ग) अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली (अपशिष्ट से ऊर्जा)

घ) प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाएं जिसके अंतर्गत डाटा सेंटर विकास, सुरक्षा एवं निगरानी परियोजनाएं हैं

ङ) स्मार्ट सिटी परियोजनाएं

च) फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन

छ) वेयरहाउस एवं एस आई एल ओ एस

ज) जल डिसेलिनेशन परियोजनाएं

झ) पतन विकास

ञ) टनलिंग

ट) रोपवे

ठ) मल्टीलेवल पार्किंग

इसके अतिरिक्त आपकी कंपनी के इंजीनियर अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार कार्य करने की स्कीम के प्रति भली–भांति अवगत हैं, आपकी कंपनी ने दूसरे देशों अर्थात कुवैत, इराक, सऊदी अरब, मालदीव, थाईलैंड, युगोस्लाविया, भूटान, संयुक्त अरब अमीरात में अनेक परियोजनाएं निष्पादित की हैं और उसने सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करने के लिए अपनी गति बनाए रखी है।

अवसर और चुनौतियां

आपकी कंपनी निम्नलिखित चुनौतियों और जोखिमों का सामना करती है :

- अवसंरचना बाजार में अनेक कंपनियां हैं, जिनके पास अधिक वित्त है।
- ईपीआई की पारंपरिक रूप से कार्यशैली बीओटी परियोजनाओं की ओर अग्रसर होने के अनुरूप नहीं है।
- विद्युत, पत्तन, दूरसंचार आदि में स्थापित ईपीसी कंपनियों का दवाब।
- सिंचाई और जल आपूर्ति तथा स्वच्छता क्षेत्रों में ईपीसी कंपनियों के लिए निम्न प्रवेश रुकावटें विद्यमान हैं।
- पीपीपी परियोजनाओं के लिए निविदा दस्तावेजों की अर्हता के नए माडल केवल शीर्षस्थ पांच या छह अर्हित आवेदकों को भागीदारी के लिए आमंत्रित करना अनुज्ञात करते हैं।

यद्यपि, ये चुनौतियां संगठन को नए अवसर प्रदान करती हैं। संनिर्माण उद्योग कृषि के पश्चात् भारत में दूसरा सबसे बड़ा

उद्योग है। यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 11 प्रतिशत है। इस क्षेत्र में भारी मांग है। चूंकि भारत वर्ष 2024–25 तक पांच ट्रिलियन अमेरीकी डालर की अर्थव्यवस्था बनने की प्रत्याशा करता है, देश को अवसंरचना पर 1.4 ट्रिलियन अमेरीकी डालर खर्च करने की आवश्यकता है, जो अवसंरचना पर लोक व्यय में वृद्धि करने से और पीपीपी वित्तपोषण के नए ढ़ंगों में पदार्पण करने से परिलक्षित होता है।

माननीय प्रधानमंत्री ने 'आत्मनिर्भर भारत' में स्वनिर्भरता पर बहुत बल दिया है, जिसमें उनके द्वारा बल दिए गए पांच स्तंभों में से दो स्तंभ आधुनिक अवसंरचना और नई प्रौद्योगिकी द्वारा चालित से संबंधित हैं। आपकी कंपनी भी 'आत्मनिर्भर भारत' ध्येय को कार्यान्वित करने में देश की अवसंरचना आवश्यकताओं में आवश्यक परिवर्तन और नूतनता को आत्मसात करके मुख्य भूमिका का निर्वाह करने के लिए अनुकूलतम प्रयास कर रही है। मुख्यतः एक परामर्शी और संविदाकारी कंपनी होने के नाते आपकी कंपनी ने प्रत्येक क्षेत्र में जहां उसकी आवश्यकता है अपनी विशेषज्ञता और अनुभव को साबित किया है। कंपनी उत्कृष्टता के लिए और ग्राहक के पूर्ण समाधान के लिए अपनी सभी परियोजनाओं को प्रतिबद्धता के साथ हाथ में लेती है। 1970 में अपने निगमन से ही ईपीआई ने विभिन्न प्रकृति की परियोजनाओं को निष्पादित किया है, जैसे अस्पताल–सह–आयुर्विज्ञान महाविद्यालय भवन, सांस्थानिक परिसर, विश्वविद्यालय, वाणिज्यिक भवन, आवास परिसर, पुल, जल आपूर्ति प्रणालियां, नहरें, अवसंरचना, विकास वर्क्स, विद्युत संयंत्र, प्रक्रिया संयंत्र, औद्योगिक संयंत्र, सामग्री हस्थालन प्रणालियां और खेल स्टेडियम आदि।

आपकी कंपनी की आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों और अस्पतालों के संनिर्माण के माध्यम से आयुर्विज्ञान अवसंरचना में अच्छी साख है। आपकी कंपनी ने हाल ही में पीएमसी के रूप में महाराष्ट्र राज्य के विभिन्न स्थलों पर नए आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों के भवनों के संनिर्माण का कार्य हासिल किया है।

इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी ने आवासीय और सांस्थानिक आवश्यकताओं में योजना और डिजाइन में भावी भवनों में स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए स्वयं की और बाह्य क्षमताओं में परिवर्तन किया है ताकि ग्राहक संगठनों की उनके लिए उपयोगी विकास करके सहायता की जा सके, के लिए नए विचारों की परिकल्पना की है।

प्रौद्योगिकी, डिजीटाइजेशन पर बल के साथ गृह आईटी और आईटी समर्थित सेवाओं से कार्य पर बल को बढ़ावा मिलेगा। आपकी कंपनी ने पहले ही डाटा केंद्रों की स्थापना में पदार्पण किया है जहां बड़े पैमाने पर डाटा तक पहुंच अनुज्ञात करने या डाटा के संग्रहण, भंडारण, प्रोसेसिंग, वितरण के प्रयोजनों के लिए कंप्यूटिंग और नेटवर्किंग उपस्कर रखे जाएंगे। स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को आपकी कंपनी द्वारा एक और अवसर के रूप में देखा जा रहा है।

आपकी कंपनी ने पहले से ही निगरानी के क्षेत्र में स्वयं को एक सक्षम कंपनी के रूप में रख लिया है। इसने सफलतापूर्वक महत्वपूर्ण अवसंरचना और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए इलैक्ट्रानिक आधारित सुरक्षा और निगरानी से संबंधित परियोनजाओं को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है। इसने एकीकृत पैरामीटर समाधान और सीसीटीवी प्रतिष्ठापित करने में अपनी साख स्थापित की है।

हरित अर्थव्यवस्था पर बढ़ते हुए ध्यान और भरणीय विकास उद्देश्यों को पूरा करने के लिए फ्लू गैस डिसल्फरराइजेशन (एफजीडी) प्रणाली जैसी हरित प्रौद्योगिकियां की भारी मांग है। दो लाख मेगावाट से अधिक की प्रतिष्ठापित ताप विद्युत क्षमता और एफजीडी प्रणाली की प्रकलित बाजार संभावना लगभग एक लाख करोड़ रुपए है। ईपीआईएल ने पहले से ही स्वयं को इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण दावेदार के रूप में विभिन्न निविदा चक्रों में स्थापित कर लिया है।

खंडवार और उत्पादवार कार्यनिष्पादन

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान कंपनी के आवर्त में आवास और भवन संकर्म जिसके अंतर्गत अस्पताल परियोजना घटक भी है 52.95 प्रतिशत के साथ सबसे बड़ा योगदानकर्ता रहे, जिसके पश्चा त औद्योगिक, प्रक्रिया संयंत्र, सामग्री हस्तालन, वैद्युत और सीमा प्रबंधन परियोजना घटक हैं इसकी प्रतिशत भागीदारी 27.06 प्रतिशत है। परिवहन ढांचा परियोजना खंड

में भी पिछले वर्ष के मुकाबले प्रतिशत शेयर 10.65 से थोड़ा सा बढ़कर 15.43 प्रतिशत हो गया है।

नीचे दी गई सारणी कंपनी के प्रचालनों का खंड वार विश्लेषण प्रस्तुकत करती है :

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	खंड वार परियोजनाएं	2019–20		2020–21		2021–22	
		आवर्त	%	आवर्त	%	आवर्त	%
1	आवासन एवं भवन संकर्म जिसके अंतर्गत हस्पताल परियोजना हैं	481.78	36.05	328.93	40.83	389.82	52.95
2	बांध एवं सिंचाई परियोजनाएं	24.93	1.87	5.78	0.72	20.15	2.74
3	औद्योगिक प्रसंस्कररण संयंत्र, सामग्री हस्तालन और वैद्युत एवं सीमा प्रबंधन परियोजनाएं	786.12	58.82	363.64	45.14	199.21	27.06
4	जल आपूर्ति एवं पर्यावरणीय स्कीमें	25.11	1.88	12.34	1.53	1.89	0.26
5	परिवहन संरचनाएं	4.87	0.37	85.81	10.65	113.62	15.43
6	अन्य परियोजनाएं	13.78	1.03	9.12	1.13	11.48	1.56
	योग	1336.59	100.00	805.62	100.00	736.17	100.00

संभावना

कंपनी का उद्देश्य 'उत्कृष्ट' एमओयू रेटिंग के साथ लाभांश का संदाय करने वाली लाभ देने वाली कंपनी बनना है। कंपनी का दीर्घ अवधि ध्यय नवरत्न अर्हता के साथ एक लघु रत्न अनुसूची–क कंपनी बनना है

पूर्वोक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए, आपकी कंपनी आवर्त और लाभ में वृद्धि करने पर और प्रचालन व्यय में कमी करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। यद्यपि, आपकी कंपनी के लिए सिविल संनिर्माण परियोजनाओं में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा के कारण निम्न लाभ मार्जिन काफी चुनौती पूर्ण है। अतः आपकी कंपनी उच्चतर लाभ मार्जिन वाले उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रवेश करने के अवसर देख रही है। जहां भी साख/पीक्यू मानदंड की कमी के कारण नए क्षेत्रों में उच्चतर मूल्य की परियोजनाएं हासिल करने में आपकी कंपनी कठिनाई अनुभव कर रही है वह विख्यात फर्मों के साथ गठबंधन संगम कर रही है। इसलिए, आपकी कंपनी विभिन्न क्षेत्रों में पर्दापण को दीर्घावधि में बाजार में स्थान हासिल करने के रूप में देख रही है। अपने मूल कारबार को सुदृढ़ करने के साथ आपकी कंपनी संनिर्माण उद्योग में कीमत और क्वालिटी अग्रणी के रूप में उभरकर आने के लिए अपनी विभिन्न सेक्टर संबंधी सेवाओं में योगदान कर रही है।

विभिन्न क्षेत्रों में पदार्पण आपकी कंपनी को कुछ कर मार्जिन प्राप्त करने में लोच प्रदान करता है क्योंकि बाजार के प्रति जागरूकता काम है और बाजार में प्रतिस्पर्धियों के लिए प्रवेश करने में अधिक रुकावटें हो सकती हैं। आपकी कंपनी परिचालन के लिए निम्नलिखित नए क्षेत्रों का पता लगा रही है।

सॉफ्टवेयर विकास परियोजनाएं: डैशबोर्डों की डिजाइनिंग और प्रबंधन से संबंधित कुछ विकास परियोजनाओं का पता लगा कर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से संबंधित नए क्षेत्र में प्रवेश करने के अवसरों का पता लगा रही है।

रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास: आपकी कंपनी ने भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम (आईआरएसडीसी) मै विभिन्न रेलवे स्टेशनों के विकास/पुनर्विकास के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श का कार्य अभी हाथ में लिया है।

अपशिष्ट से ऊर्जा: आपकी कंपनी अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाओं के क्षेत्र में भी कार्य हाथ में लेने की इच्छा रखती है जिसके अंतर्गत विभिन्न नगरपालिकाओं के विभिन्न नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू)/पुर्नइस्तेमाल उद्भूत (आरडीएफ) ईंधन परिचालित अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र है

जल अलवणिकरण: आपकी कंपनी भारत और विदेश में विभिन्न सागर जल अवणिकरण परियोजनाओं, ताप अवणिकरण संयंत्र परियोजना और औद्योगिक अपशिष्ट जल उपचार परियोजनाओं में भाग लेने के अवसर देख रही है।

पूरी न की गई परियोजनाओं के लिए पीएमसी सेवा: आपकी कंपनी के पास रुके हुए/अपूर्ण जोखिमों के लिए और तृतीय पक्षकार संनिर्माण कंपनियों को नियोजित करके उनका पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए कार्य करने की क्षमता है।

स्मार्ट सिटी: आपकी कंपनी के पास नगर सुधार (रिट्रोफिटिंग), नगर नवीकरण (पुनर्विकास) और नगर विस्तार (ग्रीन फील्ड विकास) मै भाग लेने और तथा प्रौद्योगिकी, सूचना और डाटा जैसे स्मार्ट मीटरिंग, स्मार्ट बस, वैद्युत चार्जिंग प्वाइंट संगठक आदि में भाग लेने की क्षमता है ताकि अवसंरचना और सेवाओं में सुधार किया जा सके।

ताप संयंत्रों में फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) प्रणाली: इसमें फलूगैस डिसल्फरआईजेशन प्रणाली का निर्माण सम्मिलित है जिसके अंतर्गत उपस्कर का इरेक्शन, पर्यवेक्षण और प्री–कमिश्निंग,कमिश्निंग, इक्विपमेंट की कार्य निष्पादन जांच जिसके अंतर्गत सभी संबंधित वैद्युत, नियंत्रण और इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, स्ट्रक्चरल और आर्किटेक्चरल कार्य सम्मिलित हैं। आपकी कंपनी ने डिजाइन, इंजीनियरिंग, विनिर्माण आदि के क्षेत्र में जो रामागुंडम सुपर ताप विद्युत स्टेशन के लिए एफजीडी के अधीन आते हैं के एक कांट्रेक्टर के रूप में स्वयं को नियोजित करके अपनी उपस्थिति को दर्ज किया है।

वेयरहाउस और सिलोस: आपकी कंपनी भारत और विदेश में कंक्रीट सिलोस के निष्पादन में आपने पूर्व अनुभव के आधार पर स्टोरेज सिलोस के क्षेत्र में परियोजना अवसरों का पता लगा रही है। आज कंक्रीट और इस्पात सिलोस का स्टोरेज अवसंरचना के आधुनिकीकरण के लिए उद्योग में सामान्यता उपयोग किया जा रहा है।

पूर्वोक्त क्षेत्रों के अतिरिक्त आपकी कंपनी को निम्नलिखित कार्य भी सौंपे गए हैं:

- भारतमाला परियोजना के अधीन ईपीसी मोड पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 पर गुजरात राज्य में, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली से 117.600 कि.मी. से 185.00 कि.मी. के लिए एलओसी प्राप्त किया गया है। (कार्य का मूल्य लगभग 1204.80 करोड़ रु.) मैसर्स वराह इंफ्रा लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम (ईपीआई 51% : वराह 49%)।
- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम लिमिटेड द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पीपीपी/ईपीसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सलाहकार के रूप में पैनलबद्ध।
- पूरे भारत में वक्फ संपत्तियों के विकास के लिए सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के साथ निर्माण ठेकेदारों/निर्माण अभिकरण के रूप में पैनलबद्ध।

अत: ऐसी कारवार विकास रणनीति के विकास पर बल है जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित है:

- हमारे स्थापना व्यय को कम करने के लिए अधिक व्यापक फैले हुए ग्राहकों को शामिल करके और अधिक मूल्य की परियोजनाओं को हाथ में लेकर आक्रामक और केंद्रित विपणन/व्यवसाय विकास पहल।
- ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम) पर बल।
- ऊपर उल्लिखित क्षेत्रों में ओईएम/संभावित भागीदारों के साथ प्रौद्योगिकी समझौता/समझौता ज्ञापन।
- संभावित ग्राहकों के साथ हित अभिव्यक्ति (ईओआई)।

आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां और उनकी पर्याप्तता

कंपनी में आंतरिक नियंत्रणों के लिए पर्याप्त प्रणाली है और सुविरचित प्रक्रियाएं हैं जो सभी वित्तीय और प्रचालन कृत्योंक को कवर करती हैं। इनको पर्याप्त लेखांकन नियंत्रणों, अर्थव्यिवस्था की मॉनीटरी और प्रचालनों की प्रभावशीलता, अप्राधिकृत उपयोग या नुकसान से आस्तियों के संरक्षण और वित्तीय तथा प्रचालन सूचना की विश्वसनीयता के संबंध में युक्तियुक्त आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इन नियंत्रणों का नियमित रूप से उनकी दक्षता और प्रभावशीलता के लिए पुनर्विलोकन किया जाता है।

प्रचालन कार्यनिष्पादन के संबंध में वित्तीय कार्यनिष्पादन पर चर्चा

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान कंपनी ने पूर्ववर्ती वर्ष के 80562 लाख रूपए के आवर्त की तुलना में 73617 लाख रूपए का आवर्त हासिल किया और पूर्ववर्ती वर्ष के (4369) लाख रूपए के कर–पूर्व लाभ (हानि) की तुलना में (6231) लाख रुपए का लाभ (हानि) उपगत किया। वर्ष के लिए समग्र मार्जिन पूर्ववर्ती वर्ष के (3237) लाख रूपए की तुलना में (5665) लाख रुपए था।

कंपनी का निबल मूल्य 6506 लाख रूपए घटकर वर्ष 2020–21 में 14854 लाख रुपए से घटकर वर्ष 2021–22 में 8348 लाख रुपए हो गया।

लाभ की अपर्याप्तता और नकद की अनुपलब्धता के कारण वित्त वर्ष 2021–22 में बोर्ड द्वारा कोई लाभांश घोषित न करने की सिफारिश की गई है।

मानव संसाधन, औद्योगिक संबंध मंच जिसके अंतर्गत नियोजित लोगों की संख्या है, में तात्विक विकास

कंपनी का ध्यान भारत के साथ–साथ विदेशों में विशेषकर मध्य पूर्व, अफ्रीका और दक्षिण एशिया मे परियोजनाएं प्राप्त करने पर है। लक्ष्य को हासिल करने को सुकर बनाने के लिए कंपनी चालू परियोजनाओं के साथ–साथ नई परियोजनाओं के निष्पादन के लिए प्रत्येक स्तर पर विशेषीकृत कौशल के साथ सर्वोत्तम प्रतिभा को हासिल करने का उद्देश्य रखती है। वर्ष 2021–22 के दौरान किसी कर्मचारी की भर्ती नहीं की गई।

इसके साथ कंपनी सभी स्तरों पर अनेक इन हाउस और बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार और कार्यशालाओं का आयोजन करके कर्मचारियों के तकनीकी और प्रबंधकीय कौशल का विकास करने के लिए सभी आवश्यक प्रयास करती है। वित्त वर्ष 2021–22 में 285 सं. इन हाउस प्रशिक्षण मानव दिवस आयोजित किए गए थे और 21 बाहरी प्रशिक्षण मानव दिवस आयोजित किए गए थे।

पर्यावरणीय संरक्षण और परिरक्षण, तकनीकी परिक्षण, विदेशी मुद्रा की बचत

पर्यावरणीय संरक्षण एवं परिक्षण

ईपीआई के परियोजना प्रबंधन परामर्शी एवं संनिर्माण कंपनी होने के नाते ताप विद्युत संयंत्रों में अनुज्ञेय सीमाओं के भीतर SO2 स्तर को कम करने के लिए एफजीडी परियोजनाओं (फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन) को करने, धूल कणों को बिछाने के लिए डीएस एवं डीई प्रणाली जिससे प्रक्रिया उद्योग में वायु की क्वालिटी में सुधार हो सके, सुरंगों और सब स्टेशनों में मानव जीवन की कार्य स्थिति में सुधार के लिए दावकृत संवातन और नगरों और अस्पताल परियोजनाओं में एसटीपी (मल उपचार संयंत्र)/डब्ल्यूटीपी (जल उपचार संयंत्र) पर विशेष बल देती है।

प्रदूषण को कम करने के लिए पर्यावरण के गहन अनुकूल और ऊर्जा की बचत करने वाले उपाय जैसे भस्म ईंटो और पोर्टलैंड पोजालाना सीमेंट का अनिवार्य उपयोग, वृक्षारोपण, अपशिष्ट जल का फिर से उपयोग/अपशिष्ट उपचार प्रणाली, सौर ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा, प्रकाश संवेदक, कम किया जा सकने वाला प्रकाश, तापीय इंसुलेशन, कार्यस्थल आदि

पर संनिर्माण के दौरान टैंकर के माध्यम से जल का छिड़काव को कार्यान्वित किया जाता है। कंपनी ने परियोजनाओं के निष्पादन में एकीकृत पर्यावास निर्धारण के लिए हरित रेटिंग (जीआरआईएचए) को अंगीकार किया है जिसका परिणाम पर्यावरण के रक्षण के साथ–साथ ऊर्जा की बचत के रूप में हुआ है। विभिन्न परियोजना स्थलों पर पर्यावरण अनुकूल उपस्कर जैसे सौर प्रकाश आदि जिन्हें किसी अनुरक्षण की आवश्यकता नहीं होती है को भी प्रतिष्ठापित जा रहा है।

प्रौद्योगिकीय संरक्षण

प्रौद्योगिकी संरक्षण के एक भाग के रूप में, आपकी कंपनी ने संनिर्माण लागत और समय को कम करने के लिए तथा पर्यावरणीय प्रदूषण में कटौती करने के लिए निम्नलिखित तरीकों का उपयोग करना आरंभ किया है।

- बालू के टीलों को स्थिर करने, सड़कों का निर्माण करने और बाड की नींव को स्थिर करने के लिए चूना पत्थर/धातुमल जैसी खनन की गई सामग्रियों का उपयोग।
- शून्य निस्सारण के साथ अवशिष्ट उपचार जिसके अंतर्गत पुनर्चक्रण, लवणता को कम करने के लिए पारिस्थितिकी संवेदी प्रभावी सूक्ष्म जीवाणु प्रौद्योगिकी सहित ऑनलाइन उपचार।
- वृहत्त आवास और अन्य संनिर्माण परियोजनाओं के लिए तीव्र मोनोलिथिक आपदा रोधी प्रौद्योगिकी को अंगीकार करना।
- जल की क्वालिटी में सुधार करने के लिए अपशिष्ट जल उपचार जिससे उसका उपयोग विशिष्ट अंतिम उपयोग जैसे पेयजल, सिंचाई या और औद्योगिक उपयोग के लिए किया जा सके।

विदेशी मुद्रा संरक्षण

कंपनी हमेशा विदेशी मुद्रा की बचत करने का प्रयास करती है। घरेलू आवश्य कताओं के लिए स्वादेश में निर्मित सामग्रियों और मशीनों की खरीद की जाती है जो कंपनी से विदेशी मुद्रा के बाहिर्गमन को रोकती है। नई प्रौद्योगिकियों, इंजीनियरी नूतनों, आदि को स्वयं के डिजाइन का विकास करने के लिए अंगीकृत किया जाता है।

प्रौद्योगिकियों का अनुकूलतम उपयोग करने के लिए और आधुनिक उत्पादन तथा प्रसंस्करण सुविधाओं की भारत में स्थापना करने के लिए मशीनरी, मशीनरी के समुचित उपांतरण/अंगिकरण के लिए, उपस्कर और विदेश आधारित प्रौद्योगिकीय डिजाइन को स्वदेशी स्रोतों से खरीदा जाता है। भारतीय परिस्थि तियों की भीषणता के अधीन प्रचालन के लिए अंगीकार करने के लिए सभी प्रक्रियाओं को भीषण परीक्षण और जांचों से गुजारा जाता है। मूल्यवान विदेशी मुद्रा का व्यय भारतीय दक्षता का विस्तृत इंजीनियरी, विनिर्माण एवं सुविधाओं के संयोजन में नई प्रौद्योगिकियों और विदेश में विकसित जानकारी को अपनाकर उन्नत डिजाइन एवं तकनीकी विशेषताओं के माध्यम से न्यूनतम किया गया है।

सचेत करने वाला विवरण

इस प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट का विवरण कंपनी के उद्देश्यों, प्रेक्षणों का वर्णन करता है जो लागू विधियों और विनियमों के अर्थांतर्गत आगे बढ़ने के लिए कथन हैं। वास्तविक परिणाम अभिव्यक्त या समझे गए परिणामों से सारवान रूप से या तात्विक रूप से भिन्न हो सकते हैं, महत्वपूर्ण विकास कंपनी के प्रचालनों को प्रभावित कर सकते हैं जिनके अंतर्गत अवसंरचना क्षेत्र में अवमूल्यन की प्रवृत्ति, भारत में आर्थिक पर्यावरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन, मुद्रा विनिमय दर में उतार–चढ़ाव, कर, विधियां, मुकदमेबाजी और श्रमिक संबंध हैं।

उपाबंध–ख

निगम शासन पर रिपोर्ट

1. निगम शासन पर कंपनी का दर्शन

कंपनी के मिशन/ध्येय कथन में ''पणधारियों के मूल्य का वर्धन'' का उत्कीर्ण किया गया है। कंपनी दृढ़ता से यह विश्वास करती है कि अच्छे निगम शासन से सभी पणधारियों के लिए अविछिन्न आधार पर मूल्य का सृजन होता है। निगम शासन मुख्यतः पारदर्शिता, तात्विक तथ्यों का पूर्ण प्रकटन, बोर्ड की स्वतंत्रता और सभी पणधारियों के साथ न्यायोचित व्यवहार से संबंधित है। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड का निगम प्रशासन पर दर्शन निम्नानुसार है :

''पेशेवरता का प्रयोग करना और कंपनी के सभी पणधारियों के लिए मूल्य का सृजन करने के लिए प्रभावी, उत्तरदायी और पारदर्शी होना है''।

2. निदेशक बोर्ड

(क) बोर्ड की संरचना

ईपीआई के बोर्ड के सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय (अर्थात भारी उद्योग मंत्रालय) के माध्यम से की जाती है।

ईपीआई का निदेशक बोर्ड 3 कृत्यशील/पूर्णकालिक निदेशक, 2 सरकारी नामनिर्देशित निदेशक तथा 2 स्वतंत्र निदेशकों से मिलकर बना है। 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार निदेशक (वित्त) का एक पद और 1 स्वतंत्र निदेशक का पद खाली थे। प्रशासनिक मंत्रालय को उक्त स्थिति से अवगत करा दिया गया है।

(ख) निदेशक बोर्ड की संरचना के ब्यौरे; निदेशक की श्रेणी; बोर्ड की बैठकों और वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) में उपस्थिति; और वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान धृत अन्य निदेशक पद नीचे दिए अनुसार हैं :

निदेशकों का नाम	श्रेणी	भाग ली गई बोर्ड की बैठक	28.12.2021 को आयोजित अंतिम वार्षिक साधारण बैठक में उपस्थिति (31 दिसंबर 2021 के लिए स्थगित)	अन्य पब्लिक कंपनियों में धृत निदेशक पदों की संख्या (जिसके अंतर्गत ईपीआई नहीं है	अवधि
(क) पूर्णकालिक निदेशक/प्रत्याशी के निदेशक (अतिरिक्त प्रभार सहित)					
श्री डी.एस. राना डीआईएनः 07022825	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक	4/4	हां	2# (सीसीआई और बीएण्डआर)*	19 सितंबर 2019 से
श्री एच एन ठाकुर डीआईएनः 08592663	निदेशक (परियोजनाएं)	4/4	हां	लागू नहीं होता	21 अक्टूबर 2019 से 30 जून 2022 तक
श्री राजपाल सिंह डीआईएनः 08750557	निदेशक (वित्त) (अतिरिक्त प्रभार)	3/3	हां	1 (सीसीआई)*	18 अक्टूबर 2021 से

स्वर्गीय श्री पी एम चंद्रैया डी आई एनः 06970910	निदेशक (वित्त)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	16 अक्टूबर 2020 से 30 अप्रैल 2021 तक
(ख) शासकीय नामनिर्देशिति/अंशकालिक निदेशक					
श्रीमती निधि छिब्बर अपर सचिव (ए एस) एम एच आई डी आई एनः 03588215	निदेशक	4/4	नहीं	4 (एनईपीए, टीएमटीएल, आरईआई एल, सीसीआई)*	15 जून 2021 से 30 जून 2022 तक
श्री राजेश कुमार मुख्य लेखा नियंत्रक (सीसीए), एमएचआई डीआईएनः09403746	निदेशक	1/2	हां	3(एचईसी, टीएमटीएल, बी एंड आर)	1 नवंबर 2021 से
श्रीमती नीलम एस. कुमार मुख्य लेखा नियंत्रक, (सीसीए) भारी उद्योग मंत्रालय डीआईएनः 08220197	निदेशक	0/2	लागू नहीं होता	3 (एचईसीएल, एचएमटीएमटीएल, बीएंडआर)*	23 अगस्त 2018 से 31 अक्टूबर 2021 तक
श्रीमती सुकृति लिखी, अपर सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय डीआईएनः 01825997	निदेशक	0/0	नहीं	3 (टीएमटीपी, सीसीआई, एनईपीए लिमिटेड)*	16 नवंबर 2018 से 15 जून 2021 तक
(ग) स्वतंत्र निदेशक/अंशकालिक (गैर शासकीय) निदेशक					
श्री विनोद कुमार यादव, अंशकालिक गैर शासकीय निदेशक डी आई एनः 0637 5196	निदेशक	2/2	हां	शून्य	2 नवंबर 2021 से
श्रीमती आकांशा पारे अंशकालिक गैर शासकीय निदेशक डी आई एनः 09394630	निदेशक	2/2	हां	शून्य	2 नवंबर 2021 से

प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात भारी उद्योग मंत्रालय(एम एच आई) ने सीसीआई और बी एंड आर के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार वर्ष के दौरान सौंपा था।

*इस्तेमाल किए गए संक्षेपाक्षरः

बीएंडआर ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड
एचएमटीएलएमटीएल एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड
सीसीआई सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
एचईसीएल हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड
टीएमटीपी टूमुकूरू मशीन टूल पारे
आरईआईएल राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड

टिप्पण:

वर्ष 2021–22 के दौरान और तत्पश्चात इस रिपोर्ट की तारीख तक बोर्ड की निदेशकता में निम्नलिखित परिवर्तन हुए।

1. भारी उद्योग मंत्रालय ने अपने आदेश संख्या 12–16/8/19–टीएसडब्ल्यू, (ई–20153) तारीख 11 जून 2021 द्वारा निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार श्री डी एस राना अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, ई पी आई को 1 मई 2021 से 3 मास की अवधि के लिए 31 जुलाई 2021 तक या जब तक नियमित पदधारी पर ग्रहण नहीं कर लेता है या अगले आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो सौंपा था। अतिरिक्त प्रभार पीएम चंद्रैया पूर्व निदेशक (वित्त) के 30 अप्रैल 2021 को अकस्मात निधन के कारण सौंपा गया था।

2. भारी उद्योग मंत्रालय ने अपने आदेश संख्या 12–16/8/2019–टीएसडब्ल्यू, (ई–20153) तारीख 11 अक्टूबर 2021 द्वारा द्वारा निदेशक वित्त का अतिरिक्त प्रभार श्री राजपाल सिंह, महाप्रबंधक (वित्त और लेखा), बी एच ई एल को 6 मास की अवधि के लिए पदभार संभालने तकतक या जब तक नियमित पदधारी पर ग्रहण नहीं कर लेता है या अगले आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो सौंपा था। श्री आर पी सिंह, निदेशक (वित्त) (अतिरिक्त प्रभार) ने 18 अक्टूबर 2021 को पदभार ग्रहण किया।

3. भारी उद्योग मंत्रालय ने अपने आदेश संख्या 8–08(1)/2020–पीई–VIII (ई–21792) तारीख 15 जून 2021 द्वारा श्रीमती निधि छिब्बर, आईएएस (सीजीः 1994), अपर सचिव भारी उद्योग विभाग (डी एच वाई), भूतपूर्व अपर सचिव, भारी उद्योग विभाग को ईपीआई में शासकीय नामनिर्देशिति निदेशक के रूप में श्रीमती सुकृति लेखी, आई एस (एचवाईः1993) भूतपूर्व मुख्य लेखा नियंत्रक, भारी उद्योग मंत्रालय के स्थान पर नियुक्त किया।

4. भारी उद्योग मंत्रालय ने अपने आदेश संख्या 8–08(1)/2020–पीई–VIII/ सीपीएसई–III (ई–21792),तारीख 1 नवंबर 2021 द्वारा श्री राजेश कुमार, मुख्य लेखा नियंत्रक, भारी उद्योग मंत्रालय को इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडिया) लिमिटेड (ईपीआईएल) में शासकीय नामनिर्देशिति निदेशक के रूप में श्रीमती नीलम एस कुमार, भूतपूर्व मुख्य लेखा नियंत्रक, भारी उद्योग मंत्रालय के स्थान पर नियुक्त किया।

5. भारी उद्योग मंत्रालय ने अपने आदेश संख्या 8–08(1)/2020–पीई–VIII/ सीपीएसई–III (ई–21792) दिनांक2 नवंबर 2021 गैर शासकीय निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) अर्थात श्री विनोद कुमार यादव और श्रीमती आकांक्षा पारे केशव को ईपीआई के बोर्ड में उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से या अगला आदेश होने तक इनमें से जो भी पहले हो, 3 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया।

6. भारी उद्योग मंत्रालय ने अपने आदेश संख्या 8–08(1)/2020–पीई–VIII/ सीपीएसई–III (ई 21792), तारीख 30 जून 2022 द्वारा डॉक्टर रेणुका मिश्रा, आर्थिक सलाहकार, भारी उद्योग मंत्रालय को इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडिया) लिमिटेड (ईपीआईएल) में, श्रीमती निधि छिब्बर, भूतपूर्व अपर सचिव, के स्थान पर शासकीय नाम निर्देशिति निदेशक के रूप में नियुक्त किया।

7. श्री एचएन ठाकुर, निदेशक (परियोजनाएँ) के 30 जून 2022 को अधिवक्ता पर सेवानिवृत्ति पर भारी उद्योग मंत्रालय ने अपने आदेश संख्या 12–16ध्3ध्2022 –टीएसडब्ल्यू (ई–24734) दिनांक 23 जून, 2022 द्वारा निदेशक (परियोजनाएँ) का अतिरिक्त प्रभार श्री डीएस राना, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, ईपीआई को 3 माह की अवधि के लिए अर्थात 1 जुलाई 2022 से 30 सितंबर 2022 तक या नियमित पदधारी के सम्मिलित होने पर या अगला आदेश होने तक इनमें से जो भी पहले हो सौंपा था।

(ग) बोर्ड की प्रक्रिया

निदेशक बोर्ड कंपनी के अच्छे शासन और कार्यकरण का सुनिश्चय करने के लिए मुख्य भूमिका का निर्वाह करता है। बोर्ड की बैठकें साधारणतया कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय, नई दिल्ली में आयोजित की जाती हैं। बोर्ड

नियमित अंतरालों पर कंपनी की भौतिक और वित्तीय प्रगति पर चर्चा करने के लिए बैठकें करता है। बोर्ड अवधिक रूप से सभी लागू विधियों की अनुपालना प्रास्थिति का पुनरीक्षण करता है। बैठकों के लिए कार्यवृत्त की टिप्पणियां संबंधित अधिकारियों द्वारा तैयार की जाती है और उनका अनुमोदन अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक सहित कृत्यकारी निदेशकों द्वारा उन्हें सभी निदेशकों को भेजने से पूर्व किया जाता है। कंपनी सचिव यह सुनिश्चय करता है कि निदेशकों और ज्येष्ठ प्रबंधन को बैठकों में प्रभावी विनिश्चय करने के लिए सभी सूसंगत सूचना, ब्यौरे और दस्तावेज उपलब्ध कराए जांए। निदेशक बोर्ड द्वारा विनिश्चय विचार–विमर्श के पश्चात किए जाते हैं।

(घ) बोर्ड की बैठकों की संख्या

वित वर्ष 2021–22 के दौरान निदेशक बोर्ड की चार(4) बैठकें आयोजित की गईं थी, जिनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

क्रम सं.	बैठक की तारीख	बोर्ड की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	02.07.2021	4	3
2.	29.10.2021	5	4
3.	22.11.2021	7	7
4.	11.03.2022	7	6

(ङ) स्वतंत्र निदेशकों की बैठकें

कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना तारीख 5 जुलाई 2017 द्वारा सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 4 के पैरा 8 के उप पैरा (3) के खंड (क) और खंड (ख) के लागू होने से छूट दी है जो यह अपेक्षा करता है कि स्वतंत्र निदेशक अपनी पृथक बैठक में गैर स्वतंत्र निदेशकों के और कार्यपालक निदेशकों और गैर कार्यपालक निदेशकों के विचारों को ध्यान में रखते हुए समग्र रूप में बोर्ड के कार्य निष्पादन की समीक्षा करेंगे।

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 4 की अनुपालन में स्वतंत्र निदेशकों की एक बैठक बैठक 11 मार्च 2022 को ईपीआई के निगम कार्यालय, नई दिल्ली में (कार्यशील निदेशकों और प्रबंधन के सदस्यों के बिना) आयोजित की गई। इस बैठक में, स्वतंत्र निदेशक कौन है कंपनी प्रबंधन और बोर्ड के बीच सूचना प्रवाह की मात्रा और समयबद्धता का मूल्यांकन किया जोकि बोर्ड के लिए अपने कर्तव्यों के प्रभावी और युक्ति युक्त रूप से निष्पादन के लिए आवश्यक है।

(च) रिपोर्ट की स्थिति के अनुसार बोर्ड में निदेशकों का संक्षिप्त विवरण

I) श्री धीरेंद्र सिंह राना, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक एवं निदेशक (परियोजनाएँ)

श्री डी एस राना को अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड का कार्यभार 19 सितंबर 2019 से सौंपा गया है, इससे पूर्व वह निदेशक (अवसंरचना) डेडीकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीएफसीसीआईएल) के रूप में 27 अक्टूबर 2014 से कार्य कर रहे थे। श्री राना एक सिविल इंजीनियर है और उनके पास परियोजना प्रबंधन में स्नातकोत्तर रहता है वह भारतीय इंजीनियर रेल सेवा के 1986 के बाद से संबंध रखते हैं और उन्होंने केंद्रीय रेलवे के संनिर्माण, उपापन तथा सतर्कता खंडों में कई पदों पर कार्य किया है।

श्री राना डीएफसीसीआईएल के साथ उसके प्रारंभिक समय से ही थे और वह ऐसे पहले अधिकारी थे जिन्होंने शानदार रेलवे सेवा को छोड़ा और स्थाई आधार पर कंपनी में सम्मिलित हुए।

डीएफसीसीआईएल में सीपीएम/मुंबई के रूप में कार्य करते हुए श्री राना ने आरआरपी और प्रतिकर मैट्रिक्स में प्रभावित पीएपी के लिए अनेक पहलें की ताकि मुंबई के अत्याधिक शहरी क्षेत्रों में भूमि अर्जन सुनिश्चित किया जा सके। उन्हें महाराष्ट्र में परियोजना के लिए अनेक कानूनी पर्यावरणीय अनापत्तियां प्राप्त करने का श्रेय भी दिया जाता है जिसके कारण जेआईसीए के साथ भागीदारी में पश्चिमी डीएफसी के दूसरे चरण का समय पर वित्तीय समापन हो सका। श्री राना द्वारा पर्यावरणीय एवं सामाजिक मुद्दों पर लिखी पुस्तक को विभिन्न अवसंरचना मंत्रालयों एवं पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में परियोजना प्रबंधकों के लिए हैंडबुक के रूप में कार्य करने के लिए व्यापक रूप से परिचालित किया गया है।

II) श्री राजपाल सिंह निदेशक (वित्त)

श्री राजपाल सिंह, को एक बार फिर निदेशक (वित्त) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त कार्यभार भारी उद्योग मंत्रालय के 11 अक्टूबर 2021 के आदेश द्वारा सौंपा गया है उन्होंने 18 अक्टूबर 2021 को पदभार ग्रहण कर लिया। श्री सिंह वाणिज्य स्नातक और भारतीय लागत और प्रबंध लेखाकार संस्थान, कोलकाता के फैलो हैं। श्री सिंह बीएचईएल के साथ 1987 से ही जुड़े हुए हैं और इस समय महाप्रबंधक (वित्त और लेखा) के रूप में प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग और प्रबंधन प्रभाग, बीएचईएल, नोएडा कार्य कर रहे हैं। उनके पास विनिर्माणकारी संयंत्रों, परियोजना निष्पादन प्रभाग, उद्योग कारवार वर्टिकल और लॉजिस्टिक सपोर्ट ग्रुप को संभालने का भिन्नतापूर्ण अनुभव है। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने प्रणाली को सुधारने से संबंधित अनेक कदम उठाए, उन्होंने जटिल एसएपी वातावरण में जीएसटी अपने स्वयं के संसाधनों से प्रारंभ किया, वेब आधारित बिलिंग और ऋण प्रबंधन प्रणाली आदि आरंभ की। उन्होंने 3 टियर बजटिंग प्रणाली को कार्यान्वित किया, आकलन प्रक्रिया में सुधार किया, केंद्रीयकृत निधि प्रबंधन प्रणाली प्रारंभ की जिससे कार्यशील पूंजी प्रबंधन में सुधार किया जा सके। वह भविष्य निधि न्यास के भी अध्यक्ष रहे और उन्होंने ईपीएफओ, नई दिल्ली से छूट प्राप्त भविष्य निधि न्यासों के बीच अखिल भारतीय आधार पर सर्वोत्तम प्रबंध किए गए भविष्य निधि न्यास का पुरस्कार प्राप्त किया। श्री राजपाल सिंह के पास निदेशक (वित्त), सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआई), भारत सरकार का एक उपक्रम, का भी अतिरिक्त प्रभार है।

III) डॉक्टर रेणुका मिश्रा, आर्थिक सलाहकार (ईए), भारी उद्योग मंत्रालय और अंशकालिक शासकीय निदेशक

डॉक्टर रेणुका मिश्रा भारतीय आर्थिक सेवा (2003 बैच) की एक अधिकारी हैं और उन्हें भारी उद्योग मंत्रालय के तारीख 30 जून 2022 के आदेश के अनुसरण में भारत सरकार के रूप में ईपीआई में अंशकालिक शासकीय निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

इससे पूर्व उन्होंने भारत सरकार के कार्यालयों में विकास आयुक्त (एम एस एम ई), वाणिज्य विभाग, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग में सेवा की है।

कराधान, वानिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और विमेन वलनरेबिलिटी को कवर करने वाले क्षेत्रों में अनेक लेखों/पेपरों की नियमित लेखिका हैं।

इसमें उन्हें भारी उद्योग मंत्रालय (एम एच आई), भारत सरकार में आर्थिक सलाहकार (ईए) के रूप में तैनात किया गया है।

IV) श्री राजेश कुमार, मुख्य लेखा नियंत्रक, भारी उद्योग मंत्रालय और अंशकालिक शासकीय निदेशक

श्री राजेश कुमार को ईपीआई में भारत सरकार के नाम निर्देशिति के रूप में भारी उद्योग मंत्रालय के

तारीख 1 नवंबर 2021 के आदेश के अनुसरण में नियुक्त किया गया है। श्री राजेश कुमार 1994 बैच के एक आईसीएएस अधिकारी हैं उनके पास दिल्ली विश्वविद्यालय से फिलॉसफी में निष्णात उपाधि है इस समय वह भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार में मुख्य वित्त नियंत्रक के रूप में तैनात हैं।

V) श्रीमती आकांशा पारे, अंशकालिक गैर शासकीय निदेशक

श्रीमती आकांक्षा पारे, को कंपनी के बोर्ड में गैर शासकीय अंशकालिक निदेशक के रूप में भारी उद्योग मंत्रालय के तारीख 2 नवंबर 2021 के आदेश के अनुसरण में नियुक्त किया गया है। श्रीमती आकांक्षा पारे स्नातकोत्तर है उनके पास उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन (एमजेएमसी) में निशांत उपाधि है। उनके पास जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में 15 वर्ष का अनुभव है तथा इस समय में सहायक निदेशक के रूप में 'आउटलुक' पत्र के साथ सहबद्ध है। पूर्व में वह वेबदुनिया, दैनिक भास्कर, मलयालम मनोरमा (वनीता) के साथ सहबद्ध थीं।

VI) श्री विनोद कुमार यादव, अंशकालिक गैर शासकीय निदेशक

श्री विनोद कुमार यादव को कंपनी के बोर्ड में गैर शासकीय अंशकालिक निदेशक के रूप में भारी उद्योग मंत्रालय के तारीख 2 नवंबर 2021 के आदेश के अनुसरण में नियुक्त किया गया है। श्री विनोद कुमार यादव पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर, उत्तर प्रदेश से शिक्षा स्नातक हैं।

(छ) निदेशकों की नियुक्ति

सभी निदेशकों की नियुक्ति (अंशकालिक निदेशकों, स्वतंत्र निदेशकों, महिला निदेशकों सहित) प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात भारी उद्योग मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

नियुक्त किए गए निदेशक, कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना तारीख 13 जून 2017 द्वारा, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152(6) और (7) (अर्थात चक्रानुक्रम में निदेशकों की सेवानिवृत्ति) को ध्यान में रखते हुए सेवानिवृत्ति की शर्त के अधीन नहीं है।

3. बोर्ड की समितियां

बोर्ड की समितियां कंपनी के शासन ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और उनका गठन विशिष्ट क्षेत्रों/कार्यकलापों से निपटने के लिए किया जाता है जिनका कंपनी से संबंध होता है और जिनका नजदीक से पुनर्विलोकन करने की आवश्यकता होती है। बोर्ड की समितियों का गठन बोर्ड के औपचारिक अनुमोदन के अधीन स्पष्ट रुप से दी गई भूमिका जिनका निर्वहन बोर्ड के सदस्यों द्वारा किया जाना विचारित है, करने के लिए एक अच्छी प्रशासन पद्धति के एक भाग के रूप में किया जाता है। बोर्ड अपने उत्तरदायित्व का निष्पादन समितियों द्वारा करता है। संबंधित समिति का अध्यक्ष बोर्ड को समिति की बैठकों में की गई चर्चा से सूचित करता है। सभी समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त को समीक्षा के लिए बोर्ड के समक्ष रखा जाता है। बोर्ड की समिति विशेष आमंत्रितों को बैठक में शामिल होने के लिए जैसा वह उचित समझे अनुरोध कर सकती है। बोर्ड ने इस समय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार समितियों की स्थापना की है।इसके अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशकों की पूरा नियुक्ति के पश्चात संबंधियों का पुनर्गठन किया गया है।

i. संपरीक्षा समिति

निदेशकों में परिवर्तन के साथ संपरीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया था। संपरीक्षा समिति का इस समय गठन नीचे दिए अनुसार है:

1. श्री विनोद कुमार यादव, स्वतंत्र निदेशक — अध्यक्ष
2. श्रीमती आकांशा पारे, स्वतंत्र निदेशक — सदस्य
3. श्री राजेश कुमार, अंशकालिक शासकीय निदेशक — सदस्य

निदेशक (वित्त) लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में स्थाई आमंत्रिती हैं।

टिप्पणः

श्री विनोद कुमार यादव 17 नवंबर 2021 से अध्यक्ष है।

श्रीमती आकांशा पारे 17 नवंबर 2021 से सदस्य हैं।

श्री राजेश कुमार 17 नवंबर 2021 से सदस्य हैं।

श्री डी.एस. राना, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक 16 नवंबर 2021 तक सदस्य थे।

श्री एच.एन. ठाकुर, निदेशक (परियोजनाएं) 30 जून 2022 तक सदस्य थे।

श्रीमती नीलम एस. कुमार 31 अक्टूबर 2021 तक अध्यक्ष थी।

वर्ष 2021–22 के दौरान समिति की 22 नवंबर 2021 और 11 मार्च 2021 को दो बैठकें हुई थीं तथा उपस्थिति के ब्यौरे नीचे दिए अनुसार हैं :

सदस्य	उनकी पदावधि के दौरान क्रमशः आयोजित की गई बैठकों की संख्या	भाग ली गई बैठकों की संख्या
श्री विनोद कुमार यादव– अध्यक्ष	2	2
श्रीमती आकांश पारे– सदस्य	2	2
श्री राजेश कुमार–सदस्य	2	2
श्री एच.एन. ठाकुर– सदस्य	2	2

लेखा परीक्षा समिति के निर्देश के निबंधन

लेखा परीक्षा समिति के निर्देश के निबंधन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 117 और निगम शासन पर डीपीई मार्गदर्शक सिद्धांतों की अपेक्षाओं के अनुरूप हैं। इन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 के निबंधनों के अनुसार 21 जुलाई, 2014 से निम्नानुसार संशोधित किया गया है :–

1. कंपनी के लेखापरीक्षकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक और नियुक्ति के निबंधनों की सिफारिश।
2. लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता और कार्यनिष्पादन तथा लेखा प्रक्रिया की प्रभावशीलता का पुनरीक्षण और मानीटरी।
3. वित्तीय विवरण और उसमें लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की जांच।
4. संबंधित पक्षकारों के साथ कंपनी के संव्यवहारों के पश्चातवर्ती उपांतरण का अनुमोदन।
5. अंतः निगम ऋणों और विनिधानों की संवीक्षा।
6. कंपनी के वचनबंधों या आस्तियों का मूल्यांकन, जहां यह आवश्यक हो।

7. आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन।

8. लोक प्रस्तावना और संबंधित मामलों जहां लागू हों, के माध्यम से इक्ट्ठा की गई निधियों के अंतिम उपयोग की मानीटरी।

9. लेखापरीक्षा समिति आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों, लेखापरीक्षा के स्कोप, जिसके अंतर्गत लेखापरीक्षकों का पर्यवेक्षण और बोर्ड को प्रस्तुत करने से पूर्व वित्तीय विवरण का पुनर्विलोकन भी है के विषय में लेखापरीक्षकों की टिप्पणियां मांग सकती है और अन्य किसी संबंधित मुद्दों पर आंतरिक और कानूनी लेखापरीक्षकों तथा कंपनी के प्रबंधन के साथ विचार–विमर्श कर सकती है।

10. लेखापरीक्षा समिति को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(4) में विनिर्दिष्ट मदों के संबंध में या उसे बोर्ड द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट मदों पर जांच करने का प्राधिकार होगा और इस प्रयोजन के लिए उसे बाह्य स्रोतों से व्यावसायिक परामर्श अभिप्राप्त करने की शक्ति होगी और कंपनी के अभिलेखों में अंतर्विष्ट सूचना तक उसकी पूरी पहुंच होगी।

11. कंपनी या बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति आंतरिक लेखापरीक्षकों के परामर्श से आंतरिक लेखापरीक्षा के संचालन के लिए स्कोप, कार्यकरण, अवधि और विधि की विरंचना करेगी।

12. कंपनी की वित्तीय रिपोर्ट करने की प्रक्रिया और उसकी वित्तीय सूचना के प्रकटन को देखना ताकि यह सुनिश्चय किया जाए सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है।

13. कानूनी लेखापरीक्षकों को कानूनी लेखापरीक्षकों द्वारा दी गई किसी अन्य सेवा के लिए संदाय का अनुमोदन।

14. बोर्ड को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पूर्व वार्षिक वित्तीय विवरणियों का निम्नलिखित के विशिष्ट संदर्भ में पुनर्विलोकन :

    क. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के निबंधनों के अनुसार बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए निदेशकों के दायित्व का विवरण में शामिल किए जाने के लिए अपेक्षित मुद्दे।

    ख. लेखांकन नीतियों और पद्धतियों में परिवर्तन, यदि कोई हों, और उसके कारण।

    ग. प्रबंधन द्वारा उनके निर्णय के उपयोग के आधार पर प्राक्कलनों को अंतर्वलित करती हुई प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियां।

    घ. लेखापरीक्षा में पता लगाए जाने के कारण उदभूत वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन।

    ङ. वित्तीय विवरणियों से संबंधित विधिक अपेक्षाओं का अनुपालन।

    च. संबंधित पक्षकार संव्यवहार का प्रकटनध्पुनर्विलोकन।

    छ. प्रारूप लेखापरीक्षा रिपोर्ट में अर्हतांए।

15. बोर्ड को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पूर्व वित्तीय विवरणियों का प्रबंधन के साथ त्रैमासिक पुनर्विलोकन।

16. प्रबंधन के साथ आंतरिक लेखापरीक्षकों के कारण निष्पादन, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता का पुनर्विलोकन।

17. आंतरिक लेखापरीक्षा कृत्य, यदि कोई हो की पर्याप्तता का पुनर्विलोकन जिसके अंतर्गत आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग का ढांचा, कर्मचारीवृंद और विभाग की अध्यक्षता करने वाले कार्यकारी की ज्येष्ठता, रिपोर्ट करने का ढांचा, कवरेज और आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति भी है।

18. किसी महत्वपूर्ण प्रकटन पर आंतरिक लेखापरीक्षकों और/या लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा और उसपर अनुवर्ती कार्रवाई।

19. आंतरिक लेखापरीक्षकों/लेखापरीक्षकों द्वारा उन मामलों में आंतरिक जांच से हुए प्रकटन का पुनर्विलोकन जहां किसी कपट या अनियमितता या तात्विक प्रकृति की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की असफलता और बोर्ड को उस विषय को रिपोर्ट करने का पुनर्विलोकन।

20. लेखापरीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व लेखापरीक्षा की प्रकृति और स्कोप की चर्चा के साथ–साथ लेखापरीक्षा पश्च किसी चिंता वाले क्षेत्र का पता लगाने के लिए चर्चा।

21. जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश के असंदाय की दशा में) और लेनदारों को संदाय में सारवान व्यतिक्रम के कारणों की जांच।

22. सूचना देने वाले, सतर्कता तंत्र के कार्यकरण का पुनर्विलोकन।

23. नियंत्रक और महालेखापरीक्षक लेखापरीक्षा में लेखापरीक्षा पर्यवेक्षणों पर अनुवर्ती कार्रवाई का पुनर्विलोकन।

24. संसद की लोक उद्यम समिति (सीओपीयू) द्वारा की गई सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई का पुनर्विलोकन।

25. स्वतंत्र लेखापरीक्षक, आंतरिक लेखापरीक्षक और निदेशक बोर्ड के बीच संचार के लिए एक खुले पथ का उपबंध।

26. कवरेज की संपूर्णता, निरर्थक प्रयासों में कमी और सभी लेखापरीक्षा संसाधनों का प्रभावी उपयोग करने का सुनिश्चय करने के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षकों के साथ पुनर्विलोकन।

27. स्वतंत्र लेखापरीक्षक और प्रबंधन के साथ निम्नलिखित पर विचार और पुनर्विलोकनः

    क. आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता जिसके अंतर्गत कम्पयूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रण और सुरक्षा भी है, और

    ख. संबंधित पता लगाई गई चीजें और स्वतंत्र लेखापरीक्षकों और आंतरिक लेखापरीक्षकों का प्रबंधन के प्रत्युत्तरों के साथ सिफारिशें।

28. निम्नलिखित पर प्रबंधन, आंतरिक लेखापरीक्षक और स्वतंत्र लेखापरीक्षक के साथ विचार और पुनर्विलोकन :

    क. वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण पता लगाई गई चीजें जिसके अंतर्गत पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा सिफारिशें भी हैं।

    ख. लेखापरीक्षा कार्य के दौरान सामने आई कोई कठिनाईयों जिसके अंतर्गत कार्यकलापों के स्कोप पर या अपेक्षित सूचना तक पहुंच पर कोई निर्बंधन भी है।

29. लेखापरीक्षा समिति को निम्नलिखित के संबंध में भी शक्तियां होगी :

    क. संदर्भ के निबंधनों के अंतर्गत किसी कार्यकलाप की जांच

    ख. किसी कर्मचारी पर और उससे किसी सूचना को प्राप्त करना

    ग. निदेशक बोर्ड के अनुमोदन के अधीन रहते हुए बाह्य विधिक या अन्य व्यवसायिक परामर्श अभिप्राप्त करना

    घ. सुसंगत विशेषज्ञता रखने वाले बाह्य व्यक्तियों की उपस्थिति सुनिश्चित करना, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे

    ङ. सूचना प्रदाताओं की संरक्षा करना।

30. लेखापरीक्षा समिति निम्नलिखित सूचना का पुनर्विलोकन करेगी रू

क. प्रबंधन चर्चा और वित्तीय स्थिति का विश्लेषण तथा प्रचालनों का परिणाम।

ख. प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत संबंधित पक्षकार संव्यवहारों का विवरण।

ग. प्रबंधन पत्र/कानूनी लेखा परीक्षकों द्वारा जारी आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों के पत्र।

घ. आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टें।

ङ. मुख्य आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति और पद से हटाने को लेखापरीक्षा समिति के समक्ष रखा जाएगाय और

च. मुख्य कार्यकारी/मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा विवरणों का स्पष्टीकरण/घोषणा।

31. कोई अन्य कृत्य जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 और तद्धीन बनाए गए नियमों और डीपीई निगम शासन मार्ग निर्देशों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

ii) निगम सामाजिक दायित्व (सीएसआर) और भरणीयता समिति

कंपनी ने तारीख 15.03.2013 को (तत्पश्चात पुनर्गठित) को एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में बोर्ड स्तरीय निगम सामाजिक दायित्व और भरणीयता समिति का गठन किया है। कंपनी ने कंपनी (निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के उपबंधों के अनुसरण में समिति का गठन किया गया है।

इस समय समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं।

1.	श्रीमती आकांक्षा पारे, स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री विनोद कुमार यादव, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
3.	श्री आर.पी. सिंह, निदेशक (वित्त)	सदस्य

टिप्पण

- श्री आकांक्षा पारे 17 नवंबर 2021 से अध्यक्ष हैं।
- श्री विनोद कुमार यादव 17 नवंबर 2021 से सदस्य हैं।
- श्रीमती नीलम एस. कुमार 31 अक्टूबर 2021 तक अध्यक्ष थी।
- स्वर्गीय श्री पीएम चंद्रैया, निदेशक (वित्त) 30 अप्रैल 2021 तक सदस्य थे
- श्री आर. पी. सिंह निदेशक (वित्त) 17 नवंबर 2021 से सदस्य हैं।
- श्री एच.एन. ठाकुर, निदेशक (परियोजनाएँ) 30 जून 2022 तक सदस्य थे।

वर्ष 2021–22 के दौरान समिति ने 22 नवंबर 2021 को बैठक की थी और उपस्थिति के विवरण नीचे दिए अनुसार हैं–

सदस्य	क्रमशः उनकी पदावधि के दौरान आयोजित की गई बैठकों की संख्या	भाग ली गई बैठकों की संख्या
श्रीमती आकांशा पारे –अध्यक्ष	1	1
श्री विनोद कुमार यादव– सदस्य	1	1
श्री आर.पी. सिंह–सदस्य	1	1
श्री एच.एन. ठाकुर– सदस्य	1	1

कंपनी द्वारा अपने सीएसआर एवं भरणीयता पहल के अधीन किए गए कार्यक्रमों के ब्यौरे निदेशकों की रिपोर्ट के साथ उपाबंध 'ग' के रूप में उपाबद्ध सीएसआर रिपोर्ट में दिए गए हैं।

iii) पारिश्रमिक समिति

निदेशकों/ज्येष्ठ प्रबंधन की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें सरकारी मार्गदर्शक सिद्धांतों/डीपीई मार्गदर्शक सिद्धांतों द्वारा शासित होती हैं।

पारिश्रमिक समिति का गठन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 178 और निगम शासन पर डीपीई मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार वार्षिक बोनस/परिवर्तनशील वेतन पूल और कार्यकारियों को तथा ऐसे पर्यवेक्षकों को जो किसी संगम में नहीं हैं को उसके वितरण का विनिश्चय करने के लिए किया गया है। इस समय समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनी है :

1. श्रीमती आकांशा पारे, स्वतंत्र निदेशक– अध्यक्ष
2. श्री विनोद कुमार यादव, स्वतंत्र निदेशक– सदस्य
3. श्री राजेश कुमार, अंशकालिक शासकीय निदेशक– सदस्य

टिप्पणः

- श्रीमती आकांक्षा पारे 17 नवंबर 2021 से अध्यक्ष हैं।
- श्री विनोद कुमार यादव 17 नवंबर 2021 से सदस्य हैं।
- श्री राजेश कुमार 17 नवंबर 2021 से सदस्य हैं।
- श्री एच. एन. ठाकुर, निदेशक (परियोजनाएं) 16 नवंबर 2021 तक सदस्य थे
- श्रीमती नीलम एस कुमार 31 अक्टूबर 2021 तक अध्यक्ष थी।
- स्वर्गीय श्री पीएम चंद्रैया, निदेशक (वित्त) 30 अप्रैल 2021 तक सदस्य थे।

वर्ष 2021– 22 के दौरान पारिश्रमिक समिति ने 3 मार्च 2022 को एक बैठक बैठक आयोजित की और उपस्थिति के ब्योरे नीचे दिए अनुसार हैं–

सदस्य	क्रमशः उनकी पदावधि के दौरान आयोजित की गई बैठकों की संख्या	भाग ली गई बैठकों की संख्या
श्रीमती आकांशा पारे –अध्यक्ष	1	1
श्री विनोद कुमार यादव– सदस्य	1	1
श्री राजेश कुमार–सदस्य	1	1

4. अन्य समितियां

कंपनी के ज्येष्ठ प्रबंध कार्मिकों (अर्थात् बोर्ड स्तर से नीचे) से मिलकर बनने वाली निम्नलिखित समितियां विद्यमान है।

शेयर अंतरण समिति

कंपनी की सभी शेयरों के अंतरणों और पारेषणों की निगरानी के लिए एक शेयर अंतरण समिति हैं। शेयर अंतरण समिति कंपनी के कार्मिकों अंर्तगत प्रमुख वित्तप्रभाग, प्रमुख विधि प्रभाग, और प्रमुख संबंधित प्रभाग से मिलकर बनी है। वर्ष के दौरान शेयरों का कोई अंतरण नहीं किया गया। शेयर अंतरण समिति कंपनी के अधिकारियों अर्थात वित्त प्रभाग के प्रमुख, विधिक प्रभाग के प्रमुख और संविदा प्रभाग के प्रमुख से मिलकर बनी है। वर्ष के दौरान शेयरों का कोई अंतरण नहीं हुआ है।

कंपनी की प्राधिकृत और शेयर पूंजी क्रमशः 909.40 करोड़ रुपए (10 रुपए के प्रत्येक 909,404,600 साम्या शेयरों में विभाजित) और 35.42 करोड़ रुपए (10 रुपए के प्रत्येक 35,422,688 साम्या शेयरों में विभाजित) है।

31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार कंपनी का शेयर धृति पैट्रन नीचे दिए अनुसार है

क्रम सं.	शेयरधारक का नाम	शेयरों की संख्या	प्रतिशत धृति
1.	भारत के राष्ट्रपति, भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार	35415677	99.98
2.	अन्य (जिसके अंतर्गत छह पब्लिक सेक्टर उपक्रम अर्थात् हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि., भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि. एंड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लि., त्रिवेणी स्ट्रकचरल लि., हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स संनिर्माण लि. और ईपीआई शेयर धारक न्यास) शामिल हैं	7011	0.02

कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने तारीख 22 जनवरी 2019 की अधिसूचना द्वारा सरकारी कंपनियों को शेयरों के डिमैटेरियलाइजेशन से छूट प्रदान की है।

जोखिम प्रबंधन

आपकी कंपनी ने आईएसओ 31000:2018 जोखिम प्रबंधन नीति का संशोधन किया है। जोखिम प्रबंधन अच्छे प्रबंधन का एक एकीकृत भाग है। सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन का प्रयोग लगातार सुधार और विनिश्चय करने में अधिक निश्चितता को अनुज्ञात करता है। इसका अंतिम रूप से परिणाम यह होता है कि संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने के बेहतर अवसर होते हैं। जोखिम प्रबंधन नीति को आपकी कंपनी के लिए प्रभावी जोखिम प्रबंधन ढांचा स्थापित करने और बनाए रखने के लिए विकसित किया गया है।

जोखिम प्रबंधन नीति का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि कंपनी के सभी चालू और भाभी तात्विक जोखिमों की पहचान की जा सके, उनका मूल्यांकन किया जा सके, उनके परिमाण का पता लगाया जा सके, समुचित रूप से उन्हें कम किया जा सके और उनका प्रबंधन किया जा सकेय कंपनी की जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के लिए एक ढांचा स्थापित करना और यह सुनिश्चित करना की संपूर्ण कंपनी में उसको कार्यान्वित किया जा सकेययह सुनिश्चित करना कि पूर्व क्रियाशीलता को बढ़ावा दिया जाए न कि प्रतिक्रियाकारी प्रबंधन कोय समुचित विनियमों की सर्वोत्तम पद्धतियों को अंगीकार करके, अनुपालना करने में समर्थ बनाना, जहां भी वह लागू होंय संपूर्ण संगठन में सहायता प्रदान करना और विनिश्चय करने की क्वालिटी में सुधार करना तथा वित्तीय स्थायित्व के साथ कारवार की विधि को सुनिश्चित करना है।

जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार प्रशासन ढांचा जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी), मुख्य जोखिम अधिकारी(सी आर ओ) जोखिम स्वामी और जोखिम समन्वयक(आर ओ/आरसी) आदि से मिलकर बना है। नीति निदेशक बोर्ड, लेखा पर, परीक्षा समिति जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) मुख्य जोखिम अधिकारी(सी आर ओ) जोखिम स्वामी(आर ओ, जोखिम समन्वयक (आर सी) और आंतरिक लेखा परीक्षकों की भूमिका और उत्तरदायित्व को भी परिभाषित करती है)।

5. प्रकटन

i) वर्ष 2021–22 के दौरान कृत्यकारी निदेशकों को संदत्त पारिश्रमिक और स्वतंत्र निदेशकों को संदत्त बैठक फीस के ब्यौरे नीचे दिए अनुसार हैं :

क. कृत्यकारी/पूर्णकालिक निदेशक :

(रूपए में)

निदेशक का नाम	वेतन	लाभ	कार्य निष्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन	योग
श्री डी.एस. राना अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक	49.47	0.51	–	49.98
श्री एच.एन. ठाकुर निदेशक (परियोजनाएं) (30.04.2021 तक)	39.98	2.14	–	42.12
श्री पी.एम. चंद्रैया निदेशक (वित्त)	2.79	1.19	–	3.98

ख. स्वतंत्र निदेशकः

वर्ष 2021–22 के दौरान दो स्वतंत्र निदेशक कंपनी के बोर्ड में थे। वर्ष के दौरान बैंक की फीस का विवरण नीचे उल्लिखित के रूप में भुगतान किया गया है।

निदेशक का नाम	बैठक फीस		स्वतंत्र निदेशकों की बैठक के लिए फीस	योग
	बोर्ड की बैठकें	समिति की बैठकें		
श्रीमती आकांक्षा पारे	30,000/–	40,000/–	15,000/–	85,000/–
श्री विनोद कुमार यादव	30,000/–	40,000/–	15,000/–	85,000/–

स्वतंत्र निदेशकों को बैठक फीस प्रति बोर्ड बैठक के लिए @15,000/– रुपए की दर से और बोर्ड की समिति की बैठक के लिए.10,000/– रुपए की दर से संदाय किया जाता है। स्वतंत्र देश को को भी स्वतंत्र निदेशकों की बैठक में भाग लेने के लिए प्रति बैठक @15,000/– की दर से फीस का संदाय किया जाता है

ii) सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा नियत वेतनमानों में की जाती है। तदनुसार,

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक की नियुक्ति 1,80,000 रुपए–3,20,,000 रुपए (आईडीए) के पुनरीक्षित अनुसूची, ''ख'' वेतनमान में की गई है और सभी पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति 1,60,000 रुपए '2,90,000 रुपए (आईडीए) के पुनरीक्षित अनुसूची, ''ख'' वेतनमान में की गई है। उनकी नियुक्ति के अन्य निबंधनों और शर्तों को भी भारत सरकार द्वारा भारी उद्योग मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग द्वारा नियत किया जाता है।

iii) निदेशकों की नियुक्ति के निबंधनों और शर्तों के अनुसार उनके पारिश्रमिकों और अंशकालिक (गैर–शासकीय) निदेशकों को पात्र बैठक फीस के अतिरिक्त किसी भी निदेशक का कंपनी के साथ कोई तात्विक या धनीय संबंध नहीं है जो उनके स्वतंत्र निर्णय को प्रभावित करे।

iv) वर्ष के दौरान तात्विक रूप से पक्षकार से संबंधित कोई महत्वपूर्ण संव्यवहार नहीं हुए थे जो अधिकांशतः कंपनी के हितों से संभाव्य रूप से प्रतिकूल हों। लेखांकन मानक 18 के अनुसार संबंधित पक्षकार संव्यवहार का ब्यौरा लेखाओं की टिप्पणियों का भाग बनता है।

v) विभिन्न विभागों से प्राप्त कानूनी अनुपालना रिपोर्ट को कानूनी शोध्यों की प्रास्थिति के साथ बोर्ड के समक्ष रखा जाता है।

vi) सिवाय बिक्री कर मामले जो अपील के अधीन हैं, किसी कानूनी निकाय द्वारा शास्ति या कठोर अलोचना का कोई दृष्टांत नहीं हुआ है।

vii) कंपनी डीपीई द्वारा जारी सीपीएसई के लिए निगम शासन पर मार्गदर्शक सिद्धांतों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन कर रही है।

viii) वर्ष के दौरान आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण से संबंधित राष्ट्रपतीय विनिदेशों और 1 जनवरी 2017 से वेतन के पुनरीक्षण का अनुसरण किया गया और कार्यान्वित किया गया है।

ix) वर्ष के दौरान लेखा बहियों और लेखाओं में किसी खर्च जो कारबार व्यय के प्रयोजनों के लिए नहीं है और कोई व्यय जो व्यक्तिगत प्रकृति का है निदेशक बोर्ड और उच्च प्रबंधन द्वारा उपगत नहीं किया गया है।

x) कंपनी में कपट के निवारण, उसका पता लगाने और उसके रिपोर्ट करने के लिए सितम्बर, 2010 से कपट निवारण नीति लागू है।

xi) कुल व्ययों के प्रतिशत के रूप में अन्य व्यय (मूल्य और वित्त लागत को छोड़कर) वर्ष 2020–21 में 2.63 प्रतिशत की तुलना में 5.88 प्रतिशत रहे। कुल व्ययों के प्रतिशत के रूप में वित्तीय व्यय 0.59 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2020–21 में 1.21 प्रतिशत रहे हैं।

xii) कंपनी के वित्तीय विवरणों की बाबत कंपनी के प्रधान कार्यकारी अधिकारी और प्रधान वित्त अधिकारी द्वारा एक प्रमाणपत्र उपाबंध–ख1 पर रखा गया है।

xiii) कंपनी की वेबसाइट (www.engineeringprojects.com) कंपनी के अधिकारिक समाचारों जैसे वार्षिक रिपोर्ट, निविदाएं और रोजगार के अवसर आदि को प्रदर्शित करती है।

6. साधारण निकाय बैठकें :

i) कंपनी की पिछली तीन वार्षिक साधारण बैठकों के ब्यौरे नीचे दिए अनुसार हैं :

एजीएम	वित्तीय वर्ष	एजीएम की तारीख और समय	स्थान (रजिस्ट्रीकृत कार्यलय)
51वीं	2020–21	28 दिसंबर, 2021 को 03.30 बजे अपराह्न (31 दिसंबर 2021 को 03:00 बजे अपराह्न के लिए स्थगित)	कोर–3, स्कोप कॉम्प्लैक्स, (चौथा तल), 7 लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
50वीं	2019–20	28 दिसंबर 2020 को 03:30 बजे अपराह्न (31 दिसंबर 2020 को 03:30 बजे स्थगित	कोर–3, स्कोप कॉम्प्लैक्स,(चौथा तल), 7 लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
49वीं	2018–19	24 अक्टूबर 2019 अपराहन 3:00 बजे	कोर–3, स्कोप कॉम्प्लैक्स,(चौथा तल), 7 लोधी रोड, नई दिल्ली–110003

वित्त वर्ष 2021–22 के लिए 52वीं वार्षिक साधारण बैठक की सूचना में दिन, तारीख, समय, वार्षिक साधारण बैठक का स्थल, रूट मानचित्र के साथ अंतर्विष्ट है।

ii) पिछली तीन एजीएम में पारित विशेष संकल्पों के ब्यौरे

एजीएम	वित्तीय वर्ष	पारित विशेष संकल्प के ब्यौरे
51वीं	2020–21	कुछ नहीं
50वीं	2019–20	डीआईपीएएम दिशानिर्देशों और/आस्ति धनियाकरण के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार ईपीआई की गैर कोर आस्तिओं के धनियाकरण का अनुमोदन करना
49वीं	2018–19	कुछ नहीं

7. सूचना का अधिकार

31 मार्च, 2022 तक सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की अपेक्षाओं के अनुसार आपकी कंपनी ने कार्यापालक निदेशक (पी एंड एम) को लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) और दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और गुवाहाटी के प्रादेशिक प्रमुखों को सहायक लोक सूचना अधिकारी (एपीआईओ) नियुक्त किया है। कार्यकारी निदेशक (विधिक) प्रथम अपील प्राधिकारी है।

वर्ष के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबंधों के अनुसार सभी आवेदकों को प्रदान की गई। वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान सूचना का अधिकार आवेदनों के संबंध में डाटा नीचे दिया अनुसार है:–

1.	मार्च 2021 के अंत तक लंबित सूचना का अधिकार आवेदन	5 सं.
2.	वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान प्राप्त सूचना का अधिकार आवेदन	39 सं.
3.	वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान निपटान किए गए सूचना का अधिकार आवेदन	40 सं.
4.	मार्च 2022 के अंत तक लंबित सूचना का अधिकार आवेदन	4 सं.

8. शेयरधारकों के साथ संपर्क के साधन

कंपनी की संदत्त पूंजी का 99.98 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा धृत है और शेष 0.02 प्रतिशत छह सीपीएसई और इन सीपीएसई के निमित सृजित न्यास द्वारा धृत है।

कंपनी की द्विभाषी वार्षिक रिपोर्ट अन्य सुसंगत सूचना के साथ कंपनी की वेबसाइट पर पोस्ट की जाती है और

इसे संसद् के समक्ष भी रखा जाता है। वार्षिक रिपोर्ट आदि को भौतिक प्ररूप के साथ इलेक्ट्रॉनिकी रीति में भी जारी किया जा रहा है।

9. संपरीक्षा टिप्पणियां

कानूनी संपरीक्षकों और सचिवालय संपरीक्षकों की टिप्पणियों के प्रत्युत्तर को निदेशकों की रिपोर्ट के साथ संलग्नक के रूप में सम्मिलित किया गया है। निदेशकों की रिपोर्ट के साथ भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों को निदेशकों की रिपोर्ट के साथ एक वर्धन के रूप में उपाबद्ध कर दिया गया है।

10. निदेशक बोर्ड का प्रशिक्षण

कंपनी, कंपनी के निदेशक बोर्ड में नए नियुक्त निदेशकों को आरंभिक प्रशिक्षण प्रदान करती है। प्रशिक्षण में कंपनी के विषय में संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण और कंपनी के कार्यनिष्पादन के विषय में महत्वपूर्ण डाटा, संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद ईपीआई का ब्रोशर, डीपीई द्वारा निगम शासन पर जारी मार्गदर्शक सिद्धांत, निदेशक बोर्ड की बैठकों पर सचिवालयी मानक (एसएस–1) और साधारण बैठकों पर सचिवालय मानक (एसएस–2), स्वतंत्र निदेशक पर आईसीएसआई द्वारा प्रकाशित पुस्तिका, कपंनी अधिनियम, 2013 आदि शामिल है। निदेशकों को स्कोप द्वारा और निदेशक संस्थान (आईओडी) आदि द्वारा जब भी आयोजित किए जांए, आयोजित सेमिनारों/संगोष्ठियों के लिए भी प्रायोजित किया जाता है।

11. सूचना प्रदाता नीति

ईपीआई में वर्ष 2010 से ही सूचना प्रदाता नीति विद्यमान है, जो उन व्यक्तियों के उत्पीड़न के लिए पर्याप्त सुरक्षोपायों का उपबंध करती है, जो ऐसे तंत्र का उपयोग करते हैं और लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष तक समुचित या आपवादिक मामलों में सीधे पहुंच का उपबंध करती है।

सभी कर्मचारी अध्यक्ष, संपरीक्षा समिति को अधिमानता लिखित में संरक्षित प्रकटन करने के लिए पात्र हैं।

इस नीति की विरचना निगम शासन पर डीपीई मार्गदर्शक सिद्धांतों की अनुपालना के लिए की गई थी। यह कंपनी (बोर्ड की बैठक और उसकी शक्तियां) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 की अपेक्षाओं को भी पूरा करती है, जो वास्तविक चिंताओं या शिकायतों की रिपोर्ट करने के लिए निदेशकों और कर्मचारियों के लिए सतर्कता तंत्र की स्थापना का उपबंध करती है।

वर्ष के दौरान किसी कार्मिक को संपरीक्षा समिति तक पहुंच से नहीं रोका गया है।

12. आचार संहिता

निदेशक बोर्ड ने बोर्ड के सदस्यों और कंपनी के ज्येष्ठ प्रबंधन के लिए कारबार आचार– और नैतिकता की संहिता अधिकथित की है। आचार संहिता को कंपनी की वेबसाइट www.engineeringprojects.com पर होस्ट किया गया है। कंपनी के बोर्ड के सभी सदस्यों और प्रमुख अधिकारियों ने संहिता की अनुपालना के लिए प्रतिज्ञान किया है। इस प्रभाव की एक घोषणा इस रिपोर्ट के साथ उपाबंध–ख2 के रूप में उपाबद्ध है।

13. अनुपालना प्रमाणपत्र

यह रिपोर्ट सीपीएसई के लिए निगम शासन पर सभी मार्गदर्शक सिद्धांतों की अपेक्षाओं का अनुपालन करती है और मार्गदर्शक सिद्धांतों के उपाबंध–VII में वर्णित सभी सुझाव दी गई लागू मदों को कवर करते हैं। डीपीई द्वारा विहित निगम शासन अपेक्षाओं की अनुपालना पर एक त्रैमासिक रिपोर्ट प्रशासनिक मंत्रालय को भी नियमित रूप से भेजी जाती है। सीपीएसई के निगम शासन पर मार्गदर्शक सिद्धांतों की शर्तों की अनुपालना के संबंध में व्यवसायरत कंपनी सचिव से अभिप्राप्त प्रमाणपत्र रिपोर्ट को उपाबंध–ख3 के रूप में उपाबद्ध किया गया है।

उपाबंध–ख1

कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा वित्तीय विवरणों पर प्रमाणपत्र/घोषणा

हमने इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड की 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों और रोकड़ प्रवाह विवरण का पुनर्विलोकन कर लिया है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार :

(i) इन विवरणों में कोई तात्विक असत्य विवरण अंतर्विष्ट नहीं है या किसी तात्विक तथ्य का लोप नहीं किया गया है या ऐसा कोई विवरण अंतर्विष्ट नहीं है जो भ्रामक हो;

(ii) यह विवरणियां इकट्ठे कंपनी के मामलों का सही और न्यायोचित दृश्य प्रस्तुत करती हैं और यह विद्यमान लेखांकन मानकों, लागू विधियों और विनियमों के अनुसार हैं;

(iii) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार वर्ष 2021–22 के दौरान कंपनी ने ऐसा कोई संव्यवहार दर्ज नहीं किया है जो कपटपूर्ण, अविधिमान्य या कंपनी की आचार–संहिता का उल्लंघनकारी है;

(iv) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रणों को स्थापित करने और बनाए रखने के दायित्व को स्वीकार करते हैं तथा हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कर लिया है और हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को ऐसे आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन या प्रचालन में कमियों, यदि कोई हों, जिसके विषय में हम भिज्ञ हैं और उनके लिए की गई कार्रवाई और उनको दूर करने के लिए उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों का प्रकटन कर दिया है;

(v) हमने लेखापरीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को निम्नलिखित इंगित कर दिया है :

क) वर्ष 2021–22 के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तनय

ख) वर्ष 2021–22 के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और उनका वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियों में प्रकटन कर दिया गया है; और

ग) गंभीर कपट के मामले जिनकी हमें जानकारी हो गई है और उसमें प्रबंधन या किसी कर्मचारी का शामिल होना जिसकी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका है।

ह0/–
(ए. के. पात्रा)
महाप्रबंधक (वित्त) एवं मुख्य वित्त अधिकारी

ह0/–
(डी एस राना)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
डी आई एनः 07022825

तारीख : 4 अगस्त 2022
स्थान : नई दिल्ली

उपाबंध–ख2

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक द्वारा वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान बोर्ड के सदस्यों और ज्येष्ठ प्रबंधन द्वारा आचार संहिता की अनुपालना के संबंध में घोषणा।

1. मै, डी.एस. राना अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि कंपनी के निदेशक बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने कंपनी के वर्ष 2021–22 के दौरान कारबार आचरण और नैतिक संहिता के अनुपालन के लिए प्रतिज्ञान किया है।

ह0/–
(डी एस राना)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 07022825

तारीख : 4 अगस्त 2022
स्थान : नई दिल्ली

निगम शासन प्रमाणपत्र

सेवा में
सदस्यगण,
इंजीनियरिंग प्रोजेक्टई (इंडिया) लिमिटेड,
कोर 3, स्कोप कॉम्प्लेक्स,
7 इंस्टिरट्यूशनल एरिया, लोधी रोड,
नई दिल्ली–110003

हमने 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए इंजीनियरिंग प्रोजेक्टन (इंडिया) लिमिटेड (जिसे इसमें इसके पश्चात कंपनी कहा गया है) की निगम शासन जैसाकि अधिसूचना संख्या 1, संख्या 18 (8)/2005–जीएम, जो मूलतः 22.06.2007 को जारी की गई थी और समय–समय पर संशोधित लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन द्वारा जारी उपदर्शित, ''केंद्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रम, 2010 के लिए निगम शासन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों (जिसे इसमें इसके पश्चाकत मार्गदर्शक सिद्धांत कहा गया है) में यथा उपदर्शित शर्तों की अनुपालना की शर्तों'' की जांच कर ली है।

निगम शासन की शर्तों की अनुपालना का दायित्व प्रबंधन का है। हमारी जांच कंपनी द्वारा ऊपर वर्णित मार्गदर्शक सिद्धांतों में उपदर्शित निगम शासन की शर्तों की अनुपालना का सुनिश्चय करने के लिए कंपनी द्वारा अंगीकृत प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्व यन तक सीमित है। इसलिए यह कंपनी के वित्तीय विवरणों की न ही लेखापरीक्षा है और न ही उनपर किसी राय की अभिव्यक्ति।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों और सूचना तथा हमें दिए गए दस्तावेजों के अनुसार हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने पूर्व वर्णित मार्गदर्शक सिद्धांतों में परिकल्पित निगम शासन की शर्तों की सिवाय निम्नलिखित के, अनुपालना की है।

I. कंपनी (निदेशक नियुक्ति और अर्हता) नियम 4 के साथ पठित धारा 149(4) के अनुसार कंपनी को कम से कम बोर्ड में दो स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यकता होती है उस और इसके अतिरिक्त मार्गदर्शक सिद्धांतों के खंड 3.1.4 (असूचीबद्ध सीपीएसई) के अनुसार कंपनी के बोर्ड के कम से कम एक तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए।

इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान चार बैठकों के स्थान पर लेखा परीक्षा समिति की केवल 2 बैठकें आयोजित की गईं (दिशानिर्देशों का खण्ड 4.4)।

पूर्व स्वतंत्र निदेशकों को पदावधि अवधि नवंबर 2019 में समाप्त हो गई थी। यह नोट किया गया है कि बोर्ड मै सभी नियुक्तियां भारत सरकार द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात भारी उद्योग मंत्रालय के माध्यम से की जाती हैं। कंपनी ने 2 नवंबर 2021 को 2 (दो) स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की।

अतः कंपनी बोर्ड और बोर्ड स्तरीय समितियों अर्थात लेखा परीक्षा और पारिश्रमिक समिति के संबंध में 2 नवंबर 2021 तक दिशानिर्देशों और कंपनी अधिनियम 2013 के उपबंधों का पूरी तरह से अनुपालन नहीं कर सकी। कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के पश्चात बोर्ड/बोर्ड स्तरीय समितियों के गठन का अनुपालन किया गया।

II. बोर्ड की लगातार दो बैठकों (277वीं और 278वीं) में अंतराल 3 मास की विहित समय सीमा से अधिक हो गया है (मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार)

यह स्पष्ट किया गया है कि शासकीय अकाशमिक्ताओं के कारण 3 मास की उपदर्शित समय सीमा के भीतर बैठक आयोजित नहीं की जा सकी। यद्यपि कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 के इस संबंध में उपबंधों का अनुपालन किया है।

हम यह कथन करते हैं कि ऐसी अनुपालना न ही कंपनी की भावी साध्यता का और न ही उस प्रभावशीलता की दक्षता जिससे प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों का संचालन किया है, आश्वासन है।

कृते एजीबी एंड एसोसिएट्स

कंपनी सचिव

ह0/–
सीएस रश्मि असवाल
(भागीदार)
सदस्यता सं. ए50322
सी. पी. संख्या 24667
यूडीआईएनः ए050322डी000491378

स्थान : फरीदाबाद
तारीख : 14.06.2022

उपाबंध–ग

निगम सामाजिक उत्तरदायित्व पर वार्षिक रिपोर्ट

कंपनी (निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 की अपेक्षा के अनुसार,

1. कंपनी की निगम सामाजिक उत्तरदायित्वन नीति पर एक संक्षिप्त रूपरेखाः

निगम सामाजिक उत्तरदायित्व एक ऐसा प्रभावी साधन है जो अधिकांशतः निगम और सामाजिक क्षेत्र के अभिकरणों के बीच भरणीय वृद्धि और समाजिक उदेश्य के विकास के लिए सामंजस्य बिठाता है। ईपीआई की निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति अधिकांश रूप से समुदाय के लिए कल्यांणकारी उपायों का और सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास के माध्यम से समाज में अंशदान का उपबंध करती है और सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की आवश्यकता के प्रति यह संवेदनशील है।

सीएसआर विजन

''अधिकांश रूप से समाज के लिए कार्य करना और उनके जीवन स्तर में सुधार करना तथा एक निगम निकाय के रूप में ईपीआई की सकारात्मयक और सामाजिक रूप से जिम्मेदार धारणा तैयार करना''।

सीएसआर उद्देश्य

ईपीआई की सीएसआर नीति का बृहत का रूप से उद्देश्य समुदाय और समाज के लिए नैतिक और जिम्मेदार व्यवहार का अनुपालन करना है और आधिकांश रूप से समुदाय के कल्याण और भरणीय विकास के लिए कार्यक्रम हाथ में लेना है।

2. निगम सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की संरचना

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और कंपनी (निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के उपबंधों के अनुसार ईपीआई के पास बोर्ड स्तमरीय निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति निगम सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और भरणीयता समिति है। इस समिति की सहायता एक नोडल अधिकारी द्वारा की जाती है।

बोर्ड स्तारीय समिति की भूमिका निम्नपलिखित है –

(क) एक निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति की विरंचना करना और बोर्ड को उसकी सिफारिश करना जो अनसूची–VII में यथाविनिर्दिष्ट कंपनी द्वारा हाथ में लिए जाने वाले कार्यकलापों को उपदर्शित करेगी।

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट कार्यकलापों पर उपगत किए जाने वाले व्यय की रकम की सिफारिश करना और

(ग) समय–समय पर कंपनी की निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति की मॉनीटरी करना।

इस समय निगम सामाजिक उत्तरदायित्व और भरणीयता समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं:

1	श्रीमती आकांक्षा पारे, स्वतंत्र निदेशक	:	अध्यक्ष
2	श्री विनोद कुमार यादव, स्वतंत्र निदेशक	:	सदस्य
3	श्री आर पी सिंह,निदेशक (वित्त)	:	सदस्य

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम/निदेशकता की प्रकृति	निगम सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	निगम सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की वर्ष के दौरान बैठकों में भाग ली गई संख्या
1.	श्रीमती आकांक्षा पारे	स्वतंत्र निदेशक, समिति के अध्यक्ष (17 नवंबर 2021 से)	1	1
2.	श्री विनोद कुमार यादव	स्वतंत्र निदेशक, सदस्य (17 नवंबर 2021 से)	1	1
3.	श्री आर. पी. सिंह	निदेशक (वित्त) सदस्य (17 नवंबर 2021 से)	1	1
4.	श्री एच.एन. ठाकुर	निदेशक (परियोजनाएँ) सदस्य (30 जून 2022 तक)	1	1

3. वहां वेब लिंक उपलब्ध कराएं जहां बोर्ड द्वारा अनुमोदित निगम सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की संरचना, निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति और निगम सामाजिक उत्तरदायित्व परियोजनाओं का प्रकाशन किया जाता है।

कंपनी की निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति और योजना कंपनी की वेबसाइट www.engineeringprojects.com पर उपलब्ध है। वर्ष के दौरान कोई निगम सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यकलाप हाथ में नहीं लिए गए थे।

4. कंपनी (निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम 2014 के नियम 8 के उप नियम (3) के अनुसरण में की गई निगम सामाजिक उत्तरदायित्व परियोजना के संघात निर्धारण ब्यौरे उपलब्ध कराएं, यदि लागू हो

लागू नहीं होता

5. कंपनी (निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम 2014 के नियम 7 के उप नियम (3) के अनुसरण में बट्टे खाते के लिए उपलब्ध रकम के ब्यौरे और वित्त वर्ष के लिए बट्टे खाते में डालने के लिए अपेक्षित रकम, यदि कोई हो:

कुछ नहीं

6. धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ:

(4276.80) लाख रुपए अर्थात (4683.01) लाख रुपए (2020–21), (2728.47) लाख रुपए (2019–20) और (5418.93) लाख (2018–19)

7. **(क)** धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का 2%, यदि कोई हो तो — कुछ नहीं

(ख) निगम सामाजिक उत्तरदायित्व परियोजनाओं या पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के कार्यक्रमों या गतिविधियों से आधिक्य — कुछ नहीं

(ग) वित्त वर्ष के लिए बट्टे खाते में डालने के लिए अपेक्षित रकम, यदि कोई हो तो — कुछ नहीं

(घ) वित्त वर्ष के लिए कुल निगम सामाजिक उत्तरदायित्व बाध्यता (7क+7ख+7ग) — कुछ नहीं

8. **(क) वित्त वर्ष के लिए व्यय की गई या व्यय नहीं की गई निगम शासन उत्तरदायित्व रकमः**

व्यय न की गई रकम (रुपए में)					
वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए व्यय की गई कुल रकम (रुपए में)	धारा 135 (6) के अनुसार व्यय ना किए गए निगम सामाजिक उत्तरदायित्व को खाते में अंतरित कुल रकम		धारा 135 (5) के दूसरे परंतु के अनुसार अनुसूची के अधीन विनिर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित रकम		
	रकम (रुपए में)	अंतरण की तारीख	निधि का नाम	रकम (रुपए में)	अंतरण की तारीख
कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

(ख) वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं के लिए खर्च की गई निगम सामाजिक उत्तरदायित्व की रकम के ब्यौरे : कुछ नहीं

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं से भिंड के लिए खर्च की गई निगम सामाजिक उत्तरदायित्व की रकम के ब्यौरेः कुछ नहीं

(घ) प्रशासनिक ऊपरी शीर्षो में खर्च की गई रकमः कुछ नहीं

(ङ) संघात निर्धारण पर खर्च की गई रकम, यदि लागू हो तोः कुछ नहीं

(च) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल रकम (8ख+8ग+8घ+8ङ) : कुछ नहीं

(छ) बट्टे खाते के लिए आधिक्य रकम, यदि कोई हो : कुछ नहीं

क्रम संख्या.	विशिष्टियां	रकम (रुपए में)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का 2%	कुछ नहीं
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल रकम	कुछ नहीं
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अधिक रकम ((ii)–(i))	कुछ नहीं
(iv)	निगम सामाजिक उत्तरदायित्व परियोजनाओं या पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के कार्यक्रमों या गतिविधियों से आधिक्य, यदि कोई हो तो	कुछ नहीं
(v)	पश्चातवर्ती वित्तीय वर्षों में बट्टे खाते में डालने के लिए उपलब्ध रकम ((iii)–(iv))	कुछ नहीं

9.	(क)	पूर्ववर्ती 3 वित्तीय वर्षों के लिए खर्च ना की गई निगम सामाजिक उत्तरदायित्व की रकम के ब्यौरे :	कुछ नहीं
	(ख)	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की चालू परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई निगम सामाजिक उत्तरदायित्व रकम के ब्योरे :	कुछ नहीं

10. पूंजी आस्ति सृर्जन या अर्जन की दशा में वित्तीय वर्ष में खर्च किए गए निगम सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से इस प्रकार सृजित या अर्जित आस्ति से संबंधित ब्यौरे प्रस्तुत करें (आस्ति–वार ब्यौरे).

(क)	पूंजी आस्ति के सृर्जन या अर्जन की तारीख	कुछ नहीं
(ख)	पूंजी आस्ति के सृर्जन या अर्जन पर खर्च की गई निगम सामाजिक उत्तरदायित्व की रकम	कुछ नहीं
(ग)	अस्तित्व या लोक प्राधिकारी या फायदाग्राही के ब्यौरे जिसके नाम से ऐसी पूंजी आस्ति को रजिस्ट्रीकृत किया गया है, उनके पते आदि	कुछ नहीं
(घ)	सृजित ब्यौरे उपलब्ध कराएं (जिसके अंतर्गत पूंजी आस्ति का पूरा पता और अवस्थान है)	कुछ नहीं

11. धारा 135(5) के अनुसार यदि कंपनी औसत शुभ लाभ का 2% खर्च करने में सफल रही है तो कारण विनिर्दिष्ट करें: लागू नहीं होता

ह0/–
(श्री राजपाल सिंह)
सदस्य– सीएसआर समिति
डी आई एनः 08750557

ह0/–
(श्रीमती आकांक्षा पारे)
अध्यक्ष – सीएसआर समिति
डी आई एनः 09394630

तारीखः 4 अगस्त 2022
स्थानः नई दिल्ली

उपाबंध–घ

प्ररूप संख्या एओसी–2

(अधिनियम की धारा 134 की उपधारा (3) के खंड (ज) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसरण में)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट संबंधित पक्षकारों के साथ कंपनी द्वारा की गई विशिष्टियों/इन्तजामों के प्रकटन जिसके अंतर्गत उसके तीसरे परंतुक के अधीन कतिपय सन्निकट संव्यवहार भी हैं, के प्रकटन के लिए प्ररूप।

1. उन संविदाओं या इन्तजामों या संव्यवहारों के ब्यौरे जो सन्निकट आधार पर नहीं हैं।

क्र.सं.	विशिष्टियां	ब्यौरे
क)	संबंधित पक्षकार(रों) का नाम और संबंध की प्रकृति	शून्य
ख)	संविदा/इन्तजाम/संव्यवहार की प्रकृति	शून्य
ग)	संविदा/इन्तजाम/संव्यवहार की अवधि	शून्य
घ)	संविदा या इन्तजाम या संव्यवहार के प्रमुख निबंधन जिसके अंतर्गत मूल्य भी है, यदि कोई हो	शून्य
ड.)	ऐसी संविदा या इन्तजाम या संव्यवहार में प्रविष्ट होने का न्यायोचित्य	शून्य
च)	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख	शून्य
छ)	अग्रिम के रूप में संदत्त रकम, यदि कोई हो	शून्य
ज)	वह तारीख जिसको धारा 188 के पहले परंतुक के अधीन यथा–अपेक्षित विशेष संकल्प साधारण बैठक में पारित किया गया था	शून्य

2. सन्निकट आधार पर संविदा या इन्तजाम या संव्यवहार के ब्यौरे

क्र.सं.	विशिष्टियां	ब्यौरे
क)	संबंधित पक्षकार(रों) का नाम और संबंध की प्रकृति	शून्य
ख)	संविदा/इन्तजाम/संव्यवहार की प्रकृति	शून्य
ग)	संविदा/इन्तजाम/संव्यवहार की अवधि	शून्य
घ)	संविदा या इन्तजाम या संव्यवहार के प्रमुख निबंधन जिसके अंतर्गत मूल्य भी है, यदि कोई हो	शून्य
ड.)	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख	शून्य
च)	अग्रिम के रूप में संदत्त रकम, यदि कोई हो	शून्य

बोर्ड के लिए और उसके निमित
ह0/–
(डी एस राना)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 07022825

तारीख : 4 अगस्त 2022
स्थान : नई दिल्ली

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

प्ररूप संख्या एमआर 3

(1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनियां
(नियुक्ति और प्रबंधकीय कार्मिक पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसरण में)

सेवा में
सदस्यगण,
इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड,
सीआईएनः यू27109डीएल1970जीओआई117585
कोर 3, स्कोप कॉम्प्लैक्स, 7, लोधी रोड,
नई दिल्ली–110003

हमनें लागू कानूनी उपबंधों की अनुपालनामें और इंजीनियरिंग प्रोजेक्टर (इंडिया) लिमिटेड (जिसे इसमें इसके पश्चात कंपनी कहा गया है) द्वारा अच्छी निगम पद्धतियों की अनुपालना की सचिवालयी लेखा परीक्षा संचालित कर ली है। सचिवालयी लेखापरीक्षा उस रीति में की गई जो मुझे निगम व्यवहार/कानूनी अनुपालना का मूल्यांकन करने के लिए और उन पर राय व्यक्त करने के लिए युक्ति युक्त आधार प्रदान करती है।

कंपनी की लेखाबहियों, पेपरों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, कार्यवृत पुस्तिकाओं, प्ररूपों और फाइल किए गए रिटर्नों और कंपनी द्वारा रखे गए अभिलेखों के सत्यापन के आधार पर और कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर, हम एतद् द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में कंपनी ने लेखापरीक्षा अवधि के दौरान जो 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्त वर्ष को कवर करती है इसमें नीचे सूचीबद्ध किए गए कानूनी उपबंधों का अनुपालन किया है और यह भी मत व्यक्त करते हैं कि कंपनी की उचित बोर्ड प्रक्रियाएं और अनुपालना तंत्र उस सीमा और उस रीति में तथा नीचे दी गई रिपोर्टिंग की शर्त के अधीन रहते हुए हैः

हमने कंपनी द्वारा 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए रखी गई लेखाबहियों, पेपरों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, प्ररूपों और फाइल किए गए रिटर्नों की निम्नलिखित के उपबंधों के अनुसार जांच कर ली है :

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अधीन बनाए गए नियम।

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) और उसके अधीन बनाए गए नियम : लागू नहीं होता।

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अधीन बनाए गए उपनियम : लागू नहीं होता।

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 और तदधीन बनाए गए नियम और विनियम, जो उस सीमा तक जहां तक प्रत्यक्ष विदेशी विनिधान और विदेशी प्रत्यक्ष विनिधान तथा वाणिज्यक उधार हों : लागू नहीं होता

(v) निम्नयलिखित विनियम और मार्गदर्शक सिद्धांत, जो भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी, अधिनियम) के अधीन विहित किए गए हैं : लागू नहीं होता

(क) भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का सारवान अर्जन और टेकओवर) विनियम, 2011;

(ख) भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भेदिया कारबार प्रतिषेध) विनियम, 2015;

(ग) भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटन अपेक्षा) विनियम, 2018;

(घ) भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टाक विकल्प स्कीन और कर्मचारी क्रय स्कीम) मार्गदर्शक सिद्धांत, 1999/भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी फायदा) विनियम, 2014 ;

(ङ) भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) प्रतिभूतियों का जारी करना और सूचीकरण विनियम, 2008

(च) कंपनियों के संबंध में और ग्राहकों से व्यौहार करने के लिए भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रजिस्ट्रार के निर्गम और शेयर अंतरक अभिकर्ता) विनियम, 1993

(छ) भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (साम्या शेयरों का असूचीकरण) विनियम, 2009; और

(ज) भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का पुनः क्रय करना) विनियम, 2018

(vi) अन्य लागू विधियां

तारीख 21–06–2022 के प्रबंधन प्रतिनिधित्व पत्र के द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार निम्नलिखित विधियां और उनके तदधीन बनाए गए नियमों को प्रबंधन द्वारा कंपनी के लिए विनिर्दिष्टतः लागू के रूप में पहचाना गया है और यथासंभव कंपनी द्वारा उनका अनुपालन किया गया है।

(क) लोक उद्यम विभाग मार्गदर्शक सिद्धांत, तारीख 14 मई 2010 भारी उद्योग और लोक उपक्रम मंत्रालय द्वारा (डीपीई निगम शासन मार्गदर्शक सिद्धांत) जारी किए गए हैं

(ख) महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (पोश)

(ग) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (और तदधीन बनाए गए नियम)

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों की समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अनुपालना की भी जांच कर ली है:

(क) समय–समय पर यथा संशोधित इंस्टीट्यूट आफ कंपनी सेक्रेटरिज आफ इंडिया द्वारा जारी सचिवालयी मानक;

(ख) कंपनी ने किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के साथ कोई सूचीकरण करार नहीं किया है, क्योंकि कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध नहीं है;

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने अधिनियम, नियमों, विनियमों, मार्गदर्शक सिद्धांतों आदि का, जिनका ऊपर वर्णन किया गया है निम्नलिखित पर्यवेक्षणों के अधीन रहते हुए अनुपालन किया है :

1. पूर्व स्वतंत्र निदेशकों को पदावधि अवधि नवंबर 2019 में समाप्त हो गई और तत्पश्चात कंपनी के बोर्ड में 2 नवंबर 2021 तक किनी स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की गई।

इसके अतिरिक्त इस रिपोर्ट की तारीख तक कंपनी की लेखा परीक्षा समिति 4 सदस्यों से मिलकर बनी है जिनमें से 2 सदस्य स्वतंत्र निदेशक हैं और वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा समिति ने केवल 2 बैठकें आयोजित की अर्थात 22 नवंबर 2021 को और 11 मार्च 2022 को।

कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 के नियम 4(1) के दूसरे परंतु के अनुसार, "किसी स्वतंत्र

निदेशक की किसी मध्यवर्ती रिक्ति को बोर्ड द्वारा शीघ्रतम किंतु बोर्ड की तुरंत अगली बैठक से पूर्व या ऐसी रिक्ति की तारीख से 3 माह के भीतर, इनमें से जो भी पूर्व हो भरा जाएगा।"

इसके अतिरिक्त कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(2) के अनुसार, "लेखा परीक्षा समिति न्यूनतम 3 निवेशकों से मिलकर बनेगी जिसमें स्वतंत्र निदेशकों का बहुमत होगा।"

डीपीई निगम शासन दिशा निर्देशों के खंड 4.1.1 और 4.4 के अनुसारः

"लेखा परीक्षा समिति में सदस्यों के रूप में न्यूनतम तीन निदेशक होंगे" और "और लेखा परीक्षा समिति वर्ष में कम से कम चार बैठक के करेगी और दो बैठकों के बीच 4 माह से अधिक का अंतराल नहीं होगा।

तथापि, कंपनी के अभिलेखों के अनुशीलन से हम यह समझते हैं कि कंपनीके एक सरकारी कंपनी होने के नाते जिसमें सभी नियुक्तियां (स्वतंत्र निवेशकों सहित) भारत सरकार द्वारा उसके प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात भारी उद्योग मंत्रालय (एम एच आई) के माध्यम से की जाती हैं। आता कंपनी उक्त धारा/नियम/दिशा निर्देशों का 2 नवंबर 2021 तक अनुपालन नहीं कर सकी। इसके अतिरिक्त कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपलब्धता के कारण वर्ष के दौरान अपेक्षित संख्या में बैठ के आयोजित नहीं की जा सकी। तथापि स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के पश्चात 22 नवंबर 2021 और 11 मार्च 2022 को दो बैठकें आयोजित की गई थी।

2. **बोर्ड की दो बैठकें (277वीं और 278वीं) क्रमशः 22 नवंबर 2021 और 11 मार्च 2022 को आयोजित की गई थीं।**

डीपीई निगम शासन दिशा निर्देशों के खंड 3.3.1 के अनुसार, "बोर्ड प्रत्येक 3 मास में कम से कम एक बैठक करेगा और प्रत्येक वर्ष कम से कम ऐसी 4 बैठकें आयोजित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त किन्हीं दो बैठकों में समय अंतराल 3 मास से अधिक नहीं होना चाहिए।"

कंपनी डीपीई निगम शासन दिशानिर्देशों के उक्त उपबंधों का अनुपालन नहीं कर सकी जैसे कि बोर्ड की दो लगातार बैठकों (277वीं और 278वीं) के बीच अंतराल तीन मास कि वित्त समय–सीमा से अधिक हो गया। यह स्पष्ट किया गया है कि शासकीय आकस्मिक्ताओं के कारण डीपीई मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार 3 मास की उपदर्शित समय सीमा के भीतर बैठक आयोजित नहीं की जा सकी। यद्यपि कंपनी ने इस संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 के उपबंधों का अनुपालन किया है।

हम यह और रिपोर्ट करते हैं किः

कंपनी के निदेशक बोर्ड का कार्यपालक निदेशकों, गैर कार्यपालक निदेशकों सिवाय स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ गठन किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक बोर्ड के गठन में परिवर्तनों को अधिनियम के उपबंधों की अनुपालना में किया गया है।

सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकों, कार्यवृत्त पर पर्याप्त सूचना दी गई और कार्यवृत्त पर विस्तृत टिप्पणियां कम से कम सात दिन पूर्व अग्रिम में भेजी गईं सिवाय लघु सूचना के, जहां अपेक्षित अनुपालना की गई है और बैठक से पूर्व और सूचना तथा कार्यवृत्त मदों पर स्पष्टीकरण अभिप्राप्त करनेके लिए और बैठकों में फलदायक सहभागिता के लिए प्रणाली विद्यमान है।

कंपनी द्वारा बोर्ड/समितियों और शेयरधारकों के लिए रखे गए कार्यवृत्त के अनुसार, हम नोट करते हैं कि किसी भी विनिश्चय को संबंधित बोर्ड/शेयर धारक समिति के असहमति के नोट के बिना अनुमोदित नहीं किया गया है।

हम यह और रिपोर्ट करते हैं कि लागू विधियों, नियमोंऔर मार्गदर्शक सिद्धांतों कि अनु पालना को मॉनिटर और सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और प्रचालनों के अनुरूप पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं विद्यमान हैं। तथापि अन्य लागू विधियों की अनुपालना जैसा कि ऊपर पैरा (vi) में सूचीबद्ध किया गया है का सत्यापन नहीं किया गया है और हमें दिए गए दस्तावेजों और प्रबंधन के बोर्ड को सभी कार्यालय के संबंध में एजेंडा पेपरों के माध्यम से रिपोर्ट किए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर प्रबंधन प्रतिनिधित्व पत्र तारीख 21 जून 2022 के आधार पर आधारित है।

हम यह और भी रिपोर्ट करते हैं कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान निम्नलिखित विशिष्ट घटनाएं/कार्रवाइयों का पर्यवेक्षण किया गया:

1. हम यह और सूचित किया गया है कि सामरिक विनिधान और धनियाकरण की प्रक्रिया के अधीन है जिसमें विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों अर्थात भारी उद्योग मंत्रालय, डीआईपीएम, डीपीई द्वारा समय–समय पर जारी सभी दिशा निर्देशों/नियमों/बिन/कार्यालय ज्ञापन आदि का अनुसरण किया जा रहा है।

2. हमें यह और सूचित किया गया है कि ईपीआई अर्बन इंफ्राडेवलपर्स लिमिटेड (ईपीआईयूआईडीएल–सीआईएनः यू45309डीएल2016 जीओआई299995) जिसे 19 मई 2016 को कंपनी" की 51 प्रतिशत साम्या सहभागिता के साथ निगमित किया गया था तथा "कंपनी"अभी भी अपने निगमन के पश्चात से प्रचालन नहीं कर रही है। ईपीआईयूआईडीएल के त्वरित परिसमापन के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 361 के अधीन याचिका फाइल की गई प्रादेशिक निदेशक (उत्तर), कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2022 को विचार किया गया। सुनवाई के दौरान यह सूचित किया गया था कि यह मामला उस धारा के अधीन परी समापन के लिए त्वरित प्रक्रिया के लिए उपयुक्त नहीं है और आपकी कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन कार्रवाई के लिए उपलब्ध अन्य विकल्प का उपयोग कर सकती है। तदनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(1)(क) के अधीन ईपीआईयूआईडीएल का नाम हटाने के लिए एक आवेदन महानिदेशक, कारपोरेट कार्य, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के पास 23 मई 2022 को फाइल किया गया है।

3. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, सीबीआई ने 5 मामले रजिस्टर किए हैं और"कंपनी"के कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध प्राथमिकी फाइल की है। कंपनी को प्राथमिकी में एक पक्षकार नहीं बनाया गया है इससे उसके वित्तीय विवरणों पर किसी प्रभाव की परिकल्पना नहीं है।

कृते एमएनके एंड एसोसिएटस एलएलपी
कंपनी सचिव
एफआरएनःएल20183डीई004900
हस्ता/–
मोहम्मद नाजिम खान
व्यवसायरत कंपनी सचिव
एफसीएसः6529सीपी–8245
यूडीआईएनःएफ006529डी000744739
पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबरः 671/2020

स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 04.08.2022

इस रिपोर्ट को हमारे समसंख्य क तारीख के पत्र के साथ, जिसे उपाबंध–क के साथ पढ़ा जाए और यह इस रिपोर्ट का एक अभिन्नर भाग है।

"उपाबंध क"

सेवा में
सदस्यगण,
इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडिया) लिमिटेड,
सीआईएनःयू27109डीएल1970जीओआई117585
कोर 3, स्कोप कॉम्प्लैक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली,–110003

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट का इस पत्र के साथ पठन किया जाए।

1. सचिवालय अभिलेखों का अनुरक्षण कंपनी के प्रबंधन का उत्तिरदायित्व है और हमारा दायित्व इन सचिवालीय अभिलेखों पर हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर राय व्यक्त करने का है।

2. हमने उन लेखापरीक्षा पद्धतियों और पद्धतियों का अनुपालन किया है जो सचिवालयीय अभिलेखों की अंतर्वस्तु के सही होने की बाबत युक्तियुक्त आश्वाासन प्राप्त करने के लिए समुचित है। सत्यापन परीक्षण के आधार पर यह सुनिश्चित किया गया कि सचिवालीय अभिलेखों में सही तथ्यों को उपदर्शित किया जाए। हमारा विश्वास है कि जिन प्रक्रियाओं और पद्धतियों का हमने अनुसरण किया है वे हमारी राय में युक्तियुक्त आधार प्रदान करती है।

3. हमने कानूनी लेखापरीक्षकों, कर प्राधिकारियों, लागत लेखापरीक्षकों और नियंत्रण और महालेखापरीक्षक, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को लागू वित्तीय विधियों, जिसके अंतर्गत प्रत्याक्ष और अप्रत्येक्ष कर विधियां हैं, पर निर्भर किया है। लेखांकन मानक वित्तीय अभिलेखों की शुद्धता और उपयुक्तत, लागत अभिलेख और कंपनी की लेखा बहियां संबंधी लेखापरीक्षकों और अन्य नामनिर्दिष्ट व्यवसायियों की समीक्षा के अधीन रही हैं।

4. जहां भी अपेक्षित था हमने प्रबंधन से विधियों, नियमों, विनियमों और घटनाओं के विषय में अनुपालना के लिए अभ्यावेदन अभिप्राप्त किया है।

5. कारपोरेट और अन्यद लागू विधियों, नियमों, विनियमों, मानकों के उपबंधों का अनुपालन प्रबंधन का दायित्वर है, हमारी जांच प्रक्रियाओं के सत्यापन के लिए जांच के आधार तक सीमित थी।

6. सचिवालीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भावी साध्यता और न ही उस प्रभावशीलता की पर्याप्तता के विषय में कोई आश्वासन नहीं है, जिसमें कंपनी का प्रबंधन अपने कार्यों का संचालन कर रहा है।

कृते एमएनके एंड एसोसिएटस एलएलपी
कंपनी सचिव
एफआरएनःएल2018डीई004900

हस्ता/–
मोहम्मद नाजिम खान
व्यवसायरत कंपनी सचिव
एफसीएसः6529सीपी–8245
यूडीआईएनःएफ006529डी000744739
पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबरः 671/2020

स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 04.08.2022

सचिवालय लेखा परीक्षक द्वारा वित्तवर्ष 2021–22 के लिए सचिवालय लेखा रिपोर्ट में किए गए पर्यवेक्षण/टिप्पणियों का प्रबंधन का प्रत्युत्तर

क्र. सं.	रिपोर्ट में पर्यवेक्षण/टिप्पणियां	पर्यवेक्षणों का प्रत्युत्तर
1.	कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 के नियम 4(1) के दूसरे परंतुक के अनुसार "किसी स्वतंत्र निदेशक की मध्यवर्ती रिक्ति को बोर्ड द्वारा शीघ्रतम, किंतु बोर्ड की तुरंत अगली बैठक से पहले या ऐसी रिक्ति की तारीख से 3 माह के भीतर, इनमें से जो भी पहले हो, भरा जाएगा। इसके अतिरिक्त कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177(2) के निदेशकों से मिलकर बनेगी जिसमें स्वतंत्र निदेशकों का बहुमत होगा"। लोक उद्यम विभाग निगम शासन मार्गदर्शक सिद्धांतों के खंड 4.1.1 और खंड 4.4 के अनुसारः ''लेखा परीक्षण समिति में सदस्यों के रूप में कम से कम तीन निदेशक होंगे। लेखा परीक्षा समिति के दो तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे और लेखा परीक्षा समिति 1 वर्ष में कम से कम चार बार बैठक करेगी और दो बैठकों के बीच 4 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए।''	निदेशकों की सभी नियुक्तियां प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) द्वारा प्रशासित होती हैं और निदेशकों की ऐसी नियुक्तियों में कंपनी की कोई भूमिका नहीं होती है। इसके अतिरिक्त कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति, बोर्ड का गठन/बोर्ड स्तरीय कानूनी समितियों का अनुपालन किया गया है अनुपालना के लिए नोट कर लिया गया है
2.	डीपीई निगम शासन दिशा निर्देशों के खंड 3.3.1 के अनुसार, "बोर्ड प्रत्येक 3 वर्ष में कम से कम एक बैठक करेगा और प्रत्येक वर्ष चार ऐसी बैठकें की जाएंगी। इसके अतिरिक्त दो बैठकों में समय अंतराल 3 माह से अधिक नहीं होना चाहिए"।	यह स्पष्ट किया गया है कि शासकीय अकास्मिक्ताओं और कोविड–19 महामारी के कारण डीपीई दिशा निर्देशों के अनुसरण में 3 मास की उपदर्शित समय सीमा के भीतर बैठक आयोजित नहीं की जा सकी। यद्यपि कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 173 के इस संबंध में उपबंधों का अनुपालन किया है।

एमएचआई के माननीय मंत्री के साथ योग

सतर्कता जागरूकता सप्ताह

संविधान दिवस

स्वास्थ्य जांच शिविर

अभियान हर घर तिरंगा

साइबर जागरूकता दिवस

हिंदी पखवाड़ा

योग दिवस

सेल भिलाई इस्पात संयंत्र

आरओबी प्रोजेक्ट देहरादून

विजाग परियोजना

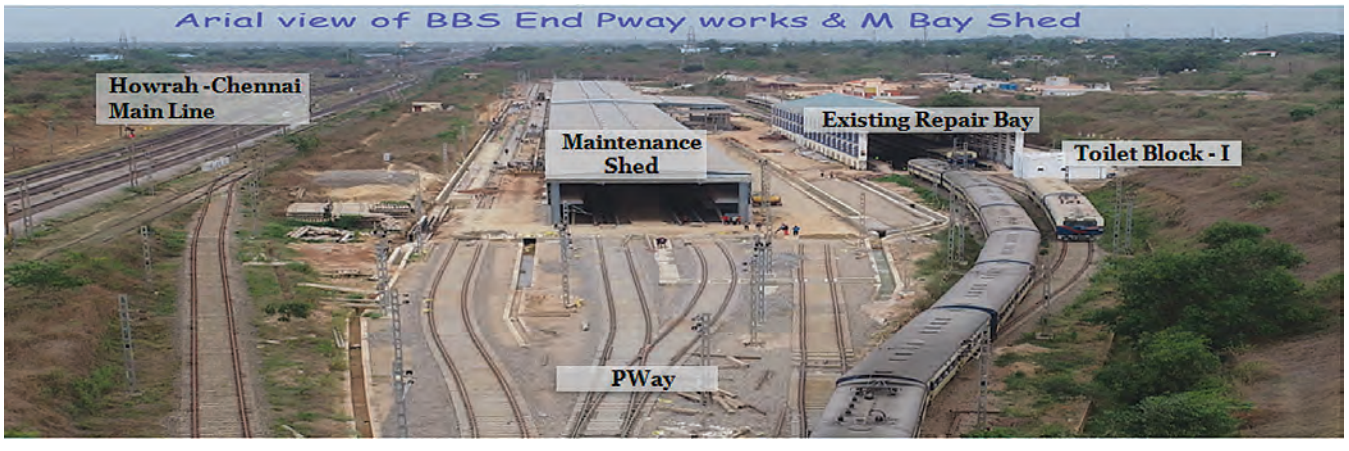

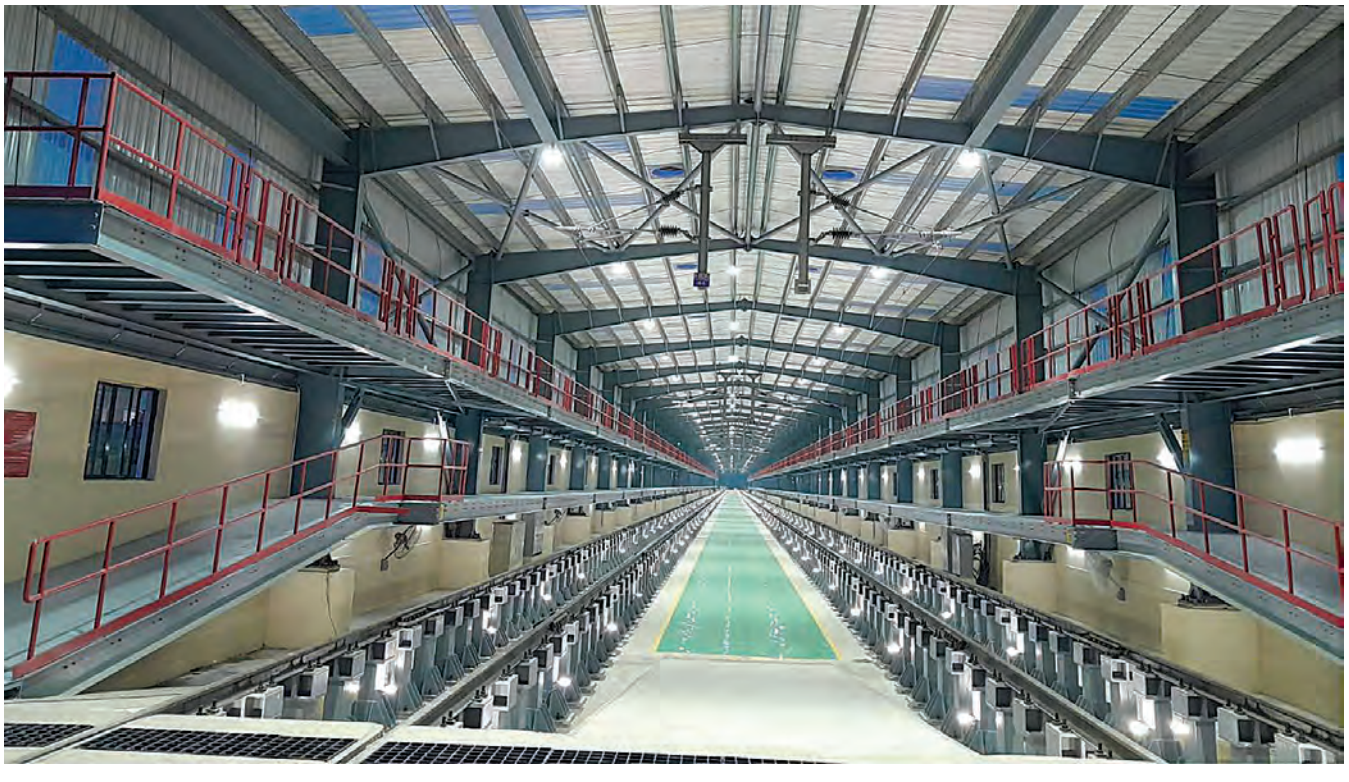

आरवीएनएल परियोजना ओडिशा

केंद्रपाड़ा परियोजना

एनटीपीसी एफजीडी रामागुंडम परियोजना

अगरतला परियोजना

राउरकेला स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट

एलिम्को फरीदाबाद

एनएचआईडीसीएल परियोजना

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में
सदस्य, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड,

एकल वित्तीय विवरणियों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

हमने मैसर्स इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के संलग्न वित्तीय विवरणों की जांच कर ली है, जो 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार समाप्त हुए वर्ष के लिए तुलनपत्र, लाभ और हानि का विवरण और एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पण जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और अन्य स्पष्टीकारक सूचना है, से मिलकर बना है। कंपनी के 4 (चार) क्षेत्रों अर्थात् पश्चिम क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र में स्थित प्रादेशिक कार्यालयों और ओमान, श्रीलंका तथा म्यांमार की 3 (तीन) विदेशी शाखाओं की नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा और कार्पोरेट कार्यालय की हमारे द्वारा लेखा परीक्षा की गई है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार सिवाय हमारी रिपोर्ट के अर्हित राय का आधार अनुभाग में वर्णित किए गए मामले के सिवाय पूर्वक एकल वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की अपेक्षा अनुसार उस प्रकार अपेक्षित रीति में सूचना प्रदान करते हैं और भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी के कार्यों का 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए हानि और कंपनी के नकद प्रवाह का न्यायोचित दृश्य प्रस्तुत करते हैं।

अर्हित राय का आधार

1. लेखांकन नीति संख्या 10 के अनुसार व्यापार प्राप्यों को 10 वर्ष तक प्राप्ति के लिए अच्छा समझा जाता है इसलिए 10 वर्ष से अधिक के बकाया के लिए संदेहास्पद ऋण के विरुद्ध उपबंध किया जाता है, 443.77 लाख रुपए का उपबंध 31 मार्च 2022 तक मैसर्स यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) से 2368.96 लाख रुपए की वसूलनीय कुल रकम के लिए किया गया है। इस प्रत्यय के लिए 746.78 लाख रुपए उप ठेकेदारों को संदाय के लिए लंबित हैं। अतः कुल बकाया जिसके लिए उपबंध करना अपेक्षित है, 1622.18 लाख रुपए होता है। पूर्व उक्त रकम 10 वर्ष से अधिक से है और कंपनी द्वारा संदेहस्पद ऋण/उधार और अग्रिम के लिए शत प्रतिशत उपबंध करने की अपेक्षा है। प्रबंधन ने 31 मार्च 2022 तक 443.77 लाख रुपए का उपबंध किया है। अतः अपेक्षित उपबंध में 1178.41 लाख रुपए की कमी है।

   इसके अतिरिक्त कंपनी ने उक्त मामले पर भारत के अपर सॉलिसिटर जनरल से लेखा परीक्षा के अधीन वर्ष में विधिक राय प्राप्त की है और राय के अनुसार 1161.92 लाख रु. की रकम अन्य पक्षकार द्वारा किए गए अन्य भागों के साथ विवादास्पद नहीं है जिसकी अभी गणना नहीं की गई है। यूसीआईएल ने इसका अभी तक भुगतान नहीं किया है। इसलिए ईपीआईएल की हानि को उतनी रकम से कम दर्शाया गया है (टिप्पण संख्या 2.45(क) को निर्दिष्ट करें)।

2. मैसर्स सीएंडसी संनिर्माण लिमिटेड म्यांमार में संयुक्त उद्यम "ईपीआई– सीएंडसी जेवी (अनिगमित)" हमारा 60% स्टेक भागीदार और ओमान परियोजना में हमारा मुख्य ठेकेदार एनसीएलटी में दिवाला कार्यवाहियों का इस समय सामना कर रहे हैं और यह मामला अग्रिम चरण में है। इसका परिणाम और ईपीआईएल के वित्तीय विवरणों पर उसके वित्तीय प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है।

हमने अपनी लेखा परीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अधीन विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों (एसए) के अनुसार संचालित की है। इन मानकों के अधीन हमारे उत्तरदायित्व का हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण भाग में लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व में और वर्णन किया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार नैतिक आचार अपेक्षाओं सहित जो कंपनी अधिनियम 2013 और उसके अधीन नियमों के उपबंधों के अधीन वित्तीय विवरणों कि हमारी लेखा परीक्षा से सुसंगत है, हम कंपनी से स्वतंत्र हैं और हमने इन अपेक्षाओं तथा नैतिक आचरण संहिता के अनुसार अपने नैतिक आचरण के उत्तरदायित्व को पूरा किया है। हम विश्वास करते हैं कि लेखा परीक्षा साक्ष्य जो हमने अभिप्राप्त किया है हमारी राय का आधार बनाने के लिए पर्याप्त और समुचित है।

मामले का बल

हम निम्नलिखित मामलों पर ध्यान आकृष्ट करते हैं

1. व्यापार प्राप्यों, वर्क्स के लिए अग्रिम, सुरक्षा जमा और प्रतिधारण धन, ग्राहकों, विक्रेताओं और अन्य से उधार और अग्रिम तथा प्राप्यों के संबंध में शेष की बाह्य पुष्टि उपलब्ध नहीं है। शेष की पुष्टि के उपलब्ध ना होने के कारण इन वित्तीय विवरणों से उद्भूत प्रभाव, यदि कोई है की मात्रा बताने में असमर्थ हैं।

आस्तियां	रकम (लाख रुपए में)
वर्क्स के लिए अग्रिम	10536.99
सुरक्षा जमा और प्रतिधारण धन	39787.04
व्यापार प्राप्य	25930.10
अन्य प्राप्य	47823.40

यद्यपि कंपनी ने सभी संबंधित ग्राहकों को नकारात्मक शेष की पुष्टि का अनुरोध किया किंतु कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। एसए 505– बाह्य पुष्टि के अनुसार, नकारात्मक पुष्टि अनुरोध के लिए कोई प्रत्युत्तर ना प्राप्त करना शोध्य रकम के सही होने या पुष्टि करने वाले पक्षकार द्वारा रकम की पुष्टि करने की इच्छा ना होने को दर्शाता है। इसलिए उक्त रकमों के सही होने, विद्यमान होने और पूर्ण होने का सत्यापन नहीं किया जा सकता है। तथापि लेखा परीक्षा मानक के अनुसार नकारात्मक पुष्टि लेखा परीक्षा का साक्ष्य है इसलिए पूर्वोक्त के आधार पर हम अपनी राय को अर्हित नहीं कर रहे हैं। टिप्पण संख्या 2.43 को निर्दिष्ट करें।

2. निम्नलिखित व्यापार प्राप्य, ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम, सुरक्षा जमा और प्रतिधारण धन शेष की सकारात्मक पुष्टि उपलब्ध नहीं है। शेष की पुष्टि उपलब्ध ना होने के कारण वित्तीय विवरणों पर उद्भूत होने वाले किसी प्रभाव का पता लगाने में असमर्थ हैं, यदि कोई हैं।

आस्तियां	रकम (लाख रुपए में)
व्यापार संदेय	60162.94
सुरक्षा जमा एवं प्रतिधारण धन संदेय	44176.63
प्राप्त अग्रिम	64741.46
ग्राहक को संदेय अन्य	779.45

यद्यपि कंपनी ने सभी संबंधित ग्राहकों को नकारात्मक शेष की पुष्टि का अनुरोध किया किंतु कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। एसए 505– बाह्य पुष्टि के अनुसार, नकारात्मक पुष्टि अनुरोध के लिए कोई प्रत्युत्तर ना प्राप्त करना शोध्या रकम के सही होने या पुष्टि करने वाले पक्षकार द्वारा रकम की पुष्टि करने की इच्छा ना होने को दर्शाता है। इसलिए उक्त रकमों के सही होने, विद्यमान होने और पूर्ण होने का सत्यापन नहीं किया जा सकता है। तथापि लेखा परीक्षा मानक के अनुसार नकारात्मक पुष्टि लेखा परीक्षा का साक्ष्य है इसलिए पूर्वक के आधार पर हम अपनी राय को अर्हित नहीं कर रहे हैं। टिप्पण संख्या 2.43 को निर्दिष्ट करें।

3. कंपनी की वसूलनीय टीडीएस, संदत्त अग्रिम कर और आयकर दायित्व से वसूलनीय टीसीएस की उनके संबंधित निर्धारण वर्ष के लिए ही अंतिम निर्धारण आदेश प्राप्त करने के पश्चात पद्धति है। यद्यपी यह नोट किया जा सकता है कि उक्त नीति के कारण वसूलनीय टीडीएस, अग्रिम कर और वसूलनीय टीसीएस की रकमों द्वारा आस्तियों और दायित्व का अधिक कथन होता है। क्योंकि इनका वित्तीय प्रभाव तात्विक नहीं है इसलिए हम उन पर अपनी राय को और अर्हित नहीं कर रहे हैं। टिप्पण संख्या 2.11 और टिप्पण संख्या 2.17 को निर्दिष्ट करें।

4. म्यांमार परियोजना में सीएंडसी संनिर्माण लिमिटेड के निमित्त 4,554.00 लाख रुपए की आईपीएल द्वारा दी गई बैंक गारंटी के स्थान पर ईपीआईएल को 1,906. 64 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं और शेष को ओमान में किए गए कार्य के लिए प्रतिभूत किया गया है। वर्ष के दौरान विदेश कार्य विभाग ने तारीख 9 फरवरी 2022 के पत्र द्वारा (प्लेटवा से भारत–म्यांमार सीमा (जोरिन पुरी) पर राष्ट्रीय राजमार्ग विशिष्टियों के अनुसार दो लेन की सड़क की 0.00 कि.मी. से 109.20 कि.मी. वही म्यामांर के चित्र राज्य में संनिर्माण की परियोजना) संपूर्ण संविदा को गैर निष्पादन का कथन करते हुए समाप्त कर दिया और पश्चात भर्ती रूप से 75.90 करोड रुपए की रकम की बैंक गारंटी को आहूत किया (ईपीआई की हिस्सेदारी 30.36 करोड़ रुपए और सीएन्डसी की हिस्सेदारी 45.54 करोड रुपए)। ईपीआई ने तारीख 11 फरवरी 2022 के अपने पत्र के द्वारा अपने उप ठेकेदार मैसर्स आरके–आरपीपी संयुक्त उद्यम (ठेके का मूल्य 414 करोड रुपए) को समाप्त कर दिया और 20.70 करोड रुपए (414 करोड रुपए का 5%)के गैर निष्पादन के कारण बैंक गारंटी को आहूत किया टिप्पण संख्या 2.3 और टिप्पण संख्या 2.29(ख) को निर्दिष्ट करें।

5. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा 5 मामले रजिस्टर किए गए हैं और ईपीआईएल कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज की गई है जिसमें से 2 मामले वित्त वर्ष 2017–18 और एक मामला वित्त वर्ष 2016–17 में रजिस्टर किया गया है। यह मामले अभियुक्त कर्मचारियों द्वारा निविदा देने के लिए अवैध प्रलोभन लेने के संबंध में है। ईपीआई को एफ आई आर में पक्षकार नहीं बनाया गया है और उसके वित्तीय कारणों पर कोई वित्तीय प्रभाव परिकल्पित नहीं है। टिप्पण संख्या 2.41 को निर्दिष्ट करें।

6. कंपनी ने ठेकेदार को 387 लाख रुपए का अग्रिम भुगतान किया है तथापि उठ ठेकेदार दिवाला प्रक्रिया के अधीन है और इसके लिए एक समाधान वृतिक की नियुक्ति की गई है। समाधान वृतिक ने ईपीआईएल के दावे को स्वीकार कर लिया है किंतु रकम जिसकी वसूली की जा सकती है क्या पता नहीं लगाया जा सकता है। टिप्पण संख्या 2.12 को निर्दिष्ट करें।

7. सी एंड सी (सी एंड सी संनिर्माण लिमिटेड–इंडिया की एक अनुषंगी) ओमान सीमित दायित्व कंपनी द्वारा फाइल मामले के संबंध में ओमान सल्तनत के प्राइमरी न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार रक्षा मंत्रालय ने 11.35 मिलियन की रकम को ब्लॉक कर दिया है। ईपीआई ने मामला संख्या 119/1310/2021 के ब्यौरे मस्कट प्राइमरी न्यायालय से एकत्रित किए हैं और मस्कट प्राइमरी न्यायालय में अपील फाइल की है। मामला संख्या 119/1310/2021 मै अंतिम सुनवाई 19 अप्रैल 2022 को हुई थी और इसे 4 जुलाई 2022 के लिए स्थगित कर दिया गया था। ईपीआई ने संख्या 35/7135/2022 – 36/7135/2022 – 37/7135/2022 द्वारा निष्पादन बैंक प्रतिभूति के नकदीकरण के लिए और रक्षा मंत्रालय से 11.35 मिलियन के अनंतिम आर ओ जब्ती को हटाने

के लिए अपील न्यायालय के समक्ष याचिका भी फाइल की है। न्यायालय ने निर्णय के लिए 13 जून 2022 को उपरोक्त तीन याचिकाओं की सुनवाई की है और वित्त वर्ष 2022–23 में ईपीआई के पक्ष में आदेश प्राप्त हो गए हैं। उपरोक्त मामले के संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रक्रिया को वित्त वर्ष 2022–23 में भी हाथ में लिया जाएगा। टिप्पण संख्या 2.3 और टिप्पण संख्या 2.6 को निर्दिष्ट करें।

8. हम परिसरों के पट्टा करार, जो 30 सितंबर 2015 को समाप्त हो गया है, के संबंध में टिप्पण संख्या 2.4 की और भी ध्यान आकृष्ट करते हैं और इस मामले को न्याय निर्णय उनके लिए मामला संख्या 2016 का 144 और 2022 की जीए संख्या 18, तारीख 8 फरवरी 2022 द्वारा माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय को निर्दिष्ट कर दिया गया है तथा तथा यह विचाराधीन है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने परिसरों के पट्टा देने वाले से अक्टूबर 2015 से मार्च 2022 से संबंधित अवधि के लिए 5952.70 लाख रुपए (2581.27 लाख रुपए के ब्याज सहित और जीएसटी सहित 514.26 लाख है) की मांग प्राप्त की है।

1 अक्टूबर 2020 को हुई ओएनजीसी समर्थित निर्णय के आधार पर (परिसर के किरायेदारों में से एक किराएदार) बैठक के कार्यवृत्त के आधार पर 5438.42 लाख रुपए की प्रतिमांग के विरुद्ध कंपनी ने जीएसटी को शामिल ना करते हुए 31 मार्च 2022 को 1659.22 लाख रुपए (पूर्व वर्ष 2.41 लाख रु.) की रकम का प्रावधान किया है। प्रादेशिक कार्यालय प्रबंधन द्वारा हमें सूचित किए गए अनुसार किराया दायित्व के लिए प्रावधान तुलन पत्र की तारीख को कंपनी द्वारा आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है तथा विधिक कार्यवाहीयों का कंपनी की वित्तीय स्थिति पर कोई तात्विक और प्रतिकूल प्रभाव नहीं है।

9. जहां कंपनी द्वारा आयकर विवरणी में दावा की गई रकम की परिमाण तक 92 लाख रु. की रकम के अंतर के लिए कंपनी द्वारा पूर्व निर्धारण वर्ष में वर्ष वार ब्यौरे उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं, दीर्घ अवधि ऋण और अग्रिम मैं "वहां कटौती किया गया आयकर" सम्मिलित है। टिप्पण संख्या 2.11 को निर्दिष्ट करें।

साधारण कारवार परिदृश्य

वित्त वर्ष 2021–22 कोविड–19 के बार–बार होने के प्रभाव के कारण बहुत उथल–पुथल भरा रहा था तथा वैश्विक उथल–पुथल का देश के आर्थिक सबलपन ने काफी हद तक संतुलन बनाया। भारत के रिजर्व बैंक द्वारा नकदी की उपलब्धता को आसान बनाने के उपाय उन्हें संपूर्ण वर्ष के दौरान सरकारी नियमित व्यय ने आर्थिक मंदी के जोखिम को निवृत किया और गृहस्थों तथा कंपनियों के विश्वास को बढ़ाने में सहायता की।

कोविड–19 लहर के पश्च्च आर्थिक कार्यकलापों के पुनः प्रारंभ होने और बेहतर सचलता के सामान्य होने की पृष्ठभूमि के कारण वित्त वर्ष 2021–22 के एक रिकवरी वर्ष होने की आशा थी। इसके प्रतिकूल वर्ष का प्रारंभ अधिक विध्वंसकारी दूसरी लहर के प्रारंभ होने से हुआ जिसका परिणाम रिकॉर्ड संख्या में संदूषण और उच्च मृत्यु दर के रूप में हुआ। देश पहली लहर के दौरान पूर्ण लाख डाउन के विपरीत विभिन्न राज्यों में आंशिक लॉकडाउन का साक्षी बना। वेहतर टीकाकरण प्रयासों के साथ अर्थव्यवस्था प्रत्याशा के विपरीत तेजी से वापस पथ पर आई। तथापि रिकवरी की गति को तीसरी तिमाही के अंत की ओर ओमीक्रोन वेरिएंट की उत्पत्ति ने बाधित किया, सौभाग्य से यह केवल संक्षिप्त अवधि के लिए ही रहा।

वित्त वर्ष 2021–22 अनेक लहरों का साक्षी रहा, जैसे कोविड़ 19 का बार–बार आना, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान ने संपूर्ण विश्व में वस्तुओं/सौर मॉड्यूल कीमतों में मालभाड़ा लागत के अतिरिक्त अप्रायिक वृद्धि हुई। ना केवल इससे ग्राहकों की ओर से आदेशों को अंतिम रूप देने में विलंब हुआ बल्कि चालू परियोजनाओं की प्रगति में भी विलंब हुआ।

कोविड–19 महामारी के प्रभाव ने जीवनयापन, शिक्षा और स्वास्थ्य को प्रभावित करके समुदायों की तबाही को जारी रखा और इसने जमीनी वास्तविकताओं के लिए नूतन कार्य विधियों की मांग की पुस्तक विद्यमान परियोजनाओं में प्रतिबद्धता

को जारी रखते हुए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए।

कारवार/आर्थिक स्थितियों पर कोविड–19 महामारी के प्रभाव के निर्धारण के आधार पर, कंपनी से उसके असेट्स के चालू मूल्य की वसूली की आशा है। कंपनी महामारी से संबंधित अकस्मिकताओं का मूल्यांकन करना जारी रखेगी और आपने निर्धारण को अद्यतन करेगी (टिप्पण संख्या 2.53 को निर्दिष्ट करें)

पूर्व उक्त मामलों पर हमारी राय अहित नहीं है।

वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट से भिन्न अन्य सूचना

कंपनी का निदेशक बोर्ड अन्य सूचना को तैयार करने के लिए उत्तरदाई है। अन्य सूचना प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, बोर्ड की रिपोर्ट में सम्मिलित अन्य सूचना से मिलकर बनी है जिसके अंतर्गत बोर्ड की रिपोर्ट के उपाबंध और शेयरधारकों की सूचना सम्मिलित है किंतु इसके अंतर्गत एकल वित्तीय विवरण और उन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट नहीं है।

हमारी राय में एकल वित्तीय विवरण में अन्य सूचना सम्मिलित नहीं है और हम उन पर कोई आश्वासन निष्कर्ष अभिव्यक्त नहीं करते हैं।

एकल वित्तीय विवरणों कि हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में हमारा उत्तरदायित्व अन्य सूचना का पठन करना है और ऐसा करने में इस बात पर विचार करना है कि क्या अन्य सूचना वित्तीय विवरण के साथ या लेखा परीक्षा के दौरान अभिप्राप्त हमारी जानकारी से तात्विक रूप से असंगत है या अन्यथा तात्विक रूप से भ्रामक प्रतीत होती है।

यदि हमारे द्वारा निष्पादित कार्य के आधार पर हमारा यह निष्कर्ष है कि इस अन्य सूचना में तात्विक मिथ्या कथन है, इस तथ्य की रिपोर्ट करने की हमसे अपेक्षा है, इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है।

प्रबंधन और जो एकल वित्तीय विवरणों के शासन के लिए प्रभारी हैं, के उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक बोर्ड कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) में कथित मामलों के लिए इन एकल वित्तीय विवरणियों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के संबंध में उत्तरदायी है जो कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन और नकद प्रवाह का भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों जिसके अंतर्गत कंपनी अधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट लेखांकन मानक हैं, के अनुसार सही और न्यायोचित दृश्य प्रस्तुत करते हैं।

इस उत्तरदायित्व में कंपनी की आस्तियों का सुरक्षापायों और कपट का तथा अन्य अनियमितताओं का पता लगाने के लिए अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों का अनुरक्षणय समुचित लेखांकन नीतियों का चयन और उन्हें लागू करनाय ऐसे निर्णय और आकलन करना जो युक्तियुक्त तथा प्रबुद्ध होंय तथा वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति और तैयारी से सुसंगत आंतरिक नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल है जो वित्तीय विवरणियों को तैयार करने और प्रस्तुत करने में सुसंगत हैं जो लेखांकन अभिलेखों की शुद्धता का सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहा था जो किसी तात्विक मिथ्या कथन से मुक्त, चाहे कपटपूर्ण हो या त्रुटिवश, सही और न्यायोचित तस्वीर प्रदान करे।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, निदेशक बोर्ड कंपनी के एक चालू समुत्थान के रूप में बने रहने की योग्यता, चालू समुत्थान से संबंधित मामलों का प्रकटन और लेखांकन के चालू समुत्थान आधार का उपयोग करना जब तक की निदेशक बोर्ड या तो कंपनी के परीसमापन की इच्छा ना रखते हैं या प्रसारण बंद करने की इच्छा न रखते हैं या ऐसा न करने का उनके पास कोई वास्तविक विकल्प ना हो। निदेशक बोर्ड कंपनी की वित्तीय रिपोर्ट करने की प्रक्रिया का भी पर्यवेक्षण करने के लिए उत्तरदाई है।

लेखापरीक्षकों का एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस संबंध में युक्ति युक्त आश्वासन अभिप्राप्त करना है कि क्या संपूर्ण रूप में एकल वित्तीय विवरण चाहे कपट या त्रुटि के कारण तात्विक मिथ्या कथन से स्वतंत्र हैं या नहीं और लेखा परीक्षकों की एक ऐसी रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय सम्मिलित है। युक्तियुक्त आश्वासन एक ऊंचे स्तर का आश्वासन है किंतु यह इस बात की गारंटी नहीं है कि एस ए के अनुसार संचालित की गई लेखा परीक्षा हमेशा मिथ्या कथन का पता लगाएगी जब वह विद्यमान हो। मिथ्या कथन किसी कपट या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और इन्हें तात्विक माना जाता है यदि व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से उनसे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की युक्तियुक्त संभावना हो।

एसए के अनुसार लेखा परीक्षा के एक भाग के रूप में हम पेशेवर निर्णय का उपयोग करते हैं और हमारी लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर अविश्वास बनाए रखते हैं, हम रू

- एकल वित्तीय विवरणों के तात्विक नित्य कथन के जोखिम का पता लगाते हैं और निर्धारण करते हैं चाहे यह कपट या त्रुटि, डिजाइन के कारण हो और इन जोखिमों के अनुरूप लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं करते हैं तथा ऐसा लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय का आधार बनने के लिए पर्याप्त और समुचित हो फुल शॉप किसी त्रुटि के परिणाम स्वरूप तांत्रिक विद्या कथन का पता ना लगाने का जोखिम उच्च जोखिम से अधिक है जो किसी त्रुटि के परिणाम स्वरूप होता है क्योंकि किसी कपट में मिलीभक्त, कपट, जानबूझकर भूल, मिथ्या कथन या आंतरिक नियंत्रण को और प्रभावी करना शामिल होता है।

- आंतरिक नियंत्रण पर एक समझ प्राप्त करना जो ऐसी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का डिजाइन करने के लिए सुसंगत हैं जो परिस्थितियों में समुचित हो। कंपनी अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अनुसार हम इस पर भी अपनी राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदाई हैं कि कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं और ऐसे नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।

- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का और लेखांकन आकलन ओ की तर्कसंगतता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटनो का मूल्यांकन करना।

- प्रबंधन के चालू समथान के आधार पर संचिता का निष्कर्ष और अभी प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर कि क्या घटनाओं या चीटियों से संबंधित कोई तांत्रिक अनिश्चितता विद्यमान है जो कंपनी की चालू संविधान के आधार पर योग्यता पर कोई महत्वपूर्ण आक्षेप करती है। हम निष्कर्ष निकालते हैं कि तात्विक अनिश्चितता विद्यमान है, हमसे हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर ध्यान दिलाने की आवश्यकता है जो एक कल वित्तीय विवरणों में प्रकटन से संबंधित है, या यदि ऐसा प्रकट अपर्याप्त है तो हमारे मत को अंतरित किया जाना है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा साक्ष्यों पर आधारित है। यदि पी भाभी घटनाएं या स्थितियां कंपनी को एक चालू समथान के रूप में बने रहने को समाप्त कर सकती हैं।

- एकल वित्तीय विवरणों जिसके अंतर्गत प्रकटन है के समग्र प्रस्तुतीकरण ढांचे और अंतर्वस्तु का मूल्यांकन और क्या एकल वित्तीय विवरण किए गए संभावनाओं को और घटनाओं को ऐसी रीति में दर्शाते हैं जिससे उचित प्रस्तुतीकरण हासिल किया जा सके।

एकल वित्तीय विवरणों में नित्य कथनों की मात्रा व्यष्टिक रूप से यह समग्र रूप से तात्विक है, इस बात को संभाव्या बनाती है कि वित्तीय विवरणों की युक्ति युक्त जानकारी रखने वाले उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय को प्रभावित किया जा सकता है। हम गुणात्मक तत्वों और गुणात्मक कारकों पर (i) हमारी लेखा परीक्षा के स्कोप की योजना बनाने और हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करनेय और (ii) एकल वित्तीय विवरणों में पहचाने गए नित्य कथनों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए विचार करते हैं।

हम उन लोगों के साथ संपर्क करते हैं जिनके ऊपर अन्य विषयों के साथ लेखा परीक्षा के योजना बनाए गए इसको और समय तथा महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्ष, जिसके अंतर्गत आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमी है जिसकी हमने अपनी लेखा परीक्षा के दौरान पहचान की है कि प्रशासन के लिए उत्तरदायित्व है।

हम उनको, जो प्रशासन के लिए उत्तरदायी हैं, एक विवरण प्रस्तुत करते हैं जो हमने सुसंगत नैतिक अपेक्षाओं के साथ स्वतंत्रता के संबंध में तैयार किया है और हम उनके साथ सभी नातेदारी और अन्य विषयों के साथ संपर्क करते हैं जिसका हमारी स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त प्रभाव पड़ता है और जहां लागू हो संबंधित सुरक्षा पाए करते हैं।

हम उनके, जो शासन के लिए उत्तरदाई हैं, साथ संपर्क किए गए मामले से हम उन विषयों को स सूचित करते हैं जो चालू अवधि के एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और इसलिए मुख्य लेखा परीक्षा विषय हैं। हम हमारी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में उन विषयों का वर्णन करते हैं जब तक की विधिया नियमों द्वारा उन विषयों का प्रकटन अकबर जितना हो या तब जब अत्याधिक दुर्लभ परिस्थितियों में हमें अधारित करते हैं कि उस विषय को हमारी रिपोर्ट में सन सूचित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल प्रभाव होंगे शो हम युक्तियुक्त रूप से लोकहित फायदों में ऐसी सन सूचना का तोलन करते हैं।

अन्य मामले

हमने कंपनी की एकल वित्तीय विवरणियों में शामिल 4 (चार) प्रादेशिक कार्यालयों और 3 (तीन) विदेशी शाखाओं की वित्तीय विवरणियों/सूचना की लेखापरीक्षा नहीं की है जिन्हें कंपनी के एक कल वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है जिनकी विवरणियांधवित्तीय सूचना 31 मार्च, 2022 (31 मार्च, 2021) की स्थिति के अनुसार कुल 1,91,757 लाख रुपए (1,71,250 लाख रुपए) की कुल अस्तियों को प्रदर्शित करती है और उस तारीख की स्थिति के अनुसार 1,92,291 लाख रुपए (1,60,227 लाख रुपए) तथा 74056 लाख रुपए (80733 लाख रुपए)) के कुल राजस्व को जैसाकि एकल वित्तीय विवरणियों में विचार किया गया है प्रदर्शित करती है। इन कार्यालयों/शाखाओं की वित्तीय विवरणियां/सूचना की भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त अन्य स्वतंत्र लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई है जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और जहां तक हमारी राय में इन शाखाओं के संबंध में शामिल की गई रकमों और प्रकटन का संबंध है केवल ऐसे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. कारपोरेट कार्य मंत्रालय की तारीख 5 जून 2015 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 463(अ) के निबंधनों में दी गई छूट को ध्यान में रखते हुए प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 5 के साथ पठित धारा 197 के उपबंध कंपनी को लागू नहीं होते हैं।

2. हमने, केंद्रीय सरकार द्वारा जारी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा (11) के निबंधनों में कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश 2020 (आदेश) द्वारा यथा अपेक्षित आदेश के पैरा 3 और पैरा 4 में विनिर्दिष्ट विषयों पर एक विवरण लागू होने के परिमाण तक, "उपाबंध क" पर दिया है।

3. अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षा अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   क) हमने वे सभी सूचना और स्पष्टीकरण अभिप्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हैं।

   ख) हमारी राय में जहां तक लेखा बहियों की जांच से प्रतीत होता है, कंपनी द्वारा विधि द्वारा अपेक्षित उचित लेखा बहियां रखी गई हैं (और हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित विवरण या शाखाओं से जिनका हमने भ्रमण नहीं किया है प्राप्त कर ली गई हैं)।

ग) इस रिपोर्ट में व्यौहार किया गया तुलनपत्र, लाभ और हानि विवरण तथा नकद प्रवाह विवरण लेखा बहियों और उन शाखाओं से प्राप्त रिटर्नों के अनुरूप हैं जिनका हमने भ्रमण नहीं किया है।

(घ) हमारी राय में पूर्वोक्त एकल वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

ङ) कारपोरेट कार्य मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी आज सूचना संख्या साकानी (अ) 463 तारीख 5 जून 2015 के निबंधनों में अधिनियम की धारा 164(2) के उपबंध एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संबंध में और ऐसे नियंत्रण की प्रचालन प्रभावशीलता पर हमारी उपाबंध "ख" पर पृथक रिपोर्ट को निर्दिष्ट करें।

छ) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसरण में लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषय हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसारः

i. कंपनी के कुछ लंबित मुकदमे हैं, जिनका उसकी वित्तीय स्थिति पर प्रभाव पड़ सकता है दृ एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पण सं. 2.26 को निर्दिष्ट करें।

ii. कंपनी की दीर्घावधि संविदांए नहीं थी जिसके अंतर्गत व्युत्पनी संविदाएं हैं, पर पहले से ही पता लगाए जा सकने वाले तात्विक नुकसान, थे।

iii. ऐसी कोई रकम नहीं थी जिसको विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में कंपनी द्वारा अंतरित करने की अपेक्षा थी।

iv. (क) प्रबंधन ने प्रस्तुत किया है कि उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार कंपनी ने किसी कंपनी, अन्य व्यक्ति या किसी निकाय को जिसके अंतर्गत विदेशी निकाय (मध्यवर्ती) सम्मिलित हैं इस समझौते के साथ चाहे लिखित हो या अन्यथा किन्ही निधियों को अग्रिम के रूप में यह ऋण के रूप में या विनिधान के रूप में नहीं प्रदान किया है की चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें किसी भी रूप में कंपनी द्वारा यह उसके निमित्त (वास्तविक फायदाग्राही) पहचान किए गए अन्य व्यक्तियों या निकाय को ऋण के रूप में या विधान के रूप में नहीं दिया जाएगा या वास्तविक फायदाग्राही की ओर से प्रतिभूति, सिक्योरिटी या सदृ श के रूप में प्रदान नहीं किया जाएगा।

(ख) प्रबंधन ने प्रस्तुत किया है कि उनकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार कंपनी ने किन्ही व्यक्तियों या निकायों जिसके अंतर्गत विदेशी निकाय (वित्त पोषण करने वाले पक्षकार) सम्मिलित हैं इस समझौते के साथ चाहे लिखित हो या अन्यथा प्राप्त नहीं किया है कि कंपनी चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी रूप में पहचाने गए अन्य व्यक्ति या निकायों को वित्त पोषण करने वाले पक्ष कार (वास्तविक फायदाग्राही) द्वारा या उनके निमित्त उधार नहीं देगी या विनिधान नहीं करेगी या प्रतिभूति, सिक्योरिटी या सदृश के रूप में प्रदान नहीं किया जाएगा।

(ग) ऐसी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में युक्तियुक्त और समीचीन समझा गया है उनकी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं आया है जिससे हमारा यह विश्वास हो कि उपखंड (iv) (क) और उपखंड (iv) (ख) मैं कोई तात्विक मिथ्या कथन सम्मिलित है।

v. वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किसी लाभांश की घोषणा यह संदाय नहीं किया गया है।

4. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के के अधीन जारी निदेशों के अनुसरण में हमारे द्वारा लेखा परीक्षा की गई कंपनी की 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए रिपोर्ट के संबंध में हमारी उपाबंध "ग" पर पृथक रिपोर्ट को निर्दिष्ट करें

कृते जीएसके एंड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या 013 838 एन/एन500003

हस्ता/–
(संजय कुमार गुप्ता)
(पदनामित भागीदार)
(सदस्यता संख्या 093056)

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 4 अगस्त 2022
यूडीआईएनः 22093056एओआईक्यूएलवी1353

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का उपाबंध–क

31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के समसंख्यक तारीख की एकल वित्तीय विवरणों पर 'अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाएं पर रिपोर्ट' शीर्ष के अधीन पैरा 2 को निर्दिष्ट करें:

कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों पर सही और उचित दृष्टिकोण की रिपोर्ट करने के प्रयोजन के लिए हमारे द्वारा निष्पादित लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा लेखावहियों और हमारे द्वारा लेखा परीक्षा के साधारण प्रक्रम में जांच किए गए अन्य अभिलेखों पर विचारण को गणना में लेते हुए अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि:

i) (क) (अ) कंपनी ने पूरी विशिष्टियों को उपदर्शित करते हुए जिसके अंतर्गत नियत आस्तियों के मात्रात्मक ब्यौरे और प्रास्थिति है समुचित अभिलेखों का अनुरक्षण किया है।

(आ) अमूर्त असेट्स की सारी विशिष्टियों को उपदर्शित करते हुए कंपनी ने समुचित अभिलेखों का अनुरक्षण किया है।

(ख) संपति संयत्र और उपस्कर का प्रबंधन द्वारा युक्ति युक्त अंतराल पर सत्यापन किया गया है जो हमारी राय में कंपनी के आकार तथा उसकी आस्तियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए युक्तियुक्त है। ऐसे सत्यापन के दौरान तात्विक खामी ध्यान में नहीं आई है।

(ग) निष्पादित की गई लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और कंपनी के अभिलेखों के अनुसार सभी स्थावर संपत्तियों के हक विलेख, (सिवाय उन संपत्तियों के जहां कंपनी पट्टा धृति है और पट्टा करार समीक्षा पट्टा धृति के पक्ष में निष्पादित हैं) सिवाय निम्नलिखित के, कंपनी के नाम में धृत हैं।

(रु. लाख में)

संपत्ति की मद का विवरण	समग्र मूल्य	जिसके पक्ष में हक बिलेख धृत है	क्या हक बिलेख धारी कोई प्रस्तावक, निदेशक या प्रस्तावक/निदेशक का संबंधी है या प्रस्तावक*/ निदेशक' का कर्मचारी है	जिस तारीख से संपत्ति धृत है	कंपनी के नाम धारण ना करने के कारण**
स्कोप कॉम्प्लैक्स, भवन नई दिल्ली	374.42	स्कोप कॉम्प्लैक्स नई दिल्ली	नहीं	14 मार्च 1988	मामले को संबंधित प्राधिकारी के साथ उठाया गया है

(घ) कंपनी ने अपनी संपत्ति, संयंत्र और इक्विपमेंट या अमूर्त असेट्स (असेट्स को उपयोग करने के अधिकार सहित) या दोनों का वर्ष के दौरान उन्हें मूल्यांकन नहीं किया है

(ङ) बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन कंपनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही आरंभ नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

ii) (क) प्रबंधन ने वर्ष के दौरान युक्तियुक्त अंतराल पर माल सूची का भौतिक सत्यापन किया।ऐसे सत्यापन की आवृत्ति और प्रक्रियाएं तथा कवरेज जिसका प्रबंधन अनुसरण करता है उपयुक्त थी। भौतिक सत्यापन और लेखाबही के बीच सत्यापन के दौरान कोई विसंगति, जो माल सूची के प्रत्येक वर्ग के योग से 10: से अधिक थी, नहीं पाई गई।

(ख) कंपनी को कुल मिलाकर बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से चालू एसेर्टज की सिक्योरिटी के आधार पर 5

करोड रुपए से अधिक की कार्यशील पूंजी की सीमा मंजूर की गई है; कंपनी द्वारा ऐसे बैंकों या वित्तीय संस्थाओं में फाइल की गई त्रैमासिक रिटर्न आया विवरणों के बीच हमारी राय में कोई तात्विक विसंगति नहीं है, यह कंपनी की लेखाबहियों के अनुसार हैं।

iii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने कंपनियों, फर्मों या सीमित दायित्व भागीदारों या अन्य पक्षकारों को न तो कोई प्रतिभूति या सिक्योरिटी प्रदान की है न ही प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋणों को वर्ष के दौरान प्रदान किया है। तदनुसार आदेश के खंड 3(iii) (क), 3(iii) (ख) से 3(iii) (ग) तक उपबंध कंपनी को लागू नहीं होते हैं।

iv) कंपनी ने विनिधान के संबंध में धारा 186 के उपबंधों का अनुपालन किया है। इसके अतिरिक्त हमारी राय में कंपनी ने, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 185 और धारा 186 के निबंधनों में कोई ऋण, विनिधान, गारंटी और प्रतिभूति नहीं दी है।

v) कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए निर्देशों, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से धारा 76 या अधिनियम के किन्ही अन्य सुसंगत और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार कोई जमा स्वीकार नहीं किया है। इसलिए आदेश के पैरा 3(v) के उपबंध कंपनी को लागू नहीं होते हैं।

vi) केंद्रीय सरकार ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148(1) के अधीन लागत अभिलेखों का अनुरक्षण विहित किया है। सभी लागत अभिलेखों को प्रादेशिक कार्यालय में रखा जाता है और उनकी संबंधित लेखा परीक्षकों द्वारा समीक्षा की जाती है और प्रथम दृष्टया हमारा यह मत है कि विहित लागत अभिलेख बनाए गए और रखे गए हैं। हमारे पास उन पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

vii) (क) कंपनी सिवाय श्रम उपकर के, समुचित प्राधिकरणों को विवादास्पद और कानूनी देय को जमा करने में नियमित रही है जिसके अंतर्गत भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, सीमा शुल्क, आयकर, माल और सेवा कर, उपकर तथा अन्य लागू देय हैं। विवादास्पद श्रम उपकर का बकाया जो 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार उस तारीख से जिसको वह संदेय हुआ था 6 माह से अधिक की अवधि के लिए 3.36 लाख रुपए था

ख. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार समुचित प्राधिकरण के पास किसी कानूनी विवादास्पद देय के लिए 5647.74 लाख रुपए के विवादास्पद कानूनी देय थे।

कानून का नाम	शोध्य की प्रकृति	रकम (लाख रुपए में)	वह अवधि जिससे रकम संबंधित है	वह मंच जहां विवाद लंबित है	जमा राशि (रु. लाख में)
आंध्र प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम	मूल्य वर्धित कर मांग	44.49/–	निर्धारण वर्ष 2008–09 और 2009–10	माननीय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, हैदराबाद	
छत्तीसगढ़ मूल्य वर्धित विक्रय कर अधिनियम	केंद्रीय विक्रय कर	95. 87/–	2013–14	छत्तीसगढ़ वाणिज्य कर अधिकरण, रायपुर	
छत्तीसगढ़ मूल्य वर्धित विक्रय कर अधिनियम	मूल्य वर्धित कर	318. 68/–	2016–17	सहायक आयुक्त, अपील, राय	
व्यापार एवं कर विभाग, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली	डी– मूल्य वर्धित कर ब्याज एवं शास्ति	14.48/–	2017–18	व्यापार एवं कर विभाग, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली	

कानून का नाम	शोध्य की प्रकृति	रकम (लाख (रुपए में)	वह अवधि जिससे रकम संबंधित है	वह मंच जहां विवाद लंबित है	जमा राशि (रु. लाख में)
व्यापार एवं कर विभाग, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली	डी– मूल्य वर्धित कर ब्याज एवं शास्ति	58.30/–	2015–16	व्यापार और कर विभाग, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली	
सेवा कर	सेवा कर एवं शास्ति	983.80/–	2012–13	माननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली	
उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948	उत्तर प्रदेश व्यापार कर	8.73/–	1993–94	विक्रय कर अधिकरण	
सेवा कर विधि	सेवा कर जिसके अंतर्गत ब्याज और शास्ति है	418.64	वित्तवर्ष 2005–06 से 2007–08	सीईएसटीएटी, कोलकाता	
सेवा कर विधि	सेवा कर जिसके अंतर्गत ब्याज और शास्ति है	37.46	वित्तवर्ष 2010– 11 से 2012–13	सीईएसटीएटी, कोलकाता	
सेवा कर विधि	सेवा कर जिसके अंतर्गत ब्याज और शास्ति है	91.95	वित्त वर्ष 2011–12 से 2015–16	सीईएसटीएटी, कोलकाता	
सेवा कर विधि	सेवा कर जिसके अंतर्गत ब्याज और शास्ति है	35.82	वित्तवर्ष 2004–05 से 2005–06	सीईएसटीएटी, कोलकाता	
पश्चिम बंगाल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003	पश्चिम बंगाल	494.88	वित्तवर्ष 2007–08, 2015–16 एवं 2017–18	पश्चिम बंगाल वाणिज्य कर अपील एवं पुनरीक्षण बोर्ड, कोलकाता	
पश्चिम बंगाल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003	पश्चिम बंगाल मूल्य वर्धित कर	580.66	वित्तवर्ष 2012–13 एवं 2016–17	वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (प्रथम अपील) पश्चिम बंगाल, वाणिज्यिक कर, कोलकाता	
पश्चिम बंगाल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003	पश्चिम बंगाल मूल्य वर्धित कर	2364.66	वित्तवर्ष 2005–06, 2009–10,2011–12, 2013–14 एवं 2014–15	पश्चिम बंगाल न्यायाधिकरण, कोलकाता	
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	99.32	निर्धारण वर्ष 2014–15	आयकर अपील अधिकरण	

viii. कंपनी ने वर्ष के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन कर निर्धारण में लेखाबहियों में पूर्व में आय के के रूप में अभिलिखित नहीं किए गए किन्ही संव्यवहारों का अभ्यर्पण या प्रकटन नहीं किया है

ix (क) कंपनी ने किन्ही उधारों या अन्य ऋणों या उन पर ब्याज के संदाय में किसी लेनदार के प्रति कोई व्यतिक्रम नहीं किया है।

(ख) कंपनी को किसी बैंक या वित्तीय संस्था या अन्य लेनदार द्वारा जानबूझकर व्यतिक्रमी नहीं घोषित किया गया है

(ग) आवधिक ऋणों को उन्हीं प्रयोजनों के लिए उपयोग किया गया जिनके लिए उन्हें प्राप्त किया गया था।

(घ) लघु अवधि के लिए ली गई निधियों का उपयोग दीर्घावधि प्रयोजनों के लिए नहीं किया गया।

(ङ) कंपनी ने अपनी अनुषंगी, एसोसिएट या संयुक्त उद्यमों के लिए बाध्यता को पूरा करने के लिए किसी निकाय या व्यक्ति से कोई निधि नहीं ली है।

(च) कंपनी ने अपनी अनुषंगीयों, एसोसिएट या संयुक्त उद्यमों में धृत सिक्योरिटी को गिरवी रख कर वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है।

x (क) कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक/और लोक प्रस्ताव के द्वारा कोई धन एकत्रित नहीं किया है (जिसके अंतर्गत ऋण लिखत है)। इसलिए आदेश का खंड 3(x)(क) लागू नहीं होता है

(ख) कंपनी ने वर्ष के दौरान शेरों या सम परिवर्तनीय डिबेंचर ओं का कोई अधिमानी आवंटन या प्राइवेट स्थापन नहीं किया है (पूर्णतया, भारतीय, या वैकल्पिक रूप से संपरिवर्तनीय) इसलिए आदेश का खंड 3(x)(ख) लागू नहीं होता है

xi (क) अंगीकृत लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई सूचना और स्पष्टीकरण ओं के आधार पर, हमारी लेखा परीक्षा के दौरान कंपनी द्वारा या उस पर किए गए किसी कपट को नोटिस नहीं किया गया है या उसकी रिपोर्ट नहीं की गई है।

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, सीबीआई ने ईपीआई के तीन कर्मचारियों के विरुद्ध एक मामला रजिस्टर किया है और एफ आई आर. फाइल की है। यह मामला निविदा प्रदान करने के लिए ईपीआई के अभियुक्त कर्मचारियों द्वारा कथित अवैध रिश्वत लेने के संबंध में है। जैसा कि हमें स्पष्ट किया गया है ईपीआई को ि.प.त. में पक्षकार नहीं बनाया गया है और उसके एक कल वित्तीय विवरणों पर किसी वित्तीय प्रभाव की परिकल्पना नहीं है। इन तीन मामलों में अन्वेषण अभी भी जारी है (टिप्पण संख्या 2.41) को निर्दिष्ट करें

(ख) कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (12) के अधीन लेखा परीक्षकों द्वारा प्रारूप एडीटी– 4 में, केंद्रीय सरकार को कोई रिपोर्ट फाइल नहीं की गई है जैसा कि कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम 2014 में वित्त किया गया है।

(ग) जैसा कि प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत किया गया है वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई सूचना प्रदाता शिकायत प्राप्त नहीं की गई है।

xii. कंपनी चिटफंड या निधि/पारस्परिक फायदा न्यास/सोसाइटी नहीं है। इसलिए आदेश के खंड इसलिए आदेश का खंड 3(xii)(क) से खंड 3(xii)(ग) कंपनी को लागू नहीं होते हैं।

xiii. संबंधित पक्षकारों के साथ सभी संव्यवहार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और धारा 188, जहां लागू होती हैं कि अनुपालना में है और वर्ष के दौरान संव्यवहार के ब्योरों का एकल वित्तीय विवरणों में प्रकटन कर दिया गया है, जैसा कि लागू लेखांकन मानकों द्वारा अपेक्षित है। एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पण संख्या 2.33 को निर्दिष्ट करें।

xiv. (क) कंपनी की उसके आकार और कारवार की प्रकृति के अनुसार एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है।

(ख) हमने लेखा परीक्षा की अवधि की तारीख तक कंपनी द्वारा जारी आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों पर विचार कर लिया है।

xv. कंपनी निदेशक हो या उनसे संबंधित व्यक्तियों के साथ किसी गैर नकद सम व्यवहार में प्रवेश नहीं हुई है। इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के उपबंध कंपनी को लागू नहीं होते हैं।

xvi. (क) कंपनी से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–Iए के अधीन रजिस्टर्ड होने की अपेक्षा नहीं है। आदेश का खंड 3(xvi)(क) कंपनी को लागू नहीं होता है।

(ख) कंपनी ने कोई गैर बैंककारी वित्तीय या आवास वित्तीय कार्यकलाप संचालित नहीं किए हैं। आदेश का खंड 3(xvi)(ख)कंपनी को लागू नहीं होता है।

(ग) कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में यथा परिभाषित कोर विनिधान कंपनी (सीआईसी) नहीं है। तदनुसार आदेश का खंड 3(xvi)(ग)कंपनी को लागू नहीं होता है।

(घ) समूह का कोई सीआईसी नहीं है। तदनुसार आदेश का खंड 3(xvi)(घ) कंपनी को लागू नहीं होता है।

xvii. हमारी राय में और हमें दी गई सूचना कथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी को वित्त वर्ष में 6143.34 लाख रुपए का और वित्त वर्ष से तुरंत पूर्ववर्ती वर्ष में 4269.45 लाख रुपए की हानि हुई है।

xviii. वर्ष के दौरान किसी कानूनी लेखा परीक्षक ने त्यागपत्र नहीं दिया है। इसलिए आदेश का खंड 3(xviii) कंपनी को लागू नहीं होता है।

xix. वित्तीय अनुपात, समय के साथ और वित्तीय एसेट्स की वसूली की संभावित तारीख तथा वित्तीय दायित्वों के संदाय, वित्तीय विवरणों से संलग्न अन्य सूचना के आधार पर, निदेशक बोर्ड की हमारी जानकारी और प्रबंधन योजना, उप धारणा के समर्थन में साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर हमारा यह मत है कि इस संबंध में की क्या कंपनी तुलन पत्र की विद्यमान तारीख को अपने दायित्वों को जब वह देय होते हैं, पूरा करने में सक्षम है या नहीं के संबंध में लेखा परीक्षा रिपोर्ट करने की तारीख को कोई अनिश्चितता विद्यमान नहीं है। हम या और कथन करते हैं कि हमारी रिपोर्ट लेखा परीक्षा की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और ना ही हम इस संबंध में कोई प्रतिभूति या आश्वासन देते हैं कि तुलन पत्र की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के भीतर पूरा होने के लिए आने वाले सभी दायित्वों का कंपनी द्वारा जब कभी वह देय होते हैं उन्मोचन कर दिया जाएगा।

xx. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उपधारा (5) के अधीन किसी परियोजना के अनुसरण में, खर्च न की गई कोई रकम शेष है।

कृते जीएसके एंड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या:013838एन/एन500003

हस्ता/–
(संजय कुमार गुप्ता)
पदनामित भागीदार
(सदस्यता संख्या 093056)

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 4 अगस्त 2022
यूडीआईएन:22093056एओआईक्यूएलवी1353

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का उपाबंध 'ख'

31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के समसंख्यक तारीख की एकल वित्तीय विवरणों पर 'अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाएं पर रिपोर्ट' शीर्ष के अधीन पैरा 2के उपपैरा (च) को निर्दिष्ट करें

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के अधीन आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने **इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (कंपनी)** की 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कंपनी की एकल वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा परीक्षा के साथ वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा कर ली है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर प्रबंधन का उत्तरदायित्व

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (कंपनी) का संबंधित निदेशक बोर्ड, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शक सिद्धांत में कथित अनिवार्य आंतरिक नियंत्रण संघटक पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को बनाए रखने के लिए और स्थापित करने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को डिजाइन करना, कार्यान्वित करना और बनाए रखना शामिल है जिसके अंतर्गत कंपनी की नीतियों का अनुपालन, उसकी आस्तियों का सुरक्षोपाय, कपटों और त्रुटियों का निवारण तथा पता लगाना, लेखांकन अभिलेखों की शुद्धता और पूर्णतः तथा वित्तीय सूचना की विश्वसनीयता और समयबद्ध तैयारी, जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन अपेक्षित है, सम्मिलित है ताकि वह उसके कारवार का व्यवस्थित और दक्ष प्रचालन करने का प्रभावी रूप से निश्चय कर सकें।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय अभिव्यक्त करने का है। हमने अपनी लेखापरीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शक नोट और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के अधीन विहित माने गए भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखापरीक्षा पर मानकों जहां तक वह आर्थिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा को लागू होते हैं के अनुसार की है और दोनों को भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं। वह मानक और मार्गदर्शक नोट अपेक्षा करते हैं कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और लेखापरीक्षा की योजना यह युक्ति युक्त आश्वासन अभिप्राप्त करने के लिए करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया गया था और बनाए रखा गया था तथा क्या ऐसे नियंत्रण सभी तात्विक परिप्रेक्ष्य में प्रभावी रूप से प्रचालन कर रहे थे।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता तथा उनकी प्रचालन प्रभावशीलता के विषय में लेखापरीक्षा साक्ष्य अभी प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं को करना अंतर्वलित है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण कि हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में यह समझ अभिप्राप्त करना कि किसी तात्विक खामी के विद्यमान होने के जोखिम का निर्धारण किया जाता है तथा निर्धारित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता की जांच करना और उसके डिजाइन का मूल्यांकन करना समलित है। चयन की गई प्रक्रिया लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है जिसके अंतर्गत वित्तीय कथनों में तात्विक त्रुटियों चाहे कपट या त्रुटि के कारण हो, के जोखिम का निर्धारण करना है।

हम विश्वास करते हैं कि लेखापरीक्षा साक्ष्य जो हमने अभिप्राप्त किया है वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारी लेखा परीक्षा राय के आधार के लिए पर्याप्त और समुचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में तर्कपूर्ण आश्वासन देने के लिए डिजाइन किया गया है और बाहरी प्रयोजनों के लिए विवरण साधारणतया

स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणियों को तैयार किया जाता है। किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर वह नीतियां और प्रक्रियाएं सम्मिलित है जो,–

(1) उन अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित है, जो युक्ति युक्त विवरण, शुद्धता और न्यायोचित रूप से कंपनी की आस्तियों, के संव्यवहार और कार्यों को परिलक्षित करते हैं,

(2) इस बात का युक्तियुक्त आश्वासन प्रदान करते हैं कि संव्यवहारों को वैसे ही अभिलिखित किया जा रहा है जैसा साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए अनुज्ञात करने के लिए आवश्यक है और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय को प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार ही किया जा रहा है; और

(3) कंपनी की आस्तियों का अप्राधिकृत अर्जन, उपयोग या निपटान को निवारित करने या उनका समय पर पता लगाने के संबंध में युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए जिनका वित्तीय विवरणों पर तात्विक प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित सीमा

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की सीमा के कारण मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन के कारण नियंत्रणों पर अध्यारोही प्रभाव हो सकता है, त्रुटि या कपट के कारण तात्विक मिथ्या कथन हो सकते हैं और उनका पता नहीं चल सकता है। इसके अतिरिक्त भविष्य में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के मूल्यांकन का प्रक्षेपण इस जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में या नीतियों या प्रक्रियाओं में अनुपालना के स्तर में गिरावट आने के कारण अपर्याप्त हो जाए।

मत

हमारे मत में सभी तात्विक परिप्रेक्ष्य में कंपनी के पास एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और कंपनी द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मानदंड जिसकी स्थापना भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान द्वारा जारी "वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शक नोट में कथित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य संघटक पर विचार करते हुए" कंपनी में सभी परिप्रेक्ष्य में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की एक पर्याप्त प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार प्रभावी रूप से कार्य कर रहा है। तथापि हमने नोट किया है कि–

1) शेष की पुष्टि अभिप्राप्त करने और पक्षकारों के साथ मिलान करने की प्रक्रिया में कतिपय सुधार करने की आवश्यकता है।

2) कंपनी कारवार अवसरों के चयन और अस्वीकार करने के कारणों को लेखवध्द करने के लिए ट्रैकर नहीं रखती है।

3) कंपनी पीओएसएच अधिनियम में कथित उपबंध का उसकी पूर्णता में अनुपालन नहीं करती है।

कृते जीएसके एंड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या 013838एन/एन500003

ह0/–
(संजय कुमार गुप्ता)
पदनामित भागीदार
(सदस्यता संख्या 093056)

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 4 अगस्त 2022
यूडीआईएनः22093056एओआईक्यूएलवी1353

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) में निर्दिष्ट उपाबंध ग

31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों पर हमारी सम संख्यंक तारीख की रिपोर्ट के "अन्य विधिक विनियामक अपेक्षाओं पर हमारी रिपोर्ट" शीर्ष के अधीन पैरा 4 को निर्दिष्ट करें :

वित्त वर्ष 2021–22 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अधीन निदेश पर रिपोर्ट

क्र.	निदेश	प्रत्युत्तर
1.	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन संव्यवहारों को प्रोसेस करने की प्रणाली है? यदि हां तो वित्तीय विविक्षताओं के साथ लेखाओं की अखंडता पर आईटी प्रणाली के बाहर किए गए लेखाओं की विविक्षतांए।	कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन संव्यवहारों को प्रोसेस करने की प्रणाली है। कंपनी ने एसएपी प्रणाली पर लेखों को अनुरक्षित किया है।
2.	क्या कंपनी की किसी विद्यामान ऋण या पुनर्संदाय करने में असमर्थता के कारण किसी उधार दाता द्वारा दिए गए ऋण/उधार/ब्याज आदि के त्यजन/बट्टे खाते में डालने के मामलों का कोई पुनर्गठन किया गया है? यदि हां तो वित्तीय प्रभाव का कथन किया जाए। क्या ऐसे मामलों को उचित रूप से गणना में लिया गया है? (यदि उधार दाता सरकारी कंपनी है तो यह निवेश उधार दाता कंपनी के कानूनी लेखा परीक्षक पर भी लागू होता है)।	हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा अभिलेखों के हमारी जांच के आधार पर किसी विद्यमान ऋण का कोई पुनर्गठन नहीं है या किसी विद्यमान उधार या उधार दाता द्वारा दिए गए किसी उधार/ऋण/ब्याज के त्यजन/बट्टे खाते में डालने के कोई मामले नहीं है।
3.	केंद्रीय/राज्य अभिकरण से विशिष्ट स्कीमों के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों (अनुदान/सहायक) को उचित रूप से निबंधन और शर्तों के अनुसार गणना में लिया गया है/उपयोग किया गया है? विचलन के मामलों को सूचीबद्ध करें।	हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा अभिलेखों की जांच के आधार पर विशिष्ट स्कीमों के लिए केंद्रीय/राज्य अभिकरणों से कोई निधि प्राप्त नहीं की गई है/प्राप्य नहीं है

कृते जीएसके एंड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या 0138388एन/एन500003

ह0/–
(संजय कुमार गुप्ता)
पदनामित भागीदार
(सदस्यता संख्या 093056)

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 4 अगस्त 2022
यूडीआईएन:22093056एओआईक्यूएलवी1353

अनुपालना प्रमाण पत्र

हमने, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अधीन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निदेशों/उपनिदेशों के अनुसार, 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के लेखकों की लेखा परीक्षा संचालित की है और प्रमाणित करते हैं कि हमने हमें जारी सभी निदेशों/उपनिदेशों का अनुपालन किया है।

कृते जीएसके एंड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या 013838एन/एन500003

ह0/–
(संजय कुमार गुप्ता)
पदनामित भागीदार
(सदस्यता संख्या 093056)

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 4 अगस्त 2022
यूडीआईएनः22093056एओआईएचजीके2326

उपाबंध–1

लेखापरीक्षकों की अर्हता का प्रत्युत्तर (एकल वित्तीय विवरण)

क्र. सं.	लेखापरीक्षक की अर्हता	कंपनी का प्रत्युत्तर
1.	लेखांकन नीति संख्या 10 के अनुसार व्यापार प्राप्यों को 10 वर्ष तक प्राप्ति के लिए अच्छा समझा जाता है इसलिए 10 वर्ष से अधिक के बकाया के लिए संदेहास्पद ऋण के विरुद्ध उपबंध किया जाता है, 443.77 रुपए का उपबंध 31 मार्च 2022 तक मैसर्स यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) से 2368.96 रुपए की वसूलनीय कुल रकम के लिए किया गया है। इस प्रत्यय के लिए 746.78 लाख रुपए उप ठेकेदारों को संदाय के लिए लंबित हैं। अतः कुल बकाया जिसके लिए उपबंध करना अपेक्षित है, 1622.18 लाख रुपए होता है। पूर्व उक्त रकम 10 वर्ष से अधिक से है और कंपनी द्वारा संदेहस्पद ऋण/उधार और अग्रिम के लिए शत प्रतिशत उपबंध करने की अपेक्षा है। प्रबंधन ने 31 मार्च 2022 तक 443.77 लाख रुपए का उपबंध किया है। अतः अपेक्षित उपबंध में 1178.41 लाख रुपए की कमी है। इसके अतिरिक्त कंपनी ने उक्त मामले पर भारत के अपर सॉलिसिटर जनरल से लेखा परीक्षा के अधीन वर्ष में विधिक राय प्राप्त की है और राय के अनुसार 1161.92 की रकम अन्य पक्षकार द्वारा किए गए अन्य भागों के साथ विवादास्पद नहीं है जिसकी अभी गणना नहीं की गई है। यूसीआईएल ने इसका अभी तक भुगतान नहीं किया है। इसलिए ईपीआईएल की हानि को उतनी रकम से कम दर्शाया गया है (टिप्पण संख्या 2.45(क) को निर्दिष्ट करें)।	पुराने बकाया शोध्यों और उनके निर्धारण का विषय ईपीआई और यूसीआईएल के बीच सक्रिय रूप से विचाराधीन है। तदनुसार, जैसा कि दोनों पक्षकारों द्वारा विनिश्चय किया गया है भारत के अपर सलासिटर जरनल से शोध्यों के परिनिर्धारण के लिए विधिक राय अभिप्राप्त की गई है। यूसीआईएल के अनुरोध के अनुसार शोध्यों को वसूलने की ईपीआईएल की आंतरिक समिति द्वारा समीक्षा की गई और विनिश्चय को यूसीआईएल को संसूचित कर दिया गया था। एएसजी के मत में 11.61 करोड रुपए की रकम विवादास्पद नहीं है, जिसे ईपीआईएल द्वारा यूसीआईएल से 24.35 करोड़ रुपए के कुल दावे में से प्राप्त किया जाना है। तारीख 29 जुलाई 2011 को हुई बैठक के ज्ञापन के अनुसार 11.61 करोड़ रुपए मान लिया गया दावा है। किंतु पश्चातवर्ती रूप से यूसीआईएल दोनों पक्षकारों में व्यक्ति के परिवर्तन के कारण निपटान में विलंब कर रहा है। अब ईपीआई के प्रबंधन ने यूसीआईएल से वसूली के लिए माध्यस्थम का आवलम्ब लेने का विनिश्चय किया है। तथापि ईपीआई ने लेखांकन नीति संख्या 10 के निबंधों में तारीख 31 मार्च 2022 तक 4.44 करोड रुपए की रकम का लेखाबहियों में उपबंध किया है।
2.	सीएंडसी संनिर्माण लिमिटेड म्यांमार में संयुक्त उद्यम "ईपीआई– सीएंडसी जेवी (अनिगमित)" हमारा 60% स्टेक भागीदार और ओमान परियोजना में हमारा मुख्य ठेकेदार एनसीएलटी में दिवाला कार्यवाहियों का इस समय सामना कर रहे हैं और यह मामला अग्रिम चरण में है। इसका परिणाम और ईपीआईएल के वित्तीय विवरणों पर उसके वित्तीय प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है।	ये केवल तथ्य की विषय–वस्तु है। टिप्पण सं. 2. 29 (ख) को निर्दिष्ट करें।

उपाबंध–2

मामलों पर बल का प्रत्युत्तर (एकल वित्तीय विवरण)

<table>
<tr><th>क्रम संख्या</th><th>लेखा परीक्षक की अर्हता</th><th>कंपनी का प्रत्युत्तर</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>व्यापार प्राप्यों, वर्क्स के लिए अग्रिम, सुरक्षा जमा और प्रतिधारण धन, ग्राहकों, विक्रेताओं और अन्य से उधार और अग्रिम तथा प्राप्यों के संबंध में शेष की बाह्य पुष्टि उपलब्ध नहीं है। शेष की पुष्टि के उपलब्ध ना होने के कारण इन वित्तीय विवरणों से उद्भूत प्रभाव, यदि कोई है की मात्रा बताने में असमर्थ हैं।
<table><tr><th>आस्तियां</th><th>रकम (रुपए लाख में)</th></tr><tr><td>वर्क्स के लिए अग्रिम</td><td>10536.99</td></tr><tr><td>सुरक्षा जमा और प्रतिधारण धन</td><td>39787.04</td></tr><tr><td>व्यापार प्राप्य</td><td>25930.10</td></tr><tr><td>अन्य प्राप्य</td><td>47823.40</td></tr></table>यद्यपि कंपनी ने सभी संबंधित ग्राहकों को नकारात्मक शेष की पुष्टि का अनुरोध किया किंतु कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। एसए 505– बाह्य पुष्टि के अनुसार, नकारात्मक पुष्टि अनुरोध के लिए कोई प्रत्युत्तर ना प्राप्त करना शोध्य रकम के सही होने या पुष्टि करने वाले पक्षकार द्वारा रकम की पुष्टि करने की इच्छा ना होने को दर्शाता है। इसलिए उक्त रकमों के सही होने, विद्यमान होने और पूर्ण होने का सत्यापन नहीं किया जा सकता है। तथापि लेखा परीक्षा मानक के अनुसार नकारात्मक पुष्टि लेखा परीक्षा का साक्ष्य है इसलिए पूर्वोक्त के आधार पर हम अपनी राय को अर्हित नहीं कर रहे हैं। टिप्पण संख्या 2.43 को निर्दिष्ट करें।</td><td>कंपनी द्वारा व्यापार प्राप्यों, ऋण और अग्रिम, प्रतिधारण धन और सुरक्षा जमा के शेष की पुष्टि की पद्धति उद्योग द्वारा अनुसरण की जाने वाली पद्धति के अनुसार अनुसरण की जा रही है।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>निम्नलिखित व्यापार प्राप्य, ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम, सुरक्षा जमा और प्रतिधारण धन शेष की सकारात्मक पुष्टि उपलब्ध नहीं है। शेष की पुष्टि उपलब्ध ना होने के कारण वित्तीय विवरणों पर उद्भूत होने वाले किसी प्रभाव का पता लगाने में असमर्थ हैं, यदि कोई हैं।
<table><tr><th>आस्तियां</th><th>रकम (रुपए लाख में)</th></tr><tr><td>व्यापार संदेय</td><td>60162.94</td></tr><tr><td>सुरक्षा जमा एवं प्रतिधारण धन संदेय</td><td>44176.63</td></tr><tr><td>प्राप्त अग्रिम</td><td>64741.46</td></tr><tr><td>ग्राहक को संदेय अन्य</td><td>779.46</td></tr></table></td><td>कंपनी द्वारा व्यापार प्राप्यों, ऋण और अग्रिम, प्रतिधारण धन और सुरक्षा जमा के शेष की पुष्टि की पद्धति उद्योग द्वारा अनुसरण की जाने वाली पद्धति के अनुसार अनुसरण की जा रही है।</td></tr>
</table>

क्रम संख्या	लेखा परीक्षक की अर्हता	कंपनी का प्रत्युत्तर
	यद्यपि कंपनी ने सभी संबंधित ग्राहकों को नकारात्मक शेष की पुष्टि का अनुरोध किया किंतु कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। एसए 505– बाह्य पुष्टि के अनुसार, नकारात्मक पुष्टि अनुरोध के लिए कोई प्रत्युत्तर ना प्राप्त करना शोध्या रकम के सही होने या पुष्टि करने वाले पक्षकार द्वारा रकम की पुष्टि करने की इच्छा ना होने को दर्शाता है। इसलिए उक्त रकमों के सही होने, विद्यमान होने और पूर्ण होने का सत्यापन नहीं किया जा सकता है। तथापि लेखा परीक्षा मानक के अनुसार नकारात्मक पुष्टि लेखा परीक्षा का साक्ष्य है इसलिए पूर्वक के आधार पर हम अपनी राय को अर्हित नहीं कर रहे हैं। टिप्पण संख्या 2.43 को निर्दिष्ट करें।	
3.	कंपनी ने आयकर अधिनियम की धारा 143(1)(ए) के तहत सूचना प्राप्त होने के बाद ही अपने संबंधित निर्धारण वर्षों के आयकर देयता से वसूली योग्य टीडीएस, भुगतान किए गए अग्रिम कर और वसूली योग्य टीसीएस को समायोजित करने का अभ्यास किया है। चूंकि इसका वित्तीय प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए हम इस पर अपनी राय नहीं दे रहे हैं। नोट संख्या 2.11 और 2.17 का संदर्भ लें।	कंपनी वर्ष 2022–23 से आयकर रिटर्न दाखिल करते समय निर्धारण आकलन के बजाय समायोजन प्रविष्टि करेगी।
4.	म्यांमार परियोजना में सीएंडसी संनिर्माण लिमिटेड के निमित्त 4554.00 लाख रुपए की आईपीएल द्वारा दी गई बैंक गारंटी के स्थान पर, ईपीआईएल को 1906.64 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं और शेष को ओमान में किए गए कार्य के लिए प्रतिभूत किया गया है। इसका परिणाम और वित्तीय प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है। वर्ष के दौरान विदेश कार्य विभाग ने तारीख 9 फरवरी 2022 के पत्र द्वारा (प्लेटवा से भारत–म्यांमार सीमा (जोरिन पुरी) पर 0. 00 किलोमीटर से म्यांमार राज्य में चिन राज्य में 109.20 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग विशिष्टियों के अनुसार दो लेन की सड़क की संनिर्माण की परियोजना) संपूर्ण संविदा को गैर निष्पादन का कथन करते हुए समाप्त कर दिया और पश्चात भर्ती रूप से 75.90 करोड रुपए की रकम की बैंक गारंटी को आहूत किया (ईपीआई की हिस्सेदारी 30.36	11 मार्च 2022 को आयोजित अपनी बैठक संख्या 278 में ईपीआई ने इस मामले को देय के भुगतान के लिए एएमआरसीडी को पहले ही निर्देश कर दिया है। ए एम आर सी डी समिति के गठन के लिए संसूचना 9 जून 2022 को प्राप्त हो गई है।

क्रम संख्या	मामले पर बल	कंपनी का प्रत्युत्तर
	करोड़ रुपए और सीएन्डसी की हिस्सेदारी 45.54 करोड रुपए)। ईपीआई ने तारीख 11 फरवरी 2022 के अपने पत्र के द्वारा अपने उप ठेकेदार मैसेज आरके– आरपीपी संयुक्त उद्यम (ठेके का मूल्य 414 करोड रुपए) को समाप्त कर दिया और 20.70 करोड रुपए (414 करोड रुपए का 5%) के गैर निष्पादन के कारण बैंक गारंटी को आहूत किया टिप्पण संख्या 2.3 और टिप्पण संख्या 2.29(ख) को निर्दिष्ट करें।	
5.	केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा तीन मामले रजिस्टर किए गए हैं और ईपीआईएल कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज की गई है जिसमें से दो मामले वर्ष 2017–18 और एक मामला वित्त वर्ष 2016–17 में रजिस्टर किया गया है। यह मामले अभियुक्त कर्मचारियों द्वारा निविदा देने के लिए अवैध प्रलोभन लेने के संबंध में है। ईपीआई को एफ आई आर में पक्षकार नहीं बनाया गया है और उसके वित्तीय कारणों पर कोई वित्तीय प्रभाव परिकल्पित नहीं है। टिप्पण संख्या 2.41 को निर्दिष्ट करें।	कंपनी के पास ऐसे मामलों की प्रगति की आवधिक रूप से बोर्ड को रिपोर्ट करने की प्रणाली है।
6.	कंपनी ने ठेकेदार को 387.00 लाख रुपए का अग्रिम भुगतान किया है तथापि उठ ठेकेदार दिवाला प्रक्रिया के अधीन है और इसके लिए एक समाधान वृतिक की नियुक्ति की गई है। समाधान वृतिक ने ईपीआईएल के दावे को स्वीकार कर लिया है किंतु रकम जिसकी वसूली की जा सकती है क्या पता नहीं लगाया जा सकता है। टिप्पण संख्या 2.12 को निर्दिष्ट करें।	कंपनी की लेखांकन नीति संख्या 10 के आलोक में कोई उपबंध नहीं किया गया है। क्योंकि पक्ष कार एनसीएलटी में चला गया है, बदले में ईपीआईएल एनसीएलटी द्वारा सम्यक रूप से नियुक्त समाधान वृतिक के पास ई–मेल द्वारा स्थाई से 27 सितंबर 2021 को दावा प्रस्तुत कर दिया है।
7.	सी एंड सी (सी एंड सी संनिर्माण लिमिटेड–इंडिया की एक अनुषंगी) ओमान सीमित दायित्व कंपनी द्वारा फाइल मामले के संबंध में ओमान सल्तनत के प्राइमरी न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार रक्षा मंत्रालय ने 11.35 मिलियन की रकम को ब्लॉक कर दिया है। ईपीआई ने मामला संख्या 119/1310/2021 के ब्यौरे मस्कट प्राइमरी न्यायालय से एकत्रित किए हैं और मस्कट प्राइमरी न्यायालय में अपील फाइल की है। मामला संख्या 119/1310/2021 मै अंतिम सुनवाई 19 अप्रैल 2022 को हुई थी और इसे 4 जुलाई 2022 के लिए स्थगित कर दिया गया था। ईपीआई ने संख्या	केवल तथ्य की विषय वस्तु टिप्पणी संख्या 2.29 (ख) को निर्देशित करें।

क्रम संख्या	लेखा परीक्षक की अर्हता	कंपनी का प्रत्युत्तर
	35/7135/2022–36/7135/2022–37/7135/2022 द्वारा निष्पादन बैंक प्रतिभूति के नकदीकरण के लिए और रक्षा मंत्रालय से 11.35 मिलियन के अनंतिम आर ओ जब्ती को हटाने के लिए अश्लील न्यायालय के समक्ष याचिका भी फाइल की है। न्यायालय ने निर्णय के लिए 13 जून 2022 को उपरोक्त तीन याचिकाओं की सुनवाई की है और वित्त वर्ष 2022–23 में ईपीआई के पक्ष में आदेश प्राप्त हो गए हैं। उपरोक्त मामले के संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रक्रिया को वित्त वर्ष 2022– 23 में भी हाथ में लिया जाएगा। टिप्पण संख्या 2.3 और टिप्पण संख्या 2.6 को निर्दिष्ट करें।	
8.	हम परिसरों के पट्टा करार, जो 30 सितंबर 2015 को समाप्त हो गया है, के संबंध में टिप्पण संख्या 2.4 की और ध्यान आकृष्ट करते हैं और इस मामले को न्यायनिर्णयन उनके लिए मामला संख्या 2016 का 144 और 2022 की जीए संख्या 18, तारीख 8 फरवरी 2022 द्वारा माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय को निर्दिष्ट कर दिया गया है तथा यह विचाराधीन है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने परिसरों के पट्टा देने वाले से अक्टूबर 2015 से मार्च 2022 से संबंधित अवधि के लिए 5952.70 लाख रुपए (2581.27 लाख रुपए के ब्याज सहित) की मांग प्राप्त की है। 1 अक्टूबर 2020 को हुई ओएनजीसी समर्थित निर्णय के आधार पर (परिसर के किरायेदारों में से एक किराएदार) बैठक के कार्यवृत्त के आधार पर 5438.42 लाख रुपए की प्रति मांग के विरुद्ध कंपनी ने जीएसटी को शामिल ना करते हुए 31 मार्च 2022 को 1659.22 लाख रुपए की रकम का प्रावधान किया है। प्रादेशिक कार्यालय प्रबंधन द्वारा हमें सूचित किए गए अनुसार किराया दायित्व के लिए प्रावधान तुलन पत्र की तारीख को कंपनी द्वारा आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है तथा विधिक कार्यवाही यों का कंपनी की वित्तीय स्थिति पर कोई तात्विक और प्रतिकूल प्रभाव नहीं है।	22 नवंबर 2021 को आयोजित निदेशक बोर्ड की 277वीं बैठक में निदेशक बोर्ड को मामले से पहले ही अवगत करा दिया गया है तथा उसकी 6 जुलाई 2022 को हुई 267वीं में बैठक में भी उसे अद्यतन प्रस्थिति से अवगत करा दिया गया है। टिप्पण संख्या 2.48 को निर्दिष्ट करें।

क्रम संख्या	लेखा परीक्षक की अर्हता	कंपनी का प्रत्युत्तर
9.	जहां कंपनी द्वारा आयकर विवरणी में दावा की गई रकम के परिमाण तक 0.92 करोड़ रुपए की रकम के अंतर के लिए कंपनी द्वारा पूर्व निर्धारण वर्ष में वर्ष वार ब्यौरे उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं, दीर्घ अवधि ऋण और अग्रिम मै "कटौती किया गया आयकर" सम्मिलित है। टिप्पण संख्या 2.11 को निर्दिष्ट करें।	उक्त अंतर वित्त वर्ष 2021–22 तक ग्राहक द्वारा की गई स्रोत पर आयकर की कटौतियों से संबंधित प्रविष्टियों के पास ना करने/समायोजन ना करने के कारण उत्पन्न हो रहा है और इसे चालू वित्त वर्ष में कर लिया जाएगा।
10.	वित्त वर्ष 2021–22, कॉविड–19 के बार–बार होने के प्रभाव के कारण बहुत उथल–पुथल भरा रहा था तथा वैश्विक उथल–पुथल का देश के आर्थिक सबलपन ने काफी हद तक संतुलन बनाया। भारत के रिजर्व बैंक द्वारा नकदी की उपलब्धता को आसान बनाने के उपाय उन्हें संपूर्ण वर्ष के दौरान सरकारी नियमित व्यय ने आर्थिक मंदी के जोखिम को निमृत किया और गृहस्थों तथा कंपनियों के विश्वास को बढ़ाने में सहायता की। कोविड–19 लहर के पश्च्च आर्थिक कार्यकलापों के पुनः प्रारंभ होने और बेहतर सचलता के सामान्य होने की पृष्ठभूमि के कारण वित्त वर्ष 2021–22 के एक बेहतर वर्ष होने की आशा थी। इसके प्रतिकूल वर्ष का प्रारंभ अधिक विध्वंसकारी दूसरी लहर के प्रारंभ होने से हुआ जिसका परिणाम रिकॉर्ड संख्या में संदूषण और उच्च मृत्यु दर के रूप में हुआ। देश पहली लहर के दौरान पूर्ण लाकडाउन के विपरीत विभिन्न राज्यों में आंशिक लॉकडाउन का साक्षी बना। बेहतर टीकाकरण प्रयासों के साथ अर्थव्यवस्था प्रत्याशा के विपरीत तेजी से वापस पथ पर आई। तथापि रिकवरी की गति को तीसरी तिमाही के अंत की ओर ओमीक्रोन वेरिएंट की उत्पत्ति ने बाधित किया, सौभाग्य से यह केवल संक्षिप्त अवधि के लिए ही रहा। वित्त वर्ष 2021–22 कोविड–19 अनेक लहरों का साक्षी रहा, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान ने संपूर्ण विश्व में वस्तुओं/सौर मॉड्यूल कीमतों में, मालभाड़ा लागत के अतिरिक्त अप्रायिक वृद्धि हुई। ना केवल इससे ग्राहकों की ओर से आदेशों को अंतिम रूप देने में विलंब हुआ बल्कि चालू परियोजनाओं की प्रगति में भी विलंब हुआ।	केवल तथ्य की विषय वस्तु। टिप्पण संख्या 2.53 को निर्दिष्ट करें।

क्रम संख्या	लेखा परीक्षक की अर्हता	कंपनी का प्रत्युत्तर
	कोविड–19 महामारी के प्रभाव ने जीवनयापन, शिक्षा और स्वास्थ्य को प्रभावित करके समुदायों की तबाही को जारी रखा और इसने जमीनी वास्तविकताओं के लिए नूतन कार्य विधियों की मांग की पुस्तक विद्यमान परियोजनाओं में प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। कारबार/आर्थिक स्थितियों पर कोविड–19 महामारी के प्रभाव के निर्धारण के आधार पर, कंपनी से उसके असेट्स के चालू मूल्य की वसूली की आशा है। कंपनी महामारी से संबंधित अकस्मिकताओं का मूल्यांकन करना जारी रखेगी और आपने निर्धारण को अद्यतन करेगी (टिप्पण संख्या 2.53 को निर्दिष्ट करें)।	

एकल तुलनपत्र 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार

(रकम लाख रुपए में)

	विवरण	टिप्पण सं.	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार	
I.	**साम्या और दायित्वम**					
1	**शेयर धारकों की निधियां:**					
	क) शेयर पूंजी	2.1	**3,542.27**		3,542.27	
	ख) आरक्षितियां और अधिशेष	2.2	**4,805.83**		11,312.18	
	ग) शेयर वारटों के विरुद्ध प्राप्त धन		—	**8,348.10**	—	14,854.45
2	**आबंटन के लंबित रहने के दौरान शेयर अनुप्रयोग धन**			—		—
3	**गैर चालू दायित्व**					
	क) दीर्घावधि उधार		—		—	
	ख) आस्थगित कर दायित्व (शुद्ध)		—		—	
	ग) अन्य दीर्घावधि दायित्व	2.3	**68,748.54**		64,106.16	
	घ) दीर्घावधि उपबंध	2.4	**4,757.94**	**73,506.48**	3,209.97	67,316.13
4	**चालू दायित्व**					
	क) लघु अवधि उधार	2.5	**41.53**		4,845.32	
	ख) व्याअपार संदेय	2.6				
	i) एमएसएमई को देय		**3,463.91**		798.92	
	ii) एमएसएमई से भिन्न अन्य को देय		**41,043.96**		41,149.35	
	ग) अन्य चालू दायित्वक	2.7	**77,770.27**		52,606.85	
	घ) लघु अवधि उपबंध	2.8	**1,163.04**	**1,23,482.71**	1,417.81	1,00,818.25
	योग			**2,05,337.29**		1,82,988.83
II.	**आस्तियां**					
1	**गैर–चालू आस्तिपयां**					
	क) संपत्ति, संयत्र और उपस्कर तथा अमूर्त आस्तिसयां					
	i) संपत्ति, संयत्र और उपस्कर	2.9(i)	**665.12**		696.48	
	ii) अमूर्त आस्ति,यां	2.9(ii)	**20.05**		24.50	
	iii) चालू पूंजी कार्य		—		—	
	iv) विकासाधीन अर्मूत आस्तियां	2.9(iii)	**78.38**		78.38	
	ख) गैर चालू विनिधान					
	ग) आस्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)	2.10	**1,295.32**		1,332.30	
	घ) दीर्घ अवधि उधार और अग्रिम	2.11	**7,009.43**		10,618.68	
	ङ) अन्य दृ गैर चालू आस्तियां	2.12	**54,812.24**	**63,880.54**	57,131.52	69,881.86
2	**चालू आस्तिकयां**					
	क) चालू विनिधान		—		—	
	ख) माल सूचियां	2.13	**196.36**		17.85	
	ग) व्यामपार प्राप्यआ	2.14	**19,267.84**		26,839.45	
	घ) नकद और नकद समतुल्य					
	i) नकद और नकद समतुल्य	2.15 (i)	**36,310.86**		12,446.94	
	ii) अन्य बैंक शेष	2.15 (ii)	**12,654.78**		17,357.44	
	ङ) लघु अवधि ऋण और अग्रिम	2.16	**24,887.93**		19,635.40	
	च) अन्य चालू आस्तिऋयां	2.17	**48,138.98**	**1,41,456.75**	36,809.89	1,13,106.97
	योग			**2,05,337.29**		1,82,988.83
	महत्वपूर्ण लेखांकन लेखाओं पर टिप्पणियां	1 2.1 से 2.54		—		—

लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां वित्तीय विवरणों पर अभिन्न अंग हैं

हमारी समसंख्य तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृत जीएसके एवं एसोसिएट्स एवं एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेट
फर्म रजिस्ट्रीकरण सं.013838एन/एन500003

ह0/–
(सीए संजय कुमार गुप्ता)
पदनामित भागीदार
सदस्यता सं. 0930556
स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 04 अगस्त, 2022
यूडीआईएनः 22093056एओआईक्यूएलवी1353

कृते निदेशक बोर्ड के लिए और उसकी ओर से

ह0/–
(राजपाल सिंह)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन08750557

ह0/–
(धीरेन्द्र सिंह राना)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
डीआईएन07022825

ह0/–
(अशोक कुमार पात्रा)
महाप्रबंधक (वित्त) एवं सीएफओ

ह0/–
(नितेश कुमार गोयल)
कंपनी सचिव

लाभ और हानि का एकल विवरण 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार

(रकम लाख रुपए में)

	विवरण	टिप्पण संख्या	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार
I.	प्रचालनों से राजस्व	2.19	**73,617.34**	80,562.17
II.	अन्य आय	2.20	**1,368.28**	539.55
III.	**कुल आय (I+II)**		**74,985.62**	81,101.72
IV.	**व्ययः**			
	प्रचालन व्यय	2.21	**68,464.02**	74,876.65
	कर्मचारी फायदा व्यय	2.22	**7,447.70**	7,247.11
	वित्तीय लागतें	2.23	**478.14**	1,032.31
	अवक्षयण एवं अपाकरण व्यय	2.9	**88.16**	99.36
	अन्य व्यय	2.24	**4,735.30**	2,098.84
	पूर्व अवधि व्यय (शुद्ध)	2.25	**3.80**	116.26
	कुल व्यय		**81,217.12**	85,470.53
V.	**अपवादी और असाधारण मदों से पूर्व लाभ/(हानि) और कर (III-IV)**		**(6,231.50)**	(4,368.81)
VI.	पूर्वावधि व्यय (शुद्ध)		—	—
VII.	**असाधारण मदों और कर से पूर्व लाभ/(हानि) (V-VI)**		**(6,231.50)**	(4,368.81)
VIII.	असाधारण मदें		—	—
IX.	**असाधारण मदों और कर से पूर्व लाभ/(हानि) (VII-VIII)**		**(6,231.50)**	(4,368.81)
X.	कर व्यय			
	(1) चालू कर		—	42.25
	(2) पहले के वर्षों के लिए कर समायोजन (शुद्ध)		**237.87**	23.18
	(3) अस्थगित कर		**36.98**	540.07
XI.	**जारी रखे गए प्रचालनों से लाभ/(हानि) (XI-XI)**		**(6,506.35)**	(4,974.31)
XII.	जारी ना रखे गए प्रचालनों से लाभ/(हानि)		—	—
XIII.	जारी ना रखे गए प्रचालनों का कर व्यय		—	—
XIV	**जारी ना रखे गए प्रचालनों से (कर के पश्चात) लाभ/(हानि) (XII-XIII)**		—	—
XV.	**वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (XI-XIX)**		**(6,506.35)**	(4,974.31)
XVI.	**प्रति शेयर अर्जन**	2.39		
	(1) आधारी		**(18.37)**	(14.04)
	(2) डायलूटिड		**(18.37)**	(14.04)
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1		
	लेखाओं पर टिप्पणियां	2.1 से 2.54		

लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां वित्तीय विवरणों पर अभिन्न अंग हैं

हमारी समसंख्य क तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते निदेशक बोर्ड के लिए और उसकी ओर से

कृत जीएसके एवं एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रीकरण सं.013838एन/एन500003

ह0/–
(राजपाल सिंह)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन08750557

ह0/–
(धीरेन्द्र सिंह राना)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
डीआईएन07022825

ह0/–
(सीए संजय कुमार गुप्ता)
पदनामित भागीदार
सदस्यता सं. 0930556
स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 04 अगस्त, 2022
यूडीआईएनः 22093056एओआईक्यूएलवी1353

ह0/–
(अशोक कुमार पात्रा)
महाप्रबंधक (वित्त) एवं सीएफओ

ह0/–
(नितेश कुमार गोयल)
कंपनी सचिव

31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए एकल रोकड़ प्रवाह विवरण

(रकम लाख रुपए में)

विशिष्टियां	2021–22	2020–21
प्रचालन कार्यकलापों से नकद प्रवाह	(6,231.50)	–
कर पूर्व शुद्ध लाभ और असाधारण मद	–	(4,368.81)
निम्नलिखित के लिए समयोजन	88.16	–
अवक्षयण और अपाकरण	1.26	99.36
आस्तियों की बिक्री से (लाभ)/हानि (शुद्ध)	(23.94)	1.56
नियत जमा पर ब्याज	(185.02)	(53.41)
विदेशी मुद्रा में विनिमय परिवर्तन का प्रभाव (शुद्ध)		(18.24)
–ब्याज व्यय	478.14	1,032.31
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन लाभ	(5,872.90)	(3,307.23)
– माल सूचियों में कमी/(वृद्धि)	(178.51)	84.32
– व्यापार प्राप्यों में कमी/(वृद्धि)	7,335.85	16,268.61
– व्यापार प्राप्यों में वृद्धि/(कमी)	2,015.36	(13,182.31)
–धारणाधिकार के अधीन नियत जमा में कमी/(वृद्धि)	(4.42)	(5.01)
– कार्यशील पूंजी में वृद्धि/(कमी)	3,523.24	(1,392.49)
प्रचालनों से सृजित रोकड़	6,818.62	(1,534.11)
घटाएं:		
ब्याज आय	(478.14)	(1,032.31)
– आय–कर	(274.85)	(605.50)
प्रचालन कार्यकलापों से शुद्ध नकद	6,065.63	(3,171.92)
विनिधान कार्यकलापों से नकद प्रवाह		
– नियत अस्तियों का क्रय/संनिर्माण	(57.82)	(101.27)
– आस्तियों के विक्रय से आगम	4.20	4.51
– डीटीए में कमी/(वृद्धि)	36.98	540.07
– दीर्घ अवधि अग्रिम में कमी/(वृद्धि)	3,609.25	26,023.22
– चालू अस्तियों से भिन्न में कमी/(वृद्धि)	2,559.46	(30,614.12)
– ब्याज आय	23.94	53.41
विनिधान कार्यकलापों से शुद्ध नकद	6,176.02	(4,094.19)
वित्तीय कार्यकलापों से नकद प्रवाह		
संदत्त लाभांश	–	(27.61)
संदत्त लाभांश कर	–	–
– दीर्घावधि उपबंध में (कमी)/वृद्धि	1,547.97	311.80
– दीर्घ अवधि दायित्व से आगत/(पुनर्संदाय)	5,186.62	4,546.99
वित्तीय कार्यकलापों में उपयोग किया गया शुद्ध नकद	6,734.59	4,831.18
विदेशी मुद्रा का प्रभाव	185.02	18.24
नकद और नकद समतुल्य में शुद्ध (कमी)/वृद्धि	19,161.26	(2,416.69)
वर्ष के आरम्भ में नकद एवं नकद समतुल्य	29,810.53	32,227.21
वर्ष के अंत में नकद एवं एवं नकद समतुल्य	48,965.64	29,804.38
नकद और नकद समतुल्य का मिलान		
हाथ में नकद (टिप्पण संख्या 2.16 को निर्दिष्ट करें)	–	0.01
हाथ में चौक (टिप्पण संख्या 2.16 को निर्दिष्ट करें)	–	–
संव्यवहार में विप्रेषण	–	–
चालू खातों में बैंक के पास शेष (टिप्पण संख्या 2.16 को निर्दिष्ट करें)	36,310.86	12,4446.93
अन्य बैंकों में नियत शेष जमा (टिप्पण संख्या 2.16 को निर्दिष्ट करें)	12,654.78	17,357.44
वर्ष के अंत में नकद एवं नकद समतुल्य	48,965.64	29,804.38

टिप्पण:

1) नकद एवं नकद समतुल्य में नकद और बैंकों में शेष सम्मिनलित है जिसके अंतर्गत धारानाधिकार/मार्जिन नियत जमा को छोडकर नियत जमा और लिक्वड विनिधान है।

2) पूर्वक रोकड़ प्रवाह विवरणी को भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक ए एस– 3 " नकद प्रवाह विवरणी" के अनुसार प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करते हुए तैयार किया गया है।

3) नकद और नकद समतुल्य में नकद और अन्य बैंक शेष तथा बैंक में जमा है

4) पूरे वर्ष के आंकड़ों को पुणे समूहीकृत,पुनः इकट्ठा किया गया है और जहां कहीं आवश्यकता हो उन्हें पुनः तैयार किया गया है किया गया है

कृत जीएसके एवं एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रीकरण सं.013838एन/एन500003
ह0/–
(सीए संजय कुमार गुप्ता)
पदनामित भागीदार
सदस्यता सं. 0930556
स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 04 अगस्त, 2022
यूडीआईएनः 22093056एओआईक्यूएलवी1353

ह0/–
(राजपाल सिंह)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन08750557

ह0/–
(अशोक कुमार पात्रा)
महाप्रबंधक (वित्त) एवं सीएफओ

ह0/–
(धीरेन्द्र सिंह राना)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
डीआईएन07022825

ह0/–
(नितेश कुमार गोयल)
कंपनी सचिव

एकल वित्तीय विवरणियों के टिप्पण
(31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए)

1. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

(क) वित्तीय विवरणियां ऐतिहासिक लागत अभिसमय के अधीन वास्तविक अर्जन के आधार पर भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार की गई हैं और उन्हें कंपनी (लेखांकन) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पाठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 और कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 अधिनियम) के सुसंगत उपबंधों का अनुपालन करने के लिए तैयार किया गया है।वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए अंगीकार की गई लेखांकन नीतियां पूर्व वर्ष के लिए अनुपालन की गई के अनुसार हैं:

(ख) सभी आस्तियों और दायित्वों को कंपनी अधिनियम, 2013 की अधिकथित अनुसूची–III के अनुसार चालू या गैर चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रचालनों की प्रकृति और उस समय जिसके भीतर आस्तियों को नकद या नकद समतुल्य में कारबार के साधारण प्रक्रम में प्राप्त करने की संभावना है। कंपनी ने अपने प्रचालन चक्र को आस्तियां और दायित्वों को चालू और गैर–चालू में वर्गीकृत करने के प्रयोजन के लिए 12 माह में रखा है।

2. आकलनों का उपयोग

वित्तीय विवरणों का साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप तैयार करना अपेक्षा करता है कि प्रबंधन आकलन और पूर्वधारणा करे कि जो आस्तियों और दायित्वों की रिपोर्ट की गई मात्रा को प्रभावित करें और वित्तीय विवरण की तारीख को और रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान प्रचालनों का परिणाम आकस्मिक आस्तियों और दायित्वों का प्रकटन, यदि कोई है। तथापि यह आकलन प्रबंधन की चालू घटनाओं और कार्रवाईयों की जानकारी पर आधारित है, वास्तविक परिणाम इन आकलनों और पुनरीक्षणों, यदि कोई हों से भिन्न हो सकते हैं, इनको चालू और भावी अवधियों में मान्यता दी गई है।

3. राजस्व को मान्यता

(क) संविदा राजस्व को उस स्तर तक मान्यता दी गई है जहां तक आर्थिक फायदे कंपनी को प्राप्त होंगे और राजस्व का विश्वसनीय रूप से मापन किया जा सकता है। राजस्व को संकर्म की समग्र लागत और संपूर्ण करने की विधि के प्रतिशत का उपयोग करते हुए समानुपात मार्जिन को जोड़कर मान्यता दी गई है। संपूर्ण करने के प्रतिशत का अवधारण संविदा की कुल प्राक्कलित लागत की तारीख तक उपगत समानुपाती लागत का अवधारण करके किया जाता है।

(ख) वर्ष के अंत में निष्पादित किया गया कार्य किन्तु माप नहीं किया गया/भागतः निष्पादित कार्य को इंजीनियरों के प्रमाणपत्र के आधार पर गणना में लिया जाता है, ऐसी गणना से उदभूत प्रविष्टियों को उत्तरवर्ती लेखांकन वर्ष में विलोमतः कर दिया जाता है। तदनुसार, वास्तविक प्राप्ति/जारी किए गए बीजकों/दावों को जारी करने के समय कानूनी बाध्यताओं को पूरा किया जाता है।

(ग) परियोजनाओं के समयपूर्व बंद करने/समाप्त करने की दशा में राजस्व को उस संविदा मूल्य के परिमाण तक जिसकी वसूली संभावित है मान्यता दी जाती है।

(घ) सलाहकारी सेवाओं से राजस्व को समानुपातिक पूर्ण करना विधि के आधार पर मान्यता दी जाती है। उन मामलों की दशा में जहां दावों के समय युक्तियुक्त निश्चितता के साथ वास्तविक संग्रहण नहीं किया गया है, मान्यता को संग्रहण करने के समय तक स्थगित कर दिया जाता है।

(ड.) उन संविदाओं की दशा में जहां संविदा की लागत संविदा के राजस्व से अधिक हो जाती है, अनुमान लगाई गई हानि को तुरंत मान्यता दी जाती है।

(च) ग्राहक के साथ संविदा में बढ़ोतरी और अतिरिक्त संकर्म का उपबंध किया जाता है, माध्यस्थम पंचाटों से उदभूत दावों और बीमा दावों को प्राप्ति के आधार पर गणना में लिया जाता है।

(छ) विवाद/बातचीत और असंदेह/अप्राप्य नहीं समझे जाने वाले दावों के संबंध में संविदाकारी बाध्यताओं से उदभूत नुकसानों को अंतिम निपटान तक गणना में नहीं लिया जाता है।

(ज) संविदा को लेखांकन प्रयोजनों के लिए अंतिम बिलिंग, चालू करने के प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक रूप से आरंभ करने, पूर्व समापन और/या क्षमापन इनमें से जो भी पहले हो, समाप्त माना जाता है।

(झ) बकाया रकम और लागू दर को गणना में लेते हुए व्याज आय को समय समानुपात में मान्यता दी जाती है।

(झ) भाटक से राजस्व को किराएदार से पट्टा करार के आधार पर सिवाय वहां जहां वास्तविक संग्रहण को संदेहस्पद समझा जाता है, उदभूत होने के आधार पर मान्यता दी जाती है।

(ट) परियोजना प्रबंधन परामर्शी कार्य की दशा में जहां संपूर्ण निष्पादन,, बिलिंग संग्रहण, कर अनुपालना जिसके अंतर्गत त्रुटि के लिए दायित्व आदि है, कंपनी पर है, टर्नओवर को लागत जमा मार्जिन के आधार पर प्रतिशत पूरा करने के आधार पर मान्यता दी जाएगी।

4. मालसूची

(i) सामग्रियां

(क) संनिर्माण सामग्रियां, उपभोज्य और भंडार एवं उपसाधनों जिसके अंतर्गत इस्पात, सीमेंट और पाइप नहीं है को क्रय के समय संविदा लागत पर प्रभारित किया जाता है। ऐसी बची हुई सामग्रियों के निपटान के लेखे विक्रय से आगतों को विक्रय के वर्ष में प्रकीर्ण आय में गणना में लिया जाता है।

(ख) इस्पात, सीमेंट और पाइपों के स्टॉक का मूल्यांकन लागत या शुद्ध प्राप्त हो सकने वाले मूल्य से कम पर किया जाता है। लागत में भाड़ा और अन्य संबंधित अनुषंगिक व्यय शामिल हैं और उनकी गणना भारित औसत लागत के आधार पर की जाती है।

(ii) चालू कार्य

चालू संनिर्माण कार्य का मूल्यांकन ऐसे समय तक लागत के आधार पर किया जाता है जब तक कार्य के परिणाम का विश्वसनीय रूप से पता नहीं लगाया जा सकता है।

5. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

विदेशी परियोजनाओं की वित्तीय विवरणियों को निम्नलिखित रीति में परिभाषित किया जाता है :

(i) राजस्व मदों (आय और व्यय) को भारतीय मुद्रा में क्रय दर की सुसंगत वित्त वर्ष के प्रत्येक मास के अंतिम कार्य दिवस को विद्यमान मासिक औसत के आधार पर गणना में लिया जाता है।

(ii) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर और गैर–धनीय मदों को संव्यवहार की तारीख को क्रय दर पर गणना में लिया जाता है।

(iii) अवक्षयण को आस्तियों के मूल्य को गणना में लेने के लिए उपयोग की गई दर पर गणना में लिया जाता है जिसपर अवक्षयण की संगणना की गई है।

(iv) माल सूचियों को प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को विद्यमान क्रय दर पर गणना में लिया जाता है।

(v) धनीय मदें (आस्तियां और दायित्व) तथा आकस्मिक दायित्वों को प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को विद्यमान अंतिम क्रय दरों पर गणना में लिया जाता है।

गणना में लिए जाने के परिणामस्वरूप शुद्ध विनिमय विभेद की पहचान वर्ष के लिए आय या व्यय के रूप में की जाती है।

6. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर का लागत पर वसूलनीय कर, व्यापार बट्टा रिवेट घटा संचित अवक्षयण और नुकसान की हानियां, यदि हो को घटाकर कथन किया जाता है। इस लागत में खरीद कीमत, उधार लेने की लागत और कोई ऐसी लागत सम्मिलित है जो सीधे आस्तियों को उनकी कार्यकारी स्थिति में लाने के लिए आशयित इस्तेमाल के लिए संबंधित है, विदेशी मुद्रा में शुद्ध परिवर्तन, संविदा और समायोजन जो विनिमय दर में फेरफार से उत्पन्न होते हैं वह आस्ती के लेखे डाले जाते हैं।

पश्चातवर्ती लागतों को आस्ति की वहन रकम में सम्मिलित किया जाता है या पृथक आस्ति के रूप में उस को मान्यता दी जाती है, जैसा भी समुचित हो, ऐसा केवल तब किया जाता है जब इस बात की संभावना हो की मद से सहबद्ध भावी आर्थिक फायदे निकाय को प्रभाहित होंगे और लागत का विश्वसनीय रूप से अंकन किया जा सकता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर पर अवक्षयण कि संगणना सीधी रेखा के आधार पर आस्ति के उपयोगी जीवन पर आधारित होती है जिसे कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार दर्शाया जाता है और आस्ति के उपयोगी जीवन के दौरान 95% लागत को बट्टे खाते में डाला जाता है।

7. अवक्षयण :

(क) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के अवक्षयण की संगणना आस्ति के उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी रेखा के आधार पर कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II के अनुसार की जाती है और आस्तियों के संभावित उपयोगी जीवन के दौरान 95% लागत को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

(ख) आस्तियों के उपयोगी जीवन के आधार पर उदभूत अवक्षयण की निम्नलिखित दरों को अंगीकृत किया गया है।

क्र.सं.	आस्तियों का विवरण	अवक्षयण की दर
1	भवन (कारखाना भवन से भिन्न) आरसीसी फ्रेम ढांचा (एनईएसडी)	1.58%
2	अन्य अस्थायी संनिर्माण (जिसके अंतर्गत अस्थायी ढांचा आदि हैं) (एनईएसडी)	31.67%
3	सिविल संनिर्माण में प्रयुक्त संयंत्र और मशीनरी	
3(क)(i)	कंक्रीटकरण, क्रशिंग, पाइलिंग उपस्कर और सड़क बनाने की मशीन	7.92%
3(क)(ii)(क)	100 टन से अधिक क्षमता की क्रेनें	4.75%
3(क)(ii)(ख)	100 टन से कम क्षमता की क्रेनें	6.33%
3(क)(iii)	मृदा परिचालन उपस्कर	10.56%

क्र.सं.	आस्तियों का विवरण	अवक्षयण की दर
3(क)(iv)	अन्य जिसके अंतर्गत सामग्री हथालन/पाइपलाइन/बैल्डिंग उपस्कर (एनईएसडी)	7.92%
4	साधारण फर्नीचर और सज्जा (एनईएसडी)	9.50%
5	कार्यालय उपस्कर (एनईएसडी)	19%
6	कम्प्यूटर और डाटा प्रसंस्करण इकाइयां (एनईएसडी)	
6(क)	सर्वर और नेटवर्क	15.83%
6(ख)	'अंतिम उपयोगकर्ता इकाइयां जैसे डैस्कटॉप, लैपटॉप, साफ्टवेयर जिसके अंतर्गत उपयोक्ता अनुज्ञप्ति फीस, अन्य अमूर्त आस्तियां आदि हैं	31.67%
7	मोटरयान (एनईएसडी)	
7(क)	मोटरसाइकिल, स्कूटर एवं अन्य मोपेड	9.50%
7(ख)	मोटर बस, मोटर लॉरी और भाटक पर उन्हें चलाने के कारबार से भिन्न मोटर कारें	11.88%

सिवाय उन आस्तियों के संबंध में जिनके लिए कोई अतिरिक्त शिफ्ट अवक्षयण (एनईएसडी) अनुज्ञात नहीं है जैसाकि उपदर्शित किया गया है, यदि किसी आस्ति का उपयोग वर्ष के दौरान किसी भी समय दोहरी शिफ्ट के लिए किया जाता है तो अवक्षयण उस अवधि के लिए 50 प्रतिशत बढ़ जाएगा और तिहरी शिफ्ट के लिए अवक्षयण की संगणना उस अवधि के लिए 100 प्रतिशत के आधार पर की जाएगी।

(ग) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर का इस अवधि के दौरान अर्जन किया जाता है, जो व्यक्तिगत रूप से 5,000 रुपए तक की लागत के हैं का क्रय वर्ष में पूर्णतः अवक्षयण किया जाता है। तथापि कर्मचारियों को उपलब्ध कराए गए मोबाइल फोन को उनके मूल्य को ध्यान में न रखते हुए लाभ और हानि के विवरण में भारित किया जाता है।

(घ) पट्टाधृत भूमि एवं पट्टाधृत भवन का अपाकरण पट्टे की अवधि के दौरान या विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान या उसकी संगणना कंपनी द्वारा अंगीकृत दरों पर की जाती है, इनमें से जो भी लघु हो। शाश्वत पट्टे के अधीन धृत भूमि का अपाकरण नहीं किया जा रहा है और उसे लागत के आधार पर अग्रनीत किया जाता है।

परिवर्तित नीति का वित्तीय प्रभाव चालू वर्ष के साथ–साथ पूर्व वर्ष में "शून्य" है।

ङ) अमूर्त आस्तियों को संचित परिशोधन और हानि घटाकर लागत पर बताया गया है। सॉफ्टवेयर, जो संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है, को अमूर्त संपत्ति के रूप में माना जाता है और तीन साल या इसकी लाइसेंस अवधि, जो भी कम हो, की अवधि में सीधी रेखा पद्धति पर परिशोधित किया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अमूर्त संपत्ति के उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है, और यदि उपयुक्त हो तो समायोजित किया जाता है।

8. कर्मचारी फायदे

(i) लघु अवधि कर्मचारी फायदों को वर्ष के जिसमें संबंधित सेवा दी गई है के लाभ और हानि विवरण में गैर रियायती रकम पर एक व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

(ii) सेवानिवृत्ति उपरांत और अन्य दीर्घावधि कर्मचारी फायदों को उस वर्ष की लाभ और हानि विवरण में जिसमें कर्मचारी ने सेवा दी है एक व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है। व्यय को संदेय रकम के विद्यमान मूल्य पर मान्यता दी जाती है जिसे वास्तविक मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके अवधारित किया जाता है।

सेवानिवृत्ति के उपरांत और अन्य दीर्घावधि फायदों के संबंध में वास्तविक लाभ और हानि को लाभ और हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

9. उपबंध, आकस्मिक दायित्व और आकस्मिक आस्तियां

उपबंधों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी की किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप बाध्यता हो और यह संभावना हो कि बाध्यता को निपटाने के लिए संसाधनों के ओवरफ्लो की अपेक्षा होगी और जिसके लिए एक विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है। उपबंधों को उनके वर्तमान मूल्य पर रियायत नहीं दी जाती है और उनका अभिधारण तुलनपत्र की तारीख को बाध्यता का निपटान करने के लिए सर्वोत्तम आकलनों के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को उपबंधों का पुनरीक्षण किया जाता है और चालू सर्वोत्तम आकलनों को उपदर्शित करने के लिए समायोजित किया जाता है। किसी आकस्मिक दायित्व का प्रकटन किया जाता है जब तक कि आर्थिक फायदों को मूर्त रूप देने के लिए संसाधनों के ओवरफ्लो की संभावना सुदूर न हो। आकस्मिक दायित्वों को न तो मान्यता दी जाती है, न ही उनका वित्तीय विवरणों में प्रकटन किया जाता है।

10. संदेहस्पद ऋणों/उधारों और अग्रिमों के लिए उपबंध

भारत सरकार के विभागों और पीएसई ग्राहकों से संबंधित बंद हो गई परियोजनाओं में व्यापार प्राप्य/ऋणों और अग्रिमों की रकम को लेनदारों/ऋणों/अग्रिमों को जिस वर्ष वह देय होते हैं से 10 वर्ष तक प्राप्त करने के लिए अच्छा समझा जाता है। इन ऋणों को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास किया जाता है जब तक कि ग्राहक के साथ अंतिम निपटान न किया जाए या माध्यस्थम अधिकरण/न्यायालय द्वारा विवाद के मामले में निर्णय न दे दिया जाए। संदेहस्पद ऋणों/उधारों और अग्रिमों से परियोजना के आधार पर शुद्ध प्राप्ति के लिए प्रबंधन के अनुभव/निर्धारण/पूर्ववर्ती अनुभव के आधार पर आवश्यक उपबंध किए जाते हैं यदि 10 वर्ष से अधिक से बकाया हैं। व्यापार प्राप्य /ऋणों और अग्रिमों को तब बट्टे खाते में डाल दिया जाता है जब उनकी वसूली न की जा सकती हो। माध्यस्थम अधिकरण/न्यायालय के पास लंबित मामलों के लिए कोई उपबंध नहीं किया जाता है।

पूर्वोक्त उपदर्शित शुद्ध प्राप्य से या अभिप्रेत है कि ग्राहक से प्राप्य कुल रकम को संबंधित परियोजना के उप ठेकेदार को संदेय तत्स्थानी रकम से घटा दिया जाता है।

11. खंड रिपोर्टिंग

परियोजनाओं की भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर कंपनी ने दो प्रारंभिक रिपोर्टिंग खंडों अर्थात घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय की पहचान की है।

12. आस्तियों का क्षीण हो जाना

प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को कंपनी की आस्ति यां चाहे इस बात का कोई संकेत हो कि आस्ति यां क्षीण हो गई हैं। यदि ऐसा कोई संकेत विद्यमान है तो कंपनी आस्तियों की वसूलनीय रकम का आकलन करती है। यदि आस्ति की ऐसी वसूलनीय रकम या रोकड़ सृजित करने वाली इकाई जिसकी आस्ति है से वसूली योग्य रकम उसकी चल रही रकम से कम है तो चल रही रकम को वसूलनीय रकम से घटा दिया जाता है और कटौती को क्षीणता नुकसान माना जाता है और लाभ और हानि लेखे में इसको मान्यता दी जाती है। यदि तुलनपत्र की तारीख को यह संकेत हो कि पूर्व में निर्धारित क्षीणता नुकसान अब विद्यमान नहीं है तो वसूलनीय रकम का पुनःनिर्धारण किया जाता है और आस्ति को वसूलीय रकम में अधिकतम अवक्षयित ऐतिहासिक लागत की शर्त के अधीन रहते हुए, उपदर्शित किया जाता है और तदनुसार, लाभ और हानि लेखे में उसे विलोमतः कर दिया जाता है।

13. कराधान

वर्ष में कर के लिए उपबंध में आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 115खकक के उपबंधों के अनुसरण में संगणित

संदेय बही खाता लाभ या अवधि के लिए करादेय आय के संबंध में संदेय कर की रकम को अवधारित चालू आय–कर आकलन शामिल हैं और अस्थिगित कर वह अस्थायी समय विभेद का कर प्रभाव है जो करादेय और लेखांकन आय को दर्शाता है जो एक अवधि में उदभूत होती है और पश्चातवर्ती एक या अधिक अवधियों में जो विलोमतः होने के लिए सक्षम है और जिसकी संगणना सुसंगत घरेलू कर विधियों के अनुसार की जाती है।

अस्थगित कर की गणना कर दरों और तुलनपत्र की तारीख को अधिनियमित कर विधियों या पश्चातवर्ती अधिनियमित कर विधियों के आधार पर की जाती है। अस्थगित कर आस्तियों को मान्यता उस सीमा तक दी जाती है जिसकी युक्तियुक्त निश्चितता है कि भविष्य में करादेय पर्याप्त आय ऐसी अस्थगित कर आस्तियों के विरूद्ध उपलब्ध होगी जिसको वसूला जा सकेगा। अग्रनीत हानियों और अवशोषित अक्षयण के संबंध में आस्थगित कर आस्तियों को उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जिस तक यह अभासी निश्चितता है कि पर्याप्त भावी करादेय आय उपलब्ध होगी जिससे ऐसी अस्थगित कर आस्तियों को वसूला जा सकेगा।

न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी), कंपनी को लागू नहीं होता है क्योंकि कंपनी ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115खकक के अधीन कराधान का विकल्प दिया है।

14. पट्टा

पाट्टेदार के रूप में कंपनी: प्रचालित पट्टों के अधीन पट्टा संदायों को मान्यता व्यय के रूप में लाभ और हानि लेखे में सीधे रेखा आधार पर पट्टा निबंधन पर दी जाती है।

पट्टा कर्ता के रूप में कंपनी: पट्टे जिनमें कंपनी पट्टा करता है को बेतिया प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जब कभी पट्टा अंतरण सारवान रूप से स्वामित्व के जोखिम और पुरस्कारों को पट्टेदार को अंतरित कर देते हैं, संविदा को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है उसको अन्य सभी पट्टों को प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

परिचालन पटेटों के लिए भाटक आय को सुसंगत पट्टे के निबंधनों पर सीधी रेखा के आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है। किसी प्रचालन पट्टे को प्राप्त करने में प्रारंभ में उपगत् लागत को अंडरलाइन आस्ति की वहन रकम में जोड़ दिया जाता है और उसे पट्टा आय जैसे उसी आधार पर पट्टा निबंधनों के ऊपर व्यय के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। संबंधित पट्टे पर दिए गए आस्ति को उनकी प्रकृति के आधार पर तुलन पत्र में सम्मिलित किया जाता है।

परिवर्तित नीति का वित्तीय प्रभाव चालू वर्ष के साथ–साथ पूर्व वर्ष में "शून्य" है।

15. प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर आधारिक अर्जन की संगणना साम्या शेयरधारकों (अधिरोपणीय करों की कटौती करने के पश्चात) से संबंधित अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि की अवधि के दौरान बकाया साम्या शेयरों की भारित संख्या से भाग करके की जाती है।

प्रति शेयर कम होते अर्जन की संगणना करने के प्रयोजन के लिए शेयरधारिकों से संबंधित अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित संख्या को कम होते संभावित साम्या शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित कर दिया जाता है।

16. पूर्वावधि मदें और पूर्व संदत्त व्यय से संबंधित समायोजन

क) पूर्वावधि मदें: प्रत्येक मामले में 100000 तक पूर्व अवधि से संबंधित आय/व्यय को तात्विक नहीं समझा जाता है और उसे चालू वर्ष की आय/व्यय के अधीन सम्मिलित किया जाता है।

ख) पूर्वावधि व्ययः प्रत्येक मामले में रु. 100000 तक पूर्व अवधि से संबंधित व्यय को तात्विक नहीं समझा जाता है और उसे चालू वर्ष के व्यय के अधीन सम्मिलित किया जाता है।

परिवर्तित नीति का वित्तीय प्रभाव चालू वर्ष के साथ–साथ पूर्व वर्ष में "शून्य" है।

17. निगम कार्यालय उपरी शीर्ष आवंटन

वेतन और उससे संबंधित लागत से संबंधित निगम/मुख्यालय उपरी शीर्ष का ईपीआई के कुल टर्नओवर के अनुपात में ओमान परियोजना को टर्नओवर के अनुपात में आवंटन कर दिया गया है।

18. विनिधान

दीर्घावधि विनिधान का कथन लागत पर किया जाता है। ऐसे विनिधान के मूल्य में स्थाई कमी को मान्यता दी जाती है और उसके लिए उपबंध किया जाता है।

चालू विधान का कथन लागत और उसके कोट किए गए/उचित मूल्य से कम पर किया जाता है।

परिवर्तित नीति का वित्तीय प्रभाव चालू वर्ष के साथ–साथ पूर्व वर्ष में "शून्य" है।

19. नकद प्रवाह विवरण

नकद प्रवाह की रिपोर्ट प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके की जाती है, इसके द्वारा गैर नकद प्रकृति के संव्यवहार, पूर्व या भावी परिचालन नकद प्राप्तियों या संदाय और नकद प्रवाह में बनी धाम या वित्त पोषण से संयुक्त आय या व्यय के प्रभाव के लिए अवधि के लाभ को समायोजित किया जाता है। कंपनी के प्रचालन, विनिधान और वित्त पोषण कार्यकलापों से नकद प्रवाह को पृथक किया जाता है।

परिवर्तित नीति का वित्तीय प्रभाव चालू वर्ष के साथ–साथ पूर्व वर्ष में "शून्य" है।

20. लाभांश

शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन की तारीख को शेयरों पर अंतिम लाभांश को दायित्व के रूप में अभिलिखित किया जाता है और अंतरिम लाभांश को कंपनी के निदेशक बोर्ड द्वारा घोषणा की तारीख को दायित्व के रूप में अभिलिखित किया जाता है।

परिवर्तित नीति का वित्तीय प्रभाव चालू वर्ष के साथ–साथ पूर्व वर्ष में "शून्य" है।

टिप्पण सं. 2.1

(रकम लाख रुपए में)

शेयर पूंजी	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार
प्राधिकृत		
10/-रुपए प्रत्येक के संदत्त 90,94,04,600 साम्या शेयर	**90,940.46**	90,940.46
(पूर्व वर्ष 10/-रुपए प्रत्येक के संदत्त 90,94,04,600 पूर्णतया संदत्त साम्या शेयर)		
जारी अंशधृत और पूर्णतया संदत्त		
10/-रुपए के प्रत्येक 3,54,22,688 साम्या शेयर		
(पूर्व वर्ष 10/-रुपए के प्रत्येक के संदत्त 3,54,22,688 पूर्णतया संदत्त साम्या शेयर)	**3,542.27**	3,542.27
योग	**3,542.27**	3,542.27

टिप्पण 2.1 (क)

बकाया शेयरों की संख्या का पुनः समायोजन	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार
	संख्या	संख्या
वर्ष के प्रारंभ में	**3,54,22,688**	3,54,22,688
वर्ष के अंत में	**3,54,22,688**	3,54,22,688

टिप्पण 2.1 (ख)

5% से अधिक प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धृत शेयरों की संख्या	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार	
	शेयरों की संख्या	प्रतिशत धृति	शेयरों की संख्या	प्रतिशत धृति
भारत का राष्ट्रपति	**3,54,15,677**	**99.98%**	3,54,15,677	99.98%

टिप्पण सं. 2.1 (ग)

(रकम लाख रुपए में)

प्रस्तावकों द्वारा धृत शेयर क्रम सं. नाम	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार			31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार		
	शेयरों की संख्या प्रतिशत	शेयरों का कुल प्रतिशत परिवर्तन	वर्ष के दौरान	शेयरों की संख्या प्रतिशत	शेयरों का कुल प्रतिशत परिवर्तन	वर्ष के दौरान
1. भारत का राष्ट्रपति	**3,54,15,677**	**99.98%**	—	3,54,15,677	99.98%	—
2. हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	3575	0.01%	—	3575	0.01%	—
3. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	1892	0.01%	—	1892	0.01%	—
4. खनन और संबद्ध मशीनरी निगम लिमिटेड	490	0.00%	—	490	0.00%	—
5. त्रिवेणी स्ट्रक्चर्स लिमिटेड	490	0.00%	—	490	0.00%	—
6. इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड	350	0.00%	—	350	0.00%	—
7. हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स संनिर्माण लिमिटेड	210	0.00%	—	210	0.00%	—
7. ईपीआई शेयरधारक न्यास	4	0.00%	—	4	0.00%	—

टिप्पण सं. 2.2

(रकम लाख रुपए में)

आरक्षित एवं अधिशेष	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार
क) पूंजी आरक्षिति		
वर्ष के प्रारंभ में और अंत में शेष	**2.10**	2.10
ख) साधारण आरक्षिति		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**2,115.00**	2,115.00
जोड़ें : वर्ष के दौरान वर्धन	—	—
वर्ष के अंत में शेष	**2,115.00**	2,115.00
ग) लाभ और हानि के विवरण में अधिशेष		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**9,195.08**	14,197.00
जोड़ें : वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	**(6,506.35)**	(4,974.31)
घटाएं : संदत्त लाभांश*	—	(27.61)
घटाएं : लाभांश वितरण कर*	—	—
वर्ष के अंत में शेष	**2,688.73**	9,195.08
योग(क+ख+ग)	**4,805.83**	11,312.18

* कारपोरेट कार्य मंत्रालय (लेखांकन मानक) ने संशोधन नियम 2016 (सा. का.नि 364(ई) तारीख 30 मार्च 2016 को अधिसूचित करते हुए लेखांकन मानक (एएस) 4 आकास्मिक्ताएं और तुलन पत्र तारीख के पश्चात होने वाली घटनाएं को संशोधित किया है। संशोधित लेखाकन मानक एएस 4 का पैरा 14 उपबंध करता है कि यदि लाभांश की घोषणा तुलन पत्र की तारीख के पश्चात की जाती है तब ऐसे लाभांश को तुलन पत्र की तारीख को दायित्व के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है क्योंकि उस तारीख को कोई बाध्यता विद्यामान नहीं थी।

टिप्पण सं. 2.3

(रकम लाख रुपए में)

अन्य दीर्घावधि दायित्व	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार
व्यापार संदेय		
– सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम*	**14,493.34**	14,761.49
– अन्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	**–**	–
– विवादास्पद देय, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम*		
– अन्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम से भिन्न विवादास्पद देय मध्यम उद्यम	**1,161.73**	1,437.82
अन्य दायित्व,		
– प्रतिभूति जमा और प्रतिधारण धन#	**37,124.41**	35,170.67
–ग्राहक से प्राप्त अग्रिम	**15,815.35**	12,553.98
–ग्राहकों को संदेय अन्य	**153.71**	182.20
योग	**68,748.54**	64,106.16

* अनुसूची 3 में संशोधनों के संबंध में तारीख 24.03.2021 की अधिसूचना के अनुसार व्यापार प्राप्य एंजिंग अनुसूची के लिए टिप्पण सं. 2.8क को निर्दिष्ट करे।

* सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 मैं यथा परिभाषित, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों को देय रकम की इन निकायों से प्राप्त पुष्टि के आधार पर कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के परिमाण तक पहचान की गई है और इन पहचाने गए निकायों के प्रति 40 दिन से अधिक के परे कोई रकम संदेय नहीं थी।

ईपीआईएल द्वारा मयांमार परियोजना में सीएंडसी संनिर्माण लिमिटेड के निमित्त ईपीआईएल द्वारा बैंक प्रतिभूति के बदले 4554.00 लाख रुपए में 1906.64 लाख रुपए की रकम सम्मलित है और शेष को ओमान में किए गए कार्य के स्थान पर प्राप्त किया गया है। अधिक ब्योरों के लिए टिप्पण संख्या 2.29 को निर्दिष्ट करें।

टिप्पण सं. 2.4

(रकम लाख रुपए में)

दीर्घावधि दायित्व	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार
अन्य व्यय के लिए उपबंध	**1659.22**	
कर्मचारी फायदा :		
–छुट्टी नकदीकरण	**1,243.15**	1,368.33
–उपदान	**5.83**	170.33
–दीर्घ सेवा पुरस्कार	**17.64**	19.58
–पश्च सेवानिवृत्ति चिकित्सा फायदे	**1,828.56**	1,647.88
–पश्च सेवानिवृत्ति यात्रा भत्ता	**3.54**	3.85
योग	**4,757.94**	**3,209.97**

टिप्पण सं. 2.5

(रकम लाख रुपए में)

लघु अवधि उधार	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार
प्रत्याभूत		
– बैंकों से मांग पर संदेय ऋण #	–	–
अप्रत्याभूत		
– बैंकों से मांग पर संदेय ऋण *	41.53	4,845.32
दीर्घावधि उधारों की चालू परिपक्वता	–	–
योग	**41.53**	4,845.32

*41.53 लाख रुपए (पूर्व वर्ष 4,845.32 लाख रुपए) आईओबी दिल्ली के पास निधि आधारित/सीमा लघु अवधि ऋण के आधार पर निधि के लिए स्वच्छ नकद रोकड़ के लिए

टिप्पण सं. 2.6

(रकम लाख रुपए में)

व्यापार संदेय	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार
व्यापार संदेय**		
– सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम	3,463.91	790.21
– सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम से भिन्न अन्य	41,043.96	41,149.35
– विवादास्पद शोध्य–सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम	–	8.71
– विवादास्पद शोध्य–सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम से भिन्न अन्य	–	–
योग	**44,507.87**	41,948.27

** अनुसूची 3 में संशोधनों के संबंध में तारीख 24.03.2021 की अधिसूचना के अनुसार पुराने हो रहे कि अनुसूची में व्यापार संदेय के लिए टिप्पण सं. 2.8क निर्दिष्ट करें।

* सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 के निबंधनों में इन उपक्रमों को देय रकम का प्रकटन किए जाने की अपेक्षा है। इन उपक्रमों से अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने की अपेक्षा है। अधिकांश विक्रेताओं से उनके रजिस्ट्रीकरण के संबंध में सुसंगत सूचना की अनुपस्थिति में अपेक्षित सूचना का उचित रूप से पता नहीं लगाया जा सकता है।

कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर वर्ष के अंत में 3463.91 लाख रुपए (पूर्व वर्ष 798.92 लाख रुपए) सूक्ष्म लघु और मध्यम उपक्रमों को संदेय थे। वर्ष के लिए ब्याज की कोई रकम संदेय नहीं थी।

टिप्पण सं. 2.7

(रकम लाख रुपए में)

अन्य चालू दायित्व	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार
ग्राहकों से अग्रिम	**48,926.11**	27,915.84
सुरक्षा जमा, प्रतिधारण एवं प्रतिभूति	**7,052.22**	6,703.07
बकाया दायित्व	**758.91**	1,052.48
ग्राहक को संदेय अन्य रकम	**625.74**	559.07
संकर्म के लिए अग्रिम राजस्व	**6,398.44**	5,880.27
कर्मचारियों को संदेय*	**589.06**	842.01
अतिरिक्त संदेय दावे	**8,757.65**	8,274.82
कानूनी दायित्व	**4,662.14**	1,379.29
योग	**77,770.27**	52,606.85

* 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कार्यनिष्पादन संबंधी वेतन की 23.53 लाख रुपए (पूर्व वर्ष 38,72 लाख रुपए) रकम कतिपय कर्मचारियों को जारी करने के लिए लंबित है।

वेतन पुनरीक्षण (तीसरा पीआरसी) के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसरण में 1 जनवरी 2017 से 0 रुपए की रकम (पूर्व वर्ष शून्य रुपए) रुपए का उपबंध वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान लेखाबहियों में किया गया है। 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार संचाई उपबंध 475.80 लाख रुपए है (पूर्व वर्ष 693.08 लाख रुपए)

टिप्पण सं. 2.8

(रकम लाख रुपए में)

लघु अवधि उपबंध	**31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार**	**31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार**
संभावित राशि के लिए उपबंध (एएस–7 के अनुसार)	**601.46**	806.50
आयकर के लिए प्रावधान उपबंध (विदेशी)	–	42.25
कर्मचारी लाभः		
–छुट्टी नकदीकरण	**322.82**	229.18
–उपदान	**84.71**	88.16
–दीर्घ सेवा पुरस्कार	**6.77**	3.33
–पश्च सेवानिवृत्ति चिकित्सा फायदे	**146.66**	247.93
–पश्च सेवानिवृत्ति यात्रा भत्ता	**0.62**	0.46
योग	**1,163.04**	1,417.81

टिप्पण सं. 2.8क

व्यापार संदेय एंजिंग अनुसूची

(रकम लाख रुपए में)

विशिष्टियां	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार					31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार				
	संदाय की सम्यक् तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया #					संदाय की सम्यक् तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया #				
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	**योग**	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
एमएसएमई	3,463.91	0.00	–	–	3,463.91	790.21	–	–	–	790.21
अन्य	35,357.18	4,806.22	2,422.29	11,591.91	54,177.61	37,937.29	2,264.74	5,133.58	9,262.33	54,597.94
विवादास्पद देय–एमएसएमई	–	–	–	–	–	–	–	–	8.71	8.71
विवादास्पद देय–अन्य	–	113.14	48.49	2,359.16	2,520.78	85.28	46.62	25.89	2,592.91	2,750.70
योग	**38,821.09**	**4,919.36**	**2,470.78**	**13,951.08**	**60,162.30**	38,812.78	2,311.36	5,159.47	11,863.95	58,147.56

ऐसी सूचना वहां दी जाएगी जहां संदाय के लिए कोई नियत तारीख विनिर्दिष्ट नहीं की गई है उस दशा में प्रकटन संव्यवहार की तारीख से होगा।

बीजक न बनाए गए देयों का प्रकटन पृथक् रूप से किया जाएगा।

टिप्पण सं. 2.9 (i)

31.03.2022 की स्थिति के अनुसार संपत्ति, संयत्र और उपस्कर विवरण

(रकम लाख रुपए में)

विवरण	समग्र खंड					अवक्षयण/अपाकरण					शुद्ध ब्लाक	
	अति शेष	वर्धन	समायोजन	विक्रय/बट्टे खाते में डाला गया	योग	अति शेष	वर्ष के लिए	समायोजन	विक्रय/बट्टे खाते में डाला गया	योग	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर												
फ्री होल्ड भूमि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
पट्टा धृत भूमि	16.16	–	–	–	**16.16**	3.64	0.15	–	–	**3.79**	12.37	12.52
भवन फ्री होल्ड	46.87	–	–	–	**46.87**	29.99	1.09	–	–	**31.08**	15.79	16.88
पट्टा धृत भवन*	667.13	–	–	21.88	**645.25**	290.34	12.77	–	21.88	**281.24**	364.02	376.79
कम्प्यूटर और उपस्कर	519.22	28.86	(1.77)	49.71	**496.60**	465.92	19.36	(2.22)	46.92	**436.13**	60.47	53.30
कार्यालय और अन्य उपस्कर	280.99	6.49	(1.19)	30.54	**255.16**	245.10	11.44	(1.32)	29.74	**224.99**	30.16	35.89
संनिर्माण उपस्कर	626.82	–	–	0.76	**626.06**	504.04	15.59	–	0.74	**518.90**	107.16	122.77
फर्नीचर एवं सज्जा	262.00	18.57	(6.39)	6.98	**267.06**	195.31	15.54	(6.42)	6.23	**198.13**	68.93	66.70
वाहन	72.06	–	–	29.86	**42.19**	60.43	3.92	–	28.37	**35.98**	6.22	11.63
योग	**2,491.25**	**53.92**	**(9.34)**	**139.74**	**2,395.36**	**1,794.77**	**79.86**	**(9.96)**	**133.88**	**1,730.24**	**665.12**	**696.48**
पूर्व वर्ष	2,456.45	48.88	(0.00)	14.08	2,491.25	1,716.02	86.78	(0.00)	8.03	1,794.77	696.48	

* स्कोप परिसर, नई दिल्ली में भवन के संबंध में कनवेंस विलेख में 374.42 लाख रुपए (पूर्व वर्ष 374.42 लाख रुपए) की लागत पर कंपनी के नाम से निष्पादन के लिए नियत आस्तियां लंबित हैं।

टिप्पण सं. 2.9 (ii)

31.03.2022 की स्थिति के अनुसार अमूर्त आस्तियां

(रकम लाख रुपए में)

विवरण	समग्र खंड					अवक्षयण/अपाकरण					शुद्ध ब्लाक	
	अति शेष	वर्धन	समायोजन	विक्रय/बट्टे खाते में डाला गया	योग	अति शेष	वर्ष के लिए	समायोजन	विक्रय/बट्टे खाते में डाला गया	योग	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
अमूर्त आस्तियां												
सॉफ्टवेयर (अर्जित)	244.64	3.90		1.31	247.23	220.14	8.29		1.24	227.18	**20.05**	24.50
योग	**244.64**	**3.90**	—	**1.31**	**247.23**	**220.14**	**8.29**	—	**1.24**	**227.18**	**20.05**	**24.50**
पूर्व वर्ष	244.73	—	—	0.09	244.64	207.63	12.58	—	0.07	220.14	**24.50**	

टिप्पण सं. 2.9(iii)

31.03.2022 की स्थिति के अनुसार अमूर्त आस्तियां

विवरण	समग्र खंड					अवक्षयण/अपाकरण					शुद्ध ब्लाक	
	अति शेष	वर्धन	समायोजन	विक्रय/बट्टे खाते में डाला गया	योग	अति शेष	वर्ष के लिए	समायोजन	विक्रय/बट्टे खाते में डाला गया	योग	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
अमूर्त आस्तियां (निर्माणाधीन)												
सॉफ्टवेयर (निर्माणाधीन)	78.38	—	—	—	**78.38**	—	—	—	—	—	**78.38**	78.38
योग	**78.38**	—	—	—	**78.38**	—	—	—	—	—	**78.38**	**78.38**
पूर्व वर्ष	25.99	52.39	—	—	**78.38**	—	—	—	—	—	**78.38**	
वर्तमान वर्ष का कुल योग	**2,814.27**	**57.82**	**(9.34)**	**141.05**	**2,720.97**	**2,014.91**	**88.16**	**(9.96)**	**135.13**	**1,957.43**	**763.55**	
पूर्व वर्ष का कुल योग	**2,727.16**	**101.27**	**(0.00)**	**14.16**	**2,814.27**	**1,923.65**	**99.36**	**(0.00)**	**8.09**	**2,014.91**	**799.36**	

* टिप्पण सं. 2.52 पर अतिरिक्त विनियामक सूचना को विनिर्दिष्ट करें, जिसमें तारीख 24.03.2021 की अधिसूचना के अनुसार विकास एंजिंग में संशोधन अनुसूची–III के अधीन अमूर्त आस्तियां अंतर्विष्ट हैं।

टिप्पण सं. 2.10

(रकम लाख रुपए में)

आस्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)*	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार
नियत आस्तियों पर अवक्षयण	**(47.57)**	(605.47)
संदेहस्पद ऋणों के लिए उपबंध	**848.13**	1,106.37
कर्मचारी फायदे के लिए उपबंध (एएस–15)	**343.38**	443.54
अन्य अननुज्ञात	**151.38**	387.86
योग	**1,295.32**	1,332.30

* डीटीए की संगणना करने के लिए उपायोजित कर दर 25.168% है (आय–कर 22%, अधिभार 10%, स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर 4% है।)

टिप्पण सं. 2.11

(रकम लाख रुपए में)

दीर्घावधि ऋण और अग्रिम	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार	
(अप्रत्याभूत, अच्छा समझा गया जब तक कि अन्यथा कथित नहीं है)				
संकर्म के लिए अग्रिम :				
–बीजी के विरुद्ध लिया गया सचलीकरण अग्रिम	**2,003.78**		1,347.69	
–सामग्री के विरुद्ध लिया गया	**289.28**		110.66	
–अन्य अग्रिम	**2,249.48**		2,461.06	
अन्य अग्रिम जिन्हें संदेहस्पद समझा गया	**653.47**		656.24	
	5,196.01		4,575.65	
घटाएं–संदेहस्पद और खराब अग्रिम के लिए उपबंध	**(653.47)**	**4,542.54**	(653.47)	3,922.18
कर्मचारीवृंद उधार एवं अग्रिम		**9.79**		11.35
वसूलनीय अग्रिम करध्टीडीएस	**247.07**		3,957.45	
घटाएं–आयकर के लिए उपबंध से	–	**247.07**	(281.99)	3,675.46
अग्रिम कर (विदेशी)#		–		519.41
एमएटी प्रत्यय (लेखांकन वर्ष 2018–19)		–		–
अप्रत्यक्ष कर (वसूलनीय, इनपुट कर प्रत्यय, अग्रिम)		**2,210.03**		2,490.28
योग		**7,009.43**		10,618.68

टिप्पण 2.12

(रकम लाख रुपए में)

अन्य गैर–चालू आस्तियां	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार	
व्यापार प्राप्य*				
अच्छा समझा गया अप्रत्यभूत	–		–	
अच्छा समझा गया अप्रत्यभूत	**5,907.66**		5,671.90	
संदेहस्पद समझा गया	**754.60**		698.79	
	6,662.26		6,370.69	
घटाएं; खराब एवं संदेहस्पद वसूलियां के लिए मोक	**(754.60)**	**5,907.66**	(698.79)	5,671.90
सुरक्षा जमा एवं प्रतिधारण धन	**25,939.37**		27,613.70	
संदेहस्पद समझा गया	**880.22**		880.22	
	26,819.59		28,493.92	
घटाएं य खराब एवं संदेहस्पद वसूलनीय के लिए मोक	**(880.22)**	**25,939.37**	(880.22)	27,613.70
अन्य आस्तियां				
नियत जमा #		**86.74**		82.32
ग्राहकों, विक्रेताओं एवं अन्य से वसूलनीय	**22,876.47**		23,761.47	
संदेहस्पद समझा गया	**1,081.59**		1,081.59	
	23,960.06		24,843.06	
घटाएं य खराब एवं संदेहस्पद वसूलनीय के लिए मोक	**(1,081.59)**	**22,876.34**	(1,081.59)	23,763.60
योग		**54,812.24**		57,131.52

* अनुसूची 3 में संशोधनों के संबंध में तारीख 24.03.2021 की अधिसूचना के अनुसार व्यापार प्राप्य एंजिंग अनुसूची के लिए टिप्पण सं. 2.14क को निर्दिष्ट करे।

31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार कंपनी ने 82.32 लाख रुपए (पूर्व वर्ष 77. 31 लाख रुपए) के नियत जमा को ग्राहकों/अन्य के पास धरोहर राशि जमा/प्रतिभूति जमा जो ग्राहक द्वारा दिया गया था को नियत जमा में रखा है, जो विवाद के अधीन है यह मामला विचाराधीन है।

टिप्पण सं. 2.13

(रकम लाख रुपए में)

चालू निवेश	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार
ईपीआई अर्बन इन्फ्रा डेवलपर्स लिमिटेड (अनुषंगी कंपनी) के 10 रुपए के 51,000 रुपए (पूर्व वर्ष 51,000 रुपए) के प्रत्येक	**5.10**	5.10
घटाएं : विनिधान के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	**(5.10)**	(5.10)
योग	–	–

टिप्पण सं. 2.14

(रकम लाख रुपए में)

मालसूचियां	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार
सामग्रियां : (लागत से निम्न या एनआरवी)		
–इस्पात	**196.36**	17.85
–सीमेंट	–	
–पाइप तथा अन्य	–	–
योग	**196.36**	17.85

टिप्पण सं. 2.15

(रकम लाख रुपए में)

व्यापार वसूलनीय	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार
व्याापार प्राप्य*		
(प्रव्याभूत जो अच्छा समझा गया		
निम्न्लिखित के लिए बकाया है:–	–	
	–	–
अप्रत्य भूत जो अच्छा समझा गया	**19,267.84**	26,839.45
संदेहस्पद समझा गया	–	–
	19,267.84	26,839.45
घटाएं य खराब एवं संदेहस्पद वसूलनीय के लिए मोक	–	–
योग	**19,267.84**	26,839.45

* अनुसूची 3 में संशोधनों के संबंध में तारीख 24.03.2021 की अधिसूचना के अनुसार व्यापार प्राप्य एंजिंग अनुसूची के लिए टिप्पण सं. 2.15 क को निर्दिष्ट करे।

टिप्पण सं. 2.15क

व्यापार प्राप्य एंजिंग अनुसूची

(रकम लाख रुपए में)

विशिष्टियां	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार						31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार					
	संदाय की सम्यक् तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया #						संदाय की सम्यक् तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया #					
	6 मास से कम	6 मास – 1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग	6 मास से कम	6 मास –	1–2 वर्ष 1 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
(i) अविवादास्पद व्यापार प्राप्य – अच्छा माना गया	7,932.57	9,396.44	1,240.82	282.32	3,438.21	22,290.36	21,575.59	3,962.64	124.27	159.62	3,803.92	29,626.03
(ii) अविवादास्पद व्यापार प्राप्य–संदेहस्पद माना गया	–	–	–	–	118.85	118.85	–	–	–	–	63.04	63.04
(iii) अविवादास्पद व्यापार प्राप्य– अच्छा माना गया	–	–	–	–	2,885.14	2,885.14	–	–	–	0.86	2,884.46	2,885.32
(iv) अविवादास्पद व्यापार प्राप्य–संदेहस्पद माना गया	–	–	–	–	635.76	635.76	–	–	–	–	635.76	635.76
योग	**7,932.57**	**9,396.44**	**1,240.82**	**7,077.95**	**25,930.10**	**21,575.59**	**3,962.64**	**160.48**	7,387.17		33,210.14	

समान सूचना वहां दी जाएगी जहां संदाय के लिए कोई नियत तारीख विनय लिस्ट नहीं की गई है उसे समय पर कटन संव्यवहार की तारीख से होगा।

बीजक ना बनाए गए देय प्रकटन पृथक रूप से किया जाएगा।

टिप्पण सं. 2.16 (i)

(रकम लाख रुपए में)

नकद और नकद के समतुल्य	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार	
नकद और नकद के समतुल्य :				
बैंक में शेष				
–चालू खाते में'	**25,556.79**		8,597.29	
–नियम जमा (3 मास की परिपक्वता तक)**	**10,754.07**	**36,310.86**	3,849.64	12,446.93
हाथ में नकद				0.01
योग		**36,310.86**		12,446.94

टिप्पण सं. 2.16 (ii)

(रकम लाख रुपए में)

अन्य बैंक शेष	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार
नियत जमा#** (3 मास से अधिक परिपक्वता के साथ किंतु 12 मास से कम)	**12,654.78**	17,357.44
योग	**12,654.78**	17,357.44

* चालू खाते में पूर्वोक्त 24,488.10 लाख रुपए (पूर्व वर्ष 7,748.59 लाख रुपए) ग्रहक की ओर से जमा के रूप में रखे गए हैं.

** नियत जमा में शेष में से 22,554.99 लाख रुपए (पूर्व वर्ष 20,539.89 लाख रुपए) ग्रहक की ओर से जमा के रूप में रखे गए हैं। 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार कंपनी ने 30.00 लाख रुपए (पूर्व वर्ष शून्य) ग्रहकों /अन्य के पास/धरोहर राशि जमा/प्रतिभूति जमा के रूप गिरवी रखा है.

31.03.2022 की स्थिति के अनुसार कंपनी ने 325.27 लाख रुपए (पूर्व वर्ष 288.44 लाख रुपए) को ग्राहकों /अन्य के पास/धरोहर राशि जमा/सुरक्षा जमा/विक्रय कर विभाग के पास गिरवी रखा है।

टिप्पण सं. 2.17

(रकम लाख रुपए में)

लघु अवधि ऋण एवं अग्रिम	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार	
(अप्रत्याभूत अच्छा समझा गया सिवाय अन्यथा कथन के) कार्य के लिए अग्रिम :				
–बीजी के विरुद्ध कार्य के लिए प्राप्त किया गया अग्रिम	**3,894.67**		4,528.55	
–सामग्री के विरुद्ध प्राप्त किया गया	**643.15**		442.57	
–अन्य अग्रिम	**803.16**	**5,340.98**	1,088.71	6,059.83
अग्रिम कर/वसूलनीय टीडीएस		**2,255.93**		13.29
अप्रत्यक्ष कर (ईनपुट कर प्रत्यय, अग्रिम)		**4,278.58**		2,497.38
कर्मचारीवृंद ऋण एवं अग्रिम		**44.99**		24.70
प्राप्य प्रतिभूति प्रतिधारण एवं धरोहर धन		**12,967.45**		11,040.20
योग		**24,887.93**		19,635.40

टिप्पण सं. 2.18

(रकम लाख रुपए में)

अन्य चालू आस्तियां	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार
उद्भूत ब्याज किंतु बैंक जमा में शोध्य नहीं	**192.55**	50.73
पूर्व संदत्त व्यय	**126.52**	277.02
ग्राहकों, विक्रेताओं एवं अन्य से वसूलनीय	**23,863.34**	11,545.10
राजस्व जिसका बिल नहीं बनाया गया है।	**23,956.57**	24,937.04
योग	**48,138.98**	36,809.89

टिप्पण सं. 2.19

(रकम लाख रुपए में)

प्रचालनों से राजस्व	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार
किए गए कार्य का मूल्य	**72,965.47**	66,638.98
अन्य प्रचालन आय	**651.87**	13,923.19
योग	**73,617.34**	80,562.17

टिप्पण सं. 2.20

(रकम लाख रुपए में)

अन्य आय	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार	
निम्नलिखित से अर्जित ब्याज आय	**23.94**		53.41	
बैंक में जमा	**1.04**		0.85	
कर्मचारी अग्रिम	**550.10**	**575.08**	199.41	253.67
अन्य (उप–ठेकेदारों/ग्राहक/आयकर प्रतिदाय)		—		—
अन्य गैर–प्रचालन आय	—		14.72	
खर्च न किया गया दायित्वक/बट्टे खाते में डाला गया शेष	**602.23**		243.56	
प्रकीर्ण आय	**190.97**		27.60	
अग्रिम एएस 7 के अनुसार संभावित हानि के लिए उपबंध को विलोम करना	—	793.20	—	285.88
योग		**1,368.28**		539.55

टिप्पण सं. 2.21

(रकम लाख रुपए में)

प्रचालन व्यय	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार
सिविल, मैकेनिकल और वैद्युत कार्य	**65,933.12**	60,474.35
डिजाइन और सलाहकारी प्रभार	**1,021.24**	438.64
अन्य प्रत्यक्ष व्यय	**1,009.89**	681.00
लेखांकन मानक (7 के अनुसार) भावी नुकसान के लिए उपबंध	**(29.62)**	(326.81)
संदत्त दावे	**529.27**	13,608.24
स्वामिस्व	**0.12**	1.23
योग	**68,464.02**	74,876.65

टिप्पण सं. 2.22

(रकम लाख रुपए में)

कर्मचारी पारिश्रमिक और फायदे	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार
वेतन और भत्ते#	**5,977.06**	5,919.02
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान+	**540.28**	566.91
कर्मचारी कल्याण व्यय*	**930.36**	761.18
योग	**7,447.70**	7,247.11

वेतन एवं भत्तों में शून्य रुपए (पूर्व वर्ष शून्य) का उपबंध सम्मिलित है जो वेतन पुनरीक्षण के कारण सृजित किया गया है (तीसरा पीआरसी)

+ इसमें भविष्य निधि न्यास के कारण 17.50 लाख रुपए (पूर्व वर्ष 35.40 लाख रुपए) के ब्याज की कमी के कारण सम्मिलित हैं।

* इसके अंतर्गत चिकित्सा व्यय, छुट्टी नकदी करण दीर्घावधि सेवा पुरस्कार और अन्य कर्मचारी कल्याण व्यय सम्मिलित हैं।

टिप्पण संख्या 2.23

(रकम लाख रुपए में)

वित्तीय लागत	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार
निम्नलिखित को संदत्त ब्याजः		
– बैंक	**248.60**	791.34
– अन्य	**229.54**	240.97
योग	**478.14**	1,032.31

टिप्पण सं. 2.24

(रकम लाख रुपए में)

अन्य व्यय	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	**43.29**	55.84
दर और कर	**109.76**	341.92
डाक व्यय और दूरसंचार	**99.35**	110.76
मरम्मत एवं अनुरक्षण		
कार्यालय	**287.87**	355.26
भवन	**48.49**	19.39
अन्य नियत आस्तियां	**0.30**	0.23
कम्प्यूटर व्यय	**73.50**	63.11
जल, विद्युत एवं ईंधन प्रभार	**93.90**	82.17
निविदा व्यय	**22.83**	25.20
विज्ञापन एवं प्रचार	**13.76**	2.40
विधिक और व्यावसायिक प्रभार	**209.96**	140.58
संविदा पर परामर्श	**7.89**	15.24
बीमा	**30.04**	35.82
मनोरंजन	**13.75**	12.80
बैंक प्रभार	**66.53**	135.59
वाहन चलाना एवं अनुरक्षण	**25.37**	22.74
जनशक्ति विकास	**3.71**	1.11
नियत आस्तियों की बिक्री पर हानि	**1.26**	1.56
प्रायोजक्ता फीस	–	2.15
यात्रा एवं अन्य अनुषंगी व्यय (घरेलू)$	**412.03**	450.40
यात्रा एवं अन्य अनुषंगी व्यय (विदेश)	**13.46**	3.73
सीएसआर और स्थिरता*	–	1.33
अनुसंधान एवं विकास	–	–
लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक@	**19.23**	20.16
व्यापार संवर्धन	**13.58**	13.26
कार्यालय किराया	**1,835.59**	135.97
सदस्यता और सदस्यता शुल्क	**2.65**	3.57
फाइलिंग और पंजीकरण शुल्क	**1.84**	6.31
संदिग्ध ऋण, ऋण और अग्रिम और अन्य के लिए प्रावधान	**55.81**	–
संदिग्ध वसूली के लिए बट्टे खाते में डाली गई राशि	**1,166.14**	–
विदेशी मुद्रा विनिमय में परिवर्तन (लाभ)/हानि	**5.95**	9.36
विविध व्यय	**57.46**	30.88
योग	**4,735.30**	2,098.84

$ यात्रा और अन्य अनुषंगी व्ययों में स्थल पर कठोर जीवनयापन व्यय के शून्य रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 47.40 लाख रुपए) और निदेशकों के यात्रा व्यय 12.35 लाख/– रुपए(पूर्व वर्ष 3.76/– लाख रूपए)

* कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के उपबंधों के अनुसरण में, कोई कंपनी जो लागू होने के सीमा को पूरा करती है से निगम सामाजिक उत्तरदायित्व पर तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2 प्रतिशत को व्यमय करने की अपेक्षा है। वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा निगम सामाजिक उत्तरदायित्व पर 1,33,000 रुपए (पूर्व वर्षों के बजट से अग्रणीत रकम) को व्यय करने की अपेक्षा है। वर्ष के दौरान संनिर्माण/आस्तियों के अर्जन से भिन्न प्रयोजनों पर वास्तविक रूप में खर्च की गई रकम शून्य रूपए है

@लेखा परीक्षकों की संदाय के ब्यौरे:

(रकम लाख रुपए में)

लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार
लेखापरीक्षा फीस	**15.76**	16.66
कर लेखापरीक्षा	**3.26**	2.94
अन्य सेवाएं (प्रमाणन फीस)	**0.21**	0.19
अन्य लागत	–	0.37
योग	**19.23**	20.16

जिसमें जीएसटी सम्मलित नहीं है (पूर्व वर्ष के आंकडों में सेवा कर सम्मलित है)

टिप्पण सं. 2.25

(रकम लाख रुपए में)

पूर्व अवधि समायोजन (शुद्ध)	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार
आय	–	–
प्रचालन आय	–	–
अन्य आय	–	–
पूर्व अवधि आय का उप–योग (क)	–	–
घटाएं : व्यय		
प्रचालन व्यय	–	116.26
कर्मचारी पारिश्रमिक और फायदे	–	–
अवक्षयण	–	–
अन्य	**3.80**	–
पूर्व अवधि व्यय का उप–योग (ख)	**3.80**	116.26
पूर्व अवधि व्यय का योग (शुद्ध) (ख–क)	**3.80**	116.26

टिप्पण सं. 2.26

आकस्मिक दायित्व कंपनी के विरुद्ध ऋण के रूप में दावा नहीं किया:		31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार (रकम लाख रुपए में)	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार (रकम लाख रुपए में)
1	**विधिक और माध्यस्थम की बावत**		
क	अधिनिर्णयन के लिए लंबित दावे, उसके लिए रकम तब ली गई है जब युक्तियुक्त रूप से उसका पता लगाया जा सके।*	**55,440.14**	48,305.68
ख	उन मामलों के संबंध में जहां पंचाट कंपनी के पक्ष में प्रकाशित किया गया है किन्तु प्रतिपक्ष ने अपील कर दी है।*	**5,937.17**	6,253.07
	योग	**61,377.31**	54,558.75
2	विवाद/अपीलों के अधीन पूरे किए गए निर्धारणों के संबंध में आय–कर/विक्रय कर/संकर्म संविदा कर/सेवा कर की मांग के संबंध में	**5,133.87**	5,548.42
3.	ग्राहक के निमित्त जारी की गई प्रतिभूतियों के संबंध में	–	–
	उपयोग	**66,511.18**	60,107.17

* पूर्वोक्त के विरूद्ध कंपनी के प्रतिस्थानी दावे हैं

टिप्पण सं. 2.27

ईआरपी के कार्यान्वयन के लेखे अमूर्त आस्तियों के विकास के लिए निष्पादित शेष संविदाओं की आकलित रकम 1.57 लाख रुपए (पूर्व वर्ष 53.96 लाख रुपए) है, जिसके लिए उपबंध नहीं किया गया है, और वर्ष 2021–22 में इस निमित्त शून्य रुपए की रकम का पूंजीकरण किया गया है।

टिप्पण सं. 2.28

विदेशी मुद्रा में व्यय :

(रकम लाख रुपए में)

क्रम सं.	विशिष्टियां	31.03.22 को समाप्त वर्ष	31.03.21 को समाप्त वर्ष
1	प्रचालन व्यय	**833.85**	26,015.43
2	व्यावसायिक एवं सलाह प्रभार	**4.42**	47.24
3	विदेशी मुद्रा में फेरफार नुकसान	**5.95**	9.36
4	नियत आस्तियों का क्रय	**2.29**	1.06
5	प्रशासनिक एवं अन्य व्यय		
क	यात्रा	**68.26**	53.61
ख	निविदा व्यय	–	–
ग	अन्य	**636.06**	1,133.09
	योग	**1,550.84**	27,259.79

विदेशी मुद्रा में अर्जनः

(रकम लाख रुपए में)

क्रम सं.	विशिष्टियां	31.03.22 को समाप्त वर्ष	31.03.21 को समाप्त वर्ष
1	संकर्म प्राप्तियां	**1,275.44**	27,520.77
2	ब्याज से आय	**3.19**	16.98
3	विदेशी मुद्रा में परिवर्तन से लाभ	**190.97**	27.60
4	अन्य	**19.20**	0.08
	योग	**1,488.80**	27,565.42

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान ओमान से प्राप्त विदेशी मुद्रा 1249.56 लाख रुपए जो 763.84 लाख अमरीकी डालरों के बराबर है (पूर्ववर्ती वर्ष 1,249.66 लाख रूपए जो 17.00 लाख अमरीकी डालरों के बराबर है)।

टिप्पण 2.29

क) कंपनी ने 75,826.50 लाख रुपए (पूर्व वर्ष 84,879.80 लाख रुपए) की मंजूरी के विरुद्ध विभिन्न बैंकों से बिना किसी प्रतिभूति के 48,717.12 लाख रुपए (पूर्व वर्ष 47,069.90 लाख रुपए) गैर निधि आधारित प्रत्यय सीमा का उपयोग किया है। इसके अंतर्गत ईपीआई,सीएण्डसी, जेवी द्वारा म्यांमार में निष्पादित की जाने वाली परियोजना के लिए 7,590 लाख रुपए सम्मिलित है जिसके अंतर्गत इसके अंतर्गत अग्रणी भागीदार अर्थात् सीएंडसी संनिर्माण लिमिटेड के निमित बैंक प्रतिभूति के बदले 4,554.00 करोड़ रुपए और स्वयं के निमित में 3,036.00 करोड़ रुपए की रकम सम्मालित हैं।

ख) म्यांमार परियोजना में सीएंडसी संनिमार्ण लिमिटेड के निमित 4554.00 लाख रुपए की आईपीएल द्वारा दी गई बैंक गारंटी के स्थान पर ईपीआईएल को 1906.64 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं और शेष को ओमान में किए गए कार्य के लिए प्रतिभूत किया गया है। वर्ष के दौरान विदेश कार्य विभाग ने तारीख 9 फरवरी 2022 के पत्र द्वारा (प्लेटवा से भारत–म्यांमार सीमा (जोरिन पुरी) पर राष्ट्रीय राजमार्ग विशिष्टयों के अनुसार दो लेन की सड़क की संनिर्माण की परियोजना) संपूर्ण संविदा को गैर निष्पादन का कथन करते हुए समाप्त कर दिया और पश्चात भर्ती रूप से 75.90 करोड़ रुपए की रकम की बैंक गारंटी को आहूत किया (ईपीआई की हिस्सेदारी 30.36 करोड रुपए और सीएंडसी की हिस्सेदारी 45.54 करोड रुपए)। ईपीआई ने तारीख 11 फरवरी 2022 के अपने पत्र के द्वारा अपने उप ठेकेदार मैसेज आरके आरपीपी संयुक्त उद्यम (ठेके का मूल्य 414 करोड़ रुपए) को समाप्त कर दिया और 20.70 करोड़ रुपए (414 करोड़ रुपए का 5 %) के गैर निष्पादान के कारण बैंक गारंटी को आहूत किया।

(ग) सीएंडसी संनिर्माण लिमिटेड म्यांमार में संयुक्त उद्यम ''ईपीआई– सीएंडसी जेवी (अनिगमित)'' हमारा 60 प्रतिशत स्टेक भागीदार और ओमान परियोजना में हमारा मुख्य ठेकेदार इस समय सामना एनसीएलटी में दिवाला कार्यवाहियों का सामना कर रहा है और यह मामला अग्रिम चरण में है। इसका परिणाम और ईपीआईएल के वित्तीय विवरणों पर उसके वित्तीय प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है।

टिप्पण सं. 2.30

लेखांकन मानक 17 के अनुसार प्रकटन

कंपनी ने दो प्रारंभिक खंडों की पहचान की है अर्थात घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय। तदनुसार, खंड सूचना नीचे दिए अनुसार है:

प्रारंभिक खंड सूचना (भौगोलिक)

(रकम लाख रुपए में)

विशिष्टियां	चालू वर्ष (2021–22)				पूर्व वर्ष (2020–21)			
	घरेलू	अंतर्राष्ट्रीय	अन–आबंटित	योग	घरेलू	अंतर्राष्ट्रीय	अन–आबंटित	योग
कारोबार की किस्म	संनिर्माण				संनिर्माण			
प्रचालनों से राजस्व	72,341.90	1,275.44	–	73,617.34	53,041.40	27,520.77	–	80,562.17
अन्य आय	225.17	213.36	929.75	1,368.28	154.18	44.65	340.72	539.55
कुल आय	**72,567.08**	**1,488.80**	**929.75**	**74,985.62**	**53,195.59**	**27,565.42**	**340.72**	**81,101.72**
परिणाम								
अवक्षयण, ब्याज और कर से पूर्व आय	(3,266.35)	(46.29)	(2,352.56)	(5,665.20)	(1,214.98)	319.80	(2,341.96)	(3,237.14)
ब्याज	229.54	–	248.60	478.14	240.97	–	791.34	1,032.31
अवक्षयण	40.54	4.35	43.27	88.16	42.24	5.60	51.52	99.36
प्रचालन को जारी रखने से कर से पूर्व ब्याज	(3,536.43)	(50.64)	(2,644.43)	(6,231.50)	(1,498.18)	314.20	(3,184.83)	(4,368.81)
प्रचालन को जारी रखने से कर के पश्चात लाभ	(3,536.43)	(51.09)	(2,918.83)	(6,506.35)	(1,498.18)	248.78	(3,724.90)	(4,974.31)
पूंजी व्यय								
मूर्त और अमूर्त आस्तियों में वर्धन	52.28	2.29	3.25	57.82	27.15	1.06	73.06	101.27
अन्य सूचना	**31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार**				**31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार**			
कुल आस्तियां	1,44,864.13	46,892.48	13,580.68	2,05,337.29	1,26,217.89	45,032.40	11,738.54	1,82,988.83
संपत्ति, संयत्र और उपस्कर (अग्रणीत रकम)	149.68	23.61	590.25	763.55	141.70	25.77	631.90	799.36
कुल दायित्व	1,51,501.08	40,789.85	4,698.27	1,96,989.20	1,15,431.08	44,795.93	7,907.38	1,68,134.38

टिप्पण सं. 2.31

लेखांकन मानक 7, 'संनिर्माण संविदाएं' की अपेक्षाओं के अनुसरण में प्रकटन:

(रकम लाख रुपए में)

क्रम सं.	विशिष्टियां	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार
1	प्रचालनों से राजस्व	**73,617.34**	80,562.17
2	रिपोर्ट की तारीख तक उपगत संविदा लागत और गणना में लिया गया लाभ	**11,29,417.19**	10,72,521.64
3	प्राप्त अग्रिम	**64,741.46**	40,469.83
4	संविदा संकर्म के लिए ग्राहकों से शोध्य समग्र रकम– जिसे आस्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है	**23,956.57**	24,937.04
5	संविदा संकर्म के लिए ग्राहकों को शोध्य समग्र रकम– जिसे दायित्व के रूप में प्रस्तुत किया गया है	**6,398.44**	5,880.27
6	प्राप्य प्रतिधारण धन	**25,036.57**	25,027.90

टिप्पण सं. 2.32

लेखांकन मानक 15 की अपेक्षाओं के अनुसरण में कर्मचारी फायदों का ब्यौरा

i) परिभाषित फायदा बाध्यता में परिवर्तन

(रकम लाख रुपए में)

विशिष्टियां	उपदान	दीर्घावधि अनुकम्पा अनुपस्थिति	दीर्घ सेवा पुरस्कार	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा फायदा	सेवानिवृत्ति उपरांत यात्रा भत्ता
	(वित्तपोषित)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)
छूट की दर	6.90% (6.50%)	6.90% (6.50%)	6.90% (6.50%)	6.90% (6.50%)	6.90% (6.50%)
प्रतिकर स्तरों में वृद्धि की दर/प्रीमियम मुद्रास्फीति/ यात्रा लागत	3.00%	3.00%	—	3.00%	3.00%
आस्तियों पर रिटर्न की संभावित दर	6.50% (6.60%)	— —	— —	— —	— —
सेवानिवृत्ति आयु*	60 वर्ष	60 वर्ष	60 वर्ष	60 वर्ष	60 वर्ष
मृत्यु सारणी	आईएएलएम (2012–14) अल्टीमेंट	आईएएलएम (2012–14) अल्टीमेंट	आईएएलएम (2012–14) अल्टीमेंट	सेवानिवृत्ति पूर्व आईएएलएम (2012–14) अल्टीमेंट सेवानिवृत्ति पश्चः एलआईसी (1996–98) यूएलटी	आईएएलएम (2012–14) अल्टीमेंट
					—
आयु*	कर्मचारी कारोबार (%)				
35 वर्ष तक	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%
36 से 45 वर्ष	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
46 से ऊपर	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%

*पूर्व वर्ष के समान

(रकम लाख रुपए में)

विशिष्टियां	उपदान	दीर्घावधि अनुकम्पा अनुपस्थिति	दीर्घ सेवा पुरस्कार	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा फायदा	सेवानिवृत्ति उपरांत यात्रा भत्ता
	(वित्तपोषित)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)
वर्ष के प्रारंभ में प्रक्षेपित फायदा बाध्यता	1,671.42 (1,669.24)	1,597.51 (1,462.65)	22.91 (24.09)	1,895.80 (1,705.57)	4.32 (5.52)
चालू सेवा लागत	85.38 (86.77)	99.49 (98.34)	1.08 (0.95)	26.85 (32.62)	0.28 (0.26)
ब्याज लागत	101.19 (101.45)	103.84 (88.77)	1.49 (1.44)	123.23 (111.86)	0.28 (0.18)
बीमा (लाभ)/हानि	(8.55) (17.48)	157.25 (142.23)	4.40 (1.28)	143.64 (45.75)	(0.44) ((0.75))
अर्जन समायोजन	– –	– –	– –	– –	– –
संदत्त फायदा	(196.31) ((203.53))	(392.11) ((194.48))	(5.48) ((4.85))	(214.30) –	(0.28) ((0.90))
पूर्व सेवा लागत	–				
वर्ष के अंत में प्रक्षेपित फायदा बाध्यता	1,653.14 (1,671.42)	1,565.98 (1,597.51)	24.41 (22.91)	1,975.22 (1,895.80)	4.16 (4.32)

ii) योजना आस्तियां के न्यायोचित मूल्य में परिवर्तन (उपदान)

(रकम लाख रुपए में)

विशिष्टियां	2021–22	2020–21
	(वित्तपोषित)	(वित्तपोषित)
अवधि के प्रारंभ में आस्तियों का न्यायोचित मूल्य	**1,412.92**	1,671.42
योजना आस्तियों पर संभावित रिटर्न	**87.25**	94.66
बीमा अभिदाय	**258.49**	144.32
बीमा लाभ/(हानियां)	**0.23**	(3.12)
संदत्त फायदे	**(196.31)**	(203.53)
अर्जन समायोजन		–
अवधि के अंत में आस्तियों का न्यायोचित मूल्य	**1,562.59**	1,557.25

iii) तुलनपत्र में मान्यता दी गई

(रकम लाख रुपए में)

विशिष्टियां	उपदान	दीर्घावधि अनुकम्पा अनुपस्थिति	दीर्घ सेवा पुरस्कार	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा फायदा	सेवानिवृत्ति उपरांत यात्रा भत्ता
	(वित्तपोषित)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)
वर्ष के अंत में परिभाषित फायदा बाध्यता	1,653.14 (1,671.42)	1,565.98 (1,597.51)	24.41 (22.91)	1,975.22 (1,895.80)	4.16 (4.32)
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों आस्तियों का न्यायोचित मूल्य	1,562.59 (1,412.92)	– –	– –	– –	– –
वित्तपोषित प्रास्थिआति आस्ति / (दायित्व)	(90.54) ((258.50))	(1,565.98) ((1597.51))	(24.41) ((22.91))	(1,975.22) ((1895.80))	(4.16) ((4.32))
तुलन पत्र में मान्यता प्रदान की गई शुद्ध (दायित्व) / आस्तियां	(90.54)	(1,565.98)	(24.41)	(1,975.22)	(4.16)
	((258.50))	((1597.51))	((22.91))	((1895.80))	((4.32))

iv) लाभ एवं हानि लेखे में मान्यता दिए गए व्यय

(रकम लाख रुपए में)

विशिष्टियां	उपदान	दीर्घावधि अनुकम्पा अनुपस्थिति	दीर्घ सेवा पुरस्कार	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा फायदा	सेवानिवृत्ति उपरांत यात्रा भत्ता
	(वित्तपोषित)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)
चालू सेवा लागत	85.38 (86.77)	99.49 (98.34)	1.08 (0.95)	26.85 (32.62)	0.28 (0.26)
ब्या6ज की लागत	101.19 (101.45)	103.84 (88.77)	1.49 (1.44)	123.23 (111.86)	0.28 (0.18)
योजना आस्तियों पर संभावित रिटर्न	(87.25) ((94.66))	– –	– –	– –	– –
अवधि में मान्यता दिया गया शुद्ध बीमा (लाभ) / हानि	(8.77) (20.60)	157.25 (142.23)	4.40 (1.28)	143.64 (45.75)	(0.44) ((0.75))
पूर्व सेवा लागत	– –	– –	– –	– –	– –
लाभ और हानि लेखे में मान्यता दिए गए कुल व्यय	90.54 (114.17)	360.58 (329.34)	6.97 (3.67)	293.72 (190.23)	0.13 (0.31)

(v) पिछले 5 वर्ष का तुलनात्मक डाटा–उपदान

(रकम लाख रुपए में)

क्र. सं.	विशिष्टिया	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2018
क)	अवधि के अंत में परिभाषित फायदा बाध्यता	1,653.14	(1,671.42)	1,669.24	1,728.93	1,874.04
ख)	अवधि के अंत में योजना आस्ति	1,562.59	(1,412.92)	1,524.92	1,699.77	1,196.01
ग)	वित्त पोषित प्रस्थिति	(90.54)	(258.50)	(144.32)	(29.16)	(678.03)
घ)	योजना दायित्वों पर अनुभव समायोजन (हानि) / लाभ	(90.54)	(258.50)	(144.32)	(29.16)	(678.03)

(vi) पिछले 5 वर्ष का तुलनात्मक डाटा–नकदीकरण

(रकम लाख रुपए में)

क्र. सं.	विशिष्टिया	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2018
क)	अवधि के अंत में परिभाषित फायदा बाध्यता	1,565.98	1,597.51	1,462.65	1,506.23	1,291.87
ख)	अवधि के अंत में योजना आस्ति का उचित मूल्य	–	–	–	–	–
ग)	वित्त पोषण प्रास्थिति	(1,565.98)	(1,597.51)	(1,462.65)	(1,506.23)	(1,291.87)
घ)	तुलन पत्र में मान्यता प्रदान किया गया (दायित्व) / आस्ति	(1,565.98)	(1,597.51)	(1,462.65)	(1,506.23)	(1,291.87)

(vii) पिछले 5 वर्ष का तुलनात्मक डाटा–दीर्घ सेवा पुरस्कार

(रकम लाख रुपए में)

क्र. सं.	विशिष्टिया	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2018
क)	अवधि के अंत में परिभाषित फायदा बाध्यता	**24.41**	22.91	24.09	18.64	30.66
ख)	अवधि के अंत में योजना आस्ति का उचित मूल्य	–	–	–	–	–
ग)	वित्त पोषण प्रस्थिति	**(24.41)**	(22.91)	(24.09)	(18.64)	(30.66)
घ)	तुलन पत्र में मान्यता प्रदान किया गया (दायित्व) / आस्ति	**(24.41)**	(22.91)	(24.09)	(18.64)	(30.66)

(viii) पिछले 5 वर्ष का तुलनात्मक डाटा–सेवानिवृति पश्चात चिकित्सा लाभ

(रकम लाख रुपए में)

क्र. सं.	विशिष्टियां	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2018
क)	अवधि के अंत में परिभाषित फायदा बाध्यता	**1,975.22**	1,895.80	1,705.57	1,850.47	1,760.56
ख)	अवधि के अंत में योजना आस्ति का उचित मूल्य	–	–	–	–	–
ग)	वित्त पोषण प्रस्थिति	**(1,975.22)**	(1,895.80)	(1,705.57)	(1,850.47)	(1,760.56)
घ)	तुलन पत्र में मान्यता प्रदान किया गया (दायित्व) / आस्ति	**(1,975.22)**	(1,895.80)	(1,705.57)	(1,850.47)	(1,760.56)

(ix) पिछले 5 वर्ष का तुलनात्मक डाटा–छुट्टी यात्रा रियायत

(रकम लाख रुपए में)

क्र. सं.	विशिष्टियां	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2018
क)	अवधि के अंत में परिभाषित फायदा बाध्यता	**4.16**	4.32	5.52	3.56	2.97
ख)	अवधि के अंत में योजना आस्ति का उचित मूल्य	–	–	–	–	–
ग)	वित्त पोषण प्रास्थिति	**(4.16)**	(4.32)	(5.52)	(3.56)	(2.97)
घ)	तुलन पत्र में मान्यता प्रदान किया गया (दायित्व)/आस्ति	**(4.16)**	(4.32)	(5.52)	(3.56)	(2.97)

पूर्व वर्ष के आंकड़े इटैलिक्स और कोष्ठकों में दिए गए हैं

कंपनी, लेखांकन मानक 15 के उपबंधों के अनुसार उपदान, दीर्घ अवधि प्रति पूरित अनुपस्थिति, पश्च सेवानिवृत्ति चिकित्सा फायदा, दीर्घ सेवा पुरस्कार और बीमाकंन के आधार पर सेवानिवृत्ति के पश्चात एक बार यात्रा भत्ता प्रदान करती है।

टिप्पण सं.2.33

संबंधित पक्षकार प्रकटन

कंपनी (लेखांकन) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट लेखांकन मानक 18, ''संबंधित पक्षकार प्रकटन'' के अनुसार संबंधित पक्षकारों के नामों के साथ प्रबंधन द्वारा पहचाने गए और प्रमाणित संव्यवहार की समग्र रकम और वर्ष के अंत में शेष निम्नानुसार दिया गया है

i) श्री आर पी सिंह महाप्रबंधक वित भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को निदेशक(वित्त) का अतिरिक्त प्रभार 6 माह की अवधि के लिए 2 जून 2020 से या नियमित पदधारी की पद पर नियुक्ति होने तक या अगला आदेश होने तक इनमें से जो भी पहले हो सौंपा गया है। श्री आर पी सिंह, निदेशक (वित्त) (अतिरिक्त प्रभार) ने 18 अक्टूबर 2021 को प्रभार ग्रहण कर लिया। इसके अतिरिक्त भारी उद्योग मंत्रालय ने निदेशक (वित्त), आईपीआईएल के अतिरिक्त प्रभार को 15 मार्च 2022 से 14 सितंबर 2022 तक 6 मास की और अवधि के लिए या नियमित पदधारी के पद ग्रहण करने तक अगर आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, विस्तारित कर दिया।

ii) प्रमुख प्रबंध कार्मिक जिसके साथ वर्ष के दौरान संव्यवहार किया गया था :

- श्री डी एस राना, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (19 सितंबर 2019 से)
- श्री एच एन ठाकुर निदेशक (परियोजनाएं) (21 अक्टूबर 2019 से)
- श्री आर पी सिंह निदेशक (वित्त) (2 जून 2020 से 15 अक्टूबर 2020 तक)
- श्रीमती सुकृति लेखी (शासकीय नाम निर्देशित ई) (15 जून 2021 तक)
- श्रीमती निधि छिब्बर, अंशकालिक शासकीय निदेशक (शासकीय नाम निर्देशित) (15 जून 2021 से)
- श्रीमती नीलम एक्स कुमार, अंशकालिक शासकीय निदेशक (शासकीय नाम निर्देशित) (31 अक्टूबर 2021 तक)
- श्री राजेश कुमार, अंशकालिक शासकीय निदेशक (शासकीय नाम निर्देशित) (1 नवंबर 2021 से)
- श्रीमती आकांक्षा पारे, अंशकालिक गैर शासकीय निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) (2 नवंबर 2021 से)
- श्री विनोद कुमार यादव, अंशकालिक गैर शासकीय निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) (2 नवंबर 2021 से)
- श्री कपिल मोहन सक्सेना, मुख्य वित्त अधिकारी (2 जुलाई 2021 से 31 मार्च 2022 तक)

- श्री नितेश कुमार गोयल, कंपनी सचिव (17 जुलाई 2020 से)
- स्वर्गीय पीएम चंद्रिया, निदेशक (वित्त) और मुख्य वित्त अधिकारी (30 अप्रैल 2021 तक)

iii) ईपीआईएल अर्बन इंफ्रा डेवलपर्स लिमिटेड (ईपीआईयूआईडीएल) को ईपीआईएल की अनुषंगी के रूप में 19 जून 2016 को निगमित किया गया। ईपीआई यूआइडीएल के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 361 के अधीन त्वरित परिसमापन की याचिका प्रादेशिक निदेशक के पास अनुमोदन के लिए लंबित है। इसके पश्चात, प्रादेशिक निदेशक (कंपनी कार्य मंत्रालय) (उत्तर) द्वारा इसे ग्रहण किया गया। प्रादेशिक निदेशक (कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा) सूचित किया गया है कि फाइल की गई याचिका परी समापन के लिए त्वरित प्रक्रिया के लिए एक उपयुक्त मामला नहीं है और कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन कार्रवाई करने के लिए अन्य विकल्प उपलब्ध है। तदनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(1)(क)के अनुसरण में ईपीआई यूआइडीएल का नाम हटाने के लिए एक आवेदन महानिदेशक, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के पास 23 जून 2022 को फाइल किया गया है।

वर्ष 2021–22 के दौरान ईपीआई की यूआई डीएल, आईटीआई की अनुषंगी के निदेशकों/मुख्य कार्यपालक अधिकारी के ब्यौरे

1. श्री कपिल तारा, ईडी (डब्ल्यूआरओ), ईपीआई (20.03.2017 से ईपीआई से निलंबन के तहत) पार्ट टाइम सीईओ (केएमपी), ईपीआईयूआईडीएल के रूप में 30.09.2020 को सेवानिवृत्त हुए।

2. श्री नंदकिशोर मोतीलाल शाह, बीयूआईडीपीएल का प्रतिनिधित्व करने वाले अंशकालिक निदेशक।

3. श्री बामन केकी दिनशाह बामनजी मेहता, डीसीपीएल का प्रतिनिधित्व करने वाले अंशकालिक निदेशक (19.08. 2021 को इस्तीफा दे दिया)।

अनुषंगी कंपनी के साथ व्यौहारों का ब्यौरा

(रकम लाख रुपए में)

विशिष्टियां	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	प्रकृति
अति शेष (प्राप्य रकम) {क}	2.13	2.13	नामे
अनुषंगी के निमित्त व्ययों की प्रतिपूर्ति {ख}	–	–	नामे
अनुषंगी से प्राप्त रकम{ग}	–	–	प्रत्यय
इति शेष (वसूलनीय रकम) {घ} [घ = क+ख–ग]	2.13	2.13	नामे

iv) 2 अगस्त, 2017 को ईपीआई– सीएंडसी "संयुक्त उद्यम" (अनिगमित), इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड और सीएंडसी संनिर्माण लिमिटेड के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग विशिष्टियों के अनुसार दो लेन की सड़क के निर्माण का कार्य प्लेटवा– से भारत– म्यांमार सीमा (जोरिनपुई) म्यांमार के किन राज्य में 0.00 किलोमीटर से 109.20 किलोमीटर जिसमें सीएंडसी संनिर्माण लिमिटेड का 60: हित और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड का 40% हित है, विरचित किया गया। सीएंडसी संनिर्माण लिमिटेड, संयुक्त उद्यम के अग्रणी भागीदार के रूप में कार्य करेगा। ईपीआई– सीएंडसी " संयुक्त उद्यम" को संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रचालन माना गया है। वर्ष के दौरान विदेश मंत्रालय ने तारीख 9 फरवरी 2022 के पत्र द्वारा (प्लेटवा से भारत–म्यांमार सीमा (जोरिन पुरी) पर 0.00 किलोमीटर से म्यांमार राज्य में चिन राज्य में 109.20 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग विशिष्टियों के अनुसार दो लेन की सड़क की संनिर्माण की परियोजना) संपूर्ण संविदा को गैर निष्पादन का कथन करते हुए समाप्त कर दिया। सीएंडसी संनिर्माण लिमिटेड म्यामार संयुक्त उद्यम "ईपीआई– सीएंडसी जेवी (अनिगमित)"में हमारा 60% स्टेक भागीदार और ओमान परियोजना में हमारा मुख्य ठेकेदार एनसीई एलटी में इस समय दिवाला कार्यवाहियों का सामना कर रहा है और यह मामला उन्नत प्रक्रम पर है। इसका परिणाम और ईपीआईएल के वित्तीय विवरणों

पर इसके वित्तीय प्रभाव का अभी पता नहीं लगाया जा सकता है।

v) कारवार के सामान्य प्रक्रम मै संबंधित पक्षकारों के साथ निम्नलिखित संव्यवहार किए गए थे।

निदेशकों के पारिश्रमिक के ब्यौरे

(रकम लाख रुपए में)

विशिष्टियां	2021–22	2020–21
वेतन*	**84.88**	96.58
भविष्य निधि में अंशदान	**7.35**	7.58
मकान किराया/पट्टा किराया	–	–
चिकित्सा व्यय	**3.85**	7.95
बैठक फीस#	**1.70**	–

* श्री आर पी सिंह निदेशक–वित्त (अतिरिक्त प्रभार) कंपनी में नियोजित नहीं है और इसलिए वर्ष 2021–22 के दौरान उन्हें किसी वेतन/भत्ते का संदाय नहीं किया गया है।

केवल स्वतंत्र निदेशकों को बैठक फीस का संदाय किया गया है।

टिप्पण सं. 2.34

संनिर्माण सामग्री के स्टॉक के मात्रात्मक ब्यौरे नीचे दिए अनुसार हैं :

विशिष्टियां	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार	
	मात्रा (एमटी)	मूल्य (लाख रुपए में)	मात्रा (एमटी)	मूल्य (लाख रुपए में)
सीमेंट	–	–	–	–
इस्पात	**384.51**	**196.36**	38.22	17.85
इस्पात पाइप	–	–	–	–

टिप्पण सं. 2.35

जैसा कि आर्थिक कार्य मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) द्वारा विनिश्चय किया गया है। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के सामरिक विनिधान का कार्य प्रगति पर है। इस समय आस्ति धनीयकरण (विनिधान स्कीम के अधीन) का डीआईपीएएम नीति/मार्गदर्शक सिद्धांतों/मांचे के अनुसार का कार्य प्रगति पर है। और कंपनी इस संबंध में समय–समय पर जारी नीतियों/ दिशानिर्देशों/फ्रेमवर्क आदि का पालन कर रही है।

टिप्पण सं. 2.36

''उपबंध, आकस्मिक दायित्व और आकस्मिक आस्तियां'' पर लेखांकन मानक–29 के अधीन प्रकटन:

(रकम लाख रुपए में)

विशिष्टियां	अतिशेष	वर्ष के दौरान किया गया उपबंध	वर्ष के दौरान संदत्त/ समायोजित	बट्टे खाते में डाले गए उपबंध	इतिशेष
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)=(ii+iii–iv-v)
परियोजना आकस्मिकताएं*	3,314.07	55.81	–	–	3,369.88
कर्मचारी फायदा	3,779.03	751.94	870.67	–	3,660.31
वेतन पुनरीक्षण (तीसरा पीआरसी)	681.96	–	206.16	–	475.80
योग	7,775.06	807.75	1,076.42	–	7,505.98
पूर्ववर्ती वर्ष	7,349.31	637.41	334.88	0.31	7,651.12

* परियोजना आधार पर प्राप्य रकम के लिए किया गया उपबंध (संदेय रकम को छोडकर)

टिप्पण सं. 2.37

प्रबंधन ने निर्धारण किया है और पाया कि नियत आस्तियों के मूल्य में कोई कमी नहीं आई है। इसलिए 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार कोई उपबंध करने की आवश्यकता नहीं है।

टिप्पण सं. 2.38

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के उपबंधों के अनुसरण में, कोई कंपनी जो लागू होने की सीमा को पूरा करती है से निगम सामाजिक उत्त रदायित्वथ पर तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2 प्रतिशत को व्यय करने की अपेक्षा है। वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा निगम सामाजिक उत्तरदायित्व पर (1,33 लाख रुपए पूर्व वर्षों के बजट से अग्रणीत रकम) को व्यय करने की अपेक्षा है।

अनुसूचित 3 में संशोधनों के संबंध में कारपोरेट कार्य मंत्रालय की तारीख 24 मार्च 2021 के अधिसूचना की बाबत, निगम सामाजिक उत्तरदायित्व के संबंध में अतिरिक्त विनियामक सूचना नीचे दिए अनुसार है

विशिष्टियां	टिप्पणियां
(क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च किए जाने के लिए अपेक्षित रकम	कुछ नहीं
(ख) खर्च की गई रकम	कुछ नहीं
(ग) वर्ष के अंत में कमी	कुछ नहीं
(घ) पूर्व वर्षों की कमी का योग	कुछ नहीं
(ङ) कमी के कारण	लागू नहीं होता
(च) निगम सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यकलापों की प्रकृति	लागू नहीं होता

विशिष्टियां	टिप्पणियां
(छ) संबंधित पक्षकार संव्यवहारों का विवरण अर्थात सुसंगत लेखांकन मानक के अनुसार निगम सामाजिक उत्तरदायित्व खर्च के संबंध में कंपनी द्वारा नियंत्रित न्यास में अंशदान,	लागू नहीं होता
(ज) किसी संविदा तमक बाध्यता में प्रविष्टि द्वारा किसी दायित्व के संबंध में क्या कोई उपबंध किया गया है, उपबंध में वर्ष के दौरान गतिविधि को पृथक रूप से उप दर्शित किया जाना चाहिए	लागू नहीं होता

टिप्पण सं. 2.39

प्रति शेयर आधारिक और कम किए गए अर्जन की संगणना कर के पश्चाति हानि 6506.35 लाख रुपए (कर के पश्चात शुद्ध हानि 4974.31 लाख रुपए) को 3,54,22,688 के 10/–रुपए प्रत्येक पूर्णतः संदत्त साम्या शेयरों को विभाजित करके की जाती है।

	वित्तीय वर्ष 2021–22	वित्तीय वर्ष 2020–21
प्रति शेयर अर्जन आधारिक	(18.37)	(14.04)
कम किया गया	(18.37)	(14.04)

टिप्पण सं. 2.40

19 मई 2016 को ईपीआई की एक अनुषंगी कंपनी को "ईपीआई अर्बन इंफ्रा डेवलपर्स लिमिटेड (ईपीआईयूआईडीएल)" के द्वारा 10 लाख रुपए की संदत्त पूंजी से निगमित किया गया था, जो ईपीआई द्वारा 51 प्रतिशत, मैसर्स भारत अर्बन इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, सोलापुर द्वारा 39 प्रतिशत और मैसर्स दाराशा एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई (डीसीपीएल) द्वारा 10% के साथ भूमि पार्सलों आदि के विकास के लिए मिलकर बनी है।

अनुषंगी कंपनी अपने निगमन से ही प्रचालन नहीं कर रही है। एक सरकारी कंपनी होने के नाते, निदेशकों की नियुक्ति का प्रस्ताव जिसके अंतर्गत पहले निदेशकों से मिलकर बनने वाला अंतरिम बोर्ड का अनुमोदन है, को सरकार से अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया था और इसी बीच सरकार ने डीपीआई के सामरिक अविनिधान के लिए कार्रवाई आरंभ कर दी। क्योंकि सरकार ने अनुषंगी कंपनी की विरचना का समर्थन नहीं किया, ईपीआई ने ईपीआईयूआईडीएल के समापन के लिए स्वैच्छिक समापन/परीसमापन के लिए ईपीआईयूआईडीएल के शेयरधारकों के अनुमोदन की शर्त के अधीन रहते हुए मंजूरी दे दी और प्रशासनिक मंत्रालय ईपीआईयूआईडीएल को बंद करने के लिए सहमत हो गया। तथापि स्वैच्छिक परीसमापन के लिए 20 दिसंबर 2017 को आयोजित ईपीआईयूआईडीएल की पहली वार्षिक साधारण बैठक में बीयूआईडीपीएल सहमत नहीं हुआ। ईपीआई के अपने शेयरों का अन्य दो शेयरधारकों को प्रस्ताव करने के पश्चातवर्ती प्रयास सफल नहीं हुए थे। 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार ईपीआईयूआईडीएल के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 361 के अधीन त्वरित समापन की याचिका प्रादेशिक निदेशक के पास अनुमोदन के लिए लंबे थे तत्पश्चात प्रादेशिक निदेशक (कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा) इसे विचार करने के लिए अप्रैल 2022 में ग्रहण किया गया। प्रादेशिक निदेशक (कारपोरेट कार्य मंत्रालय) द्वारा सूचित किया गया है कि फाइल की गई याचिका परीसमापन के लिए त्वरित प्रक्रिया के लिए एक उपयुक्त मामला नहीं है और कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन कार्रवाई करने के लिए अन्य विकल्प उपलब्ध है। तदनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(1)(क)के अनुसरण में ईपीआईयूआइडीएल का नाम हटाने के लिए एक आवेदन महानिदेशक, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के पास 23 जून 2022 को फाइल किया गया है।

वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान अनुषंगी कंपनी में 5,10 लाख रुपए के विनिधान के लिए 100 प्रतिशत उपबंध किया गया है।

टिप्पण सं. 2.41

ईपीआई के कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध सीबीआई ने 05 मामले रजिस्टर किए हैं और प्राथमिकी रजिस्टर की हैं। कंपनी को प्राथमिकी में एक पक्षकार नहीं बनाया गया है। इससे उसके वित्तीय विवरणों पर किसी प्रभाव की परिकल्पना नहीं है।

तथापि आज तक पूर्व उक्त मामले में जांच अभी भी प्रगति पर है।

टिप्पण संख्या 2.42

राष्ट्रीय जल आपूर्ति एवं निकासी बोर्ड (एनडब्ल्यूएसडीबी), श्री लंका (ग्राहक) ने चीनी निर्माता/पूर्तिकार द्वारा ईपीआईएल को प्रदान की गई बबुनिया जल आपूर्ति स्कीम के लिए पूर्ति किए गए एचडीपीई पाइपों को उनकी खराब क्वालिटी के कारण अस्वीकार कर दिया और ईपीआईएल को अच्छी क्वालिटी के पाइपों से बदलने के लिए कहा। ईपीआईएल ने चीनी पूर्तिकार को भुगतान जारी कर दिया था, यद्यपिईपीआईएल को करार के निबंधनों के अनुसार एनडब्ल्यूएसडीबी से भुगतान (96 प्रतिशत) मिल गया। 18.78 करोड रुपए की समतुल्य रकम का दावा विनिर्माता के विरुद्ध माध्यस्थम में 31 अक्टूबर 2016 को विरुद्ध किया गया है। माध्यस्थ ने 29 जनवरी 2018 को लगभग 1725 लाखरुपए (लगभग) का पंचाट ईपीआईएल को प्रदान किया और अब ईपीआईएल कोलंबो वाणिज्यिक उच्च न्यायालय में माध्यस्थम को डिक्री में परिवर्तित करने के लिए और चीनी विनिर्माता (जियांगसूकुयानलोंग, न्यू मैटेरियल कंपनी लिमिटेड) के विरुद्ध उसे लागू करने के लिए अग्रसर हो गई है।

टिप्पण संख्या 2.43

प्रबंधन की राय में, कारवार के साधारण प्रक्रम में वसूली होने पर चालू आस्तियों का मूल्य तुलन पत्र में कथित से कम नहीं होगा।

टिप्पण संख्या 2.44

प्रबंधन की राय में, कारवार के साधारण प्रक्रम में वसूली होने पर चालू आस्तियों का मूल्य तुलन पत्र में कथित से कम नहीं होगा।

टिप्पण संख्या 2.45

क) मैसर्स यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) से 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार व्यापार प्राप्य, प्रतिधारण एवं अन्य वसूलियां 2,368.96 लाख रुपए हैं। पूर्वोक्त रकम 10 वर्ष से अधिक पुरानी है और इसे वसूलने के लिए लगातार प्रयास किया जाता है। अंतिम निपटान के लंबित होने तक अनुभव/प्रगति प्रबंधन द्वारा मामले का निर्धारण के आधार पर 31 मार्च 2021 तक 443.77/–रुपए का परियोजना के पूरा होने तक उपबंध किया गया है। वर्ष 2021–22 में यूसीआईएल से वसूली के लिए अनेक संपर्क किए गए। इसका परिणाम चालू वित्त वर्ष अर्थात 2022–23 में आ सकता है।

ख) बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर परियोजना को ग्राहक द्वारा अप्रैल 2017 में समाप्त कर दिया गया था। 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार उप–अभिकरण से वसूली की जाने वाली रकम 4,306.22/– लाख रुपए है, इसे टिप्पण संख्या 2.12 में ' अन्य गैर चालू आस्तियां' के अधीन "ग्राहक, विक्रेताओं एवं अन्य से वसूलनीय" उप दर्शित किया गया है। यह मामला ग्राहक एवं उप–अभिकरण दोनों के साथ मध्यस्थम के अधीन है।

ग) वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान 5 एन एल पी डी दुग्ध संयंत्र, 30 संपूर्ण एमटीपीडी विद्युत संयंत्र एवं सेवा एवं प्रयोगशाला स्थापन के देहरी और सोन में डिजाइन, अपूर्ति, उत्कीर्ण एवं चालू करने से संबंधित 8,329.77/–रुपए मूल्य की संविदा को ग्राहक द्वारा समाप्त कर दिया गया। 430.50/– रुपए की कुल रकम जो ग्राहक द्वारा

सचल अग्रिम के विरुद्ध अधिक वसूल की गई है को, टिप्पण संख्या 2.12 में 'ग्राहक, विक्रेताओं एवं अन्य से वसूलनीय–गैर चालू आस्तियां' के अधीन दर्शित किया गया है। यह मामला माध्यस्थम के अधीन है।

टिप्पण संख्या 2.46

कंपनी को परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) की क्षमता में दिए गए कार्य के संबंध में कार्य के परिमाण में अन्य बातों के साथ संनिर्माण कार्यकलापों के लिए ठेकेदारों की नियुक्ति, ठेकेदारों की मानिटरी और पर्यवेक्षण, नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों से ठेकेदारों को भुगतान सम्मिलित है, कंपनी ठेकेदारों के कार्य की संपूर्ण लागत को जिसके अंतर्गत पीएमसी फीस सम्मिलित है, " किया गया कार्य" शीर्ष के अधीन राजस्व के अधीन अपने टर्नओवर के रूप में मान्यता प्रदान करती है और तदनुसार ठेकेदार के कार्य की लागत को कार्य लागत के अधीनमान्यता दी जाती है। ऐसी परियोजनाओं से संबद्धआस्तियों और दायित्व नियोक्ता के निमित्त न्यास में धृत को कंपनी की आस्ती और दायित्व के रूप में उसके तुलन पत्र में संबंधित शीर्षों के अधीन मान्यता दी जाती है। इसका कंपनी द्वारा लगातार अनुसरण किया जा रहा है जो अपने ठेकों को लेखांकन मानक–7 के अधीन लागत जमा ठेका मानती है।

टिप्पण संख्या 2.47

वेतन और अन्य संबंधित लागत के लिए मुख्यालय व्यय 26.90 लाख रुपए (402.71/– लाख) रुपए पूर्व वर्ष) का वित्त वर्ष 2021–22 के लिए ओमान को आवंटन किया गया है जिसमें ओमान में के शाखा लेखों में इसी मद्दे व्यय की कटौती का ओमान आयकर नियमों और विनियमों के अनुसार दावा किया गया है।

टिप्पण संख्या 2.48

पट्टेदार के रूप में कंपनी

कंपनी ने कतिपय कार्यालय और आवासीय परिसरों को परिचालन पट्टा पर लिया है जोकि संबंधित करारों के अनुसार समुचित नोटिस देकर रद्द किया जा सकता है। वर्ष के दौरान 1904.28/– लाखरुपए (किसके अंतर्गत पूर्वी प्रादेशिक कार्यालय–कोलकाता के भवन का 1656.81 लाख रुपए का भाटक सम्मिलित है जो माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है) पूर्व वर्ष 203.33 लाख रुपए) इन रद्द किए जा सकने वाले पट्टा प्रचालनों के लिए प्रभारित किए गए हैं।

कंपनी ने कतिपय आस्ति जैसे कार को रद्द न किए जा सकने वाले प्रचालन पट्टों पर लिया है। वर्ष के दौरान 17.46/– लाख रुपए (पूर्व वर्ष 8.24/– लाख रुपए) इन रद्द न किए जा सकने वाले प्रचालन पट्टों के लिए संदत्त किए गए। इन पट्टों के संबंध में भावी न्यूनतम पट्टा संदाय नीचे दिए अनुसार हैं:

i) 1 वर्ष के पूर्व संदेय 15.61/– लाख रुपए (पूर्व वर्ष 16.74/–लाख रुपए)
ii) 1 वर्ष के पश्चात किंतु 5 वर्ष से पूर्व संदेय 36.70/– लाख रुपए (पूर्व वर्ष 33.15/– लाख रुपए
iii) 5 वर्ष के पश्चात संदेय कुछ नहीं (पूर्व वर्ष कुछ नहीं)

पट्टाकर्ता के रूप में कंपनी

कंपनी ने कतिपय कार्यालयपरिसरों को परिचालन पट्टा पर लिया है जोकि संबंधित करारों के अनुसार समुचित नोटिस देकर रद्द किया जा सकता है। वर्ष के दौरान 430.78/– लाखरुपए (पूर्व वर्ष 141.24 लाख रुपए) इन रद्द किए जा सकने वाले पट्टा प्रचालनों के लिए रखा गया है।

इन पट्टों के संबंध में भावी न्यूनतम प्राप्ति नीचे दिए अनुसार है।

i) 1 वर्ष के पूर्व संदेय 452.32/–लाख रुपए (पूर्व वर्ष 9.55/– लाख रुपए)
ii) 1 वर्ष के पश्चात किंतु 5 वर्ष से पूर्व संदेय 311.43/– लाख रुपए (पूर्व वर्ष 763.75/– लाख रुपए
iii) 5 वर्ष के पश्चात संदेय कुछ नहीं (पूर्व वर्ष कुछ नहीं)

टिप्पण संख्या 2.49

संयुक्त उद्यमों के संबंध में प्राक्कटन

क्रम संख्या	संयुक्त प्रचालनों का नाम (अनिगमित)	भागीदार और मूल देश	भागीदारी हित (प्रतिशत में) 31 मार्च की स्थिति के अनुसार	
			2022	2021
1.	ईपीआई–सी एंड सी संयुक्त उद्यम	सी एंड सी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, इंडिया	60%	60%
		इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड इंडिया	40%	40%

वर्ष के दौरान कंपनी ने मैसर्ज सी एंड सी संनिर्माण लिमिटेड को पहले ही तारीख 17 अगस्त 2021 को संयुक्त उद्यम करार को समाप्त करने के संबंध में नोटिस भेज दिया है। विदेश मंत्रालय ने तारीख 9 फरवरी 2022 के पत्र द्वारा (प्लेटवा से भारत–म्यांमार सीमा (जोरिन पुरी) पर 0.00 किलोमीटर से म्यांमार राज्य में चिन राज्य में 109.20 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग विशिष्टियों के अनुसार दो लेन की सड़क की संनिर्माण की परियोजना) संपूर्ण संविदा को गैर निष्पादन का कथन करते हुए समाप्त कर दिया।

चूंकि सीएंडसी संनिर्माण लिमिटेड म्यामार संयुक्त उद्यम "ईपीआई– सीएंडसी जेवी (अनिगमित)"में हमारा 60: स्टेक भागीदार और ओमान परियोजना में हमारा मुख्य ठेकेदार एनसीएलटी में इस समय दिवाला कार्यवाहियों का सामना कर रहा है और यह मामला उन्नत प्रक्रम पर है। इसका परिणाम और ईपीआईएल के वित्तीय विवरणों पर इसके वित्तीय प्रभाव का अभी पता नहीं लगाया जा सकता है।

टिप्पण संख्या 2.50

शेयरधारकों को संदेय लाभांश को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें उसे शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाता है। इस वर्ष अर्थात 2021–22 के दौरान कंपनी ने किसी लाभांश का संदाय नहीं किया है (पूर्व वर्ष 2020–21 में 27,61,028/– (पीएटी का 30% अर्थात 92,03,428/– रुपए) /10 अंकित मूल्य के प्रत्येक शेयर के लिए 0.08) वित्त वर्ष 2019 20 के लिए अपने शेयरधारकों को लाभांश के रूप में घोषित किए।

टिप्पण संख्या 2.51

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में यथा परिभाषित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम निकायों से शोध्य रकम की पहचान कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर की जाती है।

(रकम लाख रुपए में)

सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यमों को संदेय *	**31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार**	**31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार**
विशिष्टिया		
i) प्रत्येक लेखांकन वर्ष की समाप्ति पर किसी आपूर्तिकर्ता को संदेय मूल रकम और शोध्य व्याज**	3463.91	798.92

ii)	प्रत्येक लेखांकन वर्ष के दौरान नियत तारीख से परे आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की रकम के साथ धारा 16 के निबंधों में क्रयकर्ता द्वारा संदत ब्याज की रकम;	कुछ नहीं	कुछ नहीं
iii)	संदाय करने में विलंब की अवधि के लिए शोध्य और संदेय ब्याज की रकम (किंतु जिसका वर्ष के दौरान नियत तारीख से परे संदाय किया गया है) किंतु इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट रकम को जोड़ें बिना;	कुछ नहीं	कुछ नहीं
iv)	उद्भूत ब्याज की रकम और जो प्रत्येक लेखांकन वर्ष की	9.50	कुछ नहीं
	समाप्ति पर असंदत है; और		
v)	यहां तक की पश्चातवर्ती वर्षों में और अधिक शेष शोध्य और संदेय ब्याज की रकम, उस तारीख तक जब उपरोक्त शोध्य या ब्याज का वास्तव में लघु उद्यम को इस अधिनियम की धारा 23 के अधीन कटौती योग्य खर्च के रूप में मोक के प्रयोजन के लिए संदाय किया जाता है	कुछनहीं	कुछ नहीं

* सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 मै यथा परिभाषित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम निकायों से शोध्य रकम की पहचान इन निकायों से प्राप्त पुष्टि के आधार पर तथा कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के परिमाण तक पहचान की जाती है।वर्ष के दौरान किसी भी समय इन पहचान किए गए निकायों के प्रति 45 दिन से अधिक के लिए कोई रकम संदेय नहीं थी

टिप्पण संख्या. 2.52

अनुसूची 3 में संशोधनों के संबंध में कारपोरेट कार्य मंत्रालय की तारीख 24 मार्च 2021 की अधिसूचना के संदर्भ में अतिरिक्त विनियामक सूचना नीचे दिया अनुसार है:

(प) स्थावर संपत्ति के जो कंपनी के नाम धृत नहीं है के हक विलेख:

स्थावर संपत्ति के जो कंपनी के नाम धृत नहीं है के हक विलेखों के ब्यौरे:

(रकम लाख रुपए में)

तुलन पत्र में सुसंगत रेखा मद	संपत्ति का विवरण	समग्र वहन मूल्य	जिसके नाम हक विलेख धृत है	क्या हक विलेख धारक कोई संप्रवर्तक, निदेशक या किसी संप्रवर्तक/निदेशक का संबंधी या संप्रवर्तक/निदेशक का कर्मचारी है	जिस तारीख से संपत्ति धृत्त है	कंपनी के नाम धारण ना करने के कारण**
पीपीई	स्कोप परिसर, नई दिल्ली में भवन	374.42	स्कोर परिसर, नई दिल्ली	नहीं	14–03–1988	संबंधित प्राधिकरण के साथ मामला उठाया गया है
संपत्ति में विनिधान	–	–	–	–	–	–

पीपीई सक्रिय उपयोग से सेवानिवृत्त हो गया है और उसे निपटान के लिए धृत किया गया है	–	–	–	–	–	–
अन्य	–	–	–	–	–	–

यहां नातेदार से कंपनी अधिनियम, 2013 में यथा परिभाषित नातेदार अभिप्रेत है।.

* संप्रवर्तक से कंपनी अधिनियम, 2013 में यथा परिभाषित संप्रवर्तक अभिप्रेत है।.

(ii) इस संबंध में प्रकटन की क्या पुनर्मूल्यांकन रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा मूल्यांकन के आधार पर आधारित है:

वर्ष के दौरान कोई मूल्यांकन नहीं किया गया।

(iii) वर्ष के दौरान संप्रवर्तक, निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति और संबंधित पक्षकारों को कोई ऋण या अग्रिम अनुदत्त नहीं किया गया:

(iv) चालू पूंजी कार्य (सीडब्ल्यू आईपी):

31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार कंपनी में कोई सी डब्ल्यू आई पी विद्यमान नहीं है

(v) विकासाधीन अमूर्त असेट्स:

(क) विकासाधीन एजिंग अनुसूची के अधीन अमूर्त एसेटज के ब्योरे:

(रकम लाख रुपए में)

विकासाधीन अमूर्त असेट्स	**निम्नलिखित अवधि के लिए सीडब्ल्यू आईपी की रकम**				
	1 वर्ष से कम	**1–2 वर्ष**	**2–3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**योग**
प्रगति पर परियोजना:					
1. इआरपी– एस एपी– पीएस, एमएम एंड एसडी	–	48.26	25.99	–	74.25
2. एकमुश्त प्रतिस्थापन प्रभाव और आइएमपीएल तथा कौनस फोल्डर बीटीएस	–	4.13	–	–	4.13
अस्थाई रूप से निलंबित परियोजना	–	–	–	–	–
योग	–	52.39	25.99	–	78.38

(ख) **विकास पूर्ण अनुसूची के अधीन अमूर्त असेट्स के ब्योरेः**

(रकम लाख रुपए में)

विकासाधीन अमूर्त असेट्स	निम्नलिखित अवधि के लिए सीडब्ल्यू आईपी की रकम				
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
प्रगति पर परियोजनाः					
1. इआरपी– एस एएपी–पीएस, एमएम एंड एसडी			74.25 –	– –	
2. एकमुश्त प्रतिस्थापन प्रभाव और आइएमपीएल तथा कौनस फोल्डर बीटीएस			4.13 –	– –	
अस्थाई रूप से निलंबित परियोजना			– –	– –	
योग			78.38 –	– –	

(vi) धृत बेनामी संपत्ति के ब्योरेः

31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार कंपनी ने कोई बेनामी संपत्ति धारण नहीं की है।

(vii) चालू एसेर्टज की सिक्योरिटी के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से लिया गया उधारः

कंपनी ने समय समय के आधार पर बैंकरों को अनंतिम वित्तीय डाटा प्रस्तुत किया है या डाटा वही है जो शासी मंत्रालय को भी रिपोर्ट किया गया है।

(viii) जानबूझकर व्यतिक्रमः

31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार कंपनी को किसी बैंक या वित्तीय संस्था या अन्य उधार दाता द्वारा जानबूझकर व्यतिक्रमी ही घोषित नहीं किया गया है।

(ix) हटा दी गई कंपनियों के साथ संबंधः

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अधीन के हटा दी गई कंपनियों के साथ वर्ष के दौरान कोई संव्यवहार नहीं किया है।.

(x) कंपनी रजिस्ट्रार के साथ परिवारों का रजिस्ट्रीकरण या चुकाया जानारू

कानूनी अवधि से परे कंपनी रजिस्ट्रार के पास किन्ही प्रभारों या उनका चुकाया जाना रजिस्ट्रीकृत किया जाना है

(xi) कंपनियों की अनेक लेयरों के साथ अनुपालनरू

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 का खंड (87) नियंत्रित कंपनी के वर्ग या वर्गों को विहित सीमा से परे अनुषंगी कंपनियां रखने पर निर्बंधन अधिरोपित करता है। पूर्वोक्त उपबंध कंपनी को लागू नहीं होता है।

(xii) विभिन्न अनुपातः

विभिन्न अनुपातों के ब्योरे नीचे दिए अनुसार हैं:

क्रम संख्या	अनुपात का प्रकार	फार्मूला (अंश भाजक)	समय में प्रतिशत	वित्त वर्ष 2021–22	वित्त वर्ष 2020–21	%
क)	विद्यमान अनुपात	चालू असेट्स/चालू दायित्व	कितनी बार	1.15	1.12	2%
ख)	ऋण–साम्य अनुपात	बाहरी व्यक्तियों के दावे/ आंतरिक व्यक्तियों के दावे	कितनी बार	8.81	4.53	94%
ग)	ऋण सेवा कवरेज अनुपात	ब्याज कर अक्षयण से पूर्व अर्जन एवं अपाकरण/ ब्याज+मूल	कितनी बार	(10.90)	(0.55)	1879%
घ)	साम्या अनुपात पर रिटर्न	कर के पश्चात लाभ / शेयरधारकों की इक्विटी	%	(184%)	(140%)	31%
ड़)	माल सूची टर्नओवर अनुपात	विक्रय किए गए माल की लागत /औसत माल सूची	कितनी बार	639.22	1,247.74	–49%
च)	व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात	शुद्ध नकद विक्रय / औसत व्यापार प्राप्य	कितनी बार	2.49	1.95	28%
छ)	व्यापार संदेय टर्नओवर अनुपात	शुद्ध नकद करें /औसत व्यापार प्राप्य	कितनी बार	1.16	1.16	–
ज)	शुद्ध पूंजी टर्नओवर अनुपात	टर्नओवर/नियोजित पूंजी	कितनी बार	8.82	5.42	63%
झ)	शुद्ध लाभ अनुपात	शुद्ध लाभ /कुल आय	%	(9%)	(6%)	41%
त)	नियोजित पूंजी पर रिटर्न	कर पश्चात लाभ /कुल नियोजित पूंजी	%	(78%)	(33%)	133%
थ)	विनिधान पर रिटर्न	असेट्स के किसी वर्ग से लाभ/ऐसे एसेर्टज के वर्ग का बाजार मूल्य	%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

पिछले वर्ष की तुलना में 25% से अधिक अनुपात में परिवर्तनों के लिए स्पष्टीकरण नीचे दी अंसार है:

क) ऋण– इक्विटी अनुपात में, चालू वर्ष में 65.06 करोड रुपए की हानि के कारण जिसका परिणाम "आंतरिक व्यक्तियों के दावे" में कमी के रूप में चालू वर्ष में हुआ (फार्मूला का अंश भाजक मूल्य)

ख) ऋण सेवा कवरेज अनुपात में, चालू वर्ष के लिए ईवी आईटीडीएपूर्व वर्ष में –32.37 करोड रुपए की तुलना में चालू वर्ष मै 5656.65 करोड रुपए है (सूत्र में अंश भाजक).

ग) इक्विटी अनुपात में रिटर्न पर, पूरा वर्ष में 49.74 करोड रुपए हानि की तुलना में चालू वर्ष में हानि 65. 06 करोड रुपए हैइसका परिणाम यह कोटि में रिटर्न में कमी के रूप में हुआ।.

घ) माल सूची टर्नओवर अनुपात में, चालू वर्ष में बेचे गए माल और माल सूची 684.64 करोड रुपए और1. 96 करोड रुपए है जबकि पिछले वर्षीय क्रमशः 748.77 करोड रुपए और0.18 करोड रुपए था। इसका परिणाम पिछले वर्ष की तुलना में अनुपात में कमी के रूप में हुआ।

ड) व्यापार प्राप्त टर्नओवर अनुपात में, चालू वर्ष में टर्नओवर और औसत व्यापार प्राप्य 736.17 करोड रुपए और 295.70 करोड रुपए हैं जबकि पिछले वर्ष या 805.62 करोड रुपए और 247.39 करोड रुपए थे। इसका परिणाम पिछले वर्ष की तुलना में अनुपात में बढ़ोतरी के रूप में हुआ।

च) शुद्ध पूंजी टर्नओवर अनुपात में, चालू वर्ष में 65.06 करोड रुपए की हानि के कारण उसका परिणाम चालू वर्ष में नियोजित पूंजी में कमी के रूप में हुआ (सूत्र में अंश भाजक का मूल्य) इसका परिणाम पूर्व वर्ष की तुलना में अनुपात में वृद्धि के रूप में हुआ.

छ) शुद्ध लाभ अनुपात में, पिछले वर्ष में. –49.74 करोड रुपए की हानि की तुलना में चालू वर्ष में 65.06 करोड रुपए की हानि। इसका परिणाम शुद्ध लाभ अनुपात में कमी के रूप में हुआ।

ज) नियोजित पूंजी के रिटर्न के अनुपात में, चालू वर्ष में 65.06 करोड रुपए की हानि जिसका परिणाम चालू वर्ष में नियोजित पूंजी में कमी के रूप में हुआ (सूत्र में अंश भाजक मूल्य) इसका परिणाम पूर्व वर्ष की तुलना में कमी के रूप में हुआ।

(xiii) प्रबंध की अनुमोदित स्कीमों का अनुपालनः

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से धारा 207 इसके अधीन कंपनी के लिए कोई स्कीम अनुमोदित नहीं की गई है।

(xiv) उधार ली गई निधियों और शेयर प्रीमियम का उपयोगः

कंपनी ने किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों या निकाय जिसके अंतर्गत विदेशी निकाय (मध्यवर्ती) सम्मिलित हैं से कोई अग्रिम नहीं लिया है या उधार नहीं लिया है या निधियों (या तो उधार ली गई निधियां या शेयर प्रीमियम या अन्य स्रोत या निधियों की किस्म) का विनिधान नहीं किया है।

(xv) अप्रकटित आयः

वर्ष के लिए कोई अप्रकटित आय या कोई संव्यवहार नहीं है जिसे लेखाबहियों में अभिलिखित किया गया है।

(xvi) क्रिप्टो मुद्रा या वर्चुअल मुद्रा के ब्यौरेरू

कंपनी ने वर्ष के दौरान क्रिप्टो मुद्रा या वर्चुअल मुद्रा में कोई व्यापार या विनिधान नहीं किया है।

टिप्पण संख्या 2.53

वित्त वर्ष 2021–22 कॉविड–19 के बार–बार होने के प्रभाव के कारण बहुत उथल–पुथल भरा रहा था तथा वैश्विक उथल–पुथल का देश के आर्थिक सबलपन ने काफी हद तक संतुलन बनाया। भारत के रिजर्व बैंक द्वारा नकदी की उपलब्धता को आसान बनाने के उपाय उन्हें संपूर्ण वर्ष के दौरान सरकारी नियमित व्यय ने आर्थिक मंदी के जोखिम को निवृत किया और गृहस्थों तथा कंपनियों के विश्वास को बढ़ाने में सहायता की।

कोविड–19 लहर के पश्च्च आर्थिक कार्यकलापों के पुनः प्रारंभ होने और बेहतर सचलता के सामान्य होने की पृष्ठभूमि के कारण वित्त वर्ष 2021–22 के एक रिकवरी वर्ष होने की आशा थी। इसके प्रतिकूल वर्ष का प्रारंभ अधिक विध्वंसकारी दूसरी लहर के प्रारंभ होने से हुआ जिसका परिणाम रिकॉर्ड संख्या में संदूषण और उच्च मृत्यु दर के रूप में हुआ। देश पहली लहर के दौरान पूर्ण लॉकडाउन के विपरीत विभिन्न राज्यों में आंशिक लॉकडाउन का साक्षी बना। वेहतर टीकाकरण प्रयासों के साथ अर्थव्यवस्था प्रत्याशा के विपरीत तेजी से वापस पथ पर आई। तथापि रिकवरी की गति को तीसरी तिमाही के अंत की ओर ओमीक्रोन वेरिएंट की उत्पत्ति ने बाधित किया, सौभाग्य से यह केवल संक्षिप्त अवधि के लिए ही रहा।

वित्तवर्ष 2021–22 अनेक लहरों का साक्षी रहा, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान ने संपूर्ण विश्व में वस्तुओं/सौर मॉड्यूल कीमतों

में मालभाड़ा लागत के अतिरिक्त अप्रायिक वृद्धि हुई। ना केवल इससे ग्राहकों की ओर से आदेशों को अंतिम रूप देने में विलंब हुआ बल्कि चालू परियोजनाओं की प्रगति में भी विलंब हुआ।

कोविड–19 महामारी के प्रभाव ने जीवनयापन, शिक्षा और स्वास्थ्य को प्रभावित करके समुदायों की तबाही को जारी रखा और इसने जमीनी वास्तविकताओं के लिए नूतन कार्य विधियों की मांग की पुस्तक विद्यमान परियोजनाओं में प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए।

कारवार/आर्थिक स्थितियों पर कोविड–19 महामारी के प्रभाव के निर्धारण के आधार पर कंपनी को उसके असेट्स के वहन मूल्य को वसूल करने की आशा है। कंपनी महामारी से संबंधित अनिश्चितता का मूल्यांकन करना जारी रखेगी और अपने निर्धारण को अद्यतन करेगी।

टिप्पण संख्या 2.54

पिछले वर्ष के अंको का मिलान, पुना समूहीकरण कर लिया गया है और उन्हें चालू वर्ष के वर्गीकरण/समूहीकरण के अनुरूप करने के लिए पुनः तैयार किया गया है।

हमारी समसंख्य क तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते निदेशक बोर्ड के लिए और उसकी ओर से

कृत जीएसके एवं एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेट
फर्म रजिस्ट्रीकरण सं.013838एन/एन500003

ह0/–
(सीए संजय कुमार गुप्ता)
पदनामित भागीदार
सदस्यता सं. 0930556
तारीखः 4 अगस्त, 2022
स्थानः नई दिल्ली
यूडीआईएनः22093056एओआईक्यूएलवी1353

ह0/–
(राजपाल सिंह)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन08750557

ह0/–
(धीरेन्द्र सिंह राना)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
डीआईएन07022825

ह0/–
(अशोक कुमार पात्रा)
महाप्रबंधक (वित्त) एवं सीएफओ

ह0/–
(नितेश कुमार गोयल)
कंपनी सचिव

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में

सदस्य,

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड,

समेकित वित्तीय विवरणियों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

हमने मैसर्स इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (जिसे इसमें इसके पश्चात नियंत्रण कंपनी कहा गया है) और उसकी अनुषंगी (नियंत्री कंपनी और उसकी अनुषंगी दोनों मिलकर " समूह") के संलग्न वित्तीय विवरणों की जांच कर ली है, जो 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार समाप्त हुए वर्ष के लिए तुलनपत्र, लाभ और हानि का विवरण और समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पण जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और अन्य स्पष्टीकारक सूचना है, से मिलकर बना है। कंपनी के 4 (चार) क्षेत्रों अर्थात् पश्चिम क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र में स्थित प्रादेशिक कार्यालयों और ओमान, श्रीलंका तथा म्यांमार की 3 (तीन) विदेशी शाखाओं की नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा और कार्पोरेट कार्यालय की हमारे द्वारा लेखा परीक्षा की गई है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार सिवाय हमारी रिपोर्ट के अर्हित राय का आधार अनुभाग में वर्णित किए गए मामले के सिवाय पूर्वक एकल वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की अपेक्षा अनुसार उस प्रकार अपेक्षित रीति में सूचना प्रदान करते हैं और भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी के कार्यों का 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए हानि और कंपनी के नकद प्रवाह का न्यायोचित दृश्य प्रस्तुत करते हैं।

अर्हित राय का आधार

1. लेखांकन नीति संख्या 10 के अनुसार व्यापार प्राप्यों को 10 वर्ष तक प्राप्ति के लिए अच्छा समझा जाता है इसलिए 10 वर्ष से अधिक के बकाया के लिए संदेहास्पद ऋण के विरुद्ध उपबंध किया जाता है, 443.77 रुपए का उपबंध 31 मार्च 2022 तक मैसर्स यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) से 2368.96 रुपए की वसूलनीय कुल रकम के लिए किया गया है। इस प्रत्यय के लिए 746.78 लॉख रुपए उप ठेकेदारों को संदाय के लिए लंबित हैं। अतः कुल बकाया जिसके लिए उपबंध करना अपेक्षित है, 1622.18 लाख रुपए होता है। पूर्व उक्त रकम 10 वर्ष से अधिक से है और कंपनी द्वारा संदेहस्पद ऋण/उधार और अग्रिम के लिए शत प्रतिशत उपबंध करने की अपेक्षा है। प्रबंधन ने 31 मार्च 2022 तक 443.77 लाख रुपए का उपबंध किया है। अतः अपेक्षित उपबंध में 1178.41 लाख रुपए की कमी है।

   इसके अतिरिक्त कंपनी ने उक्त मामले पर भारत के अपर सॉलिसिटर जनरल से लेखा परीक्षा के अधीन वर्ष में विधिक राय प्राप्त की है और राय के अनुसार 1161.92 की रकम अन्य पक्षकार द्वारा किए गए अन्य भागों के साथ विवादास्पद नहीं है जिसकी अभी गणना नहीं की गई है। ईपीआईएल ने इसका अभी तक भुगतान नहीं किया है। इसलिए ईपीआईएल की हानि को उतनी रकम से कम दर्शाया गया है (टिप्पण संख्या 2.45(क) को निर्दिष्ट करें)।

2. सीएंडसी संनिर्माण लिमिटेड म्यांमार में संयुक्त उद्यम "ईपीआई– सीएंडसी जेवी (अनिगमित)" हमारा 60: स्टेक भागीदार और ओमान परियोजना में हमारा मुख्य ठेकेदार एनसीएलटी में दिवाला कार्यवाहियों का इस समय सामना कर रहे हैं और यह मामला अग्रिम चरण में है। इसका परिणाम और ईपीआईएल के वित्तीय विवरणों पर उसके वित्तीय प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है।

हमने अपनी लेखा परीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अधीन विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों (एसएस) के अनुसार संचालित की है। इन मानकों के अधीन हमारे उत्तरदायित्व का हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण भाग में लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व में और वर्णन किया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार नैतिक आचार अपेक्षाओं सहित जो कंपनी अधिनियम 2013 और उसके अधीन नियमों के उपबंधों के अधीन वित्तीय विवरणों कि हमारी लेखा परीक्षा से सुसंगत है, हम कंपनी से स्वतंत्र हैं और हमने इन अपेक्षाओं तथा नैतिक आचरण संहिता के अनुसार अपने नैतिक आचरण के उत्तरदायित्व को पूरा किया है। हम विश्वास करते हैं कि लेखा परीक्षा साक्ष्य जो हमने अभिप्राप्त किया है हमारी राय का आधार बनाने के लिए पर्याप्त और समुचित है।

मामले का बल

हम निम्नलिखित मामलों पर ध्यान आकृष्ट करते हैं

1. व्यापार प्राप्यों, कार्य के लिए अग्रिम, सुरक्षा जमा और प्रतिधारण धन, ग्राहकों, विक्रेताओं और अन्य से उधार और अग्रिम तथा प्राप्यों के संबंध में शेष की बाह्य पुष्टि उपलब्ध नहीं है।

   शेष की पुष्टि के उपलब्ध ना होने के कारण इन वित्तीय विवरणों से उद्भूत प्रभाव, यदि कोई है की मात्रा बताने में असमर्थ हैं।

आस्तियां	रकम (रुपए में)
वर्क्स के लिए अग्रिम	10536.99
सुरक्षा जमा और प्रतिधारण धन	39787.04
व्यापार प्राप्य	25930.10
अन्य प्राप्य	47823.40

   यद्यपि कंपनी ने सभी संबंधित ग्राहकों को नकारात्मक शेष की पुष्टि का अनुरोध किया किंतु कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। एसए 505– बाह्य पुष्टि के अनुसार, नकारात्मक पुष्टि अनुरोध के लिए कोई प्रत्युत्तर ना प्राप्त करना शोध्य रकम के सही होने या पुष्टि करने वाले पक्षकार द्वारा रकम की पुष्टि करने की इच्छा ना होने को दर्शाता है। इसलिए उक्त रकमों के सही होने, विद्यमान होने और पूर्ण होने का सत्यापन नहीं किया जा सकता है। तथापि लेखा परीक्षा मानक के अनुसार नकारात्मक पुष्टि लेखा परीक्षा का साक्ष्य है इसलिए पूर्वोक्त के आधार पर हम अपनी राय को अर्हित नहीं कर रहे हैं। टिप्पण संख्या 2.43 को निर्दिष्ट करें।

2. निम्नलिखित व्यापार प्राप्य, ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम, सुरक्षा जमा और प्रतिधारण धन शेष की सकारात्मक पुष्टि उपलब्ध नहीं है। शेष की पुष्टि उपलब्ध ना होने के कारण वित्तीय विवरणों पर उद्भूत होने वाले किसी प्रभाव का पता लगाने में असमर्थ हैं, यदि कोई हैं।

आस्तियां	रकम (रुपए में)
व्यापार संदेय	60162.94
सुरक्षा जमा एवं प्रतिधारण धन संदेय	44176.63
प्राप्त अग्रिम	64741.46
ग्राहक को संदेय अन्य	779.46

यद्यपि कंपनी ने सभी संबंधित ग्राहकों को नकारात्मक शेष की पुष्टि का अनुरोध किया किंतु कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। एसए 505– बाह्य पुष्टि के अनुसार, नकारात्मक पुष्टि अनुरोध के लिए कोई प्रत्युत्तर ना प्राप्त करना शोध्या रकम के सही होने या पुष्टि करने वाले पक्षकार द्वारा रकम की पुष्टि करने की इच्छा ना होने को दर्शाता है। इसलिए उक्त रकमों के सही होने, विद्यमान होने और पूर्ण होने का सत्यापन नहीं किया जा सकता है। तथापि लेखा परीक्षा मानक के अनुसार नकारात्मक पुष्टि लेखा परीक्षा का साक्ष्य है इसलिए पूर्वक के आधार पर हम अपनी राय को अर्हित नहीं कर रहे हैं। टिप्पण संख्या 2.43 को निर्दिष्ट करें।

3. कंपनी की वसूलनीय टीडीएस, संदत्त अग्रिम कर और आयकर दायित्व से वसूलनीय टीसीएस की उनके संबंधित निर्धारण वर्ष के लिए ही अंतिम निर्धारण आदेश प्राप्त करने के पश्चात पद्धति है। यद्यपी यह नोट किया जा सकता है कि उक्त नीति के कारण वसूलनीय टीडीएस, अग्रिम कर और वसूलनीय टीसीएस की रकमों द्वारा आस्तियों और दायित्व का अधिक कथन होता है। क्योंकि इनका वित्तीय प्रभाव तात्विक नहीं है इसलिए हम उन पर अपनी राय को और अर्हित नहीं कर रहे हैं। टिप्पण संख्या 2.11 और टिप्पण संख्या 2.16 को निर्दिष्ट करें।

4. म्यांमार परियोजना में सीएंडसी संनिर्माण लिमिटेड के निमित्त 4554.00 लाख रुपए की आईपीएल द्वारा दी गई बैंक गारंटी के स्थान पर ईपीआईएल को 1906. 64 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं और शेष को ओमान में किए गए कार्य के लिए प्रतिभूत किया गया है। वर्ष के दौरान विदेश कार्य विभाग ने तारीख 9 फरवरी 2022 के पत्र द्वारा (प्लेटवा से भारत–म्यांमार सीमा (जोरिन पुरी) पर राष्ट्रीय राजमार्ग विशिष्टियों के अनुसार दो लेन की सड़क की संनिर्माण की परियोजना) संपूर्ण संविदा को गैर निष्पादन का कथन करते हुए समाप्त कर दिया और पश्चात भर्ती रूप से 75.90 करोड रुपए की रकम की बैंक गारंटी को आहूत किया (ईपीआई की हिस्सेदारी 30.36 करोड़ रुपए और सीएन्डसी की हिस्सेदारी 45.54 करोड रुपए)। ईपीआई ने तारीख 11 फरवरी 2022 के अपने पत्र के द्वारा अपने उप ठेकेदार मैसेज आरके– आरपीपी संयुक्त उद्यम (ठेके का मूल्य 414 करोड रुपए) को समाप्त कर दिया और 20.70 करोड रुपए (414 करोड रुपए का 5%) के गैर निष्पादन के कारण बैंक गारंटी को आहूत किया टिप्पण संख्या 2.11 और टिप्पण संख्या 2.29(ख) को निर्दिष्ट करें।

5. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा 5 मामले रजिस्टर किए गए हैं और ईपीआईएल कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज की गई है जिसमें से 2 मामले वित्त वर्ष 2017–18 और एक मामला वित्त वर्ष 2016–17 में रजिस्टर किया गया है। यह मामले अभियुक्त कर्मचारियों द्वारा निविदा देने के लिए अवैध प्रलोभन लेने के संबंध में है। ईपीआई को एफ आई आर में पक्षकार नहीं बनाया गया है और उसके वित्तीय कारणों पर कोई वित्तीय प्रभाव परिकल्पित नहीं है। टिप्पण संख्या 2.41 को निर्दिष्ट करें।

6. कंपनी ने ठेकेदार को 387 लाख रुपए का अग्रिम भुगतान किया है तथापि उठ ठेकेदार दिवाला प्रक्रिया के अधीन है और इसके लिए एक समाधान वृतिक की नियुक्ति की गई है। समाधान वृतिक ने ईपीआईएल के दावे को स्वीकार कर लिया है किंतु रकम जिसकी वसूली की जा सकती है क्या पता नहीं लगाया जा सकता है। टिप्पण संख्या 2.12 को निर्दिष्ट करें।

7. सी एंड सी एलएलसी ओमान (सी एंड सी संनिर्माण लिमिटेड–इंडिया की एक अनुषंगी) सीमित दायित्व कंपनी द्वारा फाइल मामले के संबंध में ओमान सल्तनत के प्राइमरी न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार रक्षा मंत्रालय ने 11.35 मिलियन की रकम को ब्लॉक कर दिया है। ईपीआई ने मामला संख्या 119/1310/2021 के ब्यौरे मस्कट प्राइमरी न्यायालय से एकत्रित किए हैं और मस्कट प्राइमरी न्यायालय में अपील फाइल की है। मामला संख्या 119/1310/2021 में अंतिम सुनवाई 19 अप्रैल 2022 को हुई थी और इसे 4 जुलाई 2022 के लिए स्थगित कर दिया गया था। ईपीआई ने संख्या 35/7135/2022 – 36/7135/2022 – 37/7135/2022 द्वारा निष्पादन बैंक प्रतिभूति के नकदीकरण के लिए और रक्षा मंत्रालय से 11.35 मिलियन के अनंतिम आर ओ जब्ती को हटाने के लिए अपील न्यायालय के समक्ष याचिका भी फाइल की है। न्यायालय ने निर्णय के लिए

13 जून 2022 को उपरोक्त तीन याचिकाओं की सुनवाई की है और वित्त वर्ष 2022– 23 में ईपीआई के पक्ष में आदेश प्राप्त हो गए हैं। उपरोक्त मामले के संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रक्रिया को वित्त वर्ष 2022– 23 में भी हाथ में लिया जाएगा। टिप्पण संख्या 2.3 और टिप्पण संख्या 2.6 को निर्दिष्ट करें।

8. हम परिसरों के पट्टा करार, जो 30 सितंबर 2015 को समाप्त हो गया है, के संबंध में टिप्पण संख्या 2.4 की और भी ध्यान आकृष्ट करते हैं और इस मामले को न्याय निर्णय उनके लिए मामला संख्या 2016 का 144 और 2022 की जीए संख्या 18, तारीख 8 फरवरी 2022 द्वारा माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय को निर्दिष्ट कर दिया गया है तथा तथा यह विचाराधीन है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने परिसरों के पट्टा देने वाले से अक्टूबर 2015 से मार्च 2022 से संबंधित अवधि के लिए 5952.70 लाख रुपए (2581.27 लाख रुपए के ब्याज सहित) एवं 514. 28 लाख रु की जीएसटी की मांग प्राप्त की है।

1 अक्टूबर 2020 को हुई ओएनजीसी समर्थित निर्णय के आधार पर (परिसर के किरायेदारों में से एक किराएदार) बैठक के कार्यवृत्त के आधार पर 5438.42 लाख रुपए की प्रतिमांग के विरुद्ध कंपनी ने जीएसटी को शामिल ना करते हुए 31 मार्च 2022 को 1659.22 लाख रुपए की रकम का प्रावधान किया है। प्रादेशिक कार्यालय प्रबंधन द्वारा हमें सूचित किए गए अनुसार किराया दायित्व के लिए प्रावधान तुलन पत्र की तारीख को कंपनी द्वारा आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है तथा विधिक कार्यवाही यों का कंपनी की वित्तीय स्थिति पर कोई तात्विक और प्रतिकूल प्रभाव नहीं है।

9. जहां कंपनी द्वारा आयकर विवरणी में दावा की गई रकम की परिमाण तक 92 लाख रु. की रकम के अंतर के लिए कंपनी ने पूर्व निर्धारण वर्ष में वर्ष वार ब्यौरे उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं, दीर्घ अवधि ऋण और अग्रिम मै "कटौती किया गया आयकर" सम्मिलित है। टिप्पण सं. 2.11 को निर्दिष्ट करें

साधारण कारवार परिदृश्य

वित्त वर्ष 2021–22 कॉविड–19 के बार–बार होने के प्रभाव के कारण बहुत उथल–पुथल भरा रहा था तथा वैश्विक उथल–पुथल का देश के आर्थिक सबलपन ने काफी हद तक संतुलन बनाया। भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नकदी की उपलब्धता को आसान बनाने के उपाय उन्हें संपूर्ण वर्ष के दौरान सरकारी नियमितव्यय ने आर्थिक मंदी के जोखिम को निवृत किया औरगृहस्थों तथा कंपनियों के विश्वास को बढ़ाने में सहायता की।

कोविड–19 लहर के पश्च्च आर्थिक कार्यकलापों के पुनः प्रारंभ होने और बेहतर सचलता के सामान्य होने की पृष्ठभूमि के कारण वित्त वर्ष 2021–22 के एक रिकवरी वर्ष होने की आशा थी। इसके प्रतिकूल वर्ष का प्रारंभ अधिक विध्वंसकारी दूसरी लहर के प्रारंभ होने से हुआ जिसका परिणाम रिकॉर्ड संख्या में संदूषण और उच्च मृत्यु दर के रूप में हुआ। देश पहली लहर के दौरान पूर्ण लॉकडाउन के विपरीत विभिन्न राज्यों में आंशिक लॉकडाउन का साक्षी बना। वेहतर टीकाकरण प्रयासों के साथ अर्थव्यवस्था प्रत्याशा के विपरीत तेजी से वापस पथ पर आई। तथापि रिकवरी की गति को तीसरी तिमाही के अंत की ओर ओमीक्रोन वेरिएंट की उत्पत्ति ने बाधित किया, सौभाग्य से यह केवल संक्षिप्त अवधि के लिए ही रहा।

वित्त वर्ष 2021–22 अनेक लहरों का साक्षी रहा, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान ने संपूर्ण विश्व में वस्तुओं/सोलर मॉड्यूल कीमतों में मालभाड़ा लागत के अतिरिक्त अप्रायिक वृद्धि हुई। ना केवल इससे ग्राहकों की ओर से आदेशों को अंतिम रूप देने में विलंब हुआ बल्कि चालू परियोजनाओं की प्रगति में भी विलंब हुआ।

कोविड–19 महामारी के प्रभाव ने जीवनयापन, शिक्षा और स्वास्थ्य को प्रभावित करके समुदायों की तबाही को जारी रखा और इसने जमीनी वास्तविकताओं के लिए नूतन कार्य विधियों की मांग की पुस्तक विद्यमान परियोजनाओं में प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए।

कारवार/आर्थिक स्थितियों पर कोविड–19 महामारी के प्रभाव के निर्धारण के आधार पर, कंपनी से उसके असेट्स के चालू मूल्य की वसूली की आशा है। कंपनी महामारी से संबंधित अकस्मिकताओं का मूल्यांकन करना जारी रखेगी और आपने निर्धारण को अद्यतन करेगी (टिप्पण संख्या 2.53 को निर्दिष्ट करें)

पूर्वोक्त मामलों पर हमारी राय अहित नहीं है।

वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट से भिन्न अन्य सूचना

कंपनी का निदेशक बोर्ड अन्य सूचना को तैयार करने के लिए उत्तरदाई है। अन्य सूचना प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, बोर्ड की रिपोर्ट में सम्मिलित अन्य सूचना से मिलकर बनी है जिसके अंतर्गत बोर्ड की रिपोर्ट के उपाबंध और शेयरधारकों की सूचना सम्मिलित है किंतु इसके अंतर्गत समेकित वित्तीय विवरण और उन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट नहीं है।

हमारी राय में समेकित वित्तीय विवरण में अन्य सूचना सम्मिलित नहीं है और हम उन पर कोई आश्वासन निष्कर्ष अभिव्यक्त नहीं करते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों कि हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में हमारा उत्तरदायित्व अन्य सूचना का पठन करना है और ऐसा करने में इस बात पर विचार करना है कि क्या अन्य सूचना वित्तीय विवरण के साथ या लेखा परीक्षा के अभिप्राप्त हमारी जानकारी से तात्विक रूप से असंगत है या अन्यथा तात्विक रूप से भ्रामक प्रतीत होती है।

हमारे द्वारा निष्पादित कार्य के आधार पर हमारा यह निष्कर्ष है कि इस अन्य सूचना में तात्विक मिथ्या कथन है, इस तथ्य की रिपोर्ट करने की हमसे अपेक्षा है, इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है।

प्रबंधन और जो समेकित वित्तीय विवरणों के शासन के लिए प्रभारी हैं, के उत्तरदायित्व

नियंत्री कंपनी का निदेशक बोर्ड कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) में कथित मामलों के लिए इन समेकित वित्तीय विवरणियों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के संबंध में उत्तरदायी है जो समूह की वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्यनिष्पादन और समेकित नकद प्रवाह की जिसके अंतर्गत भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों जिसके अंतर्गत कंपनी लेखांकन नियम 2014 की नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट लेखांकन मानक हैं, के अनुसार सही और न्यायोचित दृश्य प्रस्तुत करते हैं।

इस उत्तरदायित्व में कंपनी की आस्तियों का सुरक्षापायों और कपट का तथा अन्य अनियमितताओं का पता लगाने के लिए अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों का अनुरक्षणय समुचित लेखांकन नीतियों का चयन और उन्हें लागू करनाय ऐसे निर्णय और आकलन करना जो युक्तियुक्त तथा प्रबुद्ध होंय तथा वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति और तैयारी से सुसंगत आंतरिक नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल है जो वित्तीय विवरणियों को तैयार करने और प्रस्तुत करने में सुसंगत हैं जो लेखांकन अभिलेखों की शुद्धता का सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहा था जो किसी तात्विक मिथ्या कथन से मुक्त, चाहे कपटपूर्ण हो या त्रुटिवश, सही और न्यायोचित तस्वीर प्रदान करे।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, निदेशक बोर्ड कंपनी के एक चालू समुत्थान के रूप में बने रहने की योग्यता, चालू समुत्थान से संबंधित मामलों का प्रकटन और लेखांकन के चालू समुत्थान आधार का उपयोग करना जब तक की निदेशक बोर्ड या तो कंपनी के परीसमापन की इच्छा ना रखते हैं या प्रचालन बंद करने की इच्छान रखते हैं या ऐसा न करने का उनके पास कोई वास्तविक विकल्प ना हो। निदेशक बोर्ड कंपनी की वित्तीय रिपोर्ट करने की प्रक्रिया का भी पर्यवेक्षण करने के लिए उत्तरदाई है।

लेखापरीक्षकों का समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस संबंध में युक्ति युक्त आश्वासन अभिप्राप्त करना है कि क्या संपूर्ण रूप में समेकित वित्तीय विवरण चाहे

कपट या त्रुटि के कारण तात्विक मिथ्या कथन से स्वतंत्र हैं या नहीं और लेखा परीक्षकों की एक ऐसी रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय सम्मिलित है। युक्तियुक्त आश्वासन एक ऊंचे स्तर का आश्वासन है किंतु यह इस बात की गारंटी नहीं है कि एस ए के अनुसार संचालित की गई लेखा परीक्षा हमेशा मिथ्या कथन का पता लगाएगी जब वह विद्यमान हो। मिथ्या कथन किसी कपट या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और इन्हें तात्विक माना जाता है यदि व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से उनसे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की युक्तियुक्त संभावना हो।

एसए के अनुसार लेखा परीक्षा के एक भाग के रूप में हम पेशेवर निर्णय का उपयोग करते हैं और हमारी लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर अविश्वास बनाए रखते हैं, हम :

- समेकित वित्तीय विवरणों के तात्विक नित्य कथन के जोखिम का पता लगाते हैं और निर्धारण करते हैं चाहे यह कपट या त्रुटि, डिजाइन के कारण हो और इन जोखिमों के अनुरूप लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं करते हैं तथा ऐसा लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय का आधार बनने के लिए पर्याप्त और समुचित हो किसी त्रुटि के परिणाम स्वरूप तात्विक मिथ्या विद्या कथन का पता ना लगाने का जोखिम उस जोखिम से अधिक है जो किसी त्रुटि के परिणाम स्वरूप होता है क्योंकि किसी कपट में मिलीभक्त, कपट, जानबूझकर भूल, मिथ्या कथन या आंतरिक नियंत्रण को और प्रभावी करना शामिल होता है।

- आंतरिक नियंत्रण पर एक समझ प्राप्त करना जो ऐसी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का डिजाइन करने के लिए सुसंगत हैं जो परिस्थितियों में समुचित हो। कंपनी अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अनुसार हम इस पर भी अपनी राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदाई हैं कि कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं और ऐसे नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।

- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का और लेखांकन आकलन ओ की तर्कसंगतता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटनो का मूल्यांकन करना।

- प्रबंधन के चालू समुत्थान के आधार पर संचिता का निष्कर्ष और अभी प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर कि क्या घटनाओं या चीटियों से संबंधित कोई तांत्रिक अनिश्चितता विद्यमान है जो कंपनी की चालू संविधान के आधार पर योग्यता पर कोई महत्वपूर्ण आक्षेप करती है। हम निष्कर्ष निकालते हैं कि तात्विक अनिश्चितता विद्यमान है, हमसे हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर ध्यान दिलाने की आवश्यकता है जो एक वित्तीय विवरणों में प्रकटन से संबंधित है, या यदि ऐसा प्रकट अपर्याप्त है तो हमारे मत को अंतरित किया जाना है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा साक्ष्यों पर आधारित है। यद्यपी भावी घटनाएं या स्थितियां कंपनी को एक चालू समथान के रूप में बने रहने को समाप्त कर सकती हैं।

- समेकित वित्तीय विवरणों जिसके अंतर्गत प्रकटन है के समग्र प्रस्तुतीकरण ढांचे और अंतर्वस्तु का मूल्यांकन और क्या समेकित वित्तीय विवरण किए गए संभावनाओं को और घटनाओं को ऐसी रीति में दर्शाते हैं जिससे उचित प्रस्तुतीकरण हासिल किया जा सके।

समेकित वित्तीय विवरणों में मिथ्य कथनों की मात्रा व्यष्टिक रूप से यह समग्र रूप से तात्विक है, इस बात को संभाव्या बनाती है कि वित्तीय विवरणों की युक्ति युक्त जानकारी रखने वाले उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय को प्रभावित किया जा सकता है। हम गुणात्मक तत्वों और गुणात्मक कारकों पर (i) हमारी लेखा परीक्षा के स्कोप की योजना बनाने और हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने; और (ii) एकल वित्तीय विवरणों में पहचाने गए नित्य कथनों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए विचार करते हैं।

हम उन लोगों के साथ संपर्क करते हैं जिनके ऊपर अन्य विषयों के साथ लेखा परीक्षा के योजना बनाए गए इसको और समय तथा महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्ष, जिसके अंतर्गत आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमी है जिसकी हमने अपनी लेखा परीक्षा के दौरान पहचान की है कि प्रशासन के लिए उत्तरदायित्व है।

हम उनको, जो प्रशासन के लिए उत्तरदायी हैं, एक विवरण प्रस्तुत करते हैं जो हमने सुसंगत नैतिक अपेक्षाओं के साथ स्वतंत्रता के संबंध में तैयार किया है और हम उनके साथ सभी नातेदारी और अन्य विषयों के साथ संपर्क करते हैं जिसका हमारी स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त प्रभाव पड़ता है और जहां लागू हो संबंधित सुरक्षा पाए करते हैं।

जो शासन के लिए उत्तरदाई हैं, साथ संपर्क किए गए मामले से हम उन विषयों को स सूचित करते हैं जो चालू अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और इसलिए मुख्य लेखा परीक्षा विषय हैं। हम हमारी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में उन विषयों का वर्णन करते हैं जब तक की विधिया नियमों द्वारा उन विषयों का प्रकटन जितना हो या तब जब अत्याधिक दुर्लभ परिस्थितियों में हमें अधारित करते हैं कि उस विषय को हमारी रिपोर्ट में से सूचित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल प्रभाव होंगे हम युक्तियुक्त रूप से लोकहित फायदों में ऐसी सूचना का तोलन करते हैं।

अन्य मामले

हमने निम्नलिखित आनुषंगी और संयुक्त रूप से नियमित प्रचालनों की वित्तीय विवरणियों/सूचना की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनकी वित्तीय सूचना 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार नीचे दी गई आस्तियों के ब्यौरों को उपदर्शित करती है। उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए कुल राजस्व और शुद्ध रोकड़ प्रवाह उस परिमाण तक, जिसमें उन्हें समेकित वित्तीय विवरणों में उपदर्शित किया गया है।

अस्तित्व का नाम	आस्तियां (रुपए में)	कुल राजस्व (रुपए में)	शुद्ध नकद प्रवाह (रुपए में)
आनुषंगी			
ईपीआई अर्बन इंफ्रा डेवलपर्स लिमिटेड संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रचालन	4,02,470	शून्य	शून्य
ईपीआई–सीएंडसी संयुक्त उद्यम* (अनिगमित)	शून्य	शून्य	शून्य
योग	4,02,470	शून्य	शून्य

* 2 अगस्त, 2017 को किया गया संयुक्त रूप से नियंत्रण प्रचालन करार। कर्मचारी फायदा व्यय के लिए शून्य रुपए और अन्य व्यय के लिए शून्य रुपए, दोनों संयुक्त उद्यम भागीदारों द्वारा प्रभाजित किए जाने वाले सामान्य व्यय है। इसलिए, इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस (इंडिया) लिमिटेड ने अपने भाग के 40% को शून्य माना है। संयुक्त उद्यम की शेष आस्तियां और दायित्व अन्य संयुक्त उद्यम भागीदार अर्थात् सीएंडसी कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड से संबंधित है।

यह वित्तीय विवरणधवित्तीय सूचना लेखा परीक्षीत नहीं है और इसे हमें प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किया गया है तथा समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय जहां उसका संबंध इन आनुषंगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रचालनों के संबंध में सम्मिलित लेखाओं और प्रकटन से है तथा अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (3) के निबंधनों में जहां तक उसका संबंध पूर्वोक्त आनुषंगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रचालन से है, केवल ऐसी लेखापरीक्षा न किए गए वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना से है, जो समूह के लिए तात्विक नहीं है।

समूह के समेकित वित्तीय विवरणों में समूह का शून्य रुपए शुद्ध हानि (पूर्व वर्ष हानि शून्य) का भाग 31 मार्च, 2022 को

समाप्त हुए वर्ष के लिए सम्मिलित है जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में ईपीआई के आनुषंगी ईपीआई अर्बन इंफ्रा डवलेपर्स लिमिटेड के संबंध में विचार किया गया है। आनुषंगी कंपनी अपने निगमन से ही तारीख 19 मई, 2016 से प्रचालन नहीं कर रही है और इस प्रकार शुद्ध हानि को लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में "जारी न रखे गए प्रचालन से हानि के रूप में दर्शाया गया है"। तथापि, नियंत्री कंपनी (ईपीआईएल) ने आनुषंगी में अपने वित्तीय विवरण में विनिधान के मूल्य का पूर्णतया अमूल्यन कर दिया है।

(समेकित वित्तीय विवरणों के टिप्पण 2.13 को निर्दिष्ट करें)

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय पूर्वोक्त मामलों के संबंध में हमारे प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय सूचना के अवलंब में उपांतरित नहीं है।

हमने कंपनी की समेकित वित्तीय विवरणियों में शामिल 4 (चार) प्रादेशिक कार्यालयों और 3 (तीन) विदेशी शाखाओं की वित्तीय विवरणियों/सूचना की लेखापरीक्षा नहीं की है जिन्हें कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है जिनकी विवरणियां/वित्तीय सूचना 31 मार्च, 2022 (31 मार्च, 2021) की स्थिति के अनुसार कुल 1,92,291 लाख रुपए (1,60,227 लाख रुपए) की कुल अस्तियों को प्रदर्शित करती है और उस तारीख की स्थिति के अनुसार 74056 लाख रुपए (80733 लाख रुपए) के कुल राजस्व को जैसाकि समेकित वित्तीय विवरणियों में विचार किया गया है प्रदर्शित करती है। इन कार्यालयों/शाखाओं की वित्तीय विवरणियां/सूचना की भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त अन्य स्वतंत्र लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई है जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और जहां तक हमारी राय में इन शाखाओं के संबंध में शामिल की गई रकमों और प्रकटन का संबंध है केवल ऐसे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. कारपोरेट कार्य मंत्रालय की तारीख 5 जून 2015 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 463(ई) के निबंधनों में दी गई छूट को ध्यान में रखते हुए प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 5 के साथ पठित धारा 197 के उपबंध कंपनी को लागू नहीं होते हैं।

2. अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षा अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   क) हमने वे सभी सूचना और स्पष्टीकरण अभिप्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हैं।

   ख) हमारी राय में जहां तक लेखा बहियों की जांच से प्रतीत होता है, कंपनी द्वारा विधि द्वारा अपेक्षित उचित लेखा बहियां रखी गई हैं (और हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित विवरण या शाखाओं से जिनका हमने भ्रमण नहीं किया है प्राप्त कर ली गई हैं)।

   ग) इस रिपोर्ट में व्यौहार किया गया तुलनपत्र, लाभ और हानि विवरण तथा नकद प्रवाह विवरण लेखा बहियों और उन शाखाओं से प्राप्त रिटर्नों के अनुरूप हैं जिनका हमने भ्रमण नहीं किया है।

   (घ) हमारी राय में पूर्वोक्त एकल वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

   ङ) हमारी राय में पूर्वोक्त समेकित वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

च) कारपोरेट कार्य मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी आज सूचना संख्या साकानी (अ) 463 तारीख 5 जून 2015 के निबंधनों में अधिनियम की धारा 164(2) के उपबंध एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

छ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संबंध में और ऐसे नियंत्रण की प्रचालन प्रभावशीलता पर हमारी उपाबंध "क" पर पृथक रिपोर्ट को निर्दिष्ट करें।

ज) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसरण में लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषय हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार :

i. कंपनी के कुछ लंबित मुकदमे हैं, जिनका उसकी वित्तीय स्थिति पर प्रभाव पड़ सकता है – समेंकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पण सं. 2.26 को निर्दिष्ट करें।

ii. कंपनी की दीर्घावधि संविदांए नहीं थी जिसके अंतर्गत व्युत्पनी संविदाएं हैं, पर पहले से ही पता लगाए जा सकने वाले तात्विक नुकसान, थे।

iii. ऐसी कोई रकम नहीं थी जिसको विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में कंपनी द्वारा अंतरित करने की अपेक्षा थी।

iv. (क) प्रबंधन ने प्रस्तुत किया है कि उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार कंपनी ने किसी कंपनी, अन्य व्यक्ति या किसी निकाय को जिसके अंतर्गत विदेशी निकाय (मध्यवर्ती) सम्मिलित हैं इस समझौते के साथ चाहे लिखित हो या अन्यथा किन्ही निधियों को अग्रिम के रूप में यह ऋण के रूप में या विनिधान के रूप में नहीं प्रदान किया है की चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें किसी भी रूप में कंपनी द्वारा यह उसके निमित्त (वास्तविक फायदाग्राही) पहचान किए गए अन्य व्यक्तियों या निकाय को ऋण के रूप में या विधान के रूप में नहीं दिया जाएगा या वास्तविक फायदाग्राही की ओर से प्रतिभूति, सिक्योरिटी या सदृश के रूप में प्रदान नहीं किया जाएगा।

(ख) प्रबंधन ने प्रस्तुत किया है कि उनकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार कंपनी ने किन्ही व्यक्तियों या निकायों जिसके अंतर्गत विदेशी निकाय (वित्त पोषण करने वाले पक्षकार) सम्मिलित हैं इस समझौते के साथ चाहे लिखित हो या अन्यथा प्राप्त नहीं किया है कि कंपनी चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी रूप में पहचाने गए अन्य व्यक्ति या निकायों को वित्त पोषण करने वाले पक्ष कार (वास्तविक फायदाग्राही) द्वारा या उनके निमित्त उधार नहीं देगी या विनिधान नहीं करेगी या प्रतिभूति, सिक्योरिटी या सदृश के रूप में प्रदान नहीं किया जाएगा।

(ग) ऐसी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में युक्तियुक्त और समीचीन समझा गया है उनकी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं आया है जिससे हमारा यह विश्वास हो कि उपखंड (iv) (क) और उपखंड (iv) (ख) मै कोई तात्विक मिथ्या कथन सम्मिलित है।

v. वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किसी लाभांश की घोषणा यह संदाय नहीं किया गया है।

3. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के के अधीन जारी निदेशों के अनुसरण में हमारे द्वारा लेखा परीक्षा की गई कंपनी की 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए रिपोर्ट के संबंध में हमारी उपाबंध "ख" पर पृथक रिपोर्ट को निर्दिष्ट करें

कृते जीएसके एंड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
(फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या 013 838 एन/एन500003)

(संजय कुमार गुप्ता)
(पदनामित भागीदार)
(सदस्यता संख्या 093056)

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 4 अगस्त 2022
यूडीआईएनः 22093056एओआईआरबीपी88300

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का उपाबंध 'क'

31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस (इंडिया) लिमिटेड "(ईपीआईएल") के समसंख्यक तारीख की एकल वित्तीय विवरणों पर 'अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाएं पर रिपोर्ट' शीर्ष के अधीन पैरा 3 के उप पैरा (च) को निर्दिष्ट करें :

कंपनी अधिनियम 2013 (ष्अधिनियमष) की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (प) के अधीन आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (ष्कंपनीष) की 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कंपनी की एकल वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा परीक्षा के साथ वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा कर ली है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का संबंधित निदेशक बोर्ड, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शक सिद्धांत में कथित अनिवार्य आंतरिक नियंत्रण संघटक पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को बनाए रखने के लिए और स्थापित करने के लिए उत्तरदायी है।इन उत्तरदायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को डिजाइन करना, कार्यान्वित करना और बनाए रखना शामिल है जिसके अंतर्गत कंपनी की नीतियों का अनुपालन, उसकी आस्तियों का सुरक्षोपाय, कपटों और त्रुटियों का निवारण तथा पता लगाना, लेखांकन अभिलेखों की शुद्धता और पूर्णतः तथा वित्तीय सूचना की विश्वसनीयता और समयबद्ध तैयारी, जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन अपेक्षित है, सम्मिलित है ताकि वह उसके कारवार का व्यवस्थित और दक्ष प्रचालन करने का प्रभावी रूप से निश्चय कर सकें।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय अभिव्यक्त करने का है। हमने अपनी लेखापरीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शक नोट और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के अधीन विहित माने गए भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखापरीक्षा पर मानकों जहां तक वह आर्थिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा को लागू होते हैं के अनुसार की है और दोनों को भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं। वह मानक और मार्गदर्शक नोट अपेक्षा करते हैं कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और लेखापरीक्षा की योजना यह युक्ति युक्त आश्वासन अभिप्राप्त करने के लिए करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया गया था और बनाए रखा गया था तथा क्या ऐसे नियंत्रण सभी तात्विक परिप्रेक्ष्य में प्रभावी रूप से प्रचालन कर रहे थे।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता तथा उनकी प्रचालन प्रभावशीलता के विषय में लेखापरीक्षा साक्ष्य अभी प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं को करना अंतर्वलित है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण कि हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में यह समझ अभिप्राप्त करना कि किसी तात्विक खामी के विद्यमान होने के जोखिम का निर्धारण किया जाता है तथा निर्धारित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता की जांच करना और उसके डिजाइन का मूल्यांकन करना समलित है। चयन की गई प्रक्रिया लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है जिसके अंतर्गत वित्तीय कथनों में तात्विक त्रुटियों चाहे कपट या त्रुटि के कारण हो, के जोखिम का निर्धारण करना है।

हम विश्वास करते हैं कि लेखापरीक्षा साक्ष्य जो हमने अभिप्राप्त किया है वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारी लेखा परीक्षा राय के आधार के लिए पर्याप्त और समुचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में तर्कपूर्ण आश्वासन देने के लिए डिजाइन किया गया है और बाहरी प्रयोजनों के लिए विवरण साधारणतया

स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणियों को तैयार किया जाता है। किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर वह नीतियां और प्रक्रियाएं सम्मिलित है जो,–

(1) उन अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित है, जो युक्ति युक्त विवरण, शुद्धता, और न्यायोचित रूप से कंपनी की आस्तियों, के संव्यवहार और कार्यों को परिलक्षित करते हैं,

(2) इस बात का युक्तियुक्त आश्वासन प्रदान करते हैं कि संव्यवहारों को वैसे ही अभिलिखित किया जा रहा है जैसा साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए अनुज्ञात करने के लिए आवश्यक है और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय को प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार ही किया जा रहा है; और

(3) कंपनी की आस्तियों का अप्राधिकृत अर्जन, उपयोग या निपटान को निवारित करने या उनका समय पर पता लगाने के संबंध में युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए जिनका वित्तीय विवरणों पर तात्विक प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित सीमा

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की सीमा के कारण मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन के कारण नियंत्रणों पर अध्यारोही प्रभाव हो सकता है, त्रुटि या कपट के कारण तात्विक मिथ्या कथन हो सकते हैं और उनका पता नहीं चल सकता है। इसके अतिरिक्त भविष्य में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के मूल्यांकन का प्रक्षेपण इस जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में या नीतियों या प्रक्रियाओं में अनुपालना के स्तर में गिरावट आने के कारण अपर्याप्त हो जाए।

मत

हमारे मत में सभी तात्विक परिप्रेक्ष्य में कंपनी के पास एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और कंपनी द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मानदंड जिसकी स्थापना भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान द्वारा जारी "वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शक नोट में कथित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य संघटक पर विचार करते हुए" कंपनी में सभी परिप्रेक्ष्य में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की एक पर्याप्त प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार प्रभावी रूप से कार्य कर रहा है। तथापि हमने नोट किया है कि–

1) शेष की पुष्टि अभिप्राप्त करने और पक्षकारों के साथ मिलान करने की प्रक्रिया में कतिपय सुधार करने की आवश्यकता है।

2) कंपनी कारवार अवसरों के चयन और अस्वीकार करने के कारणों को लेखवध्द करने के लिए ट्रैकर नहीं रखती है।

3) कंपनी पूर्ण रूप से पी ओ एस एच अधिनियम में कथित उपबंधों का अनुपालन नहीं कर रही है।

कृते जीएसके एंड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
(फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या:013 838एन/एन500003)
(संजय कुमार गुप्ता)
पदनामित भागीदार
(सदस्यता संख्या 093056)

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 4 अगस्त 2022
यूडीआईएनः 22093056एओआईआरबीपी88300

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का उपाबंध "ख"

31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों पर हमारी सम संख्यंक तारीख की रिपोर्ट के "अन्य विधिक विनियामक अपेक्षाओं पर हमारी रिपोर्ट" शीर्ष के अधीन पैरा 4 को निर्दिष्ट करें:

वित्त वर्ष 2021–22 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अधीन निदेश पर रिपोर्ट

क्र.	निदेश	प्रत्युत्तर
1.	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन संव्यवहारों को प्रोसेस करने की प्रणाली है ? यदि हां तो वित्तीय विविक्षताओं के साथ लेखाओं की अखंडता पर आईटी प्रणाली के बाहर किए गए लेखाओं की विविक्षतांए।	कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन संव्यवहारों को प्रोसेस करने की प्रणाली है। कंपनी ने एसएपी प्रणाली पर लेखों को अनुरक्षित किया है।
2.	क्या कंपनी की किसी विद्यामान ऋण या पुनर्संदाय करने में असमर्थता के कारण किसी उधार दाता द्वारा दिए गए ऋण/उधार/ब्याज आदिके त्यजन/बट्टे खाते में डालने के मामलों का कोई पुनर्गठन किया गया है? यदि हां तो वित्तीय प्रभाव का कथन किया जाए।क्या ऐसे मामलों को उचित रूप से गणना में लिया गया है? (यदि उधार दाता सरकारी कंपनी है तो यह निवेश उधार दाता कंपनी के कानूनी लेखा परीक्षक पर भी लागू होता है)।	हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा अभिलेखों के हमारी जांच के आधार पर किसी विद्यमान ऋण का कोई पुनर्गठन नहीं है या किसी विद्यमान उधार या उधार दाता द्वारा दिए गए किसी उधार/ऋण/ब्याजके त्यजन/बट्टे खाते में डालने के कोई मामले नहीं है।
3.	केंद्रीय/राज्य अभिकरण से विशिष्ट स्कीमों के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों (अनुदान/सहायकि) को उचित रूप से निबंधन और शर्तों के अनुसार गणना में लिया गया हैध्उपयोग किया गया है? विचलन के मामलों को सूचीबद्ध करें।	हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा अभिलेखों की जांच के आधार पर विशिष्ट स्कीमों के लिए केंद्रीय/राज्य अभिकरणों से कोई निधि प्राप्त नहीं की गई है/प्राप्य नहीं है

कृते जीएसके एंड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या 013 838 एन/एन500003

ह0/–
(संजय कुमार गुप्ता)
पदनामित भागीदार
(सदस्यता संख्या 093056)

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 4 अगस्त 2022
यूडीआईएनः22093056एओआईआरबीपी88300

लेखापरीक्षकों की अर्हता का प्रत्युत्तर (समेकित वित्तीय विवरण)

क्रम संख्या	लेखा परीक्षक की अर्हता	कंपनी का प्रत्युत्तर
1.	लेखांकन नीति संख्या 10 के अनुसार व्यापार प्राप्यों को 10 वर्ष तक प्राप्ति के लिए अच्छा समझा जाता है इसलिए 10 वर्ष से अधिक के बकाया के लिए संदेहास्पद ऋण के विरुद्ध उपबंध किया जाता है, 443.77 रुपए का उपबंध 31 मार्च 2022 तक मैसर्स यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) से 2368.96 रुपए की वसूलनीय कुल रकम के लिए किया गया है। इस प्रत्यय के लिए 746.78 लॉख रुपए उप ठेकेदारों को संदाय के लिए लंबित हैं। अतः कुल बकाया जिसके लिए उपबंध करना अपेक्षित है, 1622.18 लाख रुपए होता है। पूर्व उक्त रकम 10 वर्ष से अधिक से है और कंपनी द्वारा संदेहस्पद ऋण/उधार और अग्रिम के लिए शत प्रतिशत उपबंध करने की अपेक्षा है। प्रबंधन ने 31 मार्च 2022 तक 443.77 लाख रुपए का उपबंध किया है। अतः अपेक्षित उपबंध में 1178.41 लाख रुपए की कमी है। इसके अतिरिक्त कंपनी ने उक्त मामले पर भारत के अपर सॉलिसिटर जनरल से लेखा परीक्षा के अधीन वर्ष में विधिक राय प्राप्त की है और राय के अनुसार 1161.92 की रकम अन्य पक्षकार द्वारा किए गए अन्य भागों के साथ विवादास्पद नहीं है जिसकी अभी गणना नहीं की गई है। ईपीआईएल ने इसका अभी तक भुगतान नहीं किया है। इसलिए ईपीआईएल की हानि को उतनी रकम से कम दर्शाया गया है (टिप्पण संख्या 2.45(क) को निर्दिष्ट करें)।	पुराने बकाया शोध्यों और उनके निर्धारण का विषय ईपीआई और यूसीआईएल के बीच सक्रिय रूप से विचाराधीन है। तदनुसार, जैसा कि दोनों पक्षकारों द्वारा विनिश्चय किया गया है भारत के अपर सलासिटर जरनल से शोध्यों के परिनिर्धारण के लिए विधिक राय अभिप्राप्त की गई है। यूसीआईएल के अनुरोध के अनुसार शोध्यों को वसूलने की ईपीआईएल की आंतरिक समिति द्वारा समीक्षा की गई और विनिश्चय को यूसीआईएल को संसूचित कर दिया गया था। एएसजी के मत में 11.61 करोड रुपए की रकम विवादास्पद नहीं है, जिसे ईपीआईएल द्वारा यूसीआईएल से 24.35 करोड़ रुपए के कुल दावे में से प्राप्त किया जाना है। तारीख 29 जुलाई 2011 को हुई बैठक के ज्ञापन के अनुसार 11.61 करोड रुपए मान लिया गया दावा है। किंतु पश्चातवर्ती रूप से यूसीआईएलदोनों पक्षकारों में व्यक्ति के परिवर्तन के कारण निपटान में विलंब कर रहा है। अब ईपीआई के प्रबंधन ने यूसीआईएल से वसूली के लिए माध्यस्थम का आवलम्ब लेने का विनिश्चय किया है। तथापि ईपीआई ने लेखांकन नीति संख्या 10 के निबंधों में तारीख 31 मार्च 2022 तक4.44 करोड रुपए की रकम का लेखाबहियों में उपबंध किया है।
2.	सीएंडसी संनिर्माण लिमिटेड म्यांमार में संयुक्त उद्यम "ईपीआई– सीएंडसी जेवी (अनिगमित)" हमारा 60: स्टेक भागीदार और ओमान परियोजना में हमारा मुख्य ठेकेदार एनसीएलटी में दिवाला कार्यवाहियों का इस समय सामना कर रहे हैं और यह मामला अग्रिम चरण में है। इसका परिणाम और ईपीआईएल के वित्तीय विवरणों पर उसके वित्तीय प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है।	ये केवल तथ्य की विषय–वस्तु है। टिप्पण सं. 2.29 (ख) को निर्दिष्ट करें।

मामलों पर बल का प्रत्युत्तर (समेकित वित्तीय विवरण)

<table>
<tr><th>क्रम संख्या</th><th>लेखा परीक्षक की अर्हता</th><th>कंपनी का प्रत्युत्तर</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>व्यापार प्राप्यों, वर्क्स के लिए अग्रिम, सुरक्षा जमा और प्रतिधारण धन, ग्राहकों, विक्रेताओं और अन्य से उधार और अग्रिम तथा प्राप्यों के संबंध में शेष की बाह्य पुष्टि उपलब्ध नहीं है। शेष की पुष्टि के उपलब्ध ना होने के कारण इन वित्तीय विवरणों से उद्भूत प्रभाव, यदि कोई है की मात्रा बताने में असमर्थ हैं।
<table><tr><th>आस्तियां</th><th>रकम (लाख रुपए में)</th></tr><tr><td>वर्क्स के लिए अग्रिम</td><td>10536.99</td></tr><tr><td>सुरक्षा जमा और प्रतिधारण धन</td><td>39787.04</td></tr><tr><td>व्यापार प्राप्य</td><td>25930.10</td></tr><tr><td>अन्य प्राप्य</td><td>47823.40</td></tr></table>यद्यपि कंपनी ने सभी संबंधित ग्राहकों को नकारात्मक शेष की पुष्टि का अनुरोध किया किंतु कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। एसए 505– बाह्य पुष्टि के अनुसार, नकारात्मक पुष्टि अनुरोध के लिए कोई प्रत्युत्तर ना प्राप्त करना शोध्य रकम के सही होने या पुष्टि करने वाले पक्षकार द्वारा रकम की पुष्टि करने की इच्छा ना होने को दर्शाता है। इसलिए उक्त रकमों के सही होने, विद्यमान होने और पूर्ण होने का सत्यापन नहीं किया जा सकता है। तथापि लेखा परीक्षा मानक के अनुसार नकारात्मक पुष्टि लेखा परीक्षा का साक्ष्य है इसलिए पूर्वोक्त के आधार पर हम अपनी राय को अर्हित नहीं कर रहे हैं। टिप्पण संख्या 2.43 को निर्दिष्ट करें।</td><td>कंपनी द्वारा व्यापार प्राप्यों, ऋण और अग्रिम, प्रतिधारण धन और सुरक्षा जमा के शेष की पुष्टि की पद्धति उद्योग द्वारा अनुसरण की जाने वाली पद्धति के अनुसार अनुसरण की जा रही है।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>निम्नलिखित व्यापार प्राप्य, ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम, सुरक्षा जमा और प्रतिधारण धन शेष की सकारात्मक पुष्टि उपलब्ध नहीं है। शेष की पुष्टि उपलब्ध ना होने के कारण वित्तीय विवरणों पर उद्भूत होने वाले किसी प्रभाव का पता लगाने में असमर्थ हैं, यदि कोई हैं।
<table><tr><th>आस्तियां</th><th>रकम (लाख रुपए में)</th></tr><tr><td>व्यापार संदेय</td><td>60162.94</td></tr><tr><td>सुरक्षा जमा एवं प्रतिधारण धन संदेय</td><td>44176.63</td></tr><tr><td>प्राप्त अग्रिम</td><td>64741.46</td></tr><tr><td>ग्राहक को संदेय अन्य</td><td>779.46</td></tr></table>यद्यपि कंपनी ने सभी संबंधित ग्राहकों को नकारात्मक शेष की पुष्टि का अनुरोध किया किंतु कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। एसए 505–</td><td>कंपनी द्वारा व्यापार प्राप्यों, ऋण और अग्रिम, प्रतिधारण धन और सुरक्षा जमा के शेष की पुष्टि की पद्धति उद्योग द्वारा अनुसरण की जाने वाली पद्धति के अनुसार अनुसरण की जा रही है।</td></tr>
</table>

क्रम संख्या	लेखा परीक्षक की अर्हता	कंपनी का प्रत्युत्तर
	बाह्य पुष्टि के अनुसार, नकारात्मक पुष्टि अनुरोध के लिए कोई प्रत्युत्तर ना प्राप्त करना शोध्या रकम के सही होने या पुष्टि करने वाले पक्षकार द्वारा रकम की पुष्टि करने की इच्छा ना होने को दर्शाता है। इसलिए उक्त रकमों के सही होने, विद्यमान होने और पूर्ण होने का सत्यापन नहीं किया जा सकता है। तथापि लेखा परीक्षा मानक के अनुसार नकारात्मक पुष्टि लेखा परीक्षा का साक्ष्य है इसलिए पूर्वक के आधार पर हम अपनी राय को अर्हित नहीं कर रहे हैं। टिप्पण संख्या 2.43 को निर्दिष्ट करें।	
3.	कंपनी ने आयकर अधिनियम की धारा 143(1)(ए) के तहत सूचना प्राप्त होने के बाद ही अपने संबंधित निर्धारण वर्षों के आयकर देयता से वसूली योग्य टीडीएस, भुगतान किए गए अग्रिम कर और वसूली योग्य टीसीएस को समायोजित करने का अभ्यास किया है। चूंकि इसका वित्तीय प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए हम इस पर अपनी राय नहीं दे रहे हैं। नोट संख्या 2.11 और 2.17 का संदर्भ लें।	कंपनी वर्ष 2022–23 से आयकर रिटर्न दाखिल करते समय निर्धारण आकलन के बजाय समायोजन प्रविष्टि करेगी।
4.	म्यांमार परियोजना में सीएंडसी संनिर्माण लिमिटेड के निमित्त 4,554.00 लाख रुपए की आईपीएल द्वारा दी गई बैंक गारंटी के स्थान पर, ईपीआईएल को 1906.64 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं और शेष को ओमान में किए गए कार्य के लिए प्रतिभूत किया गया है। इसका परिणाम और वित्तीय प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है। वर्ष के दौरान विदेश कार्य विभाग ने तारीख 9 फरवरी 2022 के पत्र द्वारा (प्लेटवा से भारत–म्यांमार सीमा (जोरिन पुरी) पर 0.00 किलोमीटर से म्यांमार जिन राज्य में 109.20 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग विशिष्टियों के अनुसार दो लेन की सड़क की संनिर्माण की परियोजना) संपूर्ण संविदा को गैर निष्पादन का कथन करते हुए समाप्त कर दिया और पश्चात भर्ती रूप से 75.90 करोड रुपए की रकम की बैंक गारंटी को आहूत किया (ईपीआई की हिस्सेदारी 30.36 करोड़ रुपए और सीएन्डसी की हिस्सेदारी 45.54 करोड रुपए)। ईपीआई ने तारीख 11 फरवरी 2022 के अपने पत्र के द्वारा अपने उप ठेकेदार मैसेज आरके– आरपीपी संयुक्त उद्यम (ठेके का मूल्य 414 करोड रुपए) को समाप्त कर दिया और 20.70 करोड रुपए (414 करोड रुपए का 5:)के गैर निष्पादन के कारण बैंक गारंटी को आहूत किया टिप्पण संख्या 2.3 और टिप्पण संख्या 2.29(ख) को निर्दिष्ट करें।	11 मार्च 2022 को आयोजित अपनी बैठक संख्या 278 में ईपीआई ने इस मामले को देय के भुगतान के लिए एएमआरसीडी को पहले ही निर्देश कर दिया है। ए एम आर सी डी समिति के गठन के लिए संसूचना 9 जून 2022 को प्राप्त हो गई है।

क्रम संख्या	लेखा परीक्षक की अर्हता	कंपनी का प्रत्युत्तर
5.	केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा पाँच मामले रजिस्टर किए गए हैं और ईपीआईएल कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज की गई है जिसमें से दो मामले वर्ष 2017–18 और एक मामला वित्त वर्ष 2016–17 में रजिस्टर किया गया है। यह मामले अभियुक्त कर्मचारियों द्वारा निविदा देने के लिए अवैध प्रलोभन लेने के संबंध में है। ईपीआई को एफ आई आर में पक्षकार नहीं बनाया गया है और उसके वित्तीय कारणों पर कोई वित्तीय प्रभाव परिकल्पित नहीं है। टिप्पण संख्या 2.41 को निर्दिष्ट करें।	कंपनी के पास ऐसे मामलों की प्रगति की आवधिक रूप से बोर्ड को रिपोर्ट करने की प्रणाली है।
6.	कंपनी ने 54 ठेकेदार को 387 लाख रुपए का अग्रिम भुगतान किया है तथापि उठ ठेकेदार दिवाला प्रक्रिया के अधीन है और इसके लिए एक समाधान वृतिक की नियुक्ति की गई है। समाधान वृतिक ने ईपीआईएल के दावे को स्वीकार कर लिया है किंतु रकम जिसकी वसूली की जा सकती है का पता नहीं लगाया जा सकता है। टिप्पण संख्या 2.12 को निर्दिष्ट करें।	कंपनी की लेखांकन नीति संख्या 10 के आलोक में कोई उपबंध नहीं किया गया है। क्योंकि पक्ष कार एनसीएलटी में चला गया है, बदले में ईपीआईएल एनसीएलटी द्वारा सम्यक रूप से नियुक्त समाधान वृतिक के पास ई–मेल द्वारा स्थाई 27 सितंबर 2021 को दावा प्रस्तुत कर दिया है।
7.	सी एंड सी (सी एंड सी संनिर्माण लिमिटेड–इंडिया की एक अनुषंगी) ओमान सीमित दायित्व कंपनी द्वारा फाइल मामले के संबंध में ओमान सल्तनत के प्राइमरी न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार रक्षा मंत्रालय ने 11.35 मिलियन की रकम को ब्लॉक कर दिया है। ईपीआई ने मामला संख्या 119/1310/2021 के ब्यौरे मस्कट प्राइमरी न्यायालय से एकत्रित किए हैं और मस्कट प्राइमरी न्यायालय में अपील फाइल की है। मामला संख्या 119/1310/2021 मै अंतिम सुनवाई 19 अप्रैल 2022 को हुई थी और इसे 4 जुलाई 2022 के लिए स्थगित कर दिया गया था। ईपीआई ने संख्या 35/7135/2022–36/7135/2022–37/7135/2022 द्वारा निष्पादन बैंक प्रतिभूति के नकदीकरण के लिए और रक्षा मंत्रालय से 11.35 मिलियन के अनंतिम आर ओ जब्ती को हटाने के लिए अश्लील न्यायालय के समक्ष याचिका भी फाइल की है। न्यायालय ने निर्णय के लिए 13 जून 2022 को उपरोक्त तीन याचिकाओं की सुनवाई की है और वित्त वर्ष 2022– 23 में ईपीआई के पक्ष में आदेश प्राप्त हो गए हैं। उपरोक्त मामले के संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रक्रिया को वित्त वर्ष 2022–23 में भी हाथ में लिया जाएगा। टिप्पण संख्या 2.3 और टिप्पण संख्या 2.6 को निर्दिष्ट करें।	केवल तथ्य की विषय वस्तु टिप्पणी सं. 2. 29 (ख) को निर्देशित करें

क्रम संख्या	लेखा परीक्षक की अर्हता	कंपनी का प्रत्युत्तर
8.	हम परिसरों के पट्टा करार, जो 30 सितंबर 2015 को समाप्त हो गया है, के संबंध में टिप्पण संख्या 2.4 की और ध्यान आकृष्ट करते हैं और इस मामले को न्यायनिर्णयन उनके लिए मामला संख्या 2016 का 144 और 2022 की जीए संख्या 18, तारीख 8 फरवरी 2022 द्वारा माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय को निर्दिष्ट कर दिया गया है तथा यह विचाराधीन है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने परिसरों के पट्टा देने वाले से अक्टूबर 2015 से मार्च 2022 से संबंधित अवधि के लिए 5952.70 लाख रुपए (2581.27 लाख रुपए के ब्याज 514.28 जीएसटी सहित) की मांग प्राप्त की है। 1 अक्टूबर 2020 को हुई ओएनजीसी समर्थित निर्णय के आधार पर (परिसर के किरायेदारों में से एक किराएदार) बैठक के कार्यवृत्त के आधार पर 5438.42 लाख रुपए की प्रतिमांग के विरुद्ध कंपनी ने जीएसटी को शामिल ना करते हुए 31 मार्च 2022 को 1659.22 लाख रुपए की रकम का प्रावधान किया है। प्रादेशिक कार्यालय प्रबंधन द्वारा हमें सूचित किए गए अनुसार किराया दायित्व के लिए प्रावधान तुलन पत्र की तारीख को कंपनी द्वारा आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है तथा विधिक कार्यवाही यों का कंपनी की वित्तीय स्थिति पर कोई तात्विक और प्रतिकूल प्रभाव नहीं है।	22 नवंबर 2021 को आयोजित निदेशक बोर्ड की 277वीं बैठक में निदेशक बोर्ड को मामले से पहले ही अवगत करा दिया गया है तथा उसकी 6 जुलाई 2022 को हुई 279वीं में बैठक में भी उसे अद्यतन प्रस्थिति से अवगत करा दिया गया है। टिप्पण संख्या 2.48 को निर्दिष्ट करें।
9.	जहां कंपनी द्वारा आयकर विवरणी में दावा की गई रकम के परिमाण तक 0.92 करोड़ रुपए की रकम के अंतर के लिए कंपनी द्वारा पूर्व निर्धारण वर्ष में वर्ष वार ब्यौरे उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं, दीर्घ अवधि ऋण और अग्रिम मै "कटौती किया गया आयकर" सम्मिलित है। टिप्पण सं. 2.11	उक्त अंतर वित्त वर्ष 2021–22 तक ग्राहक द्वारा की गई स्रोत पर आयकर की कटौतियों से संबंधित प्रविष्टियों के पास ना करने/समायोजन ना करने के कारण उत्पन्न हो रहा है और इसे चालू वित्त वर्ष में कर लिया जाएगा।
10.	वित्त वर्ष 2021–22, कॉविड–19 के बार–बार होने के प्रभाव के कारण बहुत उथल–पुथल भरा रहा था तथा वैश्विक उथल–पुथल का देश के आर्थिक सबलपन ने काफी हद तक संतुलन बनाया। भारत के रिजर्व बैंक द्वारा नकदी की उपलब्धता को आसान बनाने के उपाय उन्हें संपूर्ण वर्ष के दौरान सरकारी नियमित व्यय ने आर्थिक मंदी के जोखिम को निमृत किया और गृहस्थों तथा कंपनियों के विश्वास को बढ़ाने में सहायता की। कोविड–19 लहर के पश्च्च आर्थिक कार्यकलापों के पुनः प्रारंभ होने और बेहतर सचलता के सामान्य होने की पृष्ठभूमि के कारण वित्त वर्ष 2021–22 के एक बेहतर वर्ष होने की आशा थी।	केवल तथ्य की विषय वस्तु। टिप्पण संख्या 2.53 को निर्दिष्ट करंय

क्रम संख्या	लेखा परीक्षक की अर्हता	कंपनी का प्रत्युत्तर
	इसके प्रतिकूल वर्ष का प्रारंभ अधिक विध्वंसकारी दूसरी लहर के प्रारंभ होने से हुआ जिसका परिणाम रिकॉर्ड संख्या में संदूषण और उच्च मृत्यु दर के रूप में हुआ। देश पहली लहर के दौरान पूर्ण लाकडाउन के विपरीत विभिन्न राज्यों में आंशिक लॉकडाउन का साक्षी बना। बेहतर टीकाकरण प्रयासों के साथ अर्थव्यवस्था प्रत्याशा के विपरीत तेजी से वापस पथ पर आई। तथापि रिकवरी की गति को तीसरी तिमाही के अंत की ओर ओमीक्रोन वेरिएंट की उत्पत्ति ने बाधित किया, सौभाग्य से यह केवल संक्षिप्त अवधि के लिए ही रहा। वित्त वर्ष 2021–22 अनेक लहरों का साक्षी रहा, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान ने संपूर्ण विश्व में वस्तुओं/सौर मॉड्यूल कीमतों में, मालभाड़ा लागत के अतिरिक्त अप्रायिक वृद्धि हुई। ना केवल इससे ग्राहकों की ओर से आदेशों को अंतिम रूप देने में विलंब हुआ बल्कि चालू परियोजनाओं की प्रगति में भी विलंब हुआ। कोविड–19 महामारी के प्रभाव ने जीवनयापन, शिक्षा और स्वास्थ्य को प्रभावित करके समुदायों की तबाही को जारी रखा और इसने जमीनी वास्तविकताओं के लिए नूतन कार्य विधियों की मांग की पुस्तक विद्यमान परियोजनाओं में प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। कारबार/आर्थिक स्थितियों पर कोविड–19 महामारी के प्रभाव के निर्धारण के आधार पर, कंपनी से उसके असेट्स के चालू मूल्य की वसूली की आशा है। कंपनी महामारी से संबंधित अकस्मिकताओं का मूल्यांकन करना जारी रखेगी और आपने निर्धारण को अद्यतन करेगी (टिप्पण संख्या 2.53 को निर्दिष्ट करें)	

समेकित तुलनपत्र 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार

(रकम लाख रुपए में)

	विवरण	टिप्पण सं.	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार	
I.	**साम्या और दायित्वम**					
1	शेयर धारकों की निधियां:					
	क) शेयर पूंजी	2.1	**3,542.27**		3,542.27	
	ख) आरक्षितियां और अधिशेष	2.2	**4,807.88**		11,314.23	
	ग) गैर नियंत्रण ब्याज		**1.97**		1.97	
	घ) शेयर वारटों के विरुद्ध प्राप्त धन		—	**8,352.12**	—	14,858.47
2	**आबंटन के लंबित रहने के दौरान शेयर अनुप्रयोग धन**			—		—
3	**गैर चालू दायित्व**					
	क) दीर्घावधि उधार		—		—	
	ख) आस्थगित कर दायित्व (शुद्ध)		—		—	
	ग) अन्य दीर्घावधि दायित्व	2.3	**68,748.54**		64,106.16	
	घ) दीर्घावधि उपबंध	2.4	**4,757.94**	**73,506.48**	3,209.97	67,316.13
4	**चालू दायित्व**					
	क) लघु अवधि उधार	2.5	**41.53**		4,845.32	
	ख) व्या पार संदेय	2.6				
	i) एमएसएमई को देय		**3,463.91**		798.92	
	ii) एमएसएमई से भिन्न अन्य को देय		**41,043.96**		41,149.35	
	ग) अन्य चालू दायित्वक	2.7	**77,770.27**		52,606.85	
	घ) लघु अवधि उपबंध	2.8	**1,163.04**	**1,23,482.71**	1,417.81	1,00,818.25
	योग			**2,05,341.31**		1,82,992.85
II.	**आस्तियां**					
1	**गैर–चालू आस्थतियां**					
	क) संपत्ति, संयत्र और उपस्कर तथा अमूर्त आस्ति यां					
	i) संपत्ति, संयत्र और उपस्कर	2.9(i)	**665.12**		696.48	
	ii) अमूर्त आस्त्यिां	2.9(ii)	**20.05**		24.50	
	iii) चालू पूंजी कार्य		—		—	
	iv) विकासाधीन अर्मूत आस्तियां	2.9(iii)	**78.38**		78.38	
	ख) गैर चालू विनिधान					
	ग) आस्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)	2.10	**1,295.32**		1,332.30	
	घ) दीर्घ अवधि उधार और अग्रिम	2.11	**7,009.43**		10,618.68	
	ङ) अन्य–गैर चालू आस्तियां	2.12	**54,810.11**	**63,878.41**	57,129.39	69,879.73
2	**चालू आस्तियां**					
	क) चालू विनिधान					
	ख) माल सूचियां	2.13	**196.36**		17.85	
	ग) व्या पार प्राप्यआ	2.14	**19,267.84**		26,839.45	
	घ) नकद और नकद समतुल्य					
	i) नकद और नकद समतुल्य	2.15 (i)	**36,317.01**		12,453.09	
	ii) अन्य बैंकशेष	2.15 (ii)	**12,654.78**		17,357.44	
	ङ) लघु अवधि ऋण और अग्रिम	2.16	**24,887.93**		19,635.40	
	च) अन्य चालू आस्तियां	2.17	**48,138.98**	**1,41,462.90**	36,809.89	1,13,113.12
	योग			**2,05,341.31**		1,82,992.85
	महत्वपूर्ण लेखांकन	1		—		—
	लेखाओं पर टिप्पणियां	2.1 से 2.54				

लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां वित्तीय विवरणों पर अभिन्न अंग हैं

हमारी समसंख्य क तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार **कृते निदेशक बोर्ड के लिए और उसकी ओर से**

कृत जीएसके एवं एसोसिएट्स एलएलपी	ह0/–	ह0/–
चार्टर्ड अकाउंटेट	(राजपाल सिंह)	(धीरेन्द्र सिंह राना)
सदस्यता संख्या:093055	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
फर्म रजिस्ट्रीकरण सं.013838एन/एन500003	डीआईएन08750557	डीआईएन07022825
ह0/–		
(सीए संजय कुमार गुप्ता)		
पदनामित भागीदार	ह0/–	ह0/–
सदस्यता सं. 093056	(अशोक कुमार पात्रा)	(नितेश कुमार गोयल)
स्थानः नई दिल्ली	महाप्रबंधक (वित्त) एवं सीएफओ	कंपनी सचिव

तारीखः 04 अगस्त, 2022

यूडीआईएनः22093056एओआईआरबीपी8300

लाभ और हानि का समेकित विवरण 31 मार्च 2022 की स्थिति

(रकम लाख रुपए में)

	विवरण	टिप्पण संख्या	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार
I.	प्रचालनों से राजस्व	2.18	**73,617.34**	80,562.17
II.	अन्य आय	2.19	**1,368.28**	539.55
III.	कुल आय (I+II)		**74,985.62**	81,101.72
IV.	व्ययः			
	प्रचालन व्यय	2.20	**68,464.02**	74,876.65
	कर्मचारी फायदा व्यय	2.21	**7,447.70**	7,247.11
	वित्तीय लागतें	2.22	**478.14**	1,032.31
	अवक्षयण एवं अपाकरण व्यय	2.9	**88.16**	99.36
	अन्य व्यय	2.23	**4,735.30**	2,098.84
	पूर्व अवधि व्यय (शुद्ध)	2.24	**3.80**	116.26
	कुल व्यय		**81,217.12**	85,470.53
V.	अपवादी और असाधारण मदों से पूर्व लाभ/(हानि) और कर (III-IV)		**(6,231.50)**	(4,368.81)
VI.	पूर्वावधि व्यय (शुद्ध)		–	–
VII.	असाधारण मदों और कर से पूर्व लाभ/(हानि) (V-VI)		**(6,231.50)**	(4,368.81)
VIII.	असाधारण मदें		–	–
IX.	असाधारण मदों और कर से पूर्व लाभ/(हानि) (VII-VIII)		**(6,231.50)**	(4,368.81)
X.	कर व्यय			
	(1) चालू कर		–	42.25
	(2) पहले के वर्षों के लिए कर समायोजन (शुद्ध)		**237.87**	23.18
	(3) अस्थ गित कर		**36.98**	540.07
XI.	जारी रखे गए प्रचालनों से लाभ/(हानि) (XI-XII)		**(6,506.35)**	(4,974.31)
XII.	जारी ना रखे गए प्रचालनों से लाभ/(हानि)		–	–
XIII.	जारी ना रखे गए प्रचालनों का कर व्यय		–	–
XIV	जारी ना रखे गए प्रचालनों से (कर के पश्चात) लाभ/(हानि) (XII-XIII)		–	–
XV	वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (XI-XVI)		**(6,506.35)**	(4,974.31)
XVI	प्रति शेयर अर्जन	2.39		
	(1) आधारी		**(18.37)**	(14.04)
	(2) डायलूटिड		**(18.37)**	(14.04)
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1		
	लेखाओं पर टिप्पणियां	2.1 से 2.54		

हमारी समसंख्य क तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां वित्तीय विवरणों पर अभिन्न अंग हैं

कृते निदेशक बोर्ड के लिए और उसकी ओर से

कृत जीएसके एवं एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
सदस्यता संख्या:093055
फर्म रजिस्ट्रीकरण सं.013838एन/एन500003
ह0/–
(सीए संजय कुमार गुप्ता)
पदनामित भागीदार
सदस्यता सं. 093056
स्थानः नई दिल्ली

ह0/–
(राजपाल सिंह)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन08750557

ह0/–
(अशोक कुमार पात्रा)
महाप्रबंधक (वित्त) एवं सीएफओ

ह0/–
(धीरेन्द्र सिंह राना)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
डीआईएन07022825

ह0/–
(नितेश कुमार गोयल)
कंपनी सचिव

तारीखः 04 अगस्त, 2022
यूडीआईएनः22093056एओआईआरबीपी8300

31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण

(रकम लाख रुपए में)

विशिष्टियां	2021–22	2020–21
प्रचालन कार्यकलापों से नकद प्रवाह	(6,231.50)	–
कर पूर्व शुद्ध लाभ और असाधारण मद	–	(4,368.81)
निम्नलिखित के लिए समयोजन	88.16	–
अवक्षयण और अपाकरण	1.26	99.36
आस्तियों की बिक्री से (लाभ)/हानि (शुद्ध)	(23.94)	1.56
नियत जमा पर ब्याज	(185.02)	(53.41)
विदेशी मुद्रा में विनिमय परिवर्तन का प्रभाव (शुद्ध)		(18.24)
–ब्याज व्यय	478.14	1,032.31
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन लाभ	(5,872.90)	(3,307.23)
– माल सूचियों में कमी/(वृद्धि)	(178.51)	84.32
– व्यापार प्राप्यों में कमी/(वृद्धि)	7,335.85	16,268.61
– व्यापार लेनदारों में वृद्धि/(कमी)	2,015.36	(13,182.31)
–धारणाधिकार के अधीन नियत जमा में कमी/(वृद्धि)	(4.42)	(5.01)
– कार्यशील पूंजी में वृद्धि/(कमी)	3,523.24	(1,392.49)
प्रचालनों से सृजित रोकड़	6,818.62	(1,534.11)
घटाएं:		
ब्याज आय	(478.14)	(1,032.31)
– आय–कर	(274.85)	(605.50)
प्रचालन कार्यकलापों से शुद्ध नकद	6,065.63	(3,171.92)
विनिधान कार्यकलापों से नकद प्रवाह		
– नियत अस्तियों का क्रय/संनिर्माण	(57.82)	(101.27)
आस्तियों के विक्रय से आगम	4.20	4.51
– डीटीए में कमी/(वृद्धि)	36.98	540.07
– दीर्घ अवधि अग्रिम में कमी/(वृद्धि)	3,609.25	26,023.22
– चालू अस्तियों से भिन्न में कमी/(वृद्धि)	2,559.46	(30,614.12)
– ब्याज आय	23.94	53.41
विनिधान कार्यकलापों से शुद्ध नकद	6,176.02	(4,094.19)
वित्तीय कार्यकलापों से नकद प्रवाह		
संदत्त लाभांश	–	(27.61)
संदत्त लाभांश कर	–	–
– दीर्घावधि उपबंध में (कमी)/वृद्धि	1,547.97	311.80
– दीर्घ अवधि दायित्व से आगत/(पुनर्संदाय)	5,186.62	4,546.99
वित्तीय कार्यकलापों में उपयोग किया गया शुद्ध नकद	6,734.59	4,831.18
विदेशी मुद्रा का प्रभाव	185.02	18.24
नकद और नकद समतुल्य में शुद्ध (कमी)/वृद्धि	19,161.26	(2,416.69)
वर्ष के आरम्भ में नकद एवं नकद समतुल्य	29,810.53	32,227.21
वर्ष के अंत में नकद एवं एवं नकद समतुल्य	48,971.79	29,810.53
नकद और नकद समतुल्य का मिलान		
हाथ में नकद (टिप्पण संख्या 2.16 को निर्दिष्ट करें)	–	0.01
हाथ में चौक (टिप्पण संख्या 2.16 को निर्दिष्ट करें)	–	–
संव्यवहार में विप्रेषण	–	–
चालू खातों में बैंक के पास शेष (टिप्पण संख्या 2.16 को निर्दिष्ट करें)	36,317.01	12,453.08
अन्य बैंकों में नियत शेष जमा (टिप्पण संख्या 2.16 को निर्दिष्ट करे)	12,654.78	17,357.44
वर्ष के अंत में नकद एवं नकद समतुल्य	48,971.79	29,810.53

टिप्पणी:

1). नकद एवं नकद समतुल्य में नकद और बैंकों में शेष सम्मिरलित है जिसके अंतर्गत धारानाधिकार/मार्जिन नियत जमा को छोडकर नियत जमा और लिक्वड विनिधान है।
2). पूर्वक रोकड़ प्रवाह विवरणी को भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक ए एस– 3 " नकद प्रवाह विवरणी" के अनुसार प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करते हुए तैयार किया गया है।
3) नकद और नकद समतुल्य में नकद और अन्य बैंक शेष तथा बैंक में जमा है।
4) पूरे वर्ष के आंकड़ों को समूहीकृत,पुनः इकट्ठा किया गया है और जहां कहीं आवश्यकता हो उन्हें पुनः तैयार किया गया है।

लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां वित्तीय विवरणों पर अभिन्न अंग हैं
हमारी समसंख्य क तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते निदेशक बोर्ड के लिए और उसकी ओर से

कृत जीएसके एवं एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
सदस्यता संख्या:093055
फर्म रजिस्ट्रीकरण सं.013838एन/एन500003
ह0/–
(सीए संजय कुमार गुप्ता)
पदनामित भागीदार
सदस्यता सं. 093056
स्थानः नई दिल्ली

ह0/–
(राजपाल सिंह)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन08750557

ह0/–
(अशोक कुमार पात्रा)
महाप्रबंधक (वित्त) एवं सीएफओ

ह0/–
(धीरेन्द्र सिंह राना)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
डीआईएन07022825

ह0/–
(नितेश कुमार गोयल)
कंपनी सचिव

तारीखः 04 अगस्त, 2022
यूडीआईएनः22093056एओआईआरबीपी8300

समेकित वित्तीय विवरणियों के टिप्पण

(31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए)

1. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखांकन का आधार

(क) वित्तीय विवरणियां ऐतिहासिक लागत अभिसमय के अधीन वास्तविक अर्जन के आधार पर भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार की गई हैं और उन्हें कंपनी (लेखांकन) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पाठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 और कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 अधिनियम) के सुसंगत उपबंधों का अनुपालन करने के लिए तैयार किया गया है।वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए अंगीकार की गई लेखांकन नीतियां पूर्व वर्ष के लिए अनुपालन की गई के अनुसार हैं:

(ख) सभी आस्तियों और दायित्वों को कंपनी अधिनियम, 2013 की अधिकथित अनुसूची–III के अनुसार चालू या गैर चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रचालनों की प्रकृति और उस समय जिसके भीतर आस्तियों को नकद या नकद समतुल्य में कारबार के साधारण प्रक्रम में प्राप्त करने की संभावना है। कंपनी ने अपने प्रचालन चक्र को आस्तियां और दायित्वों को चालू और गैर–चालू में वर्गीकृत करने के प्रयोजन के लिए 12 मास में रखा है।

2. आकलनों का उपयोग

वित्तीय विवरणों का साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप तैयार करना अपेक्षा करता है कि प्रबंधन आकलन और पूर्वधारणा करे कि जो आस्तियों और दायित्वों की रिपोर्ट की गई मात्रा को प्रभावित करें और वित्तीय विवरण की तारीख को और रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान प्रचालनों का परिणाम आकस्मिकआस्तियों और दायित्वों का प्रकटन, यदि कोई है। तथापि यह आकलन प्रबंधन की चालू घटनाओं और कार्रवाईयों की जानकारी पर आधारित है, वास्तविक परिणाम इन आकलनों और पुनरीक्षणों, यदि कोई हों से भिन्न हो सकते हैं, इनको चालू और भावी अवधियों में मान्यता दी गई है।

3. राजस्व को मान्यता

(क) संविदा राजस्व को उस स्तर तक मान्यता दी गई है जहां तक आर्थिक फायदे कंपनी को प्राप्त होंगे और राजस्व का विश्वसनीय रूप से मापन किया जा सकता है। राजस्व को संकर्म की समग्र लागत और संपूर्ण करने की विधि के प्रतिशत का उपयोग करते हुए समानुपात मार्जिन को जोड़कर मान्यता दी गई है। संपूर्ण करने के प्रतिशत का अवधारण संविदा की कुल प्राक्कलित लागत की तारीख तक उपगत समानुपाती लागत का अवधारण करके किया जाता है।

(ख) वर्ष के अंत में निष्पादित किया गया कार्य किन्तु माप नहीं किया गयाध्भागतः निष्पादित कार्य को इंजीनियरों के प्रमाणपत्र के आधार पर गणना में लिया जाता है, ऐसी गणना से उदभूत प्रविष्टियों को उत्तरवर्ती लेखांकन वर्ष में विलोमतः कर दिया जाता है। तदनुसार, वास्तविक प्राप्ति ध्जारी किए गए बीजकोंध्दावों को जारी करने के समय कानूनी बाध्यताओं को पूरा किया जाता है।

(ग) परियोजनाओं के समयपूर्व बंद करने/समाप्त करने की दशा में राजस्व को उस संविदा मूल्य के परिमाण तक जिसकी वसूली संभावित है मान्यता दी जाती है।

(घ) सलाहकारी सेवाओं से राजस्व को समानुपातिक पूर्ण करना विधि के आधार पर मान्यता दी जाती है।

उन मामलों की दशा में जहां दावों के समय युक्तियुक्त निश्चितता के साथ वास्तविक संग्रहण नहीं किया गया है मान्यता को संग्रहण करने के समय तक स्थगित कर दिया जाता है।

(ड.) उन संविदाओं की दशा में जहां संविदा की लागत संविदा के राजस्व से अधिक हो जाती है, अनुमान लगाई गई हानि को तुरंत मान्यता दी जाती है।

(च) ग्राहक के साथ संविदा में बढ़ोतरी और अतिरिक्त संकर्म का उपबंध किया जाता है, माध्यस्थम पंचाटों से उदभूत दावों और बीमा दावों को प्राप्ति के आधार पर गणना में लिया जाता है।

(छ) विवाद/बातचीत और असंदेह/अप्राप्य नहीं समझे जाने वाले दावों के संबंध में संविदाकारी बाध्यताओं से उदभूत नुकसानों को अंतिम निपटान तक गणना में नहीं लिया जाता है।

(ज) संविदा को लेखांकन प्रयोजनों के लिए अंतिम बिलिंग, चालू करने के प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक रूप से आरंभ करने, पूर्व समापन और/या क्षमापन इनमें से जो भी पहले हो, समाप्त माना जाता है।

(झ) बकाया रकम और लागू दर को गणना में लेते हुए व्याज आय को समय समानुपात में मान्यता दी जाती है।

(झ) भाटक से राजस्व को किराएदार से पट्टा करार के आधार पर सिवाय वहां जहां वास्तविक संग्रहण को संदेहस्पद समझा जाता है, उदभूत होने के आधार पर मान्यता दी जाती है।

(ट) परियोजना प्रबंधन परामर्शी कार्य की दशा में जहां संपूर्ण निष्पादन बिलिंग संग्रहण, कर अनुपालना जिसके अंतर्गत त्रुटि के लिए दायित्व आदि है, कंपनी पर है, टर्नओवर को लागत जमा मार्जिन के आधार पर प्रतिशत पूरा करने के आधार पर मान्यता दी जाएगी।

4. मालसूची

(i) सामग्रियां

(क) संनिर्माण सामग्रियां, उपभोज्य और भंडार एवं उपसाधनों जिसके अंतर्गत इस्पात, सीमेंट और पाइप नहीं है को क्रय के समय संविदा लागत पर प्रभारित किया जाता है। ऐसी बची हुई सामग्रियों के निपटान के लेखे विक्रय से आगतों को विक्रय के वर्ष में प्रकीर्ण आय में गणना में लिया जाता है।

(ख) इस्पात, सीमेंट और पाइपों के स्टॉक का मूल्यांकन लागत या शुद्ध प्राप्त हो सकने वाले मूल्य से कम पर किया जाता है। लागत में भाड़ा और अन्य संबंधित अनुषंगिक व्यय शामिल हैं और उनकी गणना भारित औसत लागत के आधार पर की जाती है।

(ii) चालू कार्य

चालू संनिर्माण कार्य का मूल्यांकन ऐसे समय तक लागत के आधार पर किया जाता है जब तक कार्य के परिणाम का विश्वसनीय रूप से पता नहीं लगाया जा सकता है।

5. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

विदेशी परियोजनाओं की वित्तीय विवरणियों को निम्नलिखित रीति में परिभाषित किया जाताहै :

(i) राजस्व मदों (आय और व्यय) को भारतीय मुद्रा में क्रय दर की सुसंगत वित्त वर्ष के प्रत्येक मास के अंतिम कार्य दिवस को विद्यमान मासिक औसत के आधार पर गणना में लिया जाता है।

(ii) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर और गैर–धनीय मदों को संव्यवहार की तारीख को क्रय दर पर गणना में लिया जाता है।

(iii) अवक्षयण को आस्तियों के मूल्य को गणना में लेने के लिए उपयोग की गई दर पर गणना में लिया जाता है जिसपर अवक्षयण की संगणना की गई है।

(iv) माल सूचियों को प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को विद्यमान क्रय दर पर गणना में लिया जाता है।

(v) धनीय मदें (आस्तियां और दायित्व) तथा आकस्मिकदायित्वों को प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को विद्यमान अंतिम क्रय दरों पर गणना में लिया जाता है।

गणना में लिए जाने के परिणामस्वरूप शुद्ध विनिमय विभेद की पहचान वर्ष के लिए आय या व्यय के रूप में की जाती है।

6. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर का लागत पर वसूलनीय कर, व्यापार बट्टा रिवेट घटा संचित अवक्षयण और नुकसान की हानियां, यदि हो को घटाकर कथन किया जाता है। इस लागत में खरीद कीमत, उधार लेने की लागत और कोई ऐसी लागत सम्मिलित है जो सीधे आस्तियों को उनकी कार्यकारी स्थिति में लाने के लिए आशयित इस्तेमाल के लिए संबंधित है, विदेशी मुद्रा में शुद्ध परिवर्तन, संविदा और समायोजन जो विनिमय दर में फेरफार से उत्पन्न होते हैं वह आस्ती के लेखे डाले जाते हैं।

पश्चातवर्ती लागतों को आस्ति की वहन रकम में सम्मिलित किया जाता है या पृथक आस्ति के रूप में उस को मान्यता दी जाती है, जैसा भी समुचित हो, ऐसा केवल तब किया जाता है जब इस बात की संभावना हो की मद से सहबद्ध भावी आर्थिक फायदे निकाय को प्रभाहित होंगे और लागत का विश्वसनीय रूप से अंकन किया जा सकता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर पर अवक्षयण कि संगणना सीधी रेखा के आधार पर आस्ति के उपयोगी जीवन पर आधारित होती है जिसे कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार दर्शाया जाता है और आस्ति के उपयोगी जीवन के दौरान 95% लागत को बट्टे खाते में डाला जाता है।

7. अवक्षयणः

(क) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के अवक्षयण की संगणना आस्ति के उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी रेखा के आधार पर कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II के अनुसार की जाती है और आस्तियों के संभावित उपयोगी जीवन के दौरान 95% लागत को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

(ख) आस्तियों के उपयोगी जीवन के आधार पर उदभूत अवक्षयण की निम्नलिखित दरों को अंगीकृत किया गया है।

क्र.सं.	आस्तियों का विवरण	अवक्षयण की दर
1	**भवन (कारखाना भवन से भिन्न) आरसीसी फ्रेम ढांचा (एनईएसडी)**	1.58%
2	**अन्य अस्थायी संनिर्माण (जिसके अंतर्गत अस्थायी ढांचा आदि हैं (एनईएसडी)**	31.67%
3	**सिविल संनिर्माण में उपयुक्त संयंत्र और मशीनरी**	
3(क)(i)	कंक्रीटकरण, क्रशिंग, पाइलिंग उपस्कर और सड़क बनाने की मशीन	7.92%
3(क)(ii)(क)	100 टन से अधिक क्षमता की क्रेनें	4.75%
3(क)(iii) (ख)	100 टन से कम क्षमता की क्रेनें	6.33%

क्र.सं.	आस्तियों का विवरण	अवक्षयण की दर
3(क)(iii)	मृदा परिचालन उपस्कर	10.56%
3(क)(iv)	अन्य जिसके अंतर्गत सामग्री हथालन/पाइपलाइन/बेल्डिंग उपस्कर (एनईएसडी)	7.92%
4	**साधारण फर्नीचर और सज्जा (एनईएसडी)**	9.50%
5	**कार्यालय उपस्कर (एनईएसडी)**	19%
6	**कम्प्यूटर और डाटा प्रसंस्करण इकाइयां (एनईएसडी)**	
6(क)	सर्वर और नेटवर्क	15.83
6(ख)	'अंतिम उपयोगकर्ता इकाइयां जैसे डैस्कटॉप, लैपटॉप, घफ्टवेयर जिसके अंतर्गत उपयोक्ता अनुज्ञप्ति फीस, अन्य अमूर्त आस्तियां आदि हैं	31.67%
7	**मोटरयान (एनईएसडी)**	
7(क)	मोटर बस, मोटर लॉरी और भाटक पर उन्हें चलाने के कारबार से भिन्न मोटर कारें	9.50%
7(ख)	मोटरसाइकिल, स्कूटर एवं अन्य मोपेडस	11.88%

सिवाय उन आस्तियों के संबंध में जिनके लिए कोई अतिरिक्त शिफ्ट अवक्षयण (एनईएसडी) अनुज्ञात नहीं है जैसाकि उपदर्शित किया गया है, यदि किसी आस्ति का उपयोग वर्ष के दौरान किसी भी समय दोहरी शिफ्ट के लिए किया जाता है तो अवक्षयण उस अवधि के लिए 50 प्रतिशत बढ़ जाएगा और तिहरी शिफ्ट के लिए अवक्षयण की संगणना उस अवधि के लिए 100 प्रतिशत के आधार पर की जाएगी।

(ग) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर का इस अवधि के दौरान अर्जन किया जाता है, जो व्यक्तिगत रूप से 5,000 रुपए तक की लागत के हैं का क्रय वर्ष में पूर्णतः अवक्षयण किया जाता है। तथापि कर्मचारियों को उपलब्ध कराए गए मोबाइल फोन को उनके मूल्य को ध्यान में न रखते हुए लाभ और हानि के विवरण में भारित किया जाता है।

परिवर्तित नीति का वित्तीय वर्ष के साथ–साथ पूर्व वर्ष में "शून्य" है।

(घ) पट्टाधृत भूमि एवं पट्टाधृत भवन का अपाकरण पट्टे की अवधि के दौरान या विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान या उसकी संगणना कंपनी द्वारा अंगीकृत दरों पर की जाती है, इनमें से जो भी लघु हो। शाश्वत पट्टे के अधीन धृत भूमि का अपाकरण नहीं किया जा रहा है और उसे लागत के आधार पर अग्रनीत किया जाता है।

परिवर्तित नीति का वित्तीय प्रभाव चालू वर्ष के साथ–साथ पूर्व वर्ष में "शून्य" है।

ङ) अमूर्त आस्तियों को संचित परिशोधन और हानि घटाकर लागत पर बताया गया है। सॉफ्टवेयर, जो संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है, को अमूर्त संपत्ति के रूप में माना जाता है और तीन साल या इसकी लाइसेंस अवधि, जो भी कम हो, की अवधि में सीधी रेखा पद्धति पर परिशोधित किया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अमूर्त संपत्ति के उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है, और यदि उपयुक्त हो तो समायोजित किया जाता है।

8. कर्मचारी फायदे

(i) लघु अवधि कर्मचारी फायदों को वर्ष के जिसमें संबंधित सेवा दी गई है के लाभ और हानि विवरण में गैर रियायती रकम पर एक व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

(ii) सेवानिवृत्ति उपरांत और अन्य दीर्घावधि कर्मचारी फायदों को उस वर्ष की लाभ और हानि विवरण में जिसमें कर्मचारी ने सेवा दी है एक व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है। व्यय को संदेय रकम के विद्यमान मूल्य पर मान्यता दी जाती है जिसे वास्तविक मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके अवधारित किया जाता है। सेवानिवृत्ति के उपरांत और अन्य दीर्घावधि फायदों के संबंध में वास्तविक लाभ और हानि को लाभ और हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

9. उपबंध, आकस्मिक दायित्व और आकस्मिक आस्तियां

उपबंधों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी की किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप बाध्यता हो और यह संभावना हो कि बाध्यता को निपटाने के लिए संसाधनों के ओवरफ्लो की अपेक्षा होगी और जिसके लिए एक विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है। उपबंधों को उनके वर्तमान मूल्य पर रियायत नहीं दी जाती है और उनका अभिधारण तुलनपत्र की तारीख को बाध्यता का निपटान करने के लिए सर्वोत्तम आकलनों के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को उपबंधों का पुनरीक्षण किया जाता है और चालू सर्वोत्तम आकलनों को उपदर्शित करने के लिए समायोजित किया जाता है। किसी आकस्मिकदायित्व का प्रकटन किया जाता है जब तक कि आर्थिक फायदों को मूर्त रूप देने के लिए संसाधनों के ओवरफ्लो की संभावना सुदूर न हो। आकस्मिकदायित्वों को न तो मान्यता दी जाती है, न ही उनका वित्तीय विवरणों में प्रकटन किया जाता है।

10. संदेहस्पद ऋणों/उधारों और अग्रिमों के लिए उपबंध

भारत सरकार के विभागों और पीएसई ग्राहकों से संबंधित बंद हो गई परियोजनाओं में व्यापार प्राप्य/ऋणों और अग्रिमों की रकम को लेनदारों/ऋणों/अग्रिमों को जिस वर्ष वह देय होते हैं से 10 वर्ष तक प्राप्त करने के लिए अच्छा समझा जाता है। इन ऋणों को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास किया जाता है जब तक कि ग्राहक के साथ अंतिम निपटान न किया जाए या माध्यस्थम अधिकरण/न्यायालय द्वारा विवाद के मामले में निर्णय न दे दिया जाए। संदेहस्पद ऋणोंध्उधारों और अग्रिमों से परियोजना के आधार पर शुद्ध प्राप्ति के लिए प्रबंधन के अनुभवधनिर्धारण/पूर्ववर्ती अनुभव के आधार पर आवश्यक उपबंध किए जाते हैं यदि 10 वर्ष से अधिक से बकाया हैं। व्यापार प्राप्य/ऋणों और अग्रिमों को तब बट्टे खाते में डाल दिया जाता है जब उनकी वसूली न की जा सकती हो। माध्यस्थम अधिकरण/न्यायालय के पास लंबित मामलों के लिए कोई उपबंध नहीं किया जाता है।

पूर्वोक्त उपदर्शित शुद्ध प्राप्य से या अभिप्रेत है कि ग्राहक से प्राप्य कुल रकम को संबंधित परियोजना के उप ठेकेदार को संदेय तत्स्थानी रकम से घटा दिया जाता है।

11. खंड रिपोर्टिंग

परियोजनाओं की भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर कंपनी ने दो प्रारंभिक रिपोर्टिंग खंडों अर्थात घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय की पहचान की है।

12. आस्तियों का क्षीण हो जाना

प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को कंपनी की आस्ति यां चाहे इस बात का कोई संकेत हो कि आस्ति यां क्षीण हो गई हैं। यदि ऐसा कोई संकेत विद्यमान है तो कंपनी आस्तियों की वसूलनीय रकम का आकलन करती है। यदि आस्ति की ऐसी वसूलनीय रकम या रोकड़ सृजित करने वाली इकाई जिसकी आस्ति है से वसूली योग्य रकम उसकी चल रही रकम से कम है तो चल रही रकम को वसूलनीय रकम से घटा दिया जाता है और कटौती को क्षीणता नुकसान माना जाता है और लाभ और हानि लेखे में इसको मान्यता दी जाती है। यदि तुलनपत्र की तारीख को यह संकेत हो कि पूर्व में निर्धारित क्षीणता नुकसान अब विद्यमान नहीं है तो वसूलनीय रकम का पुनरूनिर्धारण

किया जाता है और आस्ति को वसूलीय रकम में अधिकतम अवक्षयित ऐतिहासिक लागत की शर्त के अधीन रहते हुए, उपदर्शित किया जाता है और तदनुसार, लाभ और हानि लेखे में उसे विलोमतः कर दिया जाता है।

13. कराधान

वर्ष में कर के लिए उपबंध में आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 115खकक के उपबंधों के अनुसरण में संगणित संदेय बही खाता लाभ या अवधि के लिए करादेय आय के संबंध में संदेय कर की रकम को अवधारित चालू आय–कर आकलन शामिल हैं और अस्थिगित कर वह अस्थायी समय विभेद का कर प्रभाव है जो करादेय और लेखांकन आय को दर्शाता है जो एक अवधि में उदभूत होती है और पश्चातवर्ती एक या अधिक अवधियों में जो विलोमतः होने के लिए सक्षम है और जिसकी संगणना सुसंगत घरेलू कर विधियों के अनुसार की जाती है।

अस्थगित कर की गणना कर दरों और तुलनपत्र की तारीख को अधिनियमित कर विधियों या पश्चातवर्ती अधिनियमित कर विधियों के आधार पर की जाती है। अस्थगित कर आस्तियों को मान्यता उस सीमा तक दी जाती है जिसकी युक्तियुक्त निश्चितता है कि भविष्य में करादेय पर्याप्त आय ऐसी अस्थगित कर आस्तियों के विरूद्ध उपलब्ध होगी जिसको वसूला जा सकेगा। अग्रनीत हानियों और अवशोषित अक्षयण के संबंध में आस्थगित कर आस्तियों को उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जिस तक यह अभासी निश्चितता है कि पर्याप्त भावी करादेय आय उपलब्ध होगी जिससे ऐसी अस्थगित कर आस्तियों को वसूला जा सकेगा।

न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी), कंपनी को लागू नहीं होता है क्योंकि कंपनी ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115खकक के अधीन कराधान का विकल्प दिया है।

14. पट्टा

<u>पाट्टेदार के रूप में कंपनी:</u> प्रचालित पट्टों के अधीन पट्टा संदायों को मान्यता व्यय के रूप में लाभ और हानि लेखे में सीधे रेखा आधार पर पट्टा निबंधन पर दी जाती है।

<u>पट्टाकर्ता के रूप में कंपनी:</u> पट्टे जिनमें कंपनी पट्टा करता है को बेतिया प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जब कभी पट्टा अंतरण सारवान रूप से स्वामित्व के जोखिम और पुरस्कारों को पट्टेदार को अंतरित कर देते हैं, संविदा को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है उसको अन्य सभी पट्टों को प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

परिचालन पटटों के लिए भाटक आय को सुसंगत पट्टे के निबंधनों पर सीधी रेखा के आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है। किसी प्रचालन पट्टे को प्राप्त करने में प्रारंभ में उपगत् लागत को अंडरलाइन आस्ति की वहन रकम में जोड़ दिया जाता है और उसे पट्टा आय जैसे उसी आधार पर पट्टा निबंधनों के ऊपर व्यय के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। संबंधित पट्टे पर दिए गए आस्ति को उनकी प्रकृति के आधार पर तुलन पत्र में सम्मिलित किया जाता है।

परिवर्तित नीति का वित्तीय प्रभाव चालू वर्ष के साथ–साथ पूर्व वर्ष में "शून्य" है।

15. प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर आधारिक अर्जन की संगणना साम्या शेयरधारकों (अधिरोपणीय करों की कटौती करने के पश्चात) से संबंधित अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि की अवधि के दौरान बकाया साम्या शेयरों की भारित संख्या से भाग करके की जाती है।

प्रति शेयर कम होते अर्जन की संगणना करने के प्रयोजन के लिए शेयरधारिकों से संबंधित अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित संख्या को कम होते संभावित साम्या शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित कर दिया जाता है।

16. पूर्वावधि मदें और पूर्व संदत्त व्यय से संबंधित समायोजन

क) पूर्वावधि मदें: प्रत्येक मामले में/100,000 तक पूर्व अवधि से संबंधित आयध्व्ययको तात्विक नहीं समझा जाता है और उसे चालू वर्ष की आय/व्यय के अधीन सम्मिलित किया जाता है।

ख) पूर्वावधि व्यय: प्रत्येक मामले में @100,000/– तक पूर्व अवधि से संबंधित व्यय को तात्विक नहीं समझा जाता है और उसे चालू वर्ष के व्यय के अधीन सम्मिलित किया जाता है।

परिवर्तित नीति का वित्तीय प्रभाव चालू वर्ष के साथ–साथ पूर्व वर्ष में "शून्य" है।

17. निगम कार्यालय उपरी शीर्ष आवंटन

वेतन और उससे संबंधित लागत से संबंधित निगम/मुख्यालय उपरी शीर्ष का ईपीआई के कुल टर्नओवर के अनुपात में ओमान परियोजना को टर्नओवर के अनुपात में आवंटन कर दिया गया है।

18. विनिधान

दीर्घावधि विनिधान का कथन लागत पर किया जाता है। ऐसे विनिधान के मूल्य में स्थाई कमी को मान्यता दी जाती है और उसके लिए उपबंध किया जाता है।

चालू विधान का कथन लागत और उसके कोट किए गए/उचित मूल्य से कम पर किया जाता है।

परिवर्तित नीति का वित्तीय प्रभाव चालू वर्ष के साथ–साथ पूर्व वर्ष में "शून्य" है।

19. नकद प्रवाह विवरण

नकद प्रवाह की रिपोर्ट प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके की जाती है, इसके द्वारा गैर नकद प्रकृति के संव्यवहार,पूर्व या भावी परिचालन नकद प्राप्तियों या संदायऔर नकद प्रवाह मै बनी धाम या वित्त पोषण से संयुक्त आय या व्यय के प्रभाव के लिए अवधि के लाभ को समायोजित किया जाता है,। कंपनी के प्रचालन, विनिधान और वित्त पोषण कार्यकलापों से नकद प्रवाह को पृथक किया जाता है।

परिवर्तित नीति का वित्तीय प्रभाव चालू वर्ष के साथ–साथ पूर्व वर्ष में "शून्य" है।

20. लाभांश

शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन की तारीख को शेरों पर अंतिम लाभांश को दायित्व के रूप में अभिलिखित किया जाता है और अंतरिम लाभांश को कंपनी के निदेशक बोर्ड द्वारा घोषणा की तारीख को दायित्व के रूप में अभिलिखित किया जाता है।

परिवर्तित नीति का वित्तीय प्रभाव चालू वर्ष के साथ–साथ पूर्व वर्ष में "शून्य" है।

21. समेकन के सिद्धांत

क) समूह के समेकित वित्तीय विवरण को ऐतिहासिक लागत अभिसमय के अधीन और भारत में लागू लेखांकन मानकों के अनुसार तैयार किया गया है। वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 और अन्य लागू विधियों की सुसंगत प्रस्तुति अपेक्षाओं का अनुपालन करते हैं।

ख) कंपनी और अनुषंगी के वित्तीय विवरण को समेकित वित्तीय विवरण पर लेखांकन मानक–21 के अनुसार अंतर समूह– शेष/संव्यवहार को हटाकर आस्तियों की समान मदों, दायित्वों आय और व्यय को जोड़कर लाइन दर लाइन आधार पर संयोजित किया जाता है।

ग) समेकित अनुषंगी की निबल आस्तियों के अल्पसंख्यक शेयर के भाग की पहचान की जाती है और उसे समेकित तुलन पत्र में कंपनी के शेयरधारकों के दायित्व और साम्या से पृथक प्रस्तुत किया जाता है। समेकित अनुषंगी के अल्पसंख्यक हित के शेयर के शुद्ध लाभ/(हानि) की पहचान की जाती है और उसे कंपनी के शेयरधारकों की शुद्ध आय का पता लगाने के लिए समूह की आय के विरुद्ध उसे समायोजित किया जाता है।

घ) समेकित अनुषंगी की शुद्ध आस्ति अल्पसंख्यक हित मै अल्पसंख्यक शेयरधारकों की साम्या की रकम से मिलकर बनती है।

ङ) स्टेक के अर्जन की तारीख को विनिधान करने वाली कंपनी समानुपाती शेयरों पर अनुषंगी में उसके विनिधान को कंपनी की लागत से आधिक्य को समेकित वित्तीय विवरणों में साख के रूप में मान्यता दी जाती है। विनिधान की तारीख को किसी अनुषंगी में विनिधान की लागत विनिधान करने वाली कंपनी की साम्य में शेयर के समानुपात से कम है तो अंतर को समेकित वित्तीय विवरण में पूंजी आरक्षिति के रूप में मान्यता दी जाती है।

टिप्पण सं. 2.1

(रकम लाख रुपए में)

शेयर पूंजी	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार
प्राधिकृत		
10/-रुपए प्रत्येक के संदत्त 90,94,04,600 साम्या शेयर	**90,940.46**	90,940.46
(पूर्व वर्ष 10/-रुपए प्रत्येक के संदत्त 90,94,04,600 पूर्णतया संदत्त साम्या शेयर)		
जारी अंशधृत और पूर्णतया संदत्त		
10/-रुपए के प्रत्येक 3,54,22,688 साम्या शेयर		
(पूर्व वर्ष 10/-रुपए के प्रत्येक के संदत्त 3,54,22,688 पूर्णतया संदत्त साम्या शेयर)	**3,542.27**	3,542.27
योग	**3,542.27**	3,542.27

टिप्पण 2.1 (क)

(रकम लाख रुपए में)

बकाया शेयरों की संख्या का पुनः समायोजन	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार
	संख्या	संख्या
वर्ष के प्रारंभ में	**3,54,22,688**	3,54,22,688
वर्ष के अंत में	**3,54,22,688**	3,54,22,688

टिप्पण 2.1 (ख)

(रकम लाख रुपए में)

5% से अधिक प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धृत शेयरों की संख्या	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार	
	शेयरों की संख्या	प्रतिशत धृति	शेयरों की संख्या	प्रतिशत धृति
भारत का राष्ट्रपति	**3,54,15,677**	**99.98**	**3,54,15,677**	99.98

टिप्पण सं. 2.1 (ग)

(रकम लाख रुपए में)

प्रस्तावकों द्वारा धृत शेयर क्रम सं. नाम	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार			31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार		
	शेयरों की संख्या प्रतिशत	शेयरों का कुल प्रतिशत परिवर्तन	वर्ष के दौरान	शेयरों की संख्या प्रतिशत	शेयरों का कुल प्रतिशत परिवर्तन	वर्ष के दौरान
1. भारत का राष्ट्रपति	**3,54,15,677**	**99.98%**	—	3,54,15,677	99.98%	—
2. हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	3575	0.01%	—	3575	0.01%	—
3. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	1892	0.01%	—	1892	0.01%	—
4. खनन और संबद्ध मशीनरी निगम लिमिटेड	490	0.00%	—	490	0.00%	—
5. त्रिवेणी स्ट्रक्चर्स लिमिटेड	490	0.00%	—	490	0.00%	—
6. इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड	350	0.00%	—	350	0.00%	—
7. हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स संनिर्माण लिमिटेड	210	0.00%	—	210	0.00%	—
7. ईपीआई शेयरधारक न्यास	4	0.00%	—	4	0.00%	—

टिप्पण सं. 2.2

(रकम लाख रुपए में)

आरक्षित एवं अधिशेष	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार
क) पूंजी आरक्षिति		
वर्ष के प्रारंभ में और अंत में शेष	**2.10**	2.10
ख) साधारण आरक्षिति		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**2,115.00**	2,115.00
जोड़ें : वर्ष के दौरान वर्धन	—	—
वर्ष के अंत में शेष	**2,115.00**	2,115.00
ग) लाभ और हानि के विवरण में अधिशेष		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**9,197.13**	14,199.05
जोड़ें : वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	**(6,506.35)**	(4,974.31)
घटाएं : संदत्त लाभांश*	—	(27.61)
घटाएं : लाभांश वितरण कर*	—	—
वर्ष के अंत में शेष	**2,690.78**	9,197.13
योग(क+ख+ग)	**4,807.88**	11,314.23

* कारपोरेट कार्य मंत्रालय (लेखांकन मानक) ने संशोधन नियम 2016 (सा. का.नि 364(ई) तारीख 30 मार्च 2016 को अधिसूचित करते हुए लेखांकन मानक (एएस) 4 आकास्मिकताएं और तुलन पत्र तारीख के पश्चात होने वाली घटनाएं को संशोधित किया है। संशोधित लेखाकन मानक एएस 4 का पैरा 14 उपबंध करता है कि यदि लाभांश की घोषणा तुलन पत्र की तारीख के पश्चात की जाती है तब ऐसे लाभांश को तुलन पत्र की तारीख को दायित्व के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है क्योंकि उस तारीख को कोई बाध्यता विद्यामान नहीं थी।

टिप्पण सं. 2.3

(रकम लाख रुपए में)

अन्य दीर्घावधि दायित्व	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार
व्यापार संदेय		
– सूक्ष्म, लघु एवं मध्यथम उद्यम *	**14,493.34**	14,761.49
– अन्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	**–**	–
– विवादास्पद देय, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम*		
– अन्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम से भिन्न मध्यम उद्यम	**1,161.73**	1,437.82
अन्य दायित्व,		
– प्रतिभूति जमा और प्रतिधारण धन#	**37,124.41**	35,170.67
–ग्राहक से प्राप्त अग्रिम	**15,815.35**	12,553.98
–ग्राहकों को संदेय अन्य	**153.71**	182.20
योग	**68,748.54**	64,106.16

* अनुसूची 3 में संशोधनों के संबंध में तारीख 24.03.2021 की अधिसूचना के अनुसार व्यापार प्राप्य एंजिंग अनुसूची के लिए टिप्पण सं. 2.8क को निर्दिष्ट करे।

* सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 में परिभाषित, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों को देय रकम की इन निकायों से प्राप्त पुष्टि के आधार पर और कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के परिमाण तक पहचान की गई है और इन पहचाने गए निकायों के प्रति 45 दिन से अधिक के परे कोई रकम संदेय नहीं थी।

ईपीआईएल द्वारा मयांमार परियोजना में सीएंडसी संनिर्माण लिमिटेड के निमित्त ईपीआईएल द्वारा बैंक प्रतिभूति के बदले 4554.00 लाख रुपए में 1906.64 लाख रुपए की रकम सम्मलित है और शेष को ओमान में किए गए कार्य के स्थान पर प्राप्त किया गया है।

ईपीआईएल द्वारा मयांमार परियोजना में सीएंडसी संनिर्माण लिमिटेड के निमित्त ईपीआईएल द्वारा बैंक प्रतिभूति के बदले 4554.00 लाख रुपए में 1906.64 लाख रुपए की रकम सम्मलित है और शेष को ओमान में किए गए कार्य के स्थान पर प्राप्त किया गया है। अधिक ब्योरों के लिए टिप्पण संख्या 2.29 को निर्दिष्ट करें।

टिप्पण सं. 2.4

(रकम लाख रुपए में)

दीर्घावधि दायित्व	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार
अन्य व्यय के लिए उपबंध	**1659.22**	–
कर्मचारी फायदा :		
–छुट्टी नकदीकरण	**1,243.15**	1,368.33
–उपदान	**5.83**	170.33
–दीर्घ सेवा पुरस्कार	**17.64**	19.58
–पश्च सेवानिवृत्ति चिकित्सा फायदे	**1,828.56**	1,647.88
–पश्च सेवानिवृत्ति यात्रा भत्ता	**3.54**	3.85
योग	**4,757.94**	**3,209.97**

टिप्पण सं. 2.5

(रकम लाख रुपए में)

लघु अवधि उधार	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार
प्रत्याभूत		
– बैंकों से मांग पर संदेय ऋण #	–	–
अप्रत्याभूत		
– बैंकों से मांग पर संदेय ऋण *	41.53	4,845.32
दीर्घावधि उधारों की चालू परिपक्वता	–	–
योग	**41.53**	4,845.32

* 41.53 लाख रुपए (पूर्व वर्ष 4,845.32 लाख रुपए) आईओबी दिल्ली के पास निधि आधारित/सीमा लघु अवधि ऋण के आधार पर निधि के लिए स्वच्छ नकद रोकड़ के लिए

टिप्पण सं. 2.6

(रकम लाख रुपए में)

व्यापार संदेय	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार
व्यापार संदेय**		
– सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम	3,463.91	790.21
– सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम से भिन्न अन्य	41,043.96	41,149.35
– विवादास्पद शोध्य–सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम	–	8.71
– विवादास्पद शोध्य–सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम से भिन्न अन्य	–	–
योग	**44,507.87**	41,948.27

** अनुसूची 3 में संशोधनों के संबंध में तारीख 24.03.2021 की अधिसूचना के अनुसार पुराने हो रहे कि अनुसूची में व्यापार संदेय के लिए टिप्पण सं. 2.8क निर्दिष्ट करें।

* सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 के निबंधनों में इन उपक्रमों को देय रकम का प्रकटन किए जाने की अपेक्षा है। इन उपक्रमों से अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने की अपेक्षा है। अधिकांश विक्रेताओं से उनके रजिस्ट्रीकरण के संबंध में सुसंगत सूचना की अनुपस्थिति में अपेक्षित सूचना का उचित रूप से पता नहीं लगाया जा सकता है।

कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर वर्ष के अंत में 3463.91 लाख रुपए (पूर्व वर्ष 798.92 लाख रुपए) सूक्ष्म लघु और मध्यम उपक्रमों को संदेय थे। वर्ष के लिए ब्याज की कोई रकम संदेय नहीं थी। (टिप्पण सं. 2.51 को निर्दिष्ट करें)

टिप्पण सं. 2.7

(रकम लाख रुपए में)

अन्य चालू दायित्व	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार
ग्राहकों से अग्रिम	**48,926.11**	27,915.84
सुरक्षा जमा, प्रतिधारण एवं प्रतिभूति	**7,052.22**	6,703.07
बकाया दायित्व	**758.91**	1,052.48
ग्राहक को संदेय अन्य रकम	**625.74**	559.07
संकर्म के लिए अग्रिम राजस्व	**6,398.44**	5,880.27
कर्मचारियों को संदेय*	**589.06**	842.01
अतिरिक्त संदेय दावे	**8,757.65**	8,274.82
कानूनी दायित्व	**4,662.14**	1,379.29
योग	**77,770.27**	52,606.85

* 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कार्यनिष्पादन संबंधी वेतन की 23.53 लाख रुपए (पूर्व वर्ष 38,72 लाख रुपए) रकम कतिपय कर्मचारियों को जारी करने के लिए लंबित है।

वेतन पुनरीक्षण (तीसरा पीआरसी) के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसरण में 1 जनवरी 2017 से 0 रुपए की रकम (पूर्व वर्ष शून्य रुपए) का उपबंध वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान लेखाबहियों में किया गया है। 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार संचाई उपबंध 475.80 लाख रुपए है पूर्व वर्ष 681.96 लाख रुपए)

टिप्पण सं. 2.8

(रकम लाख रुपए में)

लघु अवधि उपबंध	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार
संभावित राशि के लिए उपबंध (एएस–7 के अनुसार)	**601.46**	806.50
आयकर के लिए प्रावधान उपबंध (विदेशी)	–	42.25
कर्मचारी लाभः		
–छुट्टी नकदीकरण	**322.82**	229.18
–उपदान	**84.71**	88.16
–दीर्घ सेवा पुरस्कार	**6.77**	3.33
–पश्च सेवानिवृत्ति चिकित्सा फायदे	**146.66**	247.93
–पश्च सेवानिवृत्ति यात्रा भत्ता	**0.62**	0.46
योग	**1,163.04**	1,417.81

टिप्पण सं. 2.8क

व्यापार संदेय एंजिंग अनुसूची

(रकम लाख रुपए में)

विशिष्टियां	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार					31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार				
	संदाय की सम्यक् तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया #					संदाय की सम्यक् तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया #				
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	**योग**	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
एमएसएमई	3,463.91	0.00	–	–	3,463.91	790.21	–	–	–	790.21
अन्य	35,357.18	4,806.22	2,422.29	11,591.91	54,177.61	37,937.29	2,264.74	5,133.58	9,262.33	54,597.94
विवादास्पद देय–एमएसएमई	–	–	–	–	–	–	–	–	8.71	8.71
विवादास्पद देय–अन्य	–	113.14	48.49	2,359.16	2,520.78	85.28	46.62	25.89	2,592.91	2,750.70
योग	**38,821.09**	**4,919.36**	**2,470.78**	**13,951.08**	**60,162.30**	38,812.78	2,311.36	5,159.47	11,863.95	58,147.56

ऐसी सूचना वहां दी जाएगी जहां संदाय के लिए कोई नियत तारीख विनिर्दिष्ट नहीं की गई है उस दशा में प्रकटन संव्यवहार की तारीख से होगा।

बीजक न बनाए गए देयों का प्रकटन पृथक् रूप से किया जाएगा।

टिप्पण सं. 2.9 (i)

31.03.2022 की स्थिति के अनुसार संपत्ति, संयत्र और उपस्कर विवरण

(रकम लाख रुपए में)

विवरण	समग्र खंड					अवक्षयण/अपाकरण					शुद्ध ब्लाक	
	अति शेष	वर्धन	समायोजन	विक्रय/बट्टे खाते में डाला गया	योग	अति शेष	वर्ष के लिए	समायोजन	विक्रय/बट्टे खाते में डाला गया	योग	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर												
फ्री होल्ड भूमि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
पट्टा धृत भूमि	16.16	–	–	–	**16.16**	3.64	0.15	–	–	**3.79**	12.37	12.52
भवन फ्री होल्ड	46.87	–	–	–	**46.87**	29.99	1.09	–	–	**31.08**	15.79	16.88
पट्टा धृत भवन*	667.13	–	–	21.88	**645.25**	290.34	12.77	–	21.88	**281.24**	364.02	376.79
कम्प्यूटर और उपस्कर	519.22	28.86	(1.77)	49.71	**496.60**	465.92	19.36	(2.22)	46.92	**436.13**	60.47	53.30
कार्यालय और अन्य उपस्कर	280.99	6.49	(1.19)	30.54	**255.16**	245.10	11.44	(1.32)	29.74	**224.99**	30.16	35.89
संनिर्माण उपस्कर	626.82	–	–	0.76	**626.06**	504.04	15.59	–	0.74	**518.90**	107.16	122.77
फर्नीचर एवं सज्जा	262.00	18.57	(6.39)	6.98	**267.06**	195.31	15.54	(6.42)	6.23	**198.13**	68.93	66.70
वाहन	72.06	–	–	29.86	**42.19**	60.43	3.92	–	28.37	**35.98**	6.22	11.63
योग	**2,491.25**	**53.92**	**(9.34)**	**139.74**	**2,395.36**	**1,794.77**	**79.86**	**(9.96)**	**133.88**	**1,730.24**	**665.12**	**696.48**
पूर्व वर्ष	2,456.45	48.88	(0.00)	14.08	2,491.25	1,716.02	86.78	(0.00)	8.03	1,794.77	696.48	

* स्कोप परिसर, नई दिल्ली में भवन के संबंध में कनवेंस विलेख में 374.42 लाख रुपए (पूर्व वर्ष 374.42 लाख रुपए) की लागत पर कंपनी के नाम से निष्पादन के लिए नियत आस्तियां लंबित हैं।

टिप्पण सं. 2.9 (ii)

31.03.2022 की स्थिति के अनुसार अमूर्त आस्तियां

(रकम लाख रुपए में)

विवरण	समग्र खंड					अवक्षयण/अपाकरण					शुद्ध ब्लाक	
	अति शेष	वर्धन	समायोजन	विक्रय/बट्टे खाते में डाला गया	योग	अति शेष	वर्ष के लिए	समायोजन	विक्रय/बट्टे खाते में डाला गया	योग	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
अमूर्त आस्तियां												
सॉफ्टवेयर (अर्जित)	244.64	3.90		1.31	247.23	220.14	8.29		1.24	227.18	**20.05**	24.50
योग	**244.64**	**3.90**	—	**1.31**	**247.23**	**220.14**	**8.29**	—	**1.24**	**227.18**	**20.05**	**24.50**
पूर्व वर्ष	244.73	—	—	0.09	244.64	207.63	12.58	—	0.07	220.14	**24.50**	

टिप्पण सं. 2.9(iii)

31.03.2022 की स्थिति के अनुसार अमूर्त आस्तियां

विवरण	समग्र खंड					अवक्षयण/अपाकरण					शुद्ध ब्लाक	
	अति शेष	वर्धन	समायोजन	विक्रय/बट्टे खाते में डाला गया	योग	अति शेष	वर्ष के लिए	समायोजन	विक्रय/बट्टे खाते में डाला गया	योग	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
अमूर्त आस्तियां (निर्माणाधीन)												
सॉफ्टवेयर (निर्माणाधीन)	78.38	—	—	—	**78.38**	—	—	—	—	—	**78.38**	78.38
योग	**78.38**	—	—	—	**78.38**	—	—	—	—	—	**78.38**	**78.38**
पूर्व वर्ष	25.99	52.39	—	—	**78.38**	—	—	—	—	—	**78.38**	
वर्तमान वर्ष का कुल योग	**2,814.27**	**57.82**	**(9.34)**	**141.05**	**2,720.97**	**2,014.91**	**88.16**	**(9.96)**	**135.13**	**1,957.43**	**763.55**	
पूर्व वर्ष का कुल योग	**2,727.16**	**101.27**	**(0.00)**	**14.16**	**2,814.27**	**1,923.65**	**99.36**	**(0.00)**	**8.09**	**2,014.91**	**799.36**	

* टिप्पण सं. 2.52 पर अतिरिक्त विनियामक सूचना को विनिर्दिष्ट करें, जिसमें तारीख 24.03.2021 की अधिसूचना के अनुसार विकास एंजिंग में संशोधन अनुसूची–III के अधीन अमूर्त आस्तियां अंतर्विष्ट हैं।

टिप्पण सं. 2.10

(रकम लाख रुपए में)

आस्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)*	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार
नियत आस्तियों पर अवक्षयण	**(47.57)**	(605.47)
संदेहस्पद ऋणों के लिए उपबंध	**848.13**	1,106.37
कर्मचारी फायदे के लिए उपबंध (एएस–15)	**343.38**	443.54
अन्य अननुज्ञात	**151.38**	387.86
योग	**1,295.32**	1,332.30

* डीटीए की संगणना करने के लिए उपायोजित कर दर 25.168% है (आय–कर 22%, अधिभार 10%, स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर 4% है।)

टिप्पण सं. 2.11

(रकम लाख रुपए में)

दीर्घावधि ऋण और अग्रिम	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार	
(अप्रत्याभूत, अच्छा समझा गया जब तक कि अन्यथा कथित नहीं है)				
संकर्म के लिए अग्रिम :				
–बीजी के विरुद्ध लिया गया सचलीकरण अग्रिम	**2,003.78**		1,347.69	
–सामग्री के विरुद्ध लिया गया	**289.28**		110.66	
–अन्य अग्रिम	**2,249.48**		2,461.06	
अन्य अग्रिम जिन्हें संदेहस्पद समझा गया	**653.47**		656.24	
	5,196.01		4,575.65	
घटाएं–संदेहस्पद और खराब अग्रिम के लिए उपबंध	**(653.47)**	**4,542.54**	(653.47)	3,922.18
कर्मचारीवृंद उधार एवं अग्रिम		**9.79**		11.35
वसूलनीय अग्रिम करध्टीडीएस	**247.07**		3,957.45	
घटाएं–आयकर के लिए उपबंध से	–	**247.07**	(281.99)	3,675.46
अग्रिम कर (विदेशी)#		–		519.41
एमएटी प्रत्यय (लेखांकन वर्ष 2018–19)		–		–
अप्रत्यक्ष कर (वसूलनीय, इनपुट कर प्रत्यय, अग्रिम)		**2,210.03**		2,490.28
योग		**7,009.43**		10,618.68

टिप्पण 2.12

(रकम लाख रुपए में)

अन्य गैर–चालू आस्तियां	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार	
व्यापार प्राप्य*				
अच्छा समझा गया प्रत्यभूत	–		–	
अच्छा समझा गया अप्रत्यभूत	**5,907.66**		5,671.90	
संदेहस्पद समझा गया	**754.60**		698.79	
	6,662.26		6,370.69	
घटाएं; खराब एवं संदेहस्पद वसूलियां के लिए मोक	**(754.60)**	**5,907.66**	(698.79)	5,671.90
सुरक्षा जमा एवं प्रतिधारण धन	**25,939.37**		27,613.70	
संदेहस्पद समझा गया	**880.22**		880.22	
	26,819.59		28,493.92	
घटाएं य खराब एवं संदेहस्पद वसूलनीय के लिए मोक	**(880.22)**	**25,939.37**	(880.22)	27,613.70
अन्य आस्तियां				
नियत जमा #		**86.74**		82.32
ग्राहकों, विक्रेताओं एवं अन्य से वसूलनीय	**22,876.34**		23,761.47	
संदेहस्पद समझा गया	**1,081.59**		1,081.59	
	23,957.93		24,843.06	
घटाएं खराब एवं संदेहस्पद वसूलनीय के लिए मोक	**(1,081.59)**	**22,876.34**	(1,081.59)	23,761.47
योग		**54,810.11**		57,129.39

* अनुसूची 3 में संशोधनों के संबंध में तारीख 24.03.2021 की अधिसूचना के अनुसार व्यापार प्राप्य एंजिंग अनुसूची के लिए टिप्पण सं. 2.14क को निर्दिष्ट करे।

31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार कंपनी ने 86.74 लाख रुपए (पूर्व वर्ष 82.32 लाख रुपए) के नियत जमा को ग्राहकों/अन्य के पास धरोहर राशि जमा/प्रतिभूति जमा जो ग्राहक द्वारा दिया गया था को नियत जमा में रखा है, जो विवाद के अधीन है यह मामला विचाराधीन है।

टिप्पण सं. 2.13

(रकम लाख रुपए में)

मालसूचियां	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार
सामग्रियां : (लागत से निम्न या एनआरवी)		
–इस्पात	**196.36**	17.85
–सीमेंट	–	
–पाइप तथा अन्य	–	–
योग	**196.36**	17.85

टिप्पण सं. 2.14

(रकम लाख रुपए में)

व्यापार वसूलनीय	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार
व्याापार प्राप्य*		
(त्यकभूत जो अच्छा समझा गया		
निम्म्लिखित के लिए बकाया है:–	–	
	–	–
अप्रत्य भूत जो अच्छा समझा गया	**19,267.84**	26,839.45
संदेहस्पद समझा गया	—	—
	19,267.84	26,839.45
घटाएं य खराब एवं संदेहस्पद वसूलनीय के लिए मोक	–	–
योग	**19,267.84**	26,839.45

* अनुसूची 3 में संशोधनों के संबंध में तारीख 24.03.2021 की अधिसूचना के अनुसार व्यापार प्राप्य एंजिंग अनुसूची के लिए टिप्पण सं. 2.14क को निर्दिष्ट करे।

टिप्पण सं. 2.14क

व्यापार प्राप्य एंजिंग अनुसूची

(रकम लाख रुपए में)

विशिष्टियां	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार						31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार					
	संदाय की सम्यक् तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया #						संदाय की सम्यक् तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया #					
	6 मास से कम	6 मास – 1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग	6 मास से कम	6 मास –	1–2 वर्ष 1 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
(i) अविवादास्पद व्यापार प्राप्य – अच्छा माना गया	7,932.57	9,396.44	1,240.82	282.32	3,438.21	22,290.36	21,575.59	3,962.64	124.27	159.62	3,803.92	29,626.03
(ii) अविवादास्पद व्यापार प्राप्य–संदेहस्पद माना गया	–	–	–	–	118.85	118.85	–	–	–	–	63.04	63.04
(iii) अविवादास्पद व्यापार प्राप्य– अच्छा माना गया	–	–	–	–	2,885.14	2,885.14	–	–	–	0.86	2,884.46	2,885.32
(iv) अविवादास्पद व्यापार प्राप्य–संदेहस्पद माना गया	–	–	–	–	635.76	635.76	–	–	–	–	635.76	635.76
योग	7,932.57	9,396.44	1,240.82	282.32	7,077.95	25,930.10	21,575.59	3,962.64	124.27	160.48	7,387.17	33,210.14

समान सूचना वहां दी जाएगी जहां संदाय के लिए कोई नियत तारीख विनय लिस्ट नहीं की गई है उसे समय पर कटन संव्यवहार की तारीख से होगा।

बीजक ना बनाए गए देय प्रकटन पृथक रूप से किया जाएगा।

टिप्पण सं. 2.15 (i)

(रकम लाख रुपए में)

नकद और नकद के समतुल्य	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार	
नकद और नकद के समतुल्य : बैंक में शेष –चालू खाते में* –नियम जमा (3 मास की परिपक्वता तक)**	**25,562.94**		8,603.44	
	10,754.07	**36,317.01**	3,849.64	12,453.08
हाथ में नकद		—		0.01
योग		**36,317.01**		12,453.09

टिप्पण सं. 2.15 (ii)

(रकम लाख रुपए में)

अन्य बैंक शेष	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार
नियत जमा#** (3 मास से अधिक परिपक्वता के साथ किंतु 12 मास से कम)	**12,654.78**	17,357.44
योग	**12,654.78**	17,357.44

* चालू खाते में पूर्वोक्त 24,488.10 लाख रुपए (पूर्व वर्ष 7,748.59 लाख रुपए) ग्रहक की ओर से जमा के रूप में रखे गए हैं.

** नियत जमा में शेष में से 22,554.99 लाख रुपए (पूर्व वर्ष 20,539.89 लाख रुपए) ग्रहक की ओर से जमा के रूप में रखे गए हैं। 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार कंपनी ने 30.00 लाख रुपए (पूर्व वर्ष शून्य) ग्रहकों /अन्य के पास/धरोहर राशि जमा/प्रतिभूति जमा के रूप गिरवी रखा है.

31.03.2022 की स्थिति के अनुसार कंपनी ने 325.27 लाख रुपए (पूर्व वर्ष 288.44 लाख रुपए) को ग्राहकों /अन्य के पास/धरोहर राशि जमा/सुरक्षा जमा/विक्रय कर विभाग के पास गिरवी रखा है।

टिप्पण सं. 2.16

(रकम लाख रुपए में)

लघु अवधि ऋण एवं अग्रिम	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार	
(अप्रत्याभूत अच्छा समझा गया सिवाय अन्यथा कथन के) कार्य के लिए अग्रिम :				
–बीजी के विरुद्ध कार्य के लिए प्राप्त किया गया अग्रिम	**3,894.67**		4,528.55	
–सामग्री के विरुद्ध प्राप्त किया गया	**643.15**		442.57	
अन्य अग्रिम	**803.16**	**5,340.98**	1,088.71	6,059.83
अग्रिम कर/वसूलनीय टीडीएस		**2,255.93**		13.29
अप्रत्यक्ष कर (ईनपुट कर प्रत्यय, अग्रिम)		**4,278.58**		2,497.38
कर्मचारीवृंद ऋण एवं अग्रिम		**44.99**		24.70
प्राप्य प्रतिभूति प्रतिधारण एवं धरोहर धन		**12,967.45**		11,040.20
योग		**24,887.93**		19,635.40

टिप्पण सं. 2.17

(रकम लाख रुपए में)

अन्य चालू आस्तियां	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार
उद्भूत ब्याज किंतु बैंक जमा में शोध्य नहीं	**192.55**	50.73
पूर्व संदत्त व्यय	**126.52**	277.02
ग्राहकों, विक्रेताओं एवं अन्य से वसूलनीय	**23,863.34**	11,545.10
राजस्व जिसका बिल नहीं बनाया गया है।	**23,956.57**	24,937.04
योग	**48,138.98**	36,809.89

टिप्पण सं. 2.18

(रकम लाख रुपए में)

प्रचालनों से राजस्व	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार
किए गए कार्य का मूल्य	72,965.47	66,638.98
अन्य प्रचालन आय	651.87	13,923.19
योग	**73,617.34**	80,562.17

टिप्पण सं. 2.19

(रकम लाख रुपए में)

अन्य आय	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार	
निम्नलिखित से अर्जित ब्याज आय	**23.94**		53.41	
बैंक में जमा	**1.04**		0.85	
कर्मचारीवृंद अग्रिम	**550.10**	**575.08**	199.41	253.67
अन्य (उप–ठेकेदारों/ग्राहक/आयकर प्रतिदाय)		—		—
अन्य गैर–प्रचालन आय	—		14.72	
खर्च न किया गया दायित्वक/बट्टे खाते में डाला गया शेष	**602.23**		243.56	
प्रकीर्ण आय				
विदेशी मुद्रा भिन्नता लाभ	**190.97**		27.60	
अग्रिम एएस 7 के अनुसार संभावित हानि के लिए उपबंध को विलोम करना	—	793.20	—	285.88
योग		**1,368.28**		539.55

टिप्पण सं. 2.20

(रकम लाख रुपए में)

प्रचालन व्यय	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार
सिविल, मैकेनिकल और वैद्युत कार्य	**65,933.12**	60,474.35
डिजाइन और सलाहकारी प्रभार	**1,021.24**	438.64
अन्य प्रत्यक्ष व्यय	**1,009.89**	681.00
(लेखांकन मानक 7 के अनुसार) भावी नुकसान के लिए उपबंध	**(29.62)**	(326.81)
संदत्त दावे	**529.27**	13,608.24
स्वामिस्व	**0.12**	1.23
योग	**68,464.02**	74,876.65

टिप्पण सं. 2.21

(रकम लाख रुपए में)

कर्मचारी पारिश्रमिक और फायदे	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार
वेतन और भत्ते#	**5,977.06**	5,919.02
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान+	**540.28**	566.91
कर्मचारी कल्याण व्यय*	**930.36**	761.18
योग	**7,447.70**	7,247.11

वेतन एवं भत्तों में शून्य रुपए (पूर्व वर्ष शून्य) का उपबंध सम्मिलित है जो वेतन पुनरीक्षण के कारण सृजित किया गया है (तीसरा पीआरसी)

$ इसमें भविष्य निधि न्यास के कारण 17.50 लाख रुपए (पूर्व वर्ष 35.40 लाख रुपए) के ब्याज की कमी के कारण सम्मिलित हैं।

* इसके अंतर्गत चिकित्सा व्यय, छुट्टी नकदीकरण दीर्घावधि सेवा पुरस्कार और अन्य कर्मचारी कल्याण व्यय सम्मिलित हैं।

टिप्पण संख्या 2.22

(रकम लाख रुपए में)

वित्तीय लागत	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार
निम्नलिखित को संदत्त ब्याजः		
– बैंक	**248.60**	791.34
– अन्य	**229.54**	240.97
योग	**478.14**	1,032.31

टिप्पण सं. 2.23

(रकम लाख रुपए में)

अन्य व्यय	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	**43.29**	55.84
दर और कर	**109.76**	341.92
डाक व्यय और दूरसंचार	**99.35**	110.76
मरम्मत एवं अनुरक्षण		
कार्यालय	**287.87**	355.26
भवन	**48.49**	19.39
अन्य नियत आस्तियां	**0.30**	0.23
कम्प्यूटर व्यय	**73.50**	63.11
जल, विद्युत एवं ईंधन प्रभार	**93.90**	82.17
निविदा व्यय	**22.83**	25.20
विज्ञापन एवं प्रचार	**13.76**	2.40
विधिक और व्यावसायिक प्रभार	**209.96**	140.58
संविदा पर परामर्श	**7.89**	15.24
बीमा	**30.04**	35.82
मनोरंजन	**13.75**	12.80
बैंक प्रभार	**66.53**	135.59
वाहन चलाना एवं अनुरक्षण	**25.37**	22.74
जनशक्ति विकास	**3.71**	1.11
नियत आस्तियों की बिक्री पर हानि	**1.26**	1.56
प्रायोजक्ता फीस	—	2.15
यात्रा एवं अन्य अनुषंगी व्यय (घरेलू)$	**412.03**	450.40
यात्रा एवं अन्य अनुषंगी व्यय (विदेश)	**13.46**	3.73
सीएसआर और स्थिरता*	—	1.33
अनुसंधान एवं विकास	—	—
लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक@	**19.23**	20.16
व्यापार संवर्धन	**13.58**	13.26
कार्यालय किराया	**1,835.59**	135.97
सदस्यता और सदस्यता शुल्क	**2.65**	3.57
फाइलिंग और पंजीकरण शुल्क	**1.84**	6.31
संदिग्ध ऋण, ऋण और अग्रिम और अन्य के लिए प्रावधान	**55.81**	—
संदिग्ध वसूली के लिए बट्टे खाते में डाली गई राशि	**1,166.14**	—
विदेशी मुद्रा विनिमय में परिवर्तन (लाभ)/हानि	**5.95**	9.36
विविध व्यय	**57.46**	30.88
योग	**4,735.30**	2,098.84

$ यात्रा और अन्य अनुषंगी व्ययों में स्थल पर कठोर जीवनयापन व्यय के शून्य रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 47.40 लाख रुपए) और निदेशकों के यात्रा व्यय 12.35 लाख/– रुपए(पूर्व वर्ष 3.76/– लाख रूपए)

* कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के उपबंधों के अनुसरण में, कोई कंपनी जो लागू होने के सीमा को पूरा करती है से निगम सामाजिक उत्तरदायित्व पर तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2 प्रतिशत को व्यमय करने की अपेक्षा है। वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा निगम सामाजिक उत्तरदायित्व पर 1,33,000 लाख रुपए (पूर्व वर्षों के 1.33 लाख रु. बजट से अग्रणीत रकम) को व्यय करने की अपेक्षा है। वर्ष के दौरान संनिर्माण/आस्तियों के अर्जन से भिन्न प्रयोजनों पर वास्तविक रूप में खर्च की गई रकम शून्य रूपए है

@लेखा परीक्षकों की संदाय के ब्यौरे:

(रकम लाख रुपए में)

लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार
लेखापरीक्षा फीस#	**15.76**	16.66
कर लेखापरीक्षा#	**3.26**	2.94
अन्य सेवाएं (प्रमाणन फीस)	**0.21**	0.19
अन्य लागत	–	0.37
योग	**19.23**	20.16

लेखा परीक्षकों के परिश्रमिक में जीएसटी रकम अभिलिखित नही है।

टिप्पण सं. 2.24

(रकम लाख रुपए में)

पूर्व अवधि समायोजन (शुद्ध)	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार
आय	–	–
प्रचालन आय	–	–
अन्य आय	–	–
पूर्व अवधि आय का उप–योग (क)	–	–
घटाएं : व्यय		
प्रचालन व्यय	–	116.26
कर्मचारी पारिश्रमिक और फायदे	–	–
अवक्षयण	–	–
अन्य	**3.80**	–
पूर्व अवधि व्यय का उप–योग (ख)	**3.80**	116.26
पूर्व अवधि व्यय का योग (शुद्ध) (ख–क)	**3.80**	116.26

टिप्पण सं. 2.25

समूह की कंपनियां

समेकित वित्तीय विवरण इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (कंपनी) और इसकी सहायक कंपनियों से संबंधित हैं, जो भारत (द ग्रुप) में शामिल हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों में मानी जाने वाली सहायक कंपनियां निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	सहायक कंपनी का नाम'	संबंध	सहयोगियों का प्रतिशत हिस्सा		लाभ/(हानि) के जहाज शामिल हैं समेकित में स्वामित्व लाभ का ब्याज विवरण और हानि खाता (राशि लाख में)	
			As on 31.03.2022	As on 31.03.2021	**As on 31.03.2022**	As on 31.03.2021
1	ईपीआई अर्बन इंफ्रा डेवलपर्स लिमिटेड	सब्सिडियरी	51%	51%	-	-

' समूह के समेकन वित्तीय विवरणों में अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर विचार किया जाता है।

टिप्पण सं. 2.26

आकस्मिक दायित्व कंपनी के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में अभिस्वीकृति नहीं दी गई है।	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार (रकम लाख रुपए में)	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार (रकम लाख रुपए में)
1 विधिक और माध्यस्थम की बावत		
क अधिनिर्णयन के लिए लंबित दावे, उसके लिए रकम तब ली गई है जब युक्तियुक्त रूप से उसका पता लगाया जा सके।*	**55,440.14**	48,305.68
ख उन मामलों के संबंध में जहां पंचाट कंपनी के पक्ष में प्रकाशित किया गया है किन्तु प्रतिपक्ष ने अपील कर दी है।*	**5,937.17**	6,253.07
उपयोग–1	**61,377.31**	54,558.75
2 विवाद/अपीलों के अधीन पूरे किए गए निर्धारणों के संबंध में आय–कर/विक्रय कर/संकर्म संविदा कर/सेवा कर की मांगके संबंध में।	**5,133.87**	5,548.42
3. ग्राहक के निमित्त जारी की गई प्रतिभूतियों के संबंध में		
महायोग(1+2+3)	**66,511.18**	60,107.17

*पूर्वोक्त के विरूद्ध कंपनी के प्रतिस्थानी दावे हैं।

टिप्पण सं. 2.27

ईआरपी के कार्यान्वयन के लेखे अमूर्त आस्तियों के विकास के लिए निष्पादित शेष संविदाओं की आकलित रकम 1.57 लाख रुपए (पूर्व वर्ष 53.96 लाख रुपए), है, जिसके लिए उपबंध नहीं किया गया है, और वर्ष 2021–22 में इस निमित्त शून्य रुपए की रकम का पूंजीकरण किया गया है।

टिप्पण सं. 2.28

विदेशी मुद्रा में व्यय :

(रकम लाख रुपए में)

क्रम सं.	विशिष्टियां	31.03.22 को समाप्त वर्ष	31.03.21 को समाप्त वर्ष
1	प्रचालन व्यय	**833.85**	26,015.43
2	व्यावसायिक एवं सलाह प्रभार	**4.42**	47.24
3	विदेशी मुद्रा में फेरफार नुकसान	**5.95**	9.36
4	नियत आस्तियों का क्रय	**2.29**	1.06
5	प्रशासनिक एवं अन्य व्यय		
क	यात्रा	**68.26**	53.61
ख	निविदा व्यय	–	–
ग	अन्य	**636.06**	1,133.09
	योग	**1,550.84**	27,259.79

विदेशी मुद्रा में आयः

(रकम लाख रुपए में)

क्रम सं.	विशिष्टियां	31.03.22 को समाप्त वर्ष	31.03.21 को समाप्त वर्ष
1	संकर्म प्राप्तियां	**1,275.44**	27,520.77
2	ब्याज से आय	**3.19**	16.98
3	विदेशी मुद्रा में परिवर्तन से लाभ	**190.97**	27.60
4	अन्य	**19.20**	0.08
	योग	**1,488.80**	27,565.42

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान ओमान से प्राप्त विदेशी मुद्रा 763.84 रुपए जो 0.56 लाख अमरीकी डालरों के बराबर है (पूर्ववर्ती वर्ष 1249.60 लाख रूपए जो 17.00 लाख अमरीकी डालरों के बराबर है)।

टिप्पण 2.29

क) कंपनी ने बैंकों से बिना किसी प्रतिभूति के 48,717.12 लाख रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 47.069.90 लाख रुपए) की गैर–निधि आधारित प्रत्यखय सीमा ली है। इसके अंतर्गत ईपीआई– सीएंडसी–जेवी द्वारा मयांमार में परियोजना के निष्पादन के लिए 7,590.00 करोड रुपए सम्मलित हैं, इसके अंतर्गत अग्रणी भागीदार अर्थात् सीएंडसी संनिर्माण लिमिटेड के निमित्त बैंक प्रतिभूति के बदले 45.54 करोड रुपए और संवयं के निमित्त में 30.36 करोड रुपए की रकम सम्मलित है।

ख) ईपीआईएल द्वारा मयांमार परियोजना में सीएंडसी संनिर्माण लिमिटेड के निमित्त ईपीआईएल द्वारा बैंक प्रतिभूति के बदले 455 लाख रुपए में 1,906.64 लाख रुपए की रकम प्राप्त की है और शेष को ओमान में किए गए कार्य के स्थान पर प्राप्त किया गया है। सीएंडसी संनिर्माण लिमिटेड म्यामार संयुक्त उद्यम "ईपीआई–सीएंडसी जेवी (अनिगमित)" में हमारा 60% स्टेक भागीदार और ओमान परियोजना में हमारा मुख्य ठेकेदार एनसीई एलटी में इस समय दिवाला कार्यवाहियों का सामना कर रहा है और यह मामला उन्नत प्रक्रम पर है। इसका परिणाम और ईपीआईएल के वित्तीय विवरणों पर इसके वित्तीय प्रभाव का अभी पता नहीं लगाया जा सकता है।

ग) मैसर्स सी एंड सी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, म्यांमार संयुक्त उद्यम ''ईपीआई – सी एंड सी जेवी (अनिगमित)'' में हमारा 60% हिस्सा भागीदार है और हमारी ओमान परियोजना में हमारा मुख्य ठेकेदार वर्तमान में एनसीएलटी में दिवालिया कार्यवाही का सामना कर रहा है एवं मामला अग्रिम चरण में है। ईपीआईएल के वित्तीय विवरणों पर इसके परिणाम और वित्तीय प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है।

टिप्पण सं. 2.30

लेखांकन मानक 17 के अनुसार प्रकटन

कंपनी ने दो प्रारंभिक खंडों की पहचान की है अर्थात घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय। तदनुसार, खंड सूचना नीचे दिए अनुसार है:

प्रारंभिक खंड सूचना (भौगोलिक)

(रकम लाख रुपए में)

विशिष्टियां	चालू वर्ष (2021–22)				पूर्व वर्ष (2020–21)			
	घरेलू	अंतर्राष्ट्रीय	अन–आबंटित	योग	घरेलू	अंतर्राष्ट्रीय	अन–आबंटित	योग
कारोबार की किस्म	संनिर्माण				संनिर्माण			
प्रचालनों से राजस्व	72,341.90	1,275.44	–	**73,617.34**	53,041.40	27,520.77	–	80,562.17
अन्य आय	225.17	213.36	929.75	**1,368.28**	154.18	44.65	340.72	539.55
कुल आय	72,567.08	1,488.80	929.75	**74,985.62**	53,195.59	27,565.42	340.72	81,101.72
परिणाम								
अवक्षयण, ब्याज और कर से पूर्व आय	(3,266.35)	(46.29)	(2,352.56)	**(5,665.20)**	(1,214.98)	319.80	(2,341.96)	(3,237.14)
ब्याज	229.54	–	248.60	**478.14**	240.97	–	791.34	1,032.31
अवक्षयण	40.54	4.35	43.27	**88.16**	42.24	5.60	51.52	99.36
प्रचालन को जारी रखने से कर से पूर्व ब्याज	(3,536.43)	(50.64)	(2,644.43)	**(6,231.50)**	(1,498.18)	314.20	(3,184.83)	(4,368.81)
प्रचालन को जारी रखने से कर के पश्चात लाभ	(3,536.43)	(51.09)	(2,918.83)	**(6,506.35)**	(1,498.18)	248.78	(3,724.90)	(4,974.31)
पूंजी व्यय								
मूर्त और अमूर्त आस्तियों में वर्धन	52.28	2.29	3.25	**57.82**	27.15	1.06	73.06	101.27
अन्य सूचना	**31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार**				**31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार**			
कुल आस्तियां	1,44,864.13	46,892.48	13,580.68	**2,05,337.29**	1,26,217.89	45,032.40	11,738.54	1,82,988.83
संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (अग्रणीत रकम)	149.68	23.61	590.25	**763.55**	141.70	25.77	631.90	799.36
कुल दायित्व	1,51,501.08	40,789.85	4,698.27	**1,96,989.20**	1,15,431.08	44,795.93	7,907.38	1,68,134.38

टिप्पण सं. 2.31

लेखांकन मानक 7, 'संनिर्माण संविदाएं' की अपेक्षाओं के अनुसरण में प्रकटन:

(रकम लाख रुपए में)

क्रम सं.	विशिष्टियां	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार
1	प्रचालनों से राजस्व	**73,617.34**	80,562.17
2	रिपोर्ट की तारीख तक उपगत संविदा लागत और गणना में लिया गया लाभ	**11,29,417.19**	10,72,521.64
3	प्राप्त अग्रिम	**64,741.46**	40,469.83
4	संविदा संकर्म के लिए ग्राहकों से शोध्य समग्र रकम– जिसे आस्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है (राजस्व जिसका बीजक नहीं बनाया गया है)	**23,956.57**	24,937.04
5	संविदा संकर्म के लिए ग्राहकों को शोध्य समग्र रकम– जिसे दायित्व के रूप में प्रस्तुत किया गया है (संकर्म के लिए अग्रिम राजस्व)	**6,398.44**	5,880.27
6	प्राप्य प्रतिधारण धन	**25,036.57**	25,027.90

टिप्पण सं. 2.32

लेखांकन मानक 15 की अपेक्षाओं के अनुसरण में कर्मचारी फायदों का ब्यौरा

i) परिभाषित फायदा बाध्यता में परिवर्तन

(रकम लाख रुपए में)

विशिष्टियां	उपदान	दीर्घावधि अनुकम्पा अनुपस्थिति	दीर्घ सेवा पुरस्कार	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा फायदा	सेवानिवृत्ति उपरांत यात्रा भत्ता
	(वित्तपोषित)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)
छूट की दर	6.90% (6.50%)	6.90% (6.50%)	6.90% (6.50%)	6.90% (6.50%)	6.90% (6.50%)
प्रतिकर स्तरों में वृद्धि की दर/प्रीमियम मुद्रास्फीति/ यात्रा लागत	3.00%	3.00%	—	3.00%	3.00%
आस्तियों पर रिटर्न की संभावित दर	6.90% (6.50%)	— —	— —	— —	— —
सेवानिवृत्ति आयु*	60 वर्ष	60 वर्ष	60 वर्ष	60 वर्ष	60 वर्ष
मृत्यु सारणी	आईएएलएम (2012–14) अल्टीमेंट	आईएएलएम (2012–14) अल्टीमेंट	आईएएलएम (2012–14) अल्टीमेंट	सेवानिवृत्ति पूर्व आईएएलएम (2012–14) अल्टीमेंट सेवानिवृत्ति पश्चः एलआईसी (1996–98) यूएलटी	आईएएलएम (2012–14) अल्टीमेंट
					—
आयु*	कर्मचारी कारोबार (%)				
35 वर्ष तक	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%
36 से 45 वर्ष	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
46 से ऊपर	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%

*पूर्व वर्ष के समान

(रकम लाख रुपए में)

विशिष्टियां	उपदान	दीर्घावधि अनुकम्पा अनुपस्थिति	दीर्घ सेवा पुरस्कार	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा फायदा	सेवानिवृत्ति उपरांत यात्रा भत्ता
	(वित्तपोषित)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)
वर्ष के प्रारंभ में प्रक्षेपित फायदा बाध्यता	1,671.42 *(1,669.24)*	1,597.51 *(1,462.65)*	22.91 *(24.09)*	1,895.80 *(1,705.57)*	4.32 *(5.52)*
चालू सेवा लागत	85.38 *(86.77)*	99.49 *(98.34)*	1.08 *(0.95)*	26.85 *(32.62)*	0.28 *(0.26)*
ब्याज लागत	101.19 *(101.45)*	103.84 *(88.77)*	1.49 *(1.44)*	123.23 *(111.86)*	0.28 *(0.18)*
बीमा (लाभ)/हानि	(8.55) *(17.48)*	157.25 *(142.23)*	4.40 *(1.28)*	143.64 *(45.75)*	(0.44) *((0.75))*
अर्जन समायोजन	– –	– –	– –	– –	– –
संदत्त फायदा	(196.31) *((203.53))*	(392.11) *((194.48))*	(5.48) *((4.85))*	(214.30) –	(0.28) *((0.90))*
पूर्व सेवा लागत	–				
वर्ष के अंत में प्रक्षेपित फायदा बाध्यता	1,653.14 *(1,671.42)*	1,565.98 *(1,597.51)*	24.41 *(22.91)*	1,975.22 *(1,895.80)*	4.16 *(4.32)*

ii) योजना आस्तियां के न्यायोचित मूल्य में परिवर्तन (उपदान)

(रकम लाख रुपए में)

विशिष्टियां	2021–22 (वित्तपोषित)	2020–21 (वित्तपोषित)
अवधि के प्रारंभ में आस्तियों का न्यायोचित मूल्य	**1,412.92**	1,671.42
योजना आस्तियों पर संभावित रिटर्न	**87.25**	94.66
बीमा अभिदाय	**258.49**	144.32
बीमा लाभ/(हानियां)	**0.23**	(3.12)
संदत्त फायदे	**(196.31)**	(203.53)
अर्जन समायोजन		–
अवधि के अंत में आस्तियों का न्यायोचित मूल्य	**1,562.59**	1,557.25

iii) तुलनपत्र में मान्यता दी गई

(रकम लाख रुपए में)

विशिष्टियां	उपदान	दीर्घावधि अनुकम्पा अनुपस्थिति	दीर्घ सेवा पुरस्कार	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा फायदा	सेवानिवृत्ति उपरांत यात्रा भत्ता
	(वित्तपोषित)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)
वर्ष के अंत में परिभाषित फायदा बाध्यता	1,653.14 **(1,671.42)**	1,565.98 **(1,597.51)**	24.41 **(22.91)**	1,975.22 **(1,895.80)**	4.16 **(4.32)**
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों आस्तियों का न्यायोचित मूल्य	1,562.59 **(1,412.92)**	– –	– –	– –	– –
वित्तपोषित प्रास्थिआति आस्ति / (दायित्व)	(90.54) **((258.50))**	(1,565.98) **((1597.51))**	(24.41) **((22.91))**	(1,975.22) **((1895.80))**	(4.16) **((4.32))**
तुलन पत्र में मान्यता प्रदान की गई शुद्ध (दायित्व) / आस्तियां	(90.54) **((258.50))**	(1,565.98) **((1597.51))**	(24.41) **((22.91))**	(1,975.22) **((1895.80))**	(4.16) **((4.32))**

iv) लाभ एवं हानि लेखे में मान्यता दिए गए व्यय

(रकम लाख रुपए में)

विशिष्टियां	उपदान	दीर्घावधि अनुकम्पा अनुपस्थिति	दीर्घ सेवा पुरस्कार	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा फायदा	सेवानिवृत्ति उपरांत यात्रा भत्ता
	(वित्तपोषित)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)
चालू सेवा लागत	85.38 *(86.77)*	99.49 *(98.34)*	1.08 *(0.95)*	26.85 *(32.62)*	0.28 *(0.26)*
ब्याज की लागत	101.19 *(101.45)*	103.84 *(88.77)*	1.49 *(1.44)*	123.23 *(111.86)*	0.28 *(0.18)*
योजना आस्तियों पर संभावित रिटर्न	(87.25) *((94.66))*	– –	– –	– –	– –
अवधि में मान्यता दी गई शुद्ध बीमा (लाभ) / हानि	(8.77) *(20.60)*	157.25 *(142.23)*	4.40 *(1.28)*	143.64 *(45.75)*	(0.44) *((0.75))*
पूर्व सेवा लागत	– –	– –	– –	– –	– –
लाभ और हानि लेखे में मान्यता दिए गए कुल व्यय	90.54 *(114.17)*	360.58 *(329.34)*	6.97 *(3.67)*	293.72 *(190.23)*	0.13 *(0.31)*

(v) पिछले 5 वर्ष का तुलनात्मक डाटा–उपदान

(रकम लाख रुपए में)

क्र. सं.	विशिष्टिया	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2018
क)	अवधि के अंत में परिभाषित फायदा बाध्यता	**1,653.14**	(1,671.42)	1,669.24	1,728.93	1,874.04
ख)	अवधि के अंत में योजना आस्ति	**1,562.59**	(1,412.92)	1,524.92	1,699.77	1,196.01
ग)	वित्त पोषित प्रस्थिति	**(90.54)**	(258.50)	(144.32)	(29.16)	(678.03)
घ)	योजना दायित्वों पर अनुभव समायोजन (हानि) /लाभ	**(90.54)**	(258.50)	(144.32)	(29.16)	(678.03)

(vi) पिछले 5 वर्ष का तुलनात्मक डाटा–नकदीकरण

(रकम लाख रुपए में)

क्र. सं.	विशिष्टिया	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2018
क)	अवधि के अंत में परिभाषित फायदा बाध्यता	**1,565.98**	1,597.51	1,462.65	1,506.23	1,291.87
ख)	अवधि के अंत में योजना आस्ति का उचित मूल्य	–	–	–	–	–
ग)	वित्त पोषण प्रास्थिति	**(1,565.98)**	(1,597.51)	(1,462.65)	(1,506.23)	(1,291.87)
घ)	तुलन पत्र में मान्यता प्रदान किया गया (दायित्व)/आस्ति	**(1,565.98)**	(1,597.51)	(1,462.65)	(1,506.23)	(1,291.87)

(vii) पिछले 5 वर्ष का तुलनात्मक डाटा–दीर्घ सेवा पुरस्कार

(रकम लाख रुपए में)

क्र. सं.	विशिष्टिया	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2018
क)	अवधि के अंत में परिभाषित फायदा बाध्यता	**24.41**	22.91	24.09	18.64	30.66
ख)	अवधि के अंत में योजना आस्ति का उचित मूल्य	–	–	–	–	–
ग)	वित्त पोषण प्रस्थिति	**(24.41)**	(22.91)	(24.09)	(18.64)	(30.66)
घ)	तुलन पत्र में मान्यता प्रदान किया गया (दायित्व)/आस्ति	**(24.41)**	(22.91)	(24.09)	(18.64)	(30.66)

(viii) पिछले 5 वर्ष का तुलनात्मक डाटा–सेवानिवृति पश्चात चिकित्सा लाभ

(रकम लाख रुपए में)

क्र. सं.	विशिष्टियां	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2018
क)	अवधि के अंत में परिभाषित फायदा बाध्यता	**1,975.22**	1,895.80	1,705.57	1,850.47	1,760.56
ख)	अवधि के अंत में योजना आस्ति का उचित मूल्य	–	–	–	–	–
ग)	वित्त पोषण प्रस्थिति	**(1,975.22)**	(1,895.80)	(1,705.57)	(1,850.47)	(1,760.56)
घ)	तुलन पत्र में मान्यता प्रदान किया गया (दायित्व)/आस्ति	**(1,975.22)**	(1,895.80)	(1,705.57)	(1,850.47)	(1,760.56)

(ix) पिछले 5 वर्ष का तुलनात्मक डाटा–छुट्टी यात्रा रियायत

(रकम लाख रुपए में)

क्र. सं.	विशिष्टियां	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2018
क)	अवधि के अंत में परिभाषित फायदा बाध्यता	**4.16**	4.32	5.52	3.56	2.97
ख)	अवधि के अंत में योजना आस्ति का उचित मूल्य	–	–	–	–	–
ग)	वित्त पोषण प्रास्थिति	**(4.16)**	(4.32)	(5.52)	(3.56)	(2.97)
घ)	तुलन पत्र में मान्यता प्रदान किया गया (दायित्व)/आस्ति	**(4.16)**	(4.32)	(5.52)	(3.56)	(2.97)

पूर्व वर्ष के आंकड़े इटैलिक्स और कोष्ठकों में दिए गए हैं

कंपनी, लेखांकन मानक एएस 15 के उपबंधों के अनुसार उपदान, दीर्घ अवधि प्रति पूरित अनुपस्थिति, पश्च सेवानिवृत्ति चिकित्सा फायदा, दीर्घ सेवा पुरस्कार और बीमाकंन के आधार पर सेवानिवृत्ति के पश्चात एक बार यात्रा भत्ता प्रदान करती है।

टिप्पण सं.2.33

संबंधित पक्षकार प्रकटन

कंपनी (लेखांकन) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट लेखांकन मानक 18, ''संबंधित पक्षकार प्रकटन'' के अनुसार संबंधित पक्षकारों के नामों के साथ प्रबंधन द्वारा पहचाने गए और प्रमाणित संव्यावहार की समग्र रकम और वर्ष के अंत में शेष निम्नांनुसार दिया गया है

i) श्री आर पी सिंह महाप्रबंधक वित भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार 6 माह की अवधि के लिए नियमित पदधारी की पद पर नियुक्ति होने तक या अगला आदेश होने तक इनमें से जो भी पहले हो सौंपा गया है। श्री आर पी सिंह, निदेशक (वित्त) (अतिरिक्त प्रभार) ने 18 अक्टूबर 2021 को प्रभार ग्रहण कर लिया। इसके अतिरिक्त भारी उद्योग मंत्रालय ने निदेशक (वित्त), आईपीआईएल के अतिरिक्त प्रभार को 15 मार्च 2022 से 14 सितंबर 2022 तक 6 मास की और अवधि के लिए या नियमित पदधारी के पद ग्रहण करने तक अगर आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, विस्तारित कर दिया।

ii) प्रमुख प्रबंध कार्मिक जिसके साथ वर्ष के दौरान संव्येवहार किया गया था:

- श्री डी एस राना, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (19 सितंबर 2019 से)
- श्री एच एन ठाकुर निदेशक (परियोजनाएं) (21 अक्टूबर 2019 से)

- श्री आर पी सिंह निदेशक (वित्त) (18 अक्टूबर 2021)
- श्रीमती सुकृति लिखी (नाम निर्देशित ई) (15 जून 2021 तक)
- श्रीमती निधि छिब्बर, अंशकालिक शासकीय निदेशक (शासकीय नाम निर्देशित) (15 जून 2021 से)
- श्रीमती नीलम एस कुमार, अंशकालिक शासकीय निदेशक (शासकीय नाम निर्देशित) (31 अक्टूबर 2021 तक)
- श्री राजेश कुमार, अंशकालिक शासकीय निदेशक (शासकीय नाम निर्देशित) (1 नवंबर 2021 से)
- श्रीमती आकांक्षा पारे, अंशकालिक गैर शासकीय निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) (2 नवंबर 2021 से)
- श्री विनोद कुमार यादव, अंशकालिक गैर शासकीय निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) (2 नवंबर 2021 से)
- श्री कपिल मोहन सक्सेना, मुख्य वित्त अधिकारी (2 जुलाई 2021 से 31 मार्च 2022 तक)
- श्री नितेश कुमार गोयल, कंपनी सचिव (17 जुलाई 2020 से)
- स्वर्गीय पीएम चंद्रिया, निदेशक (वित्त) और मुख्य वित्त अधिकारी (30 अप्रैल 2021 तक)

iii) ईपीआईएल अर्बन इंफ्रा डेवलपर्स लिमिटेड (ईपीआईयूआईडीएल) को ईपीआईएल की अनुषंगी के रूप में 19 मई 2016 को निगमित किया गया। 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार ईपीआई यूआइडीएल के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 361 के अधीन त्वरित परिसमापन की याचिका प्रादेशिक निदेशक के पास अनुमोदन के लिए लंबित है। इसके पश्चात, प्रादेशिक निदेशक (कंपनी कार्य मंत्रालय) (उत्तर) द्वारा इसे ग्रहण किया गया। प्रादेशिक निदेशक (कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा) सूचित किया गया है कि फाइल की गई याचिका परी समापन के लिए त्वरित प्रक्रिया के लिए एक उपयुक्त मामला नहीं है और कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन कार्रवाई करने के लिए अन्य विकल्प उपलब्ध है। तदनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(1)(क)के अनुसरण में ईपीआई यूआइडीएल का नाम हटाने के लिए एक आवेदन महानिदेशक, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के पास 23 मई 2022 को फाइल किया गया है।

वर्ष 2021–22 के दौरान ईपीआई यूआई डीएल, आईटीआई की अनुषंगी निदेशकों/मुख्य कार्यपालक अधिकारी के ब्यौरे

1. श्री कपिल तारा, कार्यकारी निदेशक (डबल्यूआरओ), ईपीआई (20 मार्च 2017 से ईपीआई से निलंबन के अधीन है) अंशकालिक मुख्य कार्यपालक अधिकारी (केएमपी), ई पी आई यू डी एस 30 सितंबर 2020 को अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हो गए हैं
2. श्री नंदकिशोर मोतीलाल साहा, अंशकालीन निदेशक बी यू आई डी पी एल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
3. श्री बामन केकी दिनशाह बामन जी मेहता, अंशकालीन निदेशक डीसीपीएल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं (19 अगस्त 2021 को त्यागपत्र दिया)

अनुषंगी कंपनी के साथ व्यौहारों का ब्यौरा

(रकम लाख रुपए में)

विशिष्टियां	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	प्रकृति
अति शेष (प्राप्य रकम) {क}	2.13	2.13	नामे
अनुषंगी के निमित्त व्ययों की प्रतिपूर्ति {ख}	–	–	नामे
अनुषंगी से प्राप्त रकम {ग}	–	–	प्रत्यय
इति शेष (वसूलनीय रकम) {घ} [घ = क+ख–ग]	2.13	2.13	नामे

iv) 2 अगस्त, 2017 को ईपीआई– सीएंडसी " संयुक्त उद्यम" (अनिगमित), इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड और सीएंडसी संनिर्माण लिमिटेड के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग विशिष्टियों के अनुसार दो लेन की सड़क के निर्माण का कार्य प्लेटवा– से भारत– म्यांमार सीमा (जोरिनपुई) म्यांमार के किन राज्य में 0.00 किलोमीटर से 109.20

किलोमीटर जिसमें सीएंडसी संनिर्माण लिमिटेड का 60: हित और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड का 40: हित है, विरचित किया गया। सीएंडसी संनिर्माण लिमिटेड, संयुक्त उद्यम के अग्रणी भागीदार के रूप में कार्य करेगा। ईपीआई– सीएंडसी " संयुक्त उद्यम" को संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रचालन माना गया है। वर्ष के दौरान विदेश मंत्रालय ने तारीख 9 फरवरी 2022 के पत्र द्वारा (प्लेटवा से भारत–म्यांमार सीमा (जोरिन पुरी) पर 0.00 किलोमीटर से म्यांमार राज्य में चिन राज्य में 109.20 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग विशिष्टियों के अनुसार दो लेन की सड़क की संनिर्माण की परियोजना) संपूर्ण संविदा को गैर निष्पादन का कथन करते हुए समाप्त कर दिया। सीएंडसी संनिर्माण लिमिटेड म्यामार संयुक्त उद्यम "ईपीआई– सीएंडसी जेवी (अनिगमित)"में हमारा 60% स्टेक भागीदार और ओमान परियोजना में हमारा मुख्य ठेकेदार एनसीईएलटी में इस समय दिवाला कार्यवाहियों का सामना कर रहा है और यह मामला उन्नत प्रक्रम पर है। इसका परिणाम और ईपीआईएल के वित्तीय विवरणों पर इसके वित्तीय प्रभाव का अभी पता नहीं लगाया जा सकता है।

v) कारवार के सामान्य प्रक्रम मै संबंधित पक्षकारों के साथ निम्नलिखित संव्यवहार किए गए थे।

निदेशकों के पारिश्रमिक के ब्यौरे

(रकम लाख रुपए में)

विशिष्टियां	2021–22	2020–21
वेतन'	84.88	96.58
भविष्य निधि में अंशदान	7.35	7.58
मकान किराया	–	–
चिकित्सा व्यय	3.85	7.95
बैठक फीस#	1.70	–

*श्री आर पी सिंह निदेशक–वित्त (अतिरिक्त प्रभार) कंपनी में नियोजित नहीं है और इसलिए वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान उन्हें किसी वेतन/भत्ते का संदाय नहीं किया गया है।

#केवल स्वतंत्र निदेशकों को बैठक फीस का संदाय किया गया है।

टिप्पेण सं. 2.34

संनिर्माण सामग्री के स्टॉ.क के मात्रात्म क ब्यौरे नीचे दिए अनुसार हैं :

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार	
	मात्रा (एमटी)	मूल्य (रुपए)	मात्रा (एमटी)	मूल्य (रुपए)
सीमेंट	–	–	–	–
इस्पात	384.51	196.36	38.22	17.85
इस्पात पाइप	–	–	–	–

टिप्पतण सं. 2.35

जैसा कि आर्थिक कार्य मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) द्वारा विनिश्चय किया गया है। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के सामरिक विनिधान का कार्य प्रगति पर है। इस समय आस्ति धनीयकरण (विनिधान स्कीम के अधीन) का डीआईपीएएम नीति/मार्गदर्शक सिद्धांतों/मांचे के अनुसार का कार्य प्रगति पर है।

टिप्पण सं. 2.36

''उपबंध, आकस्मिक दायित्व और आकस्मिक आस्तियां'' पर लेखांकन मानक–29 के अधीन प्रकटनः

(रकम लाख रुपए में)

विशिष्टियां	अतिशेष	वर्ष के दौरान किया गया उपबंध	वर्ष के दौरान संदत्त/ समायोजित	बट्टे खाते में डाले गए उपबंध	इतिशेष
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)=(ii+iii–iv-v)
परियोजना आकस्मिकताएं*	3,314.07	55.81	–	–	**3,369.88**
कर्मचारी फायदा	3,779.03	751.94	870.67	–	**3,660.31**
वेतन पुनरीक्षण (तीसरा पीआरसी)	681.96	–	206.16	–	**475.80**
योग	7,775.06	807.75	1,076.42	–	**7,505.98**
पूर्ववर्ती वर्ष	7,349.31	637.41	334.88	0.31	**7,651.12**

* परियोजना आधार पर प्राप्य रकम के लिए किया गया उपबंध (संदेय रकम को छोडकर)

टिप्पण सं. 2.37

प्रबंधन ने निर्धारण किया है और पाया कि नियत आस्तियों के मूल्य में कोई कमी नहीं आई है। इसलिए 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार कोई उपबंध करने की आवश्यकता नहीं है।

टिप्पण सं. 2.38

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के उपबंधों के अनुसरण में, कोई कंपनी जो लागू होने की सीमा को पूरा करती है से निगम सामाजिक उत्तरदायित्व पर तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2 प्रतिशत को व्यय करने की अपेक्षा है। वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा निगम सामाजिक उत्तरदायित्व पर 1,33 लाख रुपए (पूर्व वर्षों के बजट से अग्रणीत रकम) को व्यय करने की अपेक्षा है।

अनुसूचित 3 में संशोधनों के संबंध में कारपोरेट कार्य मंत्रालय की तारीख 24 मार्च 2021 के अधिसूचना की बाबत, निगम सामाजिक उत्तरदायित्व के संबंध में अतिरिक्त विनियामक सूचना नीचे दिए अनुसार है

विशिष्टियां	टिप्पणियां
(क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च किए जाने के लिए अपेक्षित रकम	कुछ नहीं
(ख) खर्च की गई रकम	कुछ नहीं
(ग) वर्ष के अंत में कमी	कुछ नहीं
(घ) पूर्व वर्षों की कमी का योग	कुछ नहीं
(ङ) कमी के कारण	लागू नहीं होता
(च) निगम सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यकलापों की प्रकृति	लागू नहीं होता

विशिष्टियां	टिप्पणियां
(छ) संबंधित पक्षकार संव्यवहारों का विवरण अर्थात सुसंगत लेखांकन मानक के अनुसार निगम सामाजिक उत्तरदायित्व खर्च के संबंध में कंपनी द्वारा नियंत्रित न्यास में अंशदान,	लागू नहीं होता
(ज) किसी संविदा तमक बाध्यता में प्रविष्टि द्वारा किसी दायित्व के संबंध में क्या कोई उपबंध किया गया है, उपबंध में वर्ष के दौरान गतिविधि को पृथक रूप से उप दर्शित किया जाना चाहिए	लागू नहीं होता

टिप्पण सं. 2.39

प्रति शेयर आधारिक और कम किए गए अर्जन की संगणना कर के पश्चाति हानि 6506.35 लाख रुपए (कर के पश्चात शुद्ध हानि 4974.31 लाख रुपए) को 3,54,22,688 के 10/–रुपए प्रत्येक पूर्णतः संदत्त साम्या शेयरों को विभाजित करके की जाती है।

	वित्त वर्ष 2021–22	वित्त वर्ष2020–21
प्रति शेयर अर्जन आधारिक	**(18.37)**	(14.04)
कम किया गया	**(18.37)**	(14.04)

टिप्पण सं. 2.40

19 मई 2016 को ईपीआई की एक अनुषंगी कंपनी को "ईपीआई अर्बन इंफ्रा डेवलपर्स लिमिटेड (ईपीआईयूआईडीएल)" के रूप 10 लाख रुपए की संदत्त पूंजी से निगमित किया गया था, जो ईपीआई द्वारा 51 प्रतिशत, मैसर्स भारत अर्बन इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, सोलापुर द्वारा 39 प्रतिशत और मैसर्स दाराशा एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई (डीसीपीएल) द्वारा 10% के साथ भूमि पार्सलों आदि के विकास के लिए मिलकर बनी है।

अनुषंगी कंपनी अपने निगमन से ही प्रचालन नहीं कर रही है। एक सरकारी कंपनी होने के नाते, निदेशकों की नियुक्ति का प्रस्ताव जिसके अंतर्गत पहले निदेशकों से मिलकर बनने वाला अंतरिम बोर्ड का अनुमोदन है, को सरकार से अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया था और इसी बीच सरकार ने डीपीआई के सामरिक अविनिधान के लिए कार्रवाई आरंभ कर दी। क्योंकि सरकार ने अनुषंगी कंपनी की विरचना का समर्थन नहीं किया, ईपीआई ने ईपीआईयूआईडीएल के समापन के लिएस्वैच्छिक समापनध्परीसमापन के लिए ईपीआईयूआईडीएल के शेयरधारकों के अनुमोदन की शर्त के अधीन रहते हुए मंजूरी दे दी और प्रशासनिक मंत्रालय ईपीआईयूआईडीएल को बंद करने के लिए सहमत हो गया। तथापि स्वैच्छिक परीसमापन के लिए 20 दिसंबर 2017 को आयोजित ईपीआईयूआईडीएल की पहली वार्षिक साधारण बैठक में बीयूआईडीपीएल सहमत नहीं हुआ। 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार CPIUSIL के संबंध में कंपनी अधिनिय 1013 की धार 361 के अनुसार त्वरित परिसमापन की आर्थिक प्रादेशिक निदेश के पास लंबित है। ईपीआई के अपने शेयरों का अन्य दो शेयरधारकों को प्रस्ताव करने के पश्चातवर्ती प्रयास सफल नहीं हुए थे। ईपीआई के बोर्ड समापन/प्रस्थान के लिए अन्य विकल्पों के लिए संबंधित प्राधिकारियों से मिलने का विनिश्चय किया। प्रादेशिक निदेशक (कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा) सूचित किया गया है कि फाइल की गई याचिका परी समापन के लिए त्वरित प्रक्रिया के लिए एक उपयुक्त मामला नहीं है और कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन कार्रवाई करने के लिए अन्य विकल्प उपलब्ध है। तदनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(1)(क)के अनुसरण में ईपीआई यूआइडीएल का नाम हटाने के लिए एक आवेदन महानिदेशक, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के पास 23 मई 2022 को फाइल किया गया है।

वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान अनुषंगी कंपनी में 5,10 लाख रुपए के विनिधान के लिए 100 प्रतिशत उपबंध किया गया है।

टिप्पण सं. 2.41

ईपीआई के कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध सीबीआई ने 05 मामले रजिस्टर किए हैं और प्राथमिकी रजिस्टर की हैं। ''कंपनी'' को प्राथमिकी में एक पक्षकार नहीं बनाया गया है। इससे उसके वित्तीय विवरणों पर किसी प्रभाव की परिकल्पना नहीं है।

तथापि आज तक पूर्व उक्त मामले में जांच अभी भी प्रगति पर है।

टिप्पण संख्या 2.42

राष्ट्रीय जल आपूर्ति एवं निकासी बोर्ड (एनडब्ल्यूएसडीबी), श्री लंका (ग्राहक) ने चीनी निर्माता/पूर्तिकार द्वारा ईपीआईएल को प्रदान की गई बाबुनिया जल आपूर्ति स्कीम के लिए पूर्ति किए गए एचडीपीई पाइपों को उनकी खराब क्वालिटी के कारण अस्वीकार कर दिया और ईपीआईएल को अच्छी क्वालिटी के पाइपों से बदलने के लिए कहा। ईपीआईएल ने चीनी पूर्तिकार को भुगतान जारी कर दिया था, यद्यपि ईपीआईएल को करार के निबंधनों के अनुसार एनडब्ल्यूएसडीबी से भुगतान (96 प्रतिशत) मिल गया। 18.78 करोड रुपए की समतुल्य रकम का दावा विनिर्माता के विरुद्ध माध्यस्थम में 31 अक्टूबर 2016 को विरुद्ध किया गया है। माध्यस्थ ने 29 जनवरी 2018 को लगभग 1725 लाखरुपए (लगभग) का पंचाट ईपीआईएल को प्रदान किया और अब ईपीआईएल कोलंबो वाणिज्यिक उच्च न्यायालय में माध्यस्थम को डिक्री में परिवर्तित करने के लिए और चीनी विनिर्माता (जियांग सूकुयानलोंग, न्यू मैटेरियल कंपनी लिमिटेड) के विरुद्ध उसे लागू करने के लिए अग्रसर हो गई है।

टिप्पण संख्या 2.43

व्यापार प्राप्य, उधार एवं अग्रिम, ग्राहकों का अग्रिम, प्रतिधारण धन, प्राप्य/संदेय प्रतिभूति जमा और व्यापार संदेय पुष्टि और मिलान के अधीन हैं। प्रबंधन की राय में इनका वित्तीय विवरणों पर प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है।

टिप्पण संख्या 2.44

प्रबंधन की राय में, कारवार के साधारण प्रक्रम में वसूली होने पर चालू आस्तियों का मूल्य तुलन पत्र में कथित से कम नहीं होगा।

टिप्पण संख्या 2.45

क) मैसर्स यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) से 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार व्यापार प्राप्य, प्रतिधारण एवं अन्य वसूलियां 2,368.96 लाख रुपए हैं। पूर्वोक्त रकम 10 वर्ष से अधिक पुरानी है और इसे वसूलने के लिए लगातार प्रयास किया जाता है। अंतिम निपटान के लंबित होने तक अनुभव/प्रगति प्रबंधन द्वारा मामले का निर्धारण के आधार पर 31 मार्च 2022 तक 443.77/–रुपए का परियोजना के पूरा होने तक उपबंध किया गया है। वर्ष 2021–22 में यूसीआईएल से वसूली के लिए अनेक संपर्क किए गए। इसका परिणाम चालू वित्त वर्ष अर्थात 2022–23 में आ सकता है।

ख) बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर परियोजना को ग्राहक द्वारा अप्रैल 2017 में समाप्त कर दिया गया था। 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार उप–अभिकरण से वसूली की जाने वाली रकम 4,306.22/– लाख रुपए है, इसे टिप्पण संख्या 2.12 में ' अन्य गैर चालू आस्तियां' के अधीन "ग्राहक, विक्रेताओं एवं अन्य से वसूलनीय" उप दर्शित किया गया है। यह मामला ग्राहक एवं उप–अभिकरण दोनों के साथ मध्यस्थम के अधीन है।

ग) वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान 5 एन एल पी डी दुग्ध संयंत्र, 30 संपूर्ण एमटीपीडी विद्युत संयंत्र एवं सेवा एवं प्रयोगशाला स्थापन के देहरी और सोन में डिजाइन, अपूर्ति, उत्कीर्ण एवं चालू करने से संबंधित 8,329.77/–लाख रुपए मूल्य की संविदा को ग्राहक द्वारा समाप्त कर दिया गया। 430.50/– लाख रुपए की कुल रकम जो ग्राहक द्वारा सचल अग्रिम के विरुद्ध अधिक वसूल की गई है को, टिप्पण संख्या 2.12 में 'ग्राहक, विक्रेताओं एवं अन्य से वसूलनीय–गैर चालू आस्तियां' के अधीन दर्शित किया गया है। यह मामला माध्यस्थम के अधीन है।

टिप्पण संख्या 2.46

कंपनी को परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) की क्षमता में दिए गए कार्य के संबंध में कार्य के परिमाण में अन्य बातों के साथ संनिर्माण कार्यकलापों के लिए ठेकेदारों की नियुक्ति, ठेकेदारों की मानिटरी और पर्यवेक्षण, नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों से ठेकेदारों को भुगतान सम्मिलित है, कंपनी ठेकेदारों के कार्य की संपूर्ण लागत को जिसके अंतर्गत पीएमसी फीस सम्मिलित है, "किया गया कार्य" शीर्ष के अधीन राजस्व के अधीन अपने टर्नओवर के रूप में मान्यता प्रदान करती है और तदनुसार ठेकेदार के कार्य की लागत को कार्य लागत के अधीन मान्यता दी जाती है। ऐसी परियोजनाओं से संबद्ध आस्तियों और दायित्व नियोक्ता के निमित्त न्यास में धृत को कंपनी की आस्ती और दायित्व के रूप में उसके तुलन पत्र में संबंधित शीर्षों के अधीन मान्यता दी जाती है। इसका कंपनी द्वारा लगातार अनुसरण किया जा रहा है जो अपने ठेकों को लेखांकन मानक–7 के अधीन लागत जमा ठेका मानती है।

टिप्पण संख्या 2.47

वेतन और अन्य संबंधित लागत के लिए मुख्यालय व्यय 26.90 लाख रुपए (402.71/– लाख रुपए पूर्व वर्ष) का वित्त वर्ष 2021–22 के लिए ओमान को आवंटन किया गया है जिसमें ओमान में के शाखा लेखों में इसी मद्दे व्यय की कटौती का ओमान आयकर नियमों और विनियमों के अनुसार दावा किया गया है।

टिप्पण संख्या 2.48

पट्टेदार के रूप में कंपनी

कंपनी ने कतिपय कार्यालय और आवासीय परिसरों को परिचालन पट्टा पर लिया है जोकि संबंधित करारों के अनुसार समुचित नोटिस देकर रद्द किया जा सकता है। वर्ष के दौरान 1904.28/– लाख रुपए (किसके अंतर्गत पूर्वी प्रादेशिक कार्यालय– कोलकाता के भवन का 1656.81 लाख रुपए का भाटक सम्मिलित है जो माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है)। (पूर्व वर्ष 203.33 लाख रुपए) इन रद्द किए जा सकने वाले पट्टा प्रचालनों के लिए प्रभारित किए गए हैं।

कंपनी ने कतिपय आस्ति जैसे कार को रद्द न किए जा सकने वाले प्रचालन पट्टों पर लिया है। वर्ष के दौरान 17.46/– लाख रुपए (पूर्व वर्ष 13.52/– लाख रुपए) इन रद्द न किए जा सकने वाले प्रचालन पट्टों के लिए संदत्त किए गए। इन पट्टों के संबंध में भावी न्यूनतम पट्टा संदाय नीचे दिए अनुसार हैं:

i) 1 वर्ष के पूर्व संदेय 15.61/– लाख रुपए (पूर्व वर्ष 16.74/–लाख रुपए)
ii) 1 वर्ष के पश्चात किंतु 5 वर्ष से पूर्व संदेय 36.70/– लाख रुपए (पूर्व वर्ष 33.15/– लाख रुपए)
iii) 5 वर्ष के पश्चात संदेय कुछ नहीं (पूर्व वर्ष कुछ नहीं)

पट्टाकर्ता के रूप में कंपनी

कंपनी ने कतिपय कार्यालय परिसरों को परिचालन पट्टा पर लिया है जोकि संबंधित करारों के अनुसार समुचित नोटिस देकर रद्द किया जा सकता है। वर्ष के दौरान 430.78/– लाख रुपए (पूर्व वर्ष 141.24 लाख रुपए) इन रद्द किए जा सकने वाले पट्टा प्रचालनों के लिए रखा गया है।

i) 1 वर्ष के पूर्व संदेय 452.32/–लाख रुपए (पूर्व वर्ष 430.75/– लाख रुपए)
ii) 1 वर्ष के पश्चात किंतु 5 वर्ष से पूर्व संदेय 311.43/– लाख रुपए (पूर्व वर्ष 763.75/– लाख रुपए)
iii) 5 वर्ष के पश्चात संदेय कुछ नहीं (पूर्व वर्ष कुछ नहीं)

टिप्पण संख्या 2.49

संयुक्त उद्यमों के संबंध में प्राक्कटन

क्रम संख्या	संयुक्त प्रचालनों का नाम (अनिगमित)	भागीदार और मूल देश	भागीदारी हित (प्रतिशत में) 31 मार्च की स्थिति के अनुसार	
			2022	2021
1.	ईपीआई–सी एंड सी संयुक्त उद्यम	सी एंड सी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, इंडिया	**60%**	60%
		इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड इंडिया	**40%**	40%

वर्ष के दौरान कंपनी ने मैसर्जसी एंड सी संनिर्माण लिमिटेड को पहले ही तारीख 17 अगस्त 2021 को संयुक्त उद्यम करार को समाप्त करने के संबंध में नोटिस भेज दिया है। विदेश मंत्रालय ने तारीख 9 फरवरी 2022 के पत्र द्वारा (प्लेटवा से भारत–म्यांमार सीमा (जोरिन पुरी) पर 0.00 किलोमीटर से म्यांमार राज्य में चिन राज्य में 109.20 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग विशिष्टियों के अनुसार दो लेन की सड़क की संनिर्माण की परियोजना) संपूर्ण संविदा को गैर निष्पादन का कथन करते हुए समाप्त कर दिया।

चूंकि मैसर्स सीएंडसी संनिर्माण लिमिटेड म्यामार संयुक्त उद्यम "ईपीआई– सीएंडसी जेवी (अनिगमित)"में हमारा 60% स्टेक भागीदार और ओमान परियोजना में हमारा मुख्य ठेकेदार एनसीई एलटी में इस समय दिवाला कार्यवाहियों का सामना कर रहा है और यह मामला उन्नत प्रक्रम पर है। इसका परिणाम और ईपीआईएल के वित्तीय विवरणों पर इसके वित्तीय प्रभाव का अभी पता नहीं लगाया जा सकता है।

टिप्पण संख्या 2.50

शेयरधारकों को संदेय लाभांश को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें उसे शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाता है। इस वर्ष यानि 2021–22 के दौरान कंपनी ने किसी लाभांश का संदाय नहीं किया है (पूर्व वर्ष 2020–21 में 27,61,028/–रुपए (पीएटी का 30% अर्थात 92,03,428/– रुपए) (रु 10 अंकित मूल्य के प्रत्येक शेयर के लिए 0.08) वित्त वर्ष 2019 20 के लिए अपने शेयरधारकों को लाभांश के रूप में घोषित किए।

टिप्पण संख्या 2.51

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में यथा परिभाषित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम निकायों से शोध्य रकम की पहचान कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर की जाती है।

सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यमों को संदेय *		31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार
विशिष्टिया			
i)	प्रत्येक लेखांकन वर्ष की समाप्ति पर किसी आपूर्तिकर्ता को संदेय मूल रकम और शोध्य ब्याज**	3463.91	798.92
ii)	प्रत्येक लेखांकन वर्ष के दौरान नियत तारीख से परे आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की रकम के साथ धारा 16 के निबंधों में क्रयकर्ता द्वारा संदत ब्याज की रकम;	कुछ नहीं	कुछ नहीं
iii)	संदाय करने में विलंब की अवधि के लिए शोध्य और संदेय ब्याज की रकम (किंतु जिसका वर्ष के दौरान नियत तारीख से परे	कुछ नहीं	कुछ नहीं

सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यमों को संदेय *		31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार
	संदाय किया गया है) किंतु इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट रकम को जोड़ें बिना;		
iv)	उद्भूत ब्याज की रकम और जो प्रत्येक लेखांकन वर्ष की समाप्ति पर असंदत है; और	9.50	कुछ नहीं
v)	यहां तक की पश्चातवर्ती वर्षों में और अधिक शेष शोध्य और संदेय ब्याज की रकम, उस तारीख तक जब उपरोक्त शोध्य या ब्याज का वास्तव में लघु उद्यम को इस अधिनियम की धारा 23 के अधीन कटौती योग्य खर्च के रूप में मोक के प्रयोजन के लिए संदाय किया जाता है	कुछ नहीं	कुछ नहीं

*सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 मै यथा परिभाषित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम निकायों से शोध्य रकम की पहचान इन निकायों से प्राप्त पुष्टि के आधार पर तथा कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के परिमाण तक पहचान की जाती है।वर्ष के दौरान किसी भी समय इन पहचान किए गए निकायों के प्रति 45 दिन से अधिक के लिए कोई रकम संदेय नहीं थी

टिप्पण संख्या. 2.52

अनुसूची 3 में संशोधनों के संबंध में कारपोरेट कार्य मंत्रालय की तारीख 24 मार्च 2021 की अधिसूचना के संदर्भ में अतिरिक्त विनियामक सूचना नीचे दिया अनुसार है:

(i) स्थावर संपत्ति के जो कंपनी के नाम धृत नहीं है के हक विलेख:

स्थावर संपत्ति के जो कंपनी के नाम धृत नहीं है के हक विलेखों के ब्यौरे:

(रकम लाख रुपए में)

तुलन पत्र में सुसंगत रेखा मद	संपत्ति का विवरण	समग्र वहन मूल्य	जिसके नाम हक विलेख धृत है	क्या हक विलेख धारक कोई संप्रवर्तक, निदेशक या किसी संप्रवर्तक/निदेशक का संबंधी या संप्रवर्तक/निदेशक का कर्मचारी है	जिस तारीख से संपत्ति धृत्त है	कंपनी के नाम धारण ना करने के कारण**
पीपीई	स्कोप परिसर, नई दिल्ली में भवन	374.42	स्कोर परिसर, नई दिल्ली	नहीं	14–03–1988	संबंधित प्राधिकरण के साथ मामला उठाया गया है
संपत्ति में विनिधान	–	–	–	–	–	–
पीपीई सक्रिय उपयोग से	–	–	–	–	–	–

सेवानिवृत्त हो गया है और उसे निपटान के लिए धृत किया गया है						
अन्य	–	–	–	–	–	–

यहां नातेदार से कंपनी अधिनियम, 2013 में यथा परिभाषित नातेदार अभिप्रेत है।

* संप्रवर्तक से कंपनी अधिनियम, 2013 में यथा परिभाषित संप्रवर्तक अभिप्रेत है।

(ii) इस संबंध में प्रकटन की क्या पुनर्मूल्यांकन रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा मूल्यांकन के आधार पर आधारित है:

वर्ष के दौरान कोई मूल्यांकन नहीं किया गया।

(iii) वर्ष के दौरान संप्रवर्तक, निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति और संबंधित पक्षकारों को कोई ऋण या अग्रिम अनुदत्त नहीं किया गया:

(iv) चालू पूंजी कार्य (सीडब्ल्यू आईपी):

31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार कंपनी में कोई सी डब्ल्यू आई पी विद्यमान नहीं है

(v) विकासाधीन अमूर्त असेट्स:

(क) <u>विकासाधीन एजिंग अनुसूची के अधीन अमूर्त आस्तियों के ब्योरे:</u>

(रकम लाख रुपए में)

विकासाधीन अमूर्त असेट्स	**निम्नलिखित अवधि के लिए सीडब्ल्यू आईपी की रकम**				
	1 वर्ष से कम	**1–2 वर्ष**	**2–3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**योग**
प्रगति पर परियोजना:					
1. इआरपी– एस एपी– पीएस, एमएम एंड एसडी	–	48.26	25.99	–	74.25
2. एकमुश्त प्रतिस्थापन प्रभाव और आइएमपीएल तथा कौनस फोल्डर बीटीएस	–	4.13	–	–	4.13
अस्थाई रूप से निलंबित परियोजना	–	–	–	–	–
योग	–	**52.39**	**25.99**	–	**78.38**

(ख) <u>विकास पूर्ण अनुसूची के अधीन अमूर्त असेट्स के ब्योरेः</u>

(रकम लाख रुपए में)

विकासाधीन अमूर्त असेट्स	निम्नलिखित अवधि के लिए सीडब्ल्यू आईपी की रकम				
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
प्रगति पर परियोजनाः					
1. इआरपी– एस एएपी–पीएस, एमएम एंड एसडी	74.25	–	–	–	
2. एकमुश्त प्रतिस्थापन प्रभाव और आइएमपीएल तथा कौनस फोल्डर बीटीएस	4.13	–	–	–	
अस्थाई रूप से निलंबित परियोजना	–	–	–	–	
योग	**78.38**	–	–	–	

(vi) धारित बेनामी संपत्ति का विवरणः

31.03.2022 तक कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है।

(vii) चालू एसेर्टज की सिक्योरिटी के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से लिया गया उधाररू

कंपनी ने समय समय के आधार पर बैंकरों को अनंतिम वित्तीय डाटा प्रस्तुत किया है या डाटा वही है जो शासी मंत्रालय को भी रिपोर्ट किया गया है।

(viii) जानबूझकर व्यतिक्रमः

31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार कंपनी को किसी बैंक या वित्तीय संस्था या अन्य उधार दाता द्वारा जानबूझकर व्यतिक्रमी ही घोषित नहीं किया गया है।

(ix) हटा दी गई कंपनियों के साथ संबंधः

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 को हटा दी गई कंपनियों के साथ वर्ष के दौरान कोई संव्यवहार नहीं किया है।.

(x) कंपनी रजिस्ट्रार के साथ परिवारों का रजिस्ट्रीकरण या चुकाया जानाः

कानूनी अवधि से परे कंपनी रजिस्ट्रार के पास किन्ही प्रभारों या उनका चुकाया जाना रजिस्ट्रीकृत किया जाना है

(xi) कंपनियों की अनेक लेयरों के साथ अनुपालनः

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 का खंड (87) नियंत्रित कंपनी के वर्ग या वर्गों को विहित सीमा से परे अनुषंगी कंपनियां रखने पर निर्बंधन अधिरोपित करता है। पूर्वोक्त उपबंध कंपनी को लागू नहीं होता है।

(xii) विभिन्न अनुपातः

विभिन्न अनुपातों के ब्योरे नीचे दिए अनुसार हैं:

क्रम संख्या	अनुपात का प्रकार	फार्मूला अंश भाजक	समय में प्रतिशत	वित्त वर्ष 2021–22	वित्त वर्ष 2020–21	%
क)	विद्यमान अनुपात	चालू असेट्स / चालू दायित्व	कितनी बार	1.15	1.12	2%
ख)	ऋण–साम्य अनुपात	बाहरी व्यक्तियों के दावे / आंतरिक व्यक्तियों के दावे	कितनी बार	8.81	4.53	94%
ग)	ऋण सेवा कवरेज अनुपात	ब्याज कर अक्षयण से पूर्व अर्जन एवं अपाकरण / ब्याज+मूल	कितनी बार	(10.90)	(0.55)	1879%
घ)	साम्या अनुपात पर रिटर्न	कर के पश्चात लाभ / शेयरधारकों की इक्विटी	%	(184%)	(140%)	31%
ड)	माल सूची टर्नओवर अनुपात	विक्रय किए गए माल की लागत /औसत माल सूची	कितनी बार	639.22	1,247.74	–49%
च)	व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात	शुद्ध नकद विक्रय / औसत व्यापार प्राप्य	कितनी बार	2.49	1.95	28%
छ)	व्यापार संदेय टर्नओवर अनुपात	शुद्ध नकद करें /औसत व्यापार प्राप्य	कितनी बार	1.16	1.16	–
ज)	शुद्ध पूंजी टर्नओवर अनुपात	टर्नओवर / नियोजित पूंजी	कितनी बार	8.82	5.42	63%
झ)	शुद्ध लाभ अनुपात	शुद्ध लाभ /कुल आय	%	(9%)	(6%)	41%
ण)	नियोजित पूंजी पर रिटर्न	कर पश्चात लाभ /कुल नियोजित पूंजी	%	(78%)	(33%)	133%
ट)	विनिधान पर रिटर्न	असेट्स के किसी वर्ग से लाभ / ऐसे एसेर्टज के वर्ग का बाजार मूल्य	%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

पिछले वर्ष की तुलना में 25% से अधिक अनुपात में परिवर्तनों के लिए स्पष्टीकरण नीचे दी अंसार है:

क) **ऋण– इक्विटी अनुपात में,** चालू वर्ष में 65.06 करोड रुपए की हानि के कारण जिसका परिणाम "आंतरिक व्यक्तियों के दावे" में कमी के रूप में चालू वर्ष में हुआ (फार्मूला का अंश भाजक मूल्य)

ख) **ऋण सेवा कवरेज अनुपात में,** चालू वर्ष के लिए ईवीआईटीडीएपूर्व वर्ष मै –32.37 करोड रुपए की तुलना में चालू वर्ष मै 56.65 करोड रुपए है (सूत्र में अंश भाजक).

ग) **इक्विटी अनुपात में रिटर्न पर,** पूर्व वर्ष में 49.74 करोड रुपए हानि की तुलना में चालू वर्ष में हानि 65.06 करोड रुपए हैइसका परिणाम यह कोटि में रिटर्न में कमी के रूप में हुआ।.

घ) **माल सूची टर्नओवर अनुपात में,** चालू वर्ष में बेचे गए माल और माल सूची 684.64 करोड रुपए और1.96 करोड रुपए है जबकि पिछले वर्षीय क्रमशः 748.77 करोड रुपए और0.18 करोड रुपए था। इसका परिणाम पिछले

वर्ष की तुलना में अनुपात में कमी के रूप में हुआ।

ङ) **व्यापार प्राप्त टर्नओवर अनुपात में,** चालू वर्ष में टर्नओवर और औसत व्यापार प्राप्य 736.17 करोड रुपए और 295.70 करोड रुपए हैं जबकि पिछले वर्ष 805.62 करोड रुपए और 247.39 करोड रुपए था। इसका परिणाम पिछले वर्ष की तुलना में अनुपात में बढ़ोतरी के रूप में हुआ।

च) **शुद्ध पूंजी टर्नओवर अनुपात में,** चालू वर्ष में 65.06 करोड रुपए की हानि के कारण उसका परिणाम चालू वर्ष में नियोजित पूंजी में कमी के रूप में हुआ (सूत्र में अंश भाजक का मूल्य) इसका परिणाम पूर्व वर्ष की तुलना में अनुपात में वृद्धि के रूप में हुआ.

छ) **शुद्ध लाभ अनुपात में, पिछले वर्ष में.** –49.74 करोड रुपए की हानि की तुलना में चालू वर्ष में 65.06 करोड रुपए की हानि। इसका परिणाम शुद्ध लाभ अनुपात में कमी के रूप में हुआ।

ज) **नियोजित पूंजी के रिटर्न के अनुपात में,** चालू वर्ष में 65.06 करोड रुपए की हानि जिसका परिणाम चालू वर्ष में नियोजित पूंजी में कमी के रूप में हुआ (सूत्र में अंश भाजक मूल्य) इसका परिणाम पूर्व वर्ष की तुलना में कमी के रूप में हुआ।

(xii) प्रबंध की अनुमोदित स्कीमों का अनुपालनः

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से धारा 207 इसके अधीन कंपनी के लिए कोई स्कीम अनुमोदित नहीं की गई है।

(xiv) उधार ली गई निधियों और शेयर प्रीमियम का उपयोगः

कंपनी ने किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों या निकाय जिसके अंतर्गत विदेशी निकाय (मध्यवर्ती) सम्मिलित हैं से कोई अग्रिम नहीं लिया है या उधार नहीं लिया है या निधियों (या तो उधार ली गई निधियां या शेयर प्रीमियम या अन्य स्रोत या निधियों की किस्म) का विनिधान नहीं किया है।

(xv) अप्रकटित आयः

वर्ष के लिए कोई अप्रकटित आय या कोई संव्यवहार नहीं है जिसे लेखाबहियों में अभिलिखित किया गया है।

(xvi) क्रिप्टो मुद्रा या वर्चुअल मुद्रा के ब्यौरेः

कंपनी ने वर्ष के दौरान क्रिप्टो मुद्रा या वर्चुअल मुद्रा में कोई व्यापार या विनिधान नहीं किया है।

टिप्पण संख्या 2.53

वित्त वर्ष 2021–22 कॉविड–19 के बार–बार होने के प्रभाव के कारण बहुत उथल–पुथल भरा रहा था तथा वैश्विक उथल–पुथल का देश के आर्थिक सबलपन ने काफी हद तक संतुलन बनाया। भारत के रिजर्व बैंक द्वारा नकदी की उपलब्धता को आसान बनाने के उपाय उन्हें संपूर्ण वर्ष के दौरान सरकारी नियमित व्यय ने आर्थिक मंदी के जोखिम को निवृत किया और गृहस्थों तथा कंपनियों के विश्वास को बढ़ाने में सहायता की।

कोविड–19 लहर के पश्च्च आर्थिक कार्यकलापों के पुनः प्रारंभ होने और बेहतर सचलता के सामान्य होने की पृष्ठभूमि के कारण वित्त वर्ष 2021–22 के एक रिकवरी वर्ष होने की आशा थी। इसके प्रतिकूल वर्ष का प्रारंभ अधिक विध्वंसकारी दूसरी लहर के प्रारंभ होने से हुआ जिसका परिणाम रिकॉर्ड संख्या में संदूषण और उच्च मृत्यु दर के रूप में हुआ। देश पहली लहर के दौरान पूर्ण लॉकडाउन के विपरीत विभिन्न राज्यों में आंशिक लॉकडाउन का साक्षी बना। वेहतर टीकाकरण प्रयासों के साथ अर्थव्यवस्था प्रत्याशा के विपरीत तेजी से वापस पथ पर आई। तथापि रिकवरी की गति को तीसरी तिमाही

के अंत की ओर ओमीक्रोन वेरिएंट की उत्पत्ति ने बाधित किया, सौभाग्य से यह केवल संक्षिप्त अवधि के लिए ही रहा।

वित्तवर्ष 2021–22 अनेक लहरों का साक्षी रहा, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान ने संपूर्ण विश्व में वस्तुओं/सौर मॉड्यूल कीमतों में मालभाड़ा लागत के अतिरिक्त अप्रायिक वृद्धि हुई। ना केवल इससे ग्राहकों की ओर से आदेशों को अंतिम रूप देने में विलंब हुआ बल्कि चालू परियोजनाओं की प्रगति में भी विलंब हुआ।

कोविड–19 महामारी के प्रभाव ने जीवनयापन, शिक्षा और स्वास्थ्य को प्रभावित करके समुदायों की तबाही को जारी रखा और इसने जमीनी वास्तविकताओं के लिए नूतन कार्य विधियों की मांग की पुस्तक विद्यमान परियोजनाओं में प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए।

कारवार/आर्थिक स्थितियों पर कोविड–19 महामारी के प्रभाव के निर्धारण के आधार पर कंपनी को उसके असेट्स के वहन मूल्य को वसूल करने की आशा है। कंपनी महामारी से संबंधित अनिश्चितता का मूल्यांकन करना जारी रखेगी और अपने निर्धारण को अद्यतन करेगी।

टिप्पण संख्या 2.54

पिछले वर्ष के अंको का मिलान, पुना समूहीकरण कर लिया गया है और उन्हें चालू वर्ष के वर्गीकरण/समूहीकरण के अनुरूप करने के लिए पुनः तैयार किया गया है।

हमारी समसंख्य क तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते निदेशक बोर्ड के लिए और उसकी ओर से

कृत जीएसके एवं एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेट
फर्म रजिस्ट्रीकरण सं.013838एन/एन500003

ह0/–
(सीए संजय कुमार गुप्ता)
पदनामित भागीदार
सदस्यता सं. 0930556
तारीखः 4 अगस्त, 2022
स्थानः नई दिल्ली
यूडीआईएनः 22093056एओआईआरबीपी8300

ह0/–
(राजपाल सिंह)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन08750557

ह0/–
(धीरेन्द्र सिंह राना)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
डीआईएन07022825

ह0/–
(अशोक कुमार पात्रा)
महाप्रबंधक (वित्त) एवं सीएफओ

ह0/–
(नितेश कुमार गोयल)
कंपनी सचिव

प्ररूप एओसी–1

कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 129 की धारा (3) के
पहले परंतुक के अनुसरण में

अनुषंगी या सहमद्ध कंपनियों या संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों के मुख्य लक्षणों को अंतर्विष्ट करने वाला विवरण

भाग–क अनुषंगी

1	अनुषंगी का नाम	ईपीआई अर्बन इंफ्रा डेवलपर्स लिमिटेड
2	वह तारीख जबसे अनुषंगी अर्जित की गई है/निगमित की गई है	19 मई 2016
3	यदि नियंत्रित कंपनी की रिपोर्ट करने की अवधि से भिन्न है तो संबंधित अनुषंगी की रिपोर्ट करने की अवधिरु	नियंत्रिति कंपनी के समान (1 अप्रैल 2021 – 31 मार्च 2022)
4	विदेशी अनुषंगियों की दशा में सुसंगत वित्त वर्ष की अंतिम तारीख की स्थिति के अनुसार रिपोर्ट करने की करेंसी और मुद्रा दर	लागू नहीं होता
5	शेयर पूंजी*	10,00,000
6	आरक्षितियां और अधिक्य	5,97,530
7	कुल आस्तियां	–6,15,601
8	कुल दायित्व	6,15,601
9	विधान	–
10	टर्नओवर	–
11	कराधान से पूर्व लाभ	–
12	कराधान के लिए उपबंध	–
13	कराधान के पश्चात लाभ	–
14	शेयर धृति का परिमाण (प्रतिशत में)	51%
15	प्रस्तावित लाभांश	कुछ नहीं

टिप्पण:

अनुषंगी का नाम जिसने अभी प्रचालन आरंभ करना है	कुछ नहीं
अनुषंगी का नाम जिसका परिसमापन कर दिया गया है या जिसका वर्ष के दौरान विक्रय कर दिया गया है	कुछ नहीं

*सम्मिलित शेयर पूंजी में जारी की गई और संदत्त पूंजी सम्मिलित है।

भाग ख सहबद्ध और संयुक्त उद्यम

	सहबद्ध या संयुक्त उद्यमों का नाम	ईपीआई–सी एंड सी जेवी
1.	नवीनतम लेखा परीक्षक तुलन पत्र की तारीख#	कुछ नहीं
2.	तारीख जिसको सहबद्ध या संयुक्त उद्यम को संयोजित या अर्जित किया गया था	2 अगस्त 2017
3.	वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धृत्त सहबद्ध या संयुक्त उद्यम के शेयर	
	धृत शेयरों की संख्या	कुछ नहीं
	सहबद्ध या संयुक्त उद्यम में विनिधान की रकम	कुछ नहीं
	धृति का परिमाण (प्रतिशत में)	40%
4.	विवरण दें कि किस प्रकार महत्वपूर्ण प्रभाव है	लागू नहीं होता
5.	कारण जिससे सहबद्ध या संयुक्त को समेकित नहीं किया गया	लागू नहीं होता
6.	नवीनतम लेखा परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार शेयर धृति के मद्दे नेटवर्थ (ईपीआई–सी एंडसी जेवी)	कुछ नहीं
7.	वर्ष के लिए लाभ या हानि	
	i. जिस पर समेकित में विचार किया गया	कुछ नहीं
	ii. जिस पर समेकित में विचार नहीं किया गया	कुछ नहीं

* वर्ष के दौरान, कंपनी ने मैसर्स को पहले ही नोटिस भेज दिया है। सी एंड सी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, भारत ने 17.08.2021 को संयुक्त उद्यम समझौते को समाप्त करने के संबंध में। बाद में, विदेश मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 09 फरवरी, 2022 के द्वारा पूर्ण अनुबंध (प्लेटवा से भारत–म्यांमार सीमा (जोरिनपुई) किमी 0.00 से किमी 109.20 तक म्यांमार के चिन राज्य में एनएच विनिर्देश पर दो लेन सड़क के निर्माण के लिए परियोजना) को गैर–प्रदर्शन बताते हुए समाप्त कर दिया।

व्यय शून्य होने के कारण कोई विवरण प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए समेकन के लिए कुछ भी नहीं माना जाता है।

हमारी समसंख्य क तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते निदेशक बोर्ड के लिए और उसकी ओर से

कृत जीएसके एवं एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेट
फर्म रजिस्ट्रीकरण सं.013838एन/एन500003

	ह0/–	**ह0/–**
	(राजपाल सिंह)	**(धीरेन्द्र सिंह राना)**
	निदेशक (वित्त)	**अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक**
	डीआईएन08750557	**डीआईएन07022825**

ह0/–
(सीए संजय कुमार गुप्ता)
पदनामित भागीदार
सदस्यता सं. 093056
स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 04 अगस्त, 2022
यूडीआईएनः 22093056एओआईआरबीपी8300

	ह0/–	**ह0/–**
	(अशोक कुमार पात्रा)	**(नितेश कुमार गोयल)**
	महाप्रबंधक (वित्त) एवं सीएफओ	**कंपनी सचिव**

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(ख) के अधीन टिप्पणियां

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन विहित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 139(5) के अधीन नियुक्त कानूनी लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन विहित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर 143 के अधीन वित्तीय विवरणों पर राय अभिव्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। ऐसा कथन किया गया है कि उनके द्वारा 4 अगस्त 2022 की पुनरीक्षित लेखा परीक्षा रिपोर्ट के द्वारा ऐसा किया गया है।

मैने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से अधिनियम की 143(6) (क) के अधीन 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा संचालित की है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा स्वतंत्र रूप से कानूनी लेखा परीक्षक के कार्यशील पेपरों तक बिना किसी पहुंच के की गई है और यह मुख्यता कानूनी लेखा परीक्षक तथा कंपनी के कार्मिक और कुछ लेखांकन अभिलेखों की चुनिंदा जांच तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखा परीक्षा के आधार पर मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ नहीं आया है जिसके कारण अधिनियम की धारा 143(6)(ख)के अधीन आया है जिससे कोई टिप्पणी करना या कानूनी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अनुपूरक कोई प्रस्तुति करना आवश्यक हो जाए।

कृते और निमित्त
भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक

ह0/–
(दीपक कपूर)
महानिदेशक लेखा परीक्षा
(उद्योग एवं कारपोरेट मामले)
नई दिल्ली

स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 27 सितंबर 2022

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143 (6) (ख) के अधीन टिप्पणियां

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन विहित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 139 (5) के अधीन नियुक्त कानूनी लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143 (10) के अधीन विहित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143 के अधीन वित्तीय विवरणों पर राय अभिव्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। ऐसा कथन किया गया है कि उनके द्वारा 4 अगस्त 2022 की पुनरीक्षित लेखा परीक्षा रिपोर्ट के द्वारा ऐसा किया गया है।

मैने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143(6) (क) के अधीन 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा संचालित की है। हमने इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस (इंडिया) लिमिटेड (कंपनी) के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा संचालित की किंतु ईपीआई अर्बन इंफ्रा डेवलपर्स लिमिटेड (अनुषंगी) कि उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए अनुपूरक लेखा परीक्षा संचालित नहीं की थी। इसके अतिरिक्त ईपीआई– सीएंडसी (संयुक्त उद्यम) को कानूनी लेखा परीक्षक की नियुक्ति और अनुपूरक लेखा परीक्षा संचालित करने के लिए संबंधित विधियों के अधीन विदेश में और निगमित प्राइवेट निकाय होने के नाते अधिनियम की धारा 139(5) और धारा 143 (6) (क) लागू नहीं होती हैं। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा स्वतंत्र रूप से कानूनी लेखा परीक्षक के कार्यशील पेपरों तक बिना किसी पहुंच के की गई है और यह मुख्यता कानूनी लेखा परीक्षक तथा कंपनी के कार्मिक और कुछ लेखांकन अभिलेखों की चुनिंदा जांच तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखा परीक्षा के आधार पर मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ नहीं आया है जिसके कारण अधिनियम की धारा 143(6) (ख) के अधीन आया है जिससे कोई टिप्पणी करना या कानूनी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अनुपूरक कोई प्रस्तुति करना आवश्यक हो जाए।

कृते और निमित्त
भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक

ह०/–
(दीपक कपूर)
महानिदेशक लेखा परीक्षा
(उद्योग एवं कारपोरेट मामले)
नई दिल्ली

स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 27 सितंबर 2022

[1] अनुषंगियों के वार्षिक लेखे अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए हैं

आधारभूत संरचना के विकास एवं टर्नकी परियोजना के निष्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी उपक्रम

पर्यावरण एवं आधारभूत संरचना विकास में निहित इंजीनियरी उत्कृष्टता के 50 से अधिक वर्ष

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि.

(भारत सरकार का उद्यम)
कोर 3, स्कोप कॉम्प्लैक्स, 7 लोधी रोड, नई दिल्ली–110 003
फोन नं. : +91–11–24361666, फैक्स : +91–11–24363426
ई–मेल : epico@engineeringprojects.com
वेबसाइट : www.engineeringprojects.com

Designed & Printed by : Indu Cards & Graphics, Chawri Bazar, Delhi-06 M. 9811419531